खण्ड-505, अंक-06
शुक्रवार 09 भाद्रपद, शक संवत् 1940
(31 अगस्त, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2018)

(खण्ड 505 में 6 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।

वार्षिक चन्दा :

बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 72

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर (जारी)	7
मा0 मुख्यमंत्री द्वारा कल सदन में की गई टिप्पणी पर पीठ द्वारा सुरक्षित किये गये निर्णय की जानकारी	7-8
प्रश्नोत्तर	8-145
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार	145-146
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	146
मा0 सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	146-148
नियम-301 एवं नियम 51 का उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के निवारण हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुश्रवण समिति का गठन	148-149
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	149
सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों व ड्राइवरों के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	149-151
तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर एवं दिनांक 29 अगस्त, 2018 को सदन में दिये गये भाषण में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	151-158
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	158-163
आवास विकास परिषद्, वृन्दावन योजना लखनऊ एल्डिको सौभाग्यम के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163-164
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत लमसर से मटरा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद बस्ती के ब्लाक दुबौलिया अन्तर्गत सुखिबाबाब को पहुंच मार्ग से जोड़े	165

जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
जनपद गाजियाबाद में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 165
जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्राम दांती को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 165

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुगलसराय की गडइ नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
जनपद आगरा अन्तर्गत पदमकुंज, बोदला, सिकन्दरा की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद बरेली स्थित किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद सहारनपुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद मथुरा के अन्तर्गत नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बल्देव कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
जनपद मेरठ में वेस्ट टू एनर्जी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168-169
जनपद गाजीपुर अन्तर्गत जमनियां में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद महराजगंज के बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद जालौन अन्तर्गत ग्वालियर को जोड़े जाने वाले कोंच स्थित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170
प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद मेरठ स्थित ग्राम साफियाबाद लोटी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रांट में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत जिला मुख्यालय से विकास खण्ड बेलसर को टू लेन	171

मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 171

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत मे गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 171

जनपद सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर मार्जिनल तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 172

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली के कतिपय क्षेत्रों में पुलिया/रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172
जनपद बुलन्दशहर में नवसृजित विकास खण्ड ककौड़ को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172-173
जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171
जनपद मिर्जापुर स्थित पड़री से गोल्हनपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173
जनपद आगरा स्थित सुन्दर पाड़ा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173-174
जनपद बुलन्दशहर स्थित गंगा नहर लरवावटी ब्रान्च की बायीं पटरी पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174
जनपद वाराणसी के रौहनिया विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174
जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174-175
जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई-राठ मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद गोण्डा अन्तर्गत इटियाथोक में बिसुही नदी पर स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गांधी कालोनी में जल निकासी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175-176
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ब्लाक शाहपुर के ग्राम आदमपुर स्थित हिण्डन नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद मुजफ्फरनगर के स्थित एन0एच0-58 पर अण्डर पास का निर्माण	176

कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित हिण्डन नदी पर नूना खेड़ा अटाली सम्पर्क मार्ग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 177
जनपद वाराणसी के संजय नगर कालोनी में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 177
ग्राम खरगापुर, गोमतीनगर, लखनऊ को नगर निगम में शामिल करने के

विषय **पृष्ठ-संख्या**
जनपद मिर्जापुर के कतिपय हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर में धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 178
जनपद कुशीनगर के हाटा एवं मोयल विकास खण्ड में खदान माफियाओं के विरुद्ध एस0आई0टी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 179
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम परोतन से रढ़ेली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 179
जनपद आगरा के अन्तर्गत एस0एन0 मेडिकल कालेज में नेत्र विभाग के नेत्र चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 179-180
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत बने आवास की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 180
कानपुर नगर में हमीरपुर रोड नौबस्ता स्थित कामदगिरि इण्टर कालेज एवं ओम बेंकट हाल के मध्य मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 180
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत बाल्मीकि बैराज से झुलनीपुर होते हुए बिहार जाने वाले नहर बंजारी पट्टी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 180-181
माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा राजकीय विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के आयकर कटौती का विवरण वेब साईट पर अपलोड न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 181
जनपद गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 182
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य 182

पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
जनपद सीतापुर के बोस स्टेडियम के तरणताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 182-183
चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से तारगांव सढ़ान सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 183

विषय **पृष्ठ-संख्या**
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र-4 के ब्लाक पुवांरका में मेन अम्बाला रोड से ग्राम भाऊपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 184
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमुकुहीराज में कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने एवं बिजली के तार/पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 184-185
जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरस्थ भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 185-186
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु पारीछा बांध में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 186
जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देशवरीगंज-बहुरावां बाजार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 186-187
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में जर्जर बिजली के तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 187
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुरा में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 188
जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 188
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में पेयजल हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 188
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 189
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गिरते जल की जांच एवं रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 189
जनपद रामपुर में शाहाबाद रोड पर बने अजीतपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया द्वारा 189

बनाये गये अवैध नालों को सरकारी जमीन से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
आवारा पशु का उचित संरक्षण न होने के कारण प्रदेश में किसानों एवं गो-वंश की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 190
जनपद आजमगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 190-191
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सराय ममरेज से लोटई के बीच क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

विषय **पृष्ठ-संख्या**
जनपद लखनऊ के इंदू मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर में अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 191-192
जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 192-193
जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देशवरीगंज-बहुरावां बाजार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 193
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना कस्बा नगीना में राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 193
जनपद बलिया के जिला महिला चिकित्सालय के जर्जर भवन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 193-194
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजवाहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 194
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत रतिभानपुर से जरैरा मार्ग के बीच स्थित जिरौली ग्राम में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 194
जनपद सोनभद्र में लगे सरकारी फैक्ट्रियों में काम कर रही आउट सोर्सिंग कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 194-195
जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन डायमण्ड डेयरी राजकीय कालोनी में साफ-सफाई न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 195
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 195-196
जनपद मिर्जापुर के पाली से हड़गाड़ मुख्य सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/विशेष 196

मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत रामपुर बाजार में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 196-197
रायबरेली नगर पालिका में रिसोर्स सेन्टर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 197
जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में मकदूम साहब पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 197
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं

विषय **पृष्ठ-संख्या**
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को सम्मानित वेतन और सुविधायें तथा नौकरी में स्थायित्व दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 198
प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 199
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ग्राम सकतपुर के पास फरूआही घाट पर दूढ़ी राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 199
जनपद बलिया के ग्राम भरौली में कच्चे मार्ग को पक्के कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 199
जनपद बस्ती में अनुज्ञा अवधि में दूसरी किस्त न जमा किये जाने के बाद भी पट्टेधारकों के द्वारा खनन कार्य कराये जाने से सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व क्षति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 200
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरानगर पालीटेक्निक ढाल, द्वारिकापुरी चौराहा के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 200-201
जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर में स्थापित सिरोपरि को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 201
जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मौहम्मदी में कृषकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 201-202
जनपद कुशीनगर के मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 202
जनपद इटावा के विकास खण्ड चकरनगर के कुवारी नदी पर चैकडेमों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 202
प्रतापगढ़ नगर पालिका में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 203

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली में औद्योगिक पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 203
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड गंगोह के ग्राम विलासपुर में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 203-204
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर मे कन्या डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 204
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 204

विषय	पृष्ठ-संख्या
आयुष अनुभाग-2 के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किये जा रहे असंसदीय आचारण एवं व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	205
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रूबी की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	205-206
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 7 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	206
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनुपर से सम्बन्धित 2 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	206-207
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 5 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	207
श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 2 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	208
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 3 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	208
डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	208-209
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 7 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	209-210
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 2 याचिकायें (व्यपगत)	210
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	211
श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित	211

2 याचिकायें (उपस्थित की गयी)
श्री केसर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) 211
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 4 याचिकायें (उपस्थित की गयी) 212
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) 212
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 2 याचिकायें (उपस्थित की गयी) 212

विषय **पृष्ठ-संख्या**
श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) 213
श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 4 याचिकायें (उपस्थित की गयी) 213
श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी) 213
श्री जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद इलाहाबाद से सम्बन्धित 4 याचिकायें (उपस्थित की गयी) 213-214
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 3 याचिकायें (उपस्थित की गयी) 214
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें 214-215
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 215-216
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में शासन उत्तर उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाना 216
श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाना. . 216
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 216-217
विधेयक को पुरःस्थापन करने हेतु मा0 सदस्यों को विधेयक की प्रतियां उपलब्ध 217-221

कराये जाने की मांग
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) 221-222
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) 222
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 223-235
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) 235-241
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) 241-248
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) 248-254
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 (पारित) 254-261

विषय **पृष्ठ-संख्या**

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) 261-263
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) 263-269
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 (पारित) 269-276
भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 276
बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में डॉ0 अरुण कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 276
जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 277
जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी कांड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैण्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 277
जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा 277-278
जनपद हरदोई में लखनऊ-दिल्ली चार लेन पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई, लखनऊ, पिहानी, 278

हरदोई, शाहजहांपुर तथा हरदोई-फर्रुखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाइपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत)

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 278

जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 278

जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 278

विषय **पृष्ठ-संख्या**

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 279

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत) 279

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित) 279

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत, कटरा को नगर पालिका बनाये जाने विषयक प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 279

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 280

जनपद फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करवाये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) 280

जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा 280

(जारी)
वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 281
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण यथाशीघ्र करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 282
जनपद सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तगत
प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 282

विषय **पृष्ठ-संख्या**

लखनऊ विश्वविद्याल, लखनऊ का नाम बदल कर 'पं0 अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, लखनऊ किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (स्थगित) 282
परिवर्तन चौक, लखनऊ का नाम बदल कर 'अटल चौक' कर दिये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (स्थगित) 282
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 283-289
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य 289-291
उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदेश के बाहर से फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य 292-295
जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) 295
जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील भीटी में चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य 295-298

उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा खाद्यान्न वितरण में की जा रही कालाबाजारी की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य 298-299

जनपद लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी एवं मिनी ट्रामा सेन्टर विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य 299-301

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मकदूमपुर निवासी श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा संचालित गौशाला में लगे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बिना नोटिस के कटाये जाने एवं गौशाला को क्षतिग्रस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य 301-303

विषय **पृष्ठ-संख्या**

जनपद कानपुर नगर में पौधारोपण की फर्जी आंकड़ेबाजी के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन एवं उद्यान मंत्री का केवल वक्तव्य 303-304

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद नगर के थाना रामगढ़ चौकी के जर्जर भवन के स्थान पर एक अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन (मल्टीस्टोरी) का निर्माण एवं वर्तमान थाना भवन को चौकी के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य 304-305

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत कालाआम से ग्राम जौनपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम कुड़वल-बनारस मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) 306

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत आशा संगिनी के पदों पर की गयी नियुक्ति में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अनुराग सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य 306-307

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय स्थानों पर कर्मचारियों के सेवा अभिलेख न रखे जाने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 307-308

प्राकृतिक आपदा से पीड़ित केरल के निवासियों को सरकारी सहायता 309-310

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार 310-319

सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव 319

राष्ट्रगान 320
नत्थियां 321-327

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त, 2018

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-364

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
22. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
23. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
30. अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
33. अवतार सिंह भड़ाना, श्री — मुजफ्फरनगर
34. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
36. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
37. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
39. असलम अली, श्री — हापुड़
40. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
42. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
43. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया

48. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
49. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
50. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
51. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
52. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
53. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
55. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
56. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
57. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
58. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
59. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
61. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
62. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
63. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
64. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
65. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
66. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
67. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
68. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
69. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
71. केसर सिंह, श्री — बरेली
72. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
73. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
74. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
75. गंगा, श्री — कुशीनगर
76. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
77. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
78. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
79. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
80. गौरी शंकर, श्री — जालौन
81. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
82. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
83. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री — चित्रकूट
84. चेतन चौहान, श्री — अमरोहा
85. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
86. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
87. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
88. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी) श्री — फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
92. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
93. जयमंगल, श्री — महराजगंज
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
95. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
96. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
97. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
98. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 — नाम-निर्देशित
99. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
100. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
104. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
105. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
106. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
107. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री — सन्तकबीरनगर
108. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही

110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
112. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
116. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
119. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
120. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
121. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
123. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
124. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
137. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
141. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
142. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
143. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
144. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
147. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
152. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
153. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फागू चौहान, श्री मऊ
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
157. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
161. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
162. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
165. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
166. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
167. बृजभूषण राजपूत उर्फ गूड्डू भइया, श्री महोबा
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा

171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
175. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
182. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
183. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
185. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
188. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
189. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
190. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
191. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
192. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
193. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
194. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
195. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
196. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
197. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
198. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
200. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
201. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
202. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेश धामा, श्री बागपत
206. योगेश वर्मा, श्री खीरी
207. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
208. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
211. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
212. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
213. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
214. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
215. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
216. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
217. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
218. रवि शर्मा, श्री झांसी
219. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
220. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
222. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
223. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
224. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
225. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
226. राज करन कबीर, श्री बांदा
227. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
228. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
229. राजबाला, श्रीमती रामपुर
230. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
231. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
232. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
233. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
234. राजीव सिंह ''पारीछा'' श्री झांसी
235. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़

236. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
237. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
238. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
239. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
240. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
241. रामकुमार वर्मा पटेल, श्री खीरी
242. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
243. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
244. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
245. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
247. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
248. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
249. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
250. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
251. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
252. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
253. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
254. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
255. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
256. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
257. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
258. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
259. लाखन सिंह, श्री औरैया
260. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
261. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
262. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
263. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
264. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
265. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
266. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
267. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
268. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
269. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
270. विजय मिश्र, श्री भदोही
271. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
272. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
273. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
276. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
277. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
278. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
279. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
280. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
281. वीरेन्द्र, श्री एटा
282. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
283. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
284. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
285. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
286. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
287. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
288. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
289. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
290. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
291. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
292. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
293. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
294. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
295. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
296. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
297. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
298. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
299. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
300. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
301. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
302. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
303. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़

304. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
305. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
306. संजय, श्री बुलन्दशहर
307. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
308. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
309. संजय यादव, श्री बलिया
310. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
311. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
312. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
313. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
314. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
315. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
316. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
317. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
318. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
319. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
320. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
321. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
322. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
323. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
324. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
325. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
326. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
327. सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
328. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
329. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
330. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
331. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
332. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
333. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
334. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
335. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
336. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
337. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
338. सुरेश कुमार, श्री शामली
339. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
340. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
341. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
342. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
343. सुरेश राही, श्री सीतापुर
344. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
345. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
346. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
347. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
348. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
349. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
350. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
351. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
352. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
353. सौरभ सिंह, श्री खीरी
354. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
355. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
356. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
357. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
358. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
359. हरीराम, श्री सोनभद्र
360. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
361. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
362. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
363. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
364. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट-उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 महेन्द्र सिंह), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न संख्या-01

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सरकार ने अपने ही जवाब में यह माना है कि 21,38, 811(इक्कीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ ग्यारह)...

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा कल सदन में की गई टिप्पणी पर पीठ द्वारा सुरक्षित किये गये निर्णय की जानकारी

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह काली पट्टी क्यों बंधी है?

श्री अजय कुमार लल्लू-

अभी कल वाली बात वापस नहीं हुई है, अभी विचार करने की बात हुई है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

इनका कहना यह है कि विधान सभा में जानवर, सांप और नेवला वाला जो मामला उठा था, अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी रूलिंग को रिजर्व कर लिया है, वह वापस नहीं हुआ है। यही इनका कहना है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, न कल इस पर चर्चा हुई।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन उस पर निर्णय रिजर्व तो हो गया है। यह अच्छा नहीं लगता।

श्री अजय कुमार लल्लू-

जब वापस हो जायेगा, तो हम वापस ले लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस हाउस में कई लोगों को चिम्पैंजी कहा गया, कई लोगों को वनमानुष कहा गया। हमने तो कभी काली पट्टी नहीं बॉधी। हम तो 10-05 साल सत्ता में रहे बाकी 20 वर्ष तो विपक्ष में ही रहे। मान्यवर, चिम्पैंजी व वनमानुष क्या नहीं कहा गया? यह माननीय विधायक के लिए शोभा नहीं देता फिर 'लल्लू' जी तो दलीय नेता हैं वह भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के।

श्री अध्यक्ष-

शोभा दे या न दे, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय लल्लू जी के ऊपर टोपी तो अच्छी लगती है लेकिन काली पट्टी अच्छी नहीं लग रही है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में अपशब्दों का प्रयोग किया जाय वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या यह उचित है?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस सदन में जितने भी विपक्ष के मा0 सदस्य हैं इस तरह के एक भी शब्द इस सत्र में नहीं कहे हैं। मैं इस सत्र की बात कह रहा हूं। आप इसके भी गवाह हैं कि 1952 से ले करके अब तक जितने माननीय नेता सदन उस कुर्सी को सुशोभित किये हैं उनमें भी कोई माननीय नेता सदन ने इस तरह की बात नहीं कही है यह सदन की कार्यवाही का प्रमाण है पूरा, आपके पास है, वहाँ लाइब्रेरी में है। कोई भी माननीय नेता सदन इस तरह की बात नहीं कहता। विपक्ष ने कभी भी इस तरह की बात सदन में नहीं कही है।

प्रश्नोत्तर

क्रमागत

श्री अध्यक्ष-

अजय जी अब आप प्रश्न करिये।

नत्थी (क)

[11:00] तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान जिलेवार बेरोजगार युवकों के रोजगार दिये जाने की जानकारी का ब्यौरा

***01-श्री अजय कुमार लल्लू, सुश्री अदिति सिंह तथा इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष के दौरान जिलेवार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा इसमें कुशल और अर्द्धकुशल रोजगार संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि स्किल इण्डिया के अन्तर्गत जिलेवार कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया गया और उसमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सेवायोजन विभाग द्वारा दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2018 तक रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 63,152 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जिलेवार सूचना संलग्नक-01 के रूप में संलग्न† है।

उक्त रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में कुशल अभ्यर्थियों की संख्या 34,427 और अर्द्धकुशल अभ्यर्थियों की संख्या 28,725 है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,89,936 युवाओं को विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षित किया गया है, जिनकी जनपदवार सूची संलग्नक-02 के रूप में संलग्न है।

उक्त प्रशिक्षित युवाओं में से 67,003 युवाओं को सेवायोजित कराया जा चुका है।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 321-326 पर।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह माना है कि प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगार 21,38,812 है। जिसके सापेक्ष में 63,152 लोगों को यानि 3 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है और इसी जवाब में कुशल रोजगार के लगभग 15 जिले शून्य हैं जो माननीय मंत्री जी के भी जिले हैं कुशीनगर जहॉ से माननीय मंत्री जी विधायक चुनकर आये हैं वह भी शून्य है और अर्द्ध कुशल बेरोजगार इसी रोजगार में माना गया है इसी जवाब में। कुल 23 जिलों में रोजगार नहीं मिला। आश्चर्य की बात यह है कि मिर्जापुर, बस्ती, गोण्डा मंडल इस प्रदेश के सबसे पिछड़े मंडल हैं जहॉ मजदूरों को मजदूरी तक नहीं मिल पाती और बड़े शहर झॉसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी को छोड़कर कहीं भी कुशल रोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया। अध्यक्ष जी, कुल प्रशिक्षित 1,89,936 जो इन्होंने कौशल विकास योजना के अन्तर्गत किया है और रोजगार मिला 67,003 यानि मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा और जानने से पूर्व एक और सवाल एक और बात के साथ कहना चाहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश में चपरासी के 62 पद निकले थे और उसमें 93,000 आवेदन आये थे। जिसमें 50 हजार ग्रेजुएट के, 28 पोस्ट ग्रेजुएट के, 3700 पी0एच0डी0 के और 7400 पॉचवीं पास के। यानि यह सरकार जो 89 लाख 5 साल में रोजगार देने का अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था मात्र 3 प्रतिशत 21 लाख में मात्र तीन प्रतिशत लोगों को रोजगार दे पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौशल विकास मिशन योजना जिसमें 67,003 प्रशिक्षित युवाओं को कितनी औद्योगिक इकाई में, लघु में, सूक्ष्म में, उद्योग इकाई में, लघु और कुटीर उद्योग में रोजगार दिया गया। दूसरी बात कौशल विकास मिशन योजना के शेष प्रशिक्षित 1,22,933 नौवजानों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा। और सेवायोजन पंजीकृत 20,75,659 बेरोजगार युवाओं को कब तक रोजगार दे दिया जायेगा। मान्यवर, एक दिन प्रदर्शन में मारकर मेरा अँगुली पुलिस ने तोड़ दिया यहीं जब आन्दोलन बेरोजगारी के विषय में कॉग्रेस कर रही थी। यही मेरे छोटे-छोटे सवाल हैं।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न हमारा है। सारे सवाल एक साथ ले लिये जायं। आपकी अनुमति से मैं भी सवाल पूछना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे माननीय मंत्री जी से बस तीन सवाल हैं एक तो यह कि क्या प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं। बस हॉ या ना का सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि फिफ्थ ऐनुएल इम्प्लायमेंट अनइम्प्लायमेंट के सर्वे के मुताबिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जहॉ ऑल इंडिया 23.7 परसेन्ट है महिलाओं के लिये वहॉ उत्तर प्रदेश में महिलाएं वर्क फोर्स में बस 11.2 परसेन्ट हैं। अनइम्प्लायमेंट रेट जहॉ एवरेज है 8.7 परसेन्ट ऑल इंडिया, वहॉ उत्तर प्रदेश में 21 परसेन्ट हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि महिलाओं को जॉब मार्केट में लाने के लिये, उनको प्रोत्साहित करने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है या नहीं। तीसरा मेरा प्रश्न है कि दिव्यांग जनों के लिये जिनका आरक्षण बढ़ाया गया है 3 परसेन्ट से बढ़ाकर 4 परसेन्ट किया गया है सरकारी नौकरियों के लिये। उस लक्ष्य को कितनी तरीके से अभी फुलफिल किया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहली चीज चूँकि सेवायोजन वेबसाइट पर निरन्तर पंजीयन की प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष पंजीयन भी बढ़ेगी और बेरोजगार नौजवानों की संख्या भी बढ़ेगी और इसीलिए स्वभाविक रूप से बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश और प्रदेश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। अभी हमारे नेता कांग्रेस मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज उनको बेरोजगारों की याद आ रही है और सत्ता में रहते हैं तो वह घोटालों से बाज नहीं आते थे। 42 साल तक लगातार सत्ता में रहने वाले लोग अगर नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था किए होते तो आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ी होती।

(शोर)

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, क्या यह उचित है इस प्रकार का जवाब देना। अध्यक्ष जी अगर चर्चा कराना है तो चर्चा करा लीजिए किसकी सरकार में कितना रोजगार मिला है। हमने तो वायदा किया नहीं था रोजगार देने का, हमने तो वायदा किया नहीं था लोक संकल्प-पत्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था।

श्री अध्यक्ष-

प्रधानमंत्री का उल्लेख यहां नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

राफेल घोटाले में यह पकड़े जाते हैं। (शोर) घोटाले की बात हमसे करते हैं। अम्बानी आदानी को पूरी सरकार गिरवी रख दिए यह घोटाले की बात हमसे करते हैं। सारे उद्योगपतियों के हाथ पूरे भारत को गिरवी रख दिए यह हमसे बात करते हैं। जो बेरोजगारी का सवाल है उस पर जवाब दीजिए महोदय।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य को, नेता कांग्रेस को धैर्य के साथ उत्तर सुनना चाहिए। आप जब प्रश्न करते हैं तो मैं बीच में कभी दखल नहीं देता हूं। उत्तर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष महोदय जी सेवा योजना बेवसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की, जब से हमारी सरकार बनी है 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक का मैं ऑकड़ा दे रहा हूं हमने क्या किया 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2018 तक 63 हजार 152 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया और 1 अप्रैल 2018 से अब तक यानि जुलाई अन्तिम तक 33 हजार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया। यानि लगभग 93 हजार नौजवानों को रोजगार हमने सेवायोजन की वेबसाइट पर पंजीकृत नौजवानों को नौकरी दी। इसी प्रकार से कौशल विकास विभाग हमारे पास नहीं है माननीय चेतन चौहान जी उसके विभागीय मंत्री हैं

कौशल विकास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षित करके उनका प्रशिक्षण एक महीना, दो महीना, तीन महीना कराकर के 67 हजार तीन बेरोजगार नौजवानों को हमने उसके माध्यम से नौकरी दी। यानि सेवायोजन कौशल विकास के माध्यम से एक लाख 60 हजार 167 नौजवानों को नौकरी दी। इसके साथ ही साथ अभी तो यह शुरूवात है अभी तो यह अंगड़ाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे विपक्ष में जो कल तक यहां बैठे थे पॉच साल में इन्होंने 55 हजार करोड़ के उद्योग स्थापित कराये हमने मात्र सात महीने के अन्दर इन्वेर्टस समिट के चार महीने के अन्दर साठ हजार करोड़ के उद्योग लगाए और उसी के माध्यम से रोजगार देने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 65 हजार शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, पुलिसकर्मियों की भर्ती होने जा रही है, विभिन्न विभागों में लगातार अभ्यर्थियों की भर्ती हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बृजेश कठेरिया जी पूछ लें, उनके हस्ताक्षर हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना है। एक ही प्रश्न में 15 मिनट हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब दो माननीय नेता एक साथ खड़े हैं तो मैं क्या करूं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, तीन सवाल हमने पूछे और तीन सवाल सुश्री अदिति सिंह जी ने पूछे बस उसी का जवाब दे दीजिए। हमने पूछा है कि जो 21 लाख 38 हजार 811 लोग आपके सेवायोजन कार्यालय की वेबसाइट में पंजीकृत हैं। उन लोगों में से आपने मात्र 63 हजार लोगों को नौकरी दी है तो यह जो बचे हुए लोग हैं, उन लोगों को आप कब तक नौकरी दे देंगे? दूसरा सवाल सुश्री अदित सिंह जी ने पूछा है कि महिलाओं की भागीदारी आप कितने प्रतिशत करने जा रहे हैं ? तीसरा प्रश्न जो दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने की बात मा0 मुख्यमंत्री जी ने कही है, समायोजित करने के लिए, वह आप कब तक समायोजित कर देंगे और हमने कहा है कि औद्योगिक इकाई में, लघु इकाई में, सूक्ष्म इकाई में, लघु कुटीर इकाई में आपने कितना रोजगार दिया है बस इतना बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो कई विभागों के आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। नौकरी देना तो एक प्रॉसेस है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता कांग्रेस ने कई विभागों का प्रश्न यहां पर उपस्थित कर दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आप नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर लें, क्योंकि यह विस्तृत है, इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप उत्तर सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर हर प्रश्न का आ रहा है तो नियम 49 कहां से आ जाता है। सुश्री अदिति सिंह जी ने कहा कि क्या बेरोजगारी बढ़ी है। यह नैचुरल ट्रुथ है, सत्य है कि बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष बेरोजगारी बढ़ेगी। दिव्यांगों का 4 प्रतिशत आरक्षण हमने बढ़ाया, उसके लिए विधेयक भी लाए। अगर हमारी नियत उनको नौकरियों में ज्यादा जगह देने की नहीं होती तो तीन दिन पहले हमारी सरकार यहां पर विधेयक क्यों लाती। हमारी नियत साफ है और यह जो आंकड़ा है, वह लगातार प्रक्रिया चल रही है। चूंकि सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घटे हैं। निजी क्षेत्रों में निरन्तर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसीलिए निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए इन्वेस्टर्स समिट हुआ और 60 हजार करोड़ रुपये के उद्योग लगाए गए। यहां पर डिफेन्स कॉरीडोर की स्थापना की गयी और सारी की सारी चीजें व्यावहारिक रूप लेने के बाद 63 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए चूंकि निजी क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, यह सरकार रोजगार के प्रति गम्भीर नहीं है और यह सरकार फिजूल के जवाब देकर पूरे सदन को गुमराह कर रही है, इसलिए हम और हमारा दल रोजगार के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री अजय कुमार लल्लू अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को प्री-पेड बिजली कनेक्शन देने विषयक

***01-श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड बिजली कनेक्शन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिजली कनेक्शन झुग्गी-झोपड़ी, मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए सस्ते दरों पर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी हां।

आर्थिक सामाजिक जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/नगरीय गरीब उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत संयोजन दिये जा रहे हैं तथा अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को रु0 पांच सौ मात्र, जो किस्तों में दिया जाना अनुमन्य है, में संयोजन

निर्गत किये जा रहे हैं। प्री-पेड मीटरों के क्रय की प्रक्रिया चल रही है। उपरोक्त ग्रामीण/नगरीय के गरीब उपभोक्ताओं को उपलब्धता के आधार पर प्री-पेड विधि द्वारा संयोजन निर्गत किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी बिजली के विषय पर सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य हुए हैं लेकिन एक अनुपूरक के माध्यम से जिज्ञासा है जो अपने क्षेत्र से सम्बंधित है। हमारे क्षेत्र धौरहरा में बिजली ..

श्री अध्यक्ष-

क्षेत्र की बात मिलकर कहिए।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

आप इसे अनुपूरक में ले लीजिए यह हमारे क्षेत्र से सम्बंधित है। बिजली के बकाया बिल को लेकर इस समय बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं आर0सी0जारी की जा रही है हमारा इससे सम्बंधित प्रश्न यह था कि वहॉ किसानों के आय की आमदनी सिर्फ गन्ना है ऐरा सुगर मिल है जिस पर 300 करोड़ रुपया बाकी है 9 महीने से एक नए पैसे का भुगतान नहीं हुआ है इसलिए हम चाहते यह थे कि क्या सरकार उन किसानों के बकाये का भुगतान तब तक रोक देगी जब तक उनको गन्ना मूल्य का भुगतान न मिल जाए या उनके भुगतान का पैसा फैक्ट्री से काट ले।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय आपके क्षेत्र का है इस सम्बंध में आप माननीय मंत्री जी से मिल लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी आपके आदेश से माननीय मंत्री जी से मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन बड़ी संख्या में दिए गए हैं। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि इस माह तक इस योजना के अन्तर्गत कितने कनेक्शन अभी तक दिए गए हैं और कितने शेष हैं। दूसरा माननीय मंत्री जी ने दिया है कि प्री पेड मीटरों को क्रय करने और उसको लगाए जाने के लिए उसमें हम जानना चाहते हैं कि प्री पेड मीटर उत्तर प्रदेश में कब तक लग जाएंगे इसके समयावधि की क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। प्री पेड मीटर की और स्मार्ट मीटर की जो कार्य योजना है और इससे जो उपभोक्ता को लाभ होने वाला है पूरे प्रदेश में 2022 के अन्त तक प्रीपेड और स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें प्री पेड ग्रामीण क्षेत्रों में और स्मार्ट मीटर सभी शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है पहले चरण में और एक करोड़ प्री पेड मीटर सरकार के द्वारा क्रय किए गए हैं और नवम्बर माह से वह सब जगह लगने शुरू हो जाएंगे मेसर्स ई0एस0एल0 द्वारा चार फर्मों यथा जीनस

आई0टी0आई0, क्योनिक्स एवं जैन से मीटर क्रय किए जा रहे हैं एक अच्छी व्यवस्था यह है कि स्मार्ट मीटरों को भारतीय मानकों के अनुरूप आई0एस013779, 16444, 15884, 15959 के आधार पर निर्मित कराया गया है एक अच्छी बात यह है कि उपरोक्त मानकों के अनुक्रम में जो भी हम मीटर क्रय कर रहे हैं स्मार्ट और प्री पेड यह मीटर टैप टेस्ट के माध्यम से ही क्रय किए जा रहे हैं। जिसमें मीटर टैप टेस्ट मेसर्स इरडा, बड़ोदरा, सी0पी0आर0आई0एन0 ए0बी0एल0 प्रमाणित लैब हैं के द्वारा किया जा रहा है उपरोक्त टैप टेस्ट के पश्चात स्मार्ट मीटरों के लिए बी0आई0एस0से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। भारतीय मानकों के अनुरूप स्मार्ट मीटर से विशिष्टीकरण के अनुक्रम में प्रत्येक लाट के रैंडम सैम्पल को ई0ई0एस0एल0 एवं डिस्काम की संयुक्त टीम द्वारा थर्ड पार्टी के साथ परीक्षण कराने के उपरान्त ही स्मार्ट मीटरों का लॉट स्वीकार किया जाता है। यह परियोजना भारत सरकार की संस्था ई0ई0एस0एल0 के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। उपरोक्त परियोजना का डिस्कॉम द्वारा भुगतान ओपेक्स आधारित है यानी कि इसका कोई भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने वाला है। इसका पूरा भार सरकार स्वयं वहन करने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाण्डेय जी, अब तो यह स्वागत योग्य है कि सरकार खुद लगा रही है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, इसमें दो-तीन चीजें और हैं। इसमें स्मार्ट मीटर के जो लाभ हैं। अगर मा0 पाण्डेय जी अनुमति दें तो मैं बता दूँ।

श्री राम प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हैं, अगर वह भी सदन में आ जायेंगे तो हम लोगों को जानकारी मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बगल में ही बैठे हैं, अभी पूछ लीजियेगा।

श्री राम प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमें भी पूछ लेने दीजिये, इससे हम लोगों को भी जानकारी मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। आज कम से कम 10-12 प्रश्न तो हो जाएं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, किसी की भी कोई जिज्ञासा न रहे, इसलिये सिर्फ दो मिनट में मैं बता देता हूं। स्मार्ट मीटर के जो लाभ हैं वह यह हैं कि उपभोक्ताओं को बिना मानवीय हस्तक्षेप के सही बिल ससमय निर्गत हो सकेगा, क्योंकि लगातार शिकायत आती रहती है कि किसी का बिल करेक्ट नहीं पहुँच पाता है, कई जगह रीडिंग करेक्ट नहीं हो पाती है। बिजली सबकी मूलभूत आवश्यकता है और इसमें बहुत बड़ा सुधार हम सब आपके सहयोग से करने जा रहे हैं। उपभोक्ता मोबाइल एप के माध्यम से अपनी खपत एवं डिमाण्ड का अध्ययन कर ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा खपत को नियंत्रित करते हुए अपने बिल को आवश्यकतानुसार सीमित कर सकेंगे। अगर किसी को लगता है कि बिजली ज्यादा खर्च हो रही है तो बिजली कम खर्च

करने पर भी वह अपना ध्यान केन्द्रित कर सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इससे बिलिंग की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा और उपभोक्ता को संतुष्टि रहेगी। इसमें सभी उपभोक्ताओं के लोड्स और डेट्स टैम्पर उपलब्ध होने के कारण इसके फीडर और सर्वर से मीटर का मिलान किया जाना सम्भव होगा, जिससे विद्युत चोरी पर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित होने से लाईन हानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिये, जो इसके बाद वाला है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरूआत की है।

श्री अध्यक्ष-

आप अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। तारांकित प्रश्न संख्या 2 मा0 उमाशंकर सिंह जी का है।

प्रदेश में विद्युत कम्पनियों के वित्तीय घाटे को कम करने एवं विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में

***02-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000 में राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के पश्चात् विद्युत कम्पनियों के अस्तित्व में आने पर वित्तीय घाटा वर्ष 2000 से बढ़ते हुए वर्तमान में लगभग रु0 75000 करोड़ के ऊपर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार की उक्त वित्तीय घाटे को कम करने एवं विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्ष 2000 में राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पश्चात विद्युत कम्पनियों के अस्तित्व में आने पर पावर कारपोरेशन की वितरण कम्पनियों का सकल घाटा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में रु0 73986.72 करोड़ हो गया है।

उक्त वित्तीय घाटे के निम्नलिखित कारण हैं :-

(अ) प्रणाली के अतिभारित होने तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण प्रणाली सुधार का कार्य अपेक्षित स्तर पर न हो पाने के फलस्वरूप इस मद में लाइन हानियों में अपेक्षित कमी न हो पाना। ग्रामीण विद्युतीकरण के द्वारा भार में लगातार वृद्धि के सापेक्ष आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नये उपकेन्द्रों की अपेक्षित स्थापना एवं क्षमता वृद्धि का न हो पाना।

(ब) उपभोक्ता द्वारा सीधे लाइनों पर कटिया डालकर एवं मीटर की टेम्परिंग की जाने वाली प्रवृत्ति राजस्व हानियों का एक बड़ा कारण है। यह एक सामाजिक विकृति है, जिस पर नियंत्रण के लगातार प्रयास भी किये जाते हैं।

(स) ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिना मीटर लगे संयोजनों पर की जा रही है, जिससे उनके द्वारा वर्तमान में आंकलित ऊर्जा के सापेक्ष कहीं अधिक विद्युत खपत की जा रही है जो कि राजस्व हानि का मुख्य कारण है।

जी हां।

वित्तीय घाटे के मुख्य कारण के रूप में लाइन हानियों को कम करने की कार्य योजनायें सीमित संसाधनों के उपरान्त भी विभिन्न इकाईयों द्वारा लगातार क्रियान्वित की जा रही है एवं इन्टीग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है जिसमें 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के फीडर से पोषित वितरण परिवर्तकों से निकली एल0टी0 लाइनों को एरियल बंच कन्डक्टर से बदलने एवं वितरण परिवर्तक/पोषक के मीटरीकरण का कार्य सम्मिलित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से तकनीकी लाइन हानियों में कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग का कार्य समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। चोरी रोकने के लिए प्रयासों को तेज किया गया है। बिलिंग व्यवस्था में सुधार हेतु निविदा शर्तों में सुधार लाया गया है। विद्युत क्रय लागत को भी कमी करने के कदम उठाये गये हैं। इन सब प्रयासों से प्रति यूनिट कैश गैप में कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसी उत्तर के अंश से ही कुछ अनुपूरक करना चाहूँगा। मान्यवर, हमारे प्रश्न का जो प्रथम अंश है जिसके जवाब में मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 2016-17 के अन्त में रु0 73986.72 करोड़ का घाटा हुआ है, तो मा0 मंत्री जी यह बता दें कि 2017-18 में कितना घाटा हुआ है ? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह है कि जो मा0 मंत्री जी ने अपने प्रश्न के सेकेण्ड पैरा (ब) में दिया है, कि उपभोक्ता द्वारा सीधे लाइनों पर कटिया डालकर एवं मीटर की टेम्परिंग की जाने वाली प्रवृत्ति से राजस्व हानियाँ होती है, तो क्या मा0 मंत्री जी द्वारा इन हानियों को रोकने के लिए कोई योजना बनायी गयी है? मा0 अध्यक्ष जी, तीसरा सवाल मा0 मंत्री जी से मेरा यह है कि क्या सरकार की उक्त वित्तीय घाटे को कम करने एवं विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ? मा0 मंत्री जी ने वित्तीय घाटे कम करने की योजना तो बता दी किन्तु उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना जवाब में बतायी नहीं गयी है, मा0 मंत्री जी, कृपया अनुपूरक में आप यह बता दें कि उत्पादन बढ़ाने की क्या योजना है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप सबके सहयोग से जो लाईनलॉस है वह 5 प्रतिशत कम हुआ है और 3400 करोड़ का आप सभी के राज्य को उसका फायदा हुआ है। आप सबके सहयोग से 6000 करोड़ के राजस्व में इजाफा हुआ है (सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपायी गयी) दूसरा मा0 सदस्य ने कहा कि जो चोरी की प्रवृत्ति है इसको रोकने के क्या-क्या उपाय हैं, इसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उदय योजना के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक यू0पी0पी0सी0एल0 को पूर्ण रूप से

वित्तीय घाटे से मुक्त कराकर लाभ की स्थिति प्राप्त हो जायेगी इसके लिए मैं जो इनिसिएटिव बिल है उसका जिक्र करूँगा। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने हेतु ए0बी0 कंडेक्टर लगाये जा रहे हैं। सभी 11 के0बी0 फिडरों का एनर्जी ऑडिट कराया जा रहा है, बिलिंग गुणवत्ता के सुधार करने हेतु डाउनलोडिंग तकनीकी के माध्यम से बिलिंग करने हेतु नई बिलिंग एजेंसियाँ 05 सितम्बर से कार्य आरंभ कर देंगी, जिससे मानवीय हस्ताक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा और लाईनलॉस में कमी आयेगी जिससे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। उपभोक्ताओं को विद्युत बिल भुगतान करने हेतु कैश काउन्टर के अतिरिक्त जनसुविधा केन्द्र यानी सी0एस0सी0 पर भी बिल जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान ऑनलाईन, डेबिड कार्ड एवं क्रेडिड कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अप्रैल, 17 में प्रदेश में कुल 59.56 अनमीटर उपभोक्ता थे, जिनमें से अभी तक 20 लाख संयोजनों पर मीटर लगा दिये गये हैं बाकी जो अनमीटर्ड हैं उन पर भी बहुत जल्दी मीटर लगाने की कार्ययोजना प्रगति पर है। यू0पी0पी0सी0एल0 के अन्तर्गत 1986 में केवल 2300 प्रवर्तन दलों का गठन किया गया था जब कुल मात्र 60 लाख उपभोक्ता थे। वर्तमान में बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गये हैं। प्रवर्तन दलों की कमी के कारण विद्युत चोरी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 55 नये प्रवर्तन दल की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेण्ट ने 75 नये थानों की स्वीकृति भी कैबिनेट के माध्यम से प्रदान की गयी है। यू0पी0 सरकार द्वारा लाइन हानियों को कम करने के लिए बजट में जो अनुपूरक आया है और उससे पहले में भी भूमिगत केबिल डालने का कैपेस्टर लगाने में आने वाले व्यय का प्राविधान इस वर्ष बजट में भी किया गया है। जो हमारे 33/11 के जो केन्द्र हैं यानी 31 जुलाई, 2018 तक कुल स्थापित 33/11 के0वी0 केन्द्रों की संख्या 4197 नग है। इससे भी काफी मदद हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगी। आपने क्रय की बात की, बिजली के उत्पादन की बात की मान्यवर, यह सब आपके उपयोग का है क्योंकि बिजली एक मूल-भूत आवश्यकता है और सभी के उपयोग के लिए है चाहे वह सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में। यह अच्छी बात है कि हमारे यहां कोई भेद-भाव नहीं है सभी को पर्याप्त बिजली दी जा रही है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय मंत्री जी थोड़ा डीटेल से बताइयेगा जिससे मेरा सवाल न आ पाये।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि मैंने पालिटिकल कुछ नहीं बोला है जो वास्तविक स्थिति है उसी से मैं अवगत करा रहा हूं। बाकी थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि कुल 3960 मेगावाट की नई तापीय परियोजना के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसका विवरण मैं पढ़ देता हूं। 660 हरदुआगंज विस्तार 2020 तक आ जायेगा। दो गुणा 660 मेगावाट जवाहरपुर यह भी 2020 तक प्रथम ईकाई और 2021 तक द्वितीय ईकाई दो गुणा 660 ओबरा-सी यह भी प्रथम 2020 और 2021 एक गुणा 660 पनकी यह भी 2022 तक आ जायेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

इसकी शुरूआत कब हुई यह भी बता दें ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

इसकी शुरूआत सपा सरकार में हुई यही सुनना चाहते हैं आप, आपके ही कार्यकाल में इसकी शुरूआत हुई। आप जो सुनना चाहते हैं मैं कहने के लिए तैयार हूं यह ट्रान्सपेरेन्ट सरकार है और सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। सरकारें आती हैं जाती हैं हम और आप यहीं रहने वाले हैं। आपने जो शुरू किया उसका जिक्र मैंने कर दिया लेकिन थोड़ा और बता दूं आपने जब सवाल पूछ ही लिया है तो थोड़ा मैं जवाब भी दे देता हूं। रोजा परियोजना में आपने 4 रूपये 42 पैसे ललितपुर में आपने 5 रूपये 53 पैसे और बजाज इनर्जी की तो बात ही अलग है। 7 रुपये 11 पैसे से 8 रुपये 28 पैसे तक आप लोग वहां पर प्रति यूनिट की बिजली खरीद रहे थे। हमने सिंगरौली का 3 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट में तय किया है। हमने नवीनगर का 3 रुपये 40 पैसे में तय किया है। हमारे और आपके बीच में एक बेसिक डिप्रेन्स है कि हमारे यहां कमीशनखोरी नहीं है और अब सीधा लाभ उपभोक्ता के लिए है जबकि पहले सीधा लाभ कुछ परिवारों को मिलता था। मैं पालीटिकल बोलता नहीं हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है इसलिये मैंने यह जवाब दिया है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि शक्ति भवन में किसके रिश्तेदार दिन भर बैठे रहते हैं। वहां पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे से इसकी पुष्टि करा ली जाये। आज प्रदेश में पन्द्रह दिन में ट्रांसफारमर नहीं बदले जा रहे हैं और अगर सत्ता पक्ष तैयार हो तो इस पर चर्चा करा ली जाये।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

आप तो पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। आपको तो खुश होना चाहिये था और खड़े होकर सरकार के कामों का स्वागत करना चाहिये था। यदि आप कहें तो मैं और कुछ पोल खोल दूं।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और इसका उत्तर आ चुका है। अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-3 लेता हूं।

प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों को मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिहाई किये जाने विषयक

*03-**श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद वर्तमान में ऐसे 45 सजायाफ्ता कैदी जो 20 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट चुके हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, की रिहाई का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इनकी रिहायी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री [श्री जय कुमार सिंह (जैकी)]-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[श्री जय कुमार सिंह (जैकी) द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया]

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ है उस आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से सम्मानपूर्वक तीन छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बच्चे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए निर्णय में तथा समय-समय पर दिए गए अन्य निणर्यों में वृद्ध, असक्त और बीमार सजायाफ्ता कैदी जो बीस वर्ष से अधिक की सजा पा चुके हैं की समय पर रिहाई के लिए सरकार के स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जनपद स्तर पर सजायाफ्ता कैदियों की समय पर रिहाई के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति की संस्तुति के आधार पर विगत तीन वर्षों में कितने कैदियों को रिहा किया गया है और इसमें रिहा की गई महिला कैदियों की संख्या कितनी है। मेरा तीसरा प्रश्न है, मेरे द्वारा पूछे गये मूल प्रश्न में जिक्र किए गए 45 सजायाफ्ता कैदी जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 20 वर्ष से अधिक की सजा भुगत चुके हैं जिसकी सूचना मैंने स्वयं आपके विभाग से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की है, उनकी रिहाई के लिए क्या सरकार भविष्य में विचार करेगी।

श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या का प्रश्न था कि ''क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद वर्तमान में ऐसे 45 सजायाफ्ता कैदी जो 20 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट चुके हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, की रिहाई का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।'' चूंकि माननीय सदस्या ने प्रश्न में संख्या दी है और हमारे यहां सजायाफ्ता कैदियों की 45 की कोई संख्या नहीं है, फिर भी यदि माननीय सदस्या की जिज्ञासा है तो मैं बताना चाहूंगा कि शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध उम्रदराज एवं अशक्त कैदियों की दया याचिकाओं में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार विचार किए जाने के निर्देश दिए गए थे। दिनांक 23 जनवरी, 2018 के उन निर्देशों में 70 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष तक के कुल मिलाकर 100 सजायाफ्ता बन्दी हैं और 80 वर्ष से अधिक 68 लोग हैं। इस प्रकार 168 लोग हैं। माननीय सदस्या ने जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र किया है उसके अनुसार शासन द्वारा नियमावली और शासनादेश निर्गत किया गया है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। मान्यवर, उसमें आजीवन कारागार से दण्डित होने की दशा में बंदियों की लंबी अवधि से कारागार में निरूद्ध के कारण न केवल प्रदेश के कारागारों में ओवर-क्राउडिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। उससे बंदियों में हताशा और कुण्ठा पनपती है। जिससे आपराधिक न्याय व्यवस्था, बंदी सुधार एवं पुर्नवास के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। उसके तहत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा रिट याचिका सं0-6041/2018 चन्द्रान्सी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 16-04-2018 को दिये गये निर्णय में सिद्ध दोष बंदियों की समयपूर्ण मुक्ति के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने की अपेक्षा

राज्य सरकार से की गई थी। अतः आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्ध दोष बंदियों की रिहाई के संबंध में स्थायी नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। कारागार विभाग ने पत्र संख्या 491/22-2-2018-7जी/2018, दिनांक 3-4-2018 द्वारा इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर उत्तर प्रदेश न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्ध दोष बंदियों की समयपूर्ण रिहाई के संबंध में निम्नवत् स्थायी नीति निर्धारित की गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो 20 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट चुके हैं। उन लोगों की रिहाई का मामला प्रक्रियाधीन है और इस संबंध में आपने जो पहले दो सवाल पूछे हैं। एक उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है और दूसरा समय से पूर्व का। उस संबंध में 23 जनवरी के शासनादेश की जानकारी मा0 मंत्री जी ने दे दी और जनपद स्तर पर डी0एम0 के स्तर से महिला की रिहाई की जो बात है उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। जो तीसरा सवाल है कि 45 सजायाफ्ता कैदी हैं उनकी रिहाई की क्या पोजिशन है। उनकी रिहाई की बहु-प्रक्रिया चल रही है। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें न्याय विभाग, कारागार विभाग और एक डी0जी0 प्रॉजिक्यूशन भी होते हैं। वह समय-समय पर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनको रिहा करते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह शासनादेश जारी हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रियाधीन है और इस पर जल्दी ही फैसला हो जायेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मेरे दो छोटे-छोटे सवाल हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक आंदोलन के दौरान जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिनकों आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। उत्तर प्रदेश के कैदियों का अक्सर यह सवाल आता है कि अन्य प्रदेशों में 14 बरस की सजा की अवधि है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या अन्य प्रदेशों की भाँति इस उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास 14 बरस तक के समय का निर्धारण किया जायेगा? दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से जेलों में सड़ रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार उनको निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, 14 साल से ऊपर के जो कैदी सजा काट चुके हैं उनके लिए जैसा मैंने बताया है कि एक कमेटी बनी है और वह कमेटी यह विचार करती है कि इनका जेल में आचरण कैसा रहा है, उनके ऊपर कौन-सी धारा लगी है और जेल से रिहा होने के बाद वह कैसा व्यवहार करेंगे। रिहा होने बाद गांव क्षेत्र में जब वह जायेंगे तो क्या फिर से अपराध बढ़ने की संभावना है। तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उनकी रिहाई का निर्णय लिया जाता है। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से संवेदनशील है और हम यह जरूर चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से लोगों को जेलों में न रखा जाये।

***04-सुश्री अदिति सिंह-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण किये जाने विषयक

***05-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन गांवों/मजरों/वार्डों में विद्युतीकरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, को चिन्हित कर विद्युतीकरण का कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

मजरों के विद्युतीकरण का कार्य माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से हम 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन गॉवों/मजरों/वार्डों में विद्युतीकरण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है को चिन्हित कर विद्युतीकरण का कार्य सरकार पूर्ण करायेगी। आप का जवाब है कि जी हॉ। मान्यवर, वार्ड गॉव में नहीं होते हैं। वार्ड शहर में होते हैं। आपने जवाब दिया है कि मजरों का हम इस-इस तारीख तक कर लेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, गॉव/वार्ड और मजरों से अलग हटकर जो चौराहों पर सड़कों के किनारे नई बसावट बस गयी है जिनका अभी तक कोई नाम नहीं है। क्या विद्युत विभाग उन नई बसावटों को जिनका कोई नाम नहीं है उनको पावर फार आल में शामिल कर उसका विद्युतीकरण करायेगा। नम्बर-2, जो नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया के वार्ड हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में 18 गॉव हैं। राजस्व गॉव हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में होंगे। और वहॉ पर उन गॉवों को जो नगर पालिका, नगर निगम या टाउन एरिया की सीमा परिधि में आते हैं उनको आप पावर फार आल में शामिल नहीं कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उन चौराहों पर नई बस्तियों में आप पावर फार आल में काम करायेंगे। और जो नगरीय क्षेत्र के राजस्व गॉव हैं या अन्य गॉव हैं क्या उनका भी आप विद्युतीकरण करायेंगे। इसी समय सीमा के अंतर्गत।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अनुपूरक सवाल पूछने का मौका दिया।

(श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव सहित कई मा0 सदस्यों के
एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप एक साथ बोलेंगे तो हम किसको बुलायें। कोई एक सदस्य बोलें।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो नहीं आने वाला है वह 17 वें नम्बर पर है। एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी जो आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मा0 मंत्री जी मेरे संज्ञान में है और वह आपके संज्ञान में भी है कि गॉव का विद्युतीकरण इसलिए लेट हुआ कि जो कम्पनियॉ आयी थीं उनकी बैंक गारंटी फर्जी थी और उन्होंने काम भी नहीं किया। आपने उनके अनुबंध निरस्त कर दिये। क्या मा0 मंत्री जी उन कम्पनियों से फर्जी बैंक गारंटी की कीमत वसूलेंगे। और जिन अधिकारियों ने वह अनुबंध गठित किये थे क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो नये विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आपने जो दिसम्बर में लक्ष्य दिया है क्या आप 75 जिलों में एक जिला श्रावस्ती का भी विजिट करेंगे। जो 40 साल पूरानी एल0टी0 लाइनें हैं पूरे प्रदेश में उसको कितने दिनों में या कितने वर्षों में बदलवा देंगे।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आप उत्तर सुन लें।

श्री श्रीकांत शर्मा-

मान्यवर, नरेन्द्र वर्मा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सदन को मुझे यह जानकारी साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भाजपा सरकार ने जो गांव में बी0पी0एल0 परिवार हैं उनको तो मुफ्त में संयोजन की व्यवस्था की है, लेकिन जो शहर में भी बी0पी0एल0 परिवार हैं उनको भी मुफ्त में कनेक्शन देने की व्यवस्था सौभाग्य योजना में की गयी है।

(व्यवधान के मध्य।)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मेरा सवाल सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन देने का नहीं है। मेरा सवाल यह है कि गांवों के चौराहों पर जो नई बसावटें बस गई हैं। उनका अभी तक कोई नाम नहीं है। क्या उनको भी आप विद्युतीकृत करेंगे और शहरों में जो बसावटें हैं क्या उनको भी आप विद्युतीकृत करेंगे ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

वर्मा जी आपने जो सवाल किया पहले उसका पूरा जवाब तो खत्म हो जाने दीजिए। आप मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपके जवाब पर ही आ रहा हूं। आपको गरीब लोगों से इतनी एलर्जी क्यों है ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

एलर्जी तो आपको है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बातचीत मत करिए। वर्मा जी आप हमारी तरफ देखिए।

श्री श्रीकांत शर्मा-

सवाल करने का हक आपको है, लेकिन जवाब भी तो सुन लीजिए। मान्यवर, सरकार की योजना है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो 31 दिसम्बर, 2018 तक हर घर को उर्जीकृत करने का संकल्प सरकार का है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।) आपने जो पूछा है उसमें आपका चौराहा भी शामिल हो गया है। शहर का जो आऊटर एरिया है जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, आगरा, गोरखपुर इनको भी हम लोग सुगम संयोजन योजना के माध्यम से सम्मिलित कर रहे हैं और वर्मा जी ने जैसा पूछा है कि जहां गेटबंद कालोनियां हैं यानि की डेवलपर इनीशियल काम करके भाग गया और जिन लोगों को उसने प्लॉट दिया उनको वह चीट करके भाग गया।

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी द्वारा बीच में खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आपने जो पूछा है उसका उत्तर तो आ गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरा उत्तर नहीं आया है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि जो नये चौराहे विकसित हो रहे हैं आप उनको सैचुरेट कर लेंगे। मा0 मंत्री जी मैं गेटबंद कालोनी की या उन डेवलपरों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने नई कालोनी बसाई है। मैं यह कह रहा हूं कि जो नगर निगम, नगर पालिका टाऊन एरिया के अंतर्गत पैतृक गांव हैं जैसे मेरी विधान सभा की महमूदाबाद की नगर पालिका में 18 गांव हैं जिसमें राजस्व गांव हैं और नगर क्षेत्र से तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर की दूरी पर गांव हैं। मैंने आपको एक पत्र लिखा और आपके पत्र में अनुसचिव का जवाब आया कि इनको पावर फॉर ऑल में शामिल कर लिया जाएगा फिर वहां से एक्सीएन को जवाब गया कि नगर में यह योजना लागू नहीं है। मान्यवर, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि नगर निगम, नगर पालिका टाऊन एरिया में जो पैतृक गांव हैं जो पहले से बसे हुए गांव हैं क्या उनको भी आप उर्जीकृत करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। मैंने कहा है कि 31 दिसंबर तक, कोई भी शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, मजरा हो, टोला हो, वार्ड हो और नगर निगम के आउटर में आने वाले गांव हों, हम सबको सैचुरेट करेंगे। यह हमारी प्राथमिकता है।(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गईं) मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा वर्मा जी नाराज हो गए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वे नाराज नहीं हुए हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, क्योंकि इन्होंने, आपाधापी में जो शहरों का विस्तारीकरण किया है, बिना नक्शे के, बिना किसी सेटिंग के, प्रापर्टी डीलरों के माध्यम से, शहरों का विस्तारीकरण कर दिया। लेकिन वहां पर बिजली कैसे पहुंचेगी इसकी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग पूरा उत्तर सुनते ही नहीं हैं, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री असलम अली-

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए। मेरा छोटा-सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिए। अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

श्री असलम अली-

मान्यवर, मैं भी सदन का ही सदस्य हूं, मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। मेरी बात जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

आप काफी सीनियर हैं, आप बैठिए। मैं आपको पूछने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री असलम अली-

मान्यवर, मेरी छोटी-सी बात है। सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बताइए क्या कहना है, शीघ्र ही अपनी बात को पूरा करिए।

श्री असलम अली-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी मैंने हाउस में सुना कि मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर 24 से 48 घण्टों में बदले जा रहे हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र बझैड़ा कला के एक ट्रांसफॉर्मर पिछले एक महीने से खराब है, लेकिन कोई भी उसके लिए सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा मेरा कहना यह है कि पहले गांव छोटे थे, आज गांव बढ़ गए। खेतों में जो मकान बना लिए गए हैं, उनमें 11 हजार की लाइनें पहले गयी हुई थीं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि उन गांवों के करीब में जो घर बना लिए गए हैं, 11 हजार की लाइनें जो कुछ मकानों में नीचे हैं, उन्हें हटाने के लिए आदेश-निर्देश देने की कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी। अब आप इतना गुस्सा न हुआ करिए।

श्री असलम अली-

मान्यवर, जब आप हमारी सुनते ही नहीं, तो हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष-

आप समझा करिए, आज भी एक घण्टा हो गया है और हम लोग पांच ही सवाल ले पाए हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा सस्ती बिजली खरीदने के सन्दर्भ में

***06-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली क्रय की प्रति यूनिट दर क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें सबसे सस्ती बिजली तथा सबसे महंगी बिजली कहां से क्रय की जा रही है और किन दरों पर ? क्या सरकार की सस्ती बिजली खरीदने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्ष 2017-18 में क्रय की गयी बिजली की समेकित आगणित क्रय दर रु0 3.86 प्रति यूनिट है।

जी हां।

सबसे सस्ती बिजली उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड से रु0 0.63 प्रति यूनिट की समेकित आगणित दर से तथा सबसे महंगी बिजली सोलर विद्युत उत्पादकों से रु0 8.58 प्रति यूनिट की समेकित आगणित दर से क्रय की जा रही है।

जी हां।

सस्ती विद्युत क्रय किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाई निम्नवत है :-

1-सिंगरौली स्टेज III परियोजना जोकि वर्ष 2022 में आयेगी से 1320 मे0वा0 ऊर्जा, 25 वर्ष तक क्रय किये जाने हेतु दिनांक 20-04-2018 को ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) हस्ताक्षरित किया जा चुका है। ऊर्जा क्रय की लागत लगभग रु0 3.15 प्रति यूनिट (लेवलाईज्ड टैरिफ) आयेगी।

2-न्यू नबीनगर परियोजना से आगामी वित्तीय वर्ष से 209 मे0वा0 ऊर्जा, 25 वर्षों तक क्रय किये जाने हेतु दिनांक 07-04-2018 को ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) हस्ताक्षरित किया जा चुका है। ऊर्जा क्रय की लागत लगभग रु0 3.46 प्रति यूनिट लेवलाईज्ड टैरिफ आयेगी।

3-भविष्य में निजी क्षेत्र से सभी बिजली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खरीदने की नीति भी लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री, श्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया।)

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई दूँगा कि जो टी0एन0सी0 लॉसेस थे, वह आपने प्रदेश में बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन आपके जवाब में ही मेरी जो समस्या है, जो मैं दर्शाना चाहता हूं और जो मेरा सवाल है। आपने कहा है कि हमारी जो पीपी एग्रीमेण्ट है, उसमें हमें 3.86 रुपये में प्रति यूनिट समेकित बिजली मिल रही है। आपको बता दूँ कि मिड अगस्त में जो एन0टी0पी0सी0 का ऑक्सन हुआ है, उसमें 2.75 रुपये प्रति यूनिट गया है। इसके अलावा मैं सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी एथॉरिटी (सी0ई0ए0) की क्वार्टर्ली रोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीपीआर) जो देश की सबसे बड़ी एथॉरिटी है, सरकार की, उनके स्ट्रैक्ट्स हैं कि भारत की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी साढ़े तीन सौ गीगावॉट है और अप्रैल से जुलाई जो सबसे ज्यादा बिजली के खपत का टाइम होता है, उसमें मात्र 172 गीगावॉट कन्जंप्शन पीक पर हुआ है और इसको सपोर्ट करने के लिए जो प्लान्ट चलाना होता है, प्लान्ट लोड फैक्टर कि कितनी देर प्लान्ट चले। भारत के बिजली के जो प्लान्ट्स हैं, वह 55 परसेण्ट टाइम ही चल रहे हैं, पीएलएफ 55 है। इस बात पर जो इण्डिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ब्रॉड सीट है, इकोनॉमिक टॉइम, उनका जो कनक्लूजन है, बता दूँ, फिर मैं सवाल पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सवाल करिए।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी -

अध्यक्ष जी, उनका जो कनक्लूजन है, उसे कहने दें क्योंकि उसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। एक लाइन में बस कोट कर लेने दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार और सभी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि सबसे बड़ी प्राब्लम है, जो बिजली की चोरी हो रही है, हमें पॉवर प्लान्ट लगाने की जरूरत नहीं है, प्राब्लम दो हैं, एक बिजली मँहगी खरीदी जा रही है और दूसरी बिजली चोरी हो रही है, इसी पर मेरे आपसे सवाल हैं। पहला सवाल है, सस्ती बिजली खरीदने के लिए कि हम लोग आईईएक्स, इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज से ज्यादा से ज्यादा बिजली कैसे खरीद सकते हैं, अगर इसकी कोई योजना है तो बतायें कि इतने प्रतिशत आईईएक्स से हम खरीदेंगे, इतने वर्षों में और दूसरा मेरा सवाल चोरी से रिलेटेड है। मा0 मंत्री जी, बिजली चोरी से सम्बन्धित मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल मैंने आपसे आईईएक्स के बारे में पूछा। दो सवाल चोरी से रिलेटेड हैं। एक जो आपके लोग पैसे की वसूली करने जाते हैं उनके साथ अभद्रता होती है खासकर घनी आबादी के मोहल्लों में पुलिस फोर्स की भारी मात्रा में जरूरत है। वह पुलिस फोर्स उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है। वह कब तक उपलब्ध हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू की है मंत्री जी इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि अगर चोरी पकड़ी जाती है तो तुरंत उसको वेब साईट पर लोड कर दिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वेब साईट पर लोड हो जाता है तो हम जनप्रतिनिधियों पर बढ़ा दबाव आता है।

श्री अध्यक्ष-

यह हमारे मित्र बहुत परेशान करते हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसलिए ना तो उत्तर सुनाई पड़ता है और ना ही प्रश्न सुनाई देता है। हमारा अनुरोध है कि

प्रश्नोत्तर काल में अगल-बगल बात करने से अच्छा है कि लॉबी में बैठकर बात करें, हमको नियंत्रण करने से कठिनाई आती है। प्रश्नोत्तर काल हो रहा है ऊर्जा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ऊर्जा हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऊर्जा मंत्री जी से सब पूछना चाहते हैं हमारी भी इच्छा है कि हम पूछ लें उनका उत्तर भी देने को तैयार हैं।

श्री श्रीकांत शर्मा-

मान्यवर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें निजी क्षेत्र से सभी बिजली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खरीदने की नीति भी लागू की गई है। यानि कि अब जो बिजली परचेज करेंगे वह प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से ही करेंगे। नम्बर दो, इन्होंने सस्ती बिजली की बात कही है मा0 हर्षवर्धन बाजपेयी को बताना है कि लगातार सरकार इस पर काम भी कर रही है। वर्ष 2017-18 में प्रति यूनिट ऐवरेज जो पॉवर परचेज कॉस्ट थी मान्यवर वह तीन रुपये 81 पैसे रही। जब कि वर्ष 2016-17 में यह पॉवर परचेज कॉस्ट जो 4 रुपये 12 पैसे थी। यानि वर्ष 2017-18 के सापेक्ष यानि कि वर्ष 2016-17 की सापेक्ष वर्ष 2017-18 में जो ऐवरेज पॉवर परचेज जो कॉस्ट है वह 31 पैसे कम हुई है। एक अच्छी पहल हमारी सरकार ने की है। चोरी रोकने के लिए इंजीनियर साहब का सुझाव है चोरी रोकने पर सरकार क्या-क्या इनिशियेटिव ले रही है। उसका भी मैंने उल्लेख किया है। और, यह सरकार जो चोरी की कार्यवाही है उसका जो प्रोसेस है कि जिन फीडरों पर सबसे ज्यादा लाईन लॉस हैं उन्हीं फीडरों पर कार्यवाही के लिए शॉर्ट लिस्ट हमारी सरकार करती है और वहां पर कार्यवाही होती है। अगर कार्यवाही में जो चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे लोगों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। दूसरा, भविष्य में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में किसी भी उपभोक्ता का कॉल ना आए इसकी भी योजना योगी सरकार ने तय की है। 1912 हमारा टोल फ्री नम्बर है और उसके अलावा भी अनेक इनिशियेटिव हम लोग ले रहे हैं कही पर भी कोई शिकायत या कोई फॉल्ट है आपकी बिजली के बिल से संबंधित कोई शिकायत है तो हम बिजली समार्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की अगर कोई शिकायत है तो 1912 है उसमें जो संबंधित जेई है और धीरे-धीरे हर दिन इस व्यवस्था में इम्प्रूवमेण्ट करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा किया है और सबके सहयोग से आगे भी बहुत अच्छा करना है। आप लोगों को कोई फोन नहीं करेगा। जो भी फोन करेगा, वह हेल्प लाइन नम्बर पर कॉल करेगा। जब उसकी समस्या का समय रहते समाधान हो जाएगा तो आपको रात को एक बजे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा हमारा प्रयास है।

प्रदेश में कुल भूमिहीन कृषि मजदूरों की जनपदवार विवरण एवं उनके सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***07-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनका जनपदवार विवरण क्या है एवं सरकार द्वारा कितने कृषि मजदूरों का पं0 दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष में कितने भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को रुपये 2 लाख की बीमित राशि प्रदान की गयी

है ? क्या सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाकर लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां। किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के अभाव में भूमिहीन कृषि मजदूरों की यथार्थ संख्या एवं विवरण बताया जाना सम्भव नहीं है तथापि अवगत कराना है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 (SECC-2011) के अनुसार प्रदेश में भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की जनसंख्या जिनके पास भूमि नहीं है, उनकी संख्या 1,16,49,175 है, जो कुल परिवारों का 44.78 प्रतिशत है।

जी हां।

शून्य।

प्रदेश में ''उत्तर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' का गठन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त बोर्ड द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों को असंगठित कर्मकार के अन्तर्गत आवर्त व पंजीकृत किया जाना है। प्रस्तावित बोर्ड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से उन्हें दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना व पात्रता के अनुसार अटल पेंशन योजना से आच्छादित करते हुए लाभ दिलाया जायेगा।

लागू नहीं होता है।

लागू नहीं होता है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह प्रश्न जुलाई में लगाया गया था और अगस्त में हमने इस बोर्ड का गठन भी कर दिया है। 08 अगस्त को हमने इसके बोर्ड का गठन कर दिया, अधिसूचना जारी हो गई और चूँकि यह प्रश्न अधिसूचना जारी होने के पहले का है इसलिए यह उस टाइम की प्रतिलिपि है। अब वह कार्य हो गया है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भूमिहीन कृषि मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है और वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर 1,16,49,175 ग्रामीण परिवार आवासीय भूमिहीन हैं, यानी 44.78 प्रतिशत लोग। इस सरकार ने संकल्प पत्र में पता नहीं क्या-क्या घोषणा कर दी है? मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि कौन-कौन सी घोषणा की है? इन्होंने घोषणा की कि दीन दयाल योजना के अन्तर्गत भूमिहीन किसानों का 2-2 लाख रुपये का बीमा करेंगे। यह सरकार के घोषणा पत्र में है और इस समय कह रहे हैं कि एक भी आदमी का हमने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पार्टी के घोषणा पत्र में है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

पार्टी की घोषणा है लेकिन अब सरकार आ गई तो सरकार और पार्टी का घोषणा पत्र बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि जो अटल बीमा योजना है उसमें करेंगे और जो अटल योजना है उसमें जितना मजदूर जमा करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार उन भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने के लिए मन्दिर, मठ, मस्जिद और जो जमीनदारों के पास सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन है उनसे जमीन अधिग्रहीत करके उन भूमिहीन लोगों को जमीन देने की व्यवस्था करेगी ? दूसरा सवाल, ये जो 1,16,49,175 परिवार हैं तो इसमें आवासीय भूमिहीन कितने हैं ? तीसरा सवाल, क्या सरकार मनरेगा के अन्तर्गत मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि करेगी और कृषि मजदूरी में वृद्धि करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, ये मेरे छोटे-छोटे तीन सवाल हैं।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में एक शब्द बोला है और वह कार्यवाही में होगा, ''जातिगत जनगणना'' तो यह कब हुई और क्या हम लोगों को भी उसकी प्रति उपलब्ध कराएँगे ?

श्री अध्यक्ष-

उसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। इसमें वह नहीं है, आप मूल प्रश्न पढ़ लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 के अनुसार यह संख्या हमने बताई है। दूसरी बात माननीय नेता कांग्रेस ने पूछा है कि क्या भूमिहीनों को भूमि आवंटित करेंगे ? यह प्रश्न तो राजस्व से संबंधित है। दूसरी बात मैं सदन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में यह सूचना जारी की थी और वर्ष 2016 में नियमावली बनी और 2 साल तक पूर्ववर्ती सरकार इसका गठन नहीं कर पाई। आज सरकार में आते ही इसका गठन करके 8 अगस्त को इसकी सूचना भी जारी कर दी है। इसमें केवल खेतिहर मजदूर ही नहीं, खेतिहर मजदूर के साथ-साथ खुम्चा लगाने वाले, पटरी दुकान चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अखबार बेचने वाले और इसके साथ-ही-साथ जितने भी प्रकार के अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वे सभी इससे आच्छादित होंगे और जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और अटल पेंशन के अन्तर्गत तो उन्हें लाभ दिया जाएगा इसके अतिरिक्त तमाम योजनाएँ उनके लिए चलाई जा रही हैं और उनको आच्छादित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

---

†नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-07 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की कार्य योजना विषयक

***08-श्री संजय गर्ग तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त किसानों को किसानी कार्य हेतु सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश दिनांक 30-11-2017 में औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 6.74 प्रति यूनिट निर्धारित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर निजी नलकूप संयोजन अनमीटर्ड हैं, जिनके लिए औसत बिलिंग दर रु0 1.10 प्रति यूनिट है जो कि औसत विद्युत आपूर्ति लागत का 16.36 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अनमीटर्ड किसानों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध बिजली की दर में प्रति यूनिट रु0 5.64 की रियायत मिल रही है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अनमीटर्ड एवं मीटर्ड निजी नलकूप उपभोक्ताओं तथा शहरी क्षेत्र के मीटर्ड निजी नलकूप उपभोक्ताओं हेतु लागू दरें संलग्नक-1† के अनुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने की कार्य योजना बनाने विषयक

***09-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं तथा किन 10 जनपदों में इनकी संख्या सबसे अधिक है ? उक्त जनपदों सहित प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के पास क्या कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

30 जून, 2018 तक सेवायोजन पोर्टल पर कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 2139811 है तथा सबसे अधिक पंजीकृत बेरोजगारों वाले 10 जनपद निम्नवत हैं :-

1-कानपुर नगर	93623
2-अम्बेडकर नगर	75353
3-गाजीपुर	73753
4-जौनपुर	72394
5-बलिया	71481
6-इलाहाबाद	70937
7-लखनऊ	64993
8-वाराणसी	60357
9-आजमगढ़	59107
10-गोरखपुर	56855

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-327 पर।

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलबध कराये जाते हैं। साथ ही कॅरियर काउन्सिलिंग का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा ब्याज का भुगतान किये जाने विषयक

***10-श्री राकेश प्रताप सिंह तथा डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार गठित मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 में दी गयी व्यवस्थानुसार कोड के प्रभावी होने से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी की वसूली कर समायोजन करने विषयक

***11-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं से रुपया 523 करोड़ रुपये अधिक वसूली गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी को बिल में समायोजित करने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने उपभोक्ताओं को कितनी राशि की इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी का समायोजन पूर्ण करा लिया गया है और अवशेष राशि को समायोजित करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां। ऊर्जा विभाग, उ0 प्र0 शासन के आदेश द्वारा ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी का समायोजन किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

समस्त ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी की गणना एवं अग्रेतर मासिक बीजकों में समायोजन किये जाने हेतु साफ्टवेयर में व्यवस्था बनायी जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं से अधिक चार्ज की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के समायोजन हेतु विभिन्न आयामों के दृष्टिगत साफ्टवेयर निर्माण में लग रहे समय के दृष्टिगत सम्पूर्ण समायोजन के कार्य को फेज वाइज किये जाने का निर्णय निम्नवत् लिया गया है :-

1-रूरल आनलाईन सिस्टम में उपलब्ध घरेलू ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं पर ई0डी0 समायोजन की तात्कालिक व्यवस्था के रूप में दिनांक 01-08-2018 के बाद से जारी होने वाले बीजकों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाना तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया है।

2-सभी अनमीटर्ड उपभोक्ता तथा ऐसे उपभोक्ता जो अब मीटर्ड हो चुके हैं, पर वर्ष 2012 से आवश्यक समायोजन की गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर अधिक चार्ज की गयी ई0डी0 के समायोजन का प्रावधान ऑनलाइन बिलिंग साफ्टवेयर पर दिसम्बर, 2018 तक कर लिया जायेगा।

3-तत्पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता के आगामी मासिक बिलों से उसकी अधिक चार्ज की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि का समायोजन प्रतिमाह की देय ई0डी0 से तब तक किया जायेगा जब तक पूर्व में अधिक चार्ज की गयी ई0डी0 पूर्णतः समायोजित नहीं हो जाती अर्थात् पूर्ण समायोजन तक उपभोक्ता विशेष से उसके बिल में कोई ई0डी0 चार्ज नहीं की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के नलकूप के एक वर्ष के बिल पर सरचार्ज को माफ किये जाने विषयक

***12-श्री नरेश सैनी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप के एक वर्ष के बिल बकाये पर सरकार द्वारा सरचार्ज माफी की छूट दी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि जो किसान पूर्व में दी गयी सरचार्ज माफी योजना में अपने निजी नलकूप का बिल अपरिहार्य कारणों से जमा नहीं कर सके हैं, क्या ऐसे किसानों के सरचार्ज माफ किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण किसानों को निजी नलकूप विद्युत संयोजन पर दिनांक 31-03-2018 तक समस्त लम्बित बिल बकाया धनराशि को दिनांक 25-04-2018 से 30-06-2018 तक पंजीकरण कराकर अंतिम तिथि 31-07-2018 तक जमा करने पर विगत एक वर्ष की अवधि में बिल धनराशि पर लगे सरचार्ज को पूर्ण रूप से माफ किये जाने के लिए ''अंतिम समाधान भविष्य आसान योजना'' लागू की गयी है।

वर्तमान योजना के दृष्टिगत अन्य कोई योजना विचारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिभार माफी योजना बार-बार लागू करने से प्रदेश की विद्युत वितरण निगमों को राजस्व क्षति का सामना करना पड़ता है। माननीय उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने अपने टैरिफ आदेश दिनांक 18-06-2015 द्वारा ईमानदार एवं पेइंग उपभोक्ताओं के दृष्टिगत एक मुश्त समाधान योजना को लागू करना एक अच्छा कदम नहीं माना है और इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त योजना के पूर्व में अधिभार माफी हेतु लागू योजना मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदनोपरान्त दर श्रेणी एल0एम0वी0-5 (ग्रामीण) के किसान उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 15-04-2017 से 15-06-2017 तक लागू की गयी थी, जिसमें एल0एम0वी0-5 (ग्रामीण) के किसान उपभोक्ताओं को चार किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी थी, जिनके अन्तर्गत अंतिम किश्त जमा करने की तिथि 17-01-2018 से पूर्व थी। इस प्रकार किसान विद्युत उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा सहित पर्याप्त समय दिया गया था। कृषकों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित नये कदम उठाये हैं :-

(i) डार्क जोन क्षेत्र के अन्तर्गत 172 विकास खण्डों में कृषकों के नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगे प्रतिबन्ध को माह जनवरी, 2018 में समाप्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में अभी तक 5819 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

(ii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ दिया गया है। निजी नलकूप के अतिरिक्त कोल्हू, चारा मशीन, राइस हुलर हेतु भी सीजनल टैरिफ की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार सीजनल माह के अतिरिक्त अन्य माहों पर फिक्सड चार्जेज/मासिक न्यूनतम देय पर 75 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(iii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं हेतु अन्य अस्थायी माध्यमों से एकल रबी फसल की सिंचाई के उपयोगार्थ अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके अनुसार किसान अब माह नवम्बर से फरवरी तक सीजनल फसल की सिंचाई हेतु किसी नहर अथवा बोरिंग द्वारा जल निकासी हेतु अस्थायी विद्युत संयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार सिंचाई हेतु स्थायी संयोजन लेकर पूरे वर्ष फिक्सड चार्ज के भुगतान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

(iv) विगत में बुन्देलखण्ड क्षेत्र व ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पोषकों से पोषित निजी नलकूप के संयोजन की बिलिंग शहरी दर सूची के अनुसार की जा रही थी, जो वर्तमान में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्णय लेते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र पर लागू दर सूची के अनुसार की जा रही है।

(v) ग्रामीण निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अपने बकाये की प्रथम किस्त 20 प्रतिशत देकर शेष बकाये राशि को 6 प्रतिशत समान मासिक किस्तों में भुगतान करने की सुविधा अनुमन्य की गई है।

(vi) इसके अतिरिक्त निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा इस वित्तीय वर्ष हेतु माह अप्रैल, 2018 से माह सितम्बर, 2018 तक का पूर्ण भुगतान माह नवम्बर, 2018 के अन्त तक तथा माह अक्टूबर से माह मार्च, 2019 तक के बिल का पूर्ण भुगतान माह मई, 2019 के अन्त तक करने पर 6 माह की अवधि पर देय राशि पर लगने वाले सरचार्ज को पूर्ण रूप से माफ किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब किसान लाभान्वित हो सकेंगे।

(vii) निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा बिल राशि का समय से भुगतान किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण निजी नलकूप उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

(viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) स्वीकृत दिनांक 03-01-2017 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु 11 के0वी0 पोषकों के पृथिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति में सुधार आयेगा। योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु कुल 1825 नये पोषकों का निर्माण किया जाना है जिसके विरुद्ध माह जुलाई, 2018 तक 709 नये पोषक का निर्माण किया जा चुका है।

प्रदेश में पुरानी बसों को हटाकर नई बसों के संचालन की कार्य योजना विषयक

***13-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित पुरानी एवं जर्जर बसों को हटाकर उनके स्थान पर नयी बसें चलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्रदेव सिंह)-

परिवहन निगम में किसी भी जर्जर बस का संचालन नहीं किया जा रहा है। परिवहन निगम में पुरानी बसों को निष्प्रयोज्य करने के लिए निम्न शर्तें हैं :-

क्र0 सं0	वाहनों का विवरण	आयु वर्ष तथा किमी0 में (चेसिस किमी0)
1	निगम बस जिसका रिनोवेशन न हुआ हो (साधारण)	9 वर्ष एवं 11 लाख किमी0
2	निगम बस जिसका मिनी रिनोवेशन हुआ हो	9 वर्ष एवं 11.50 लाख किमी0
3	निगम बस जिसका रिनोवेशन हुआ हो (साधारण बस)	10 वर्ष एवं 11 लाख किमी0 रिनोवेशन के उपरान्त बस को 3 लाख किमी0 अथवा 03 वर्ष जो भी बाद में हो, अवश्य संचालित किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 में 351 पुरानी बसें हटायी गयी हैं तथा 2018-19 में अब तक 152 पुरानी बसें हटायी जा चुकी हैं।

इस वर्ष 2018-19 में निगम के बस बेड़े में निम्नवत् नई गाड़ियों को सम्मिलित करने की योजना है :-

1-650 नग साधारण डीजल बसें।

2-250 नग साधारण सी0एन0जी0 बसें।

3-100 नग एसी जनरथ बसें।

4-50 नग पिंक बसें।

कुल 1050 बसें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जर्जर तारों एवं पोलों को बदलने विषयक

***14-श्री मसूद अखतर-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर तार व पोल की कमी के कारण आये दिन होने वाले हादसों के निराकरण हेतु क्या आई0पी0डी0एस0 विद्युतीकरण योजना में जर्जर तारों व पोल बदलने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत आने वाले 178 शहरी नगरों में से बरेली (म्युनिसिपल कारपोरेशन एवं आउटर ग्रोथ), फैजाबाद (नगर पालिका पंचायत), अकबरपुर (नगर पालिका पंचायत), लखनऊ (म्युनिसिपल कारपोरेशन), सुल्तानपुर (नगर पालिका पंचायत), उन्नाव (नगर पालिका पंचायत), बलरामपुर (नगर पालिका पंचायत एवं आउटर ग्रोथ) एवं गोण्डा (नगर पालिका पंचायत) को मिलाकर कुल 08 शहरों में एल0टी0 जर्जर पोल एवं एल0टी0 जर्जर तार बदलने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को अनुबंधित कर दिनांक 28-04-2018 को एल0ओ0आई0 निर्गत कर दी गयी है। एल0ओ0आई0 निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की समय सीमान्तर्गत कार्य को पूर्ण करना निर्धारित किया गया है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के क्षेत्रान्तर्गत आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत जर्जर तार, पोल एवं एबी केबिल बदले जाने का कार्य पीएफसी को प्रेषित एवं पीएफसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर में प्राविधानित नहीं किया गया था। तद्नुसार पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा आई0पी0डी0एस0 योजना में किये गये विभिन्न अनुबन्धों में इस कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में वर्तमान में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों में जर्जर तार, पोल एवं एबी केबिल बदलने का कार्य किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के क्षेत्रान्तर्गत जर्जर तार, पोल एवं एबी केबिल बदलने का प्राविधान बिजनेस प्लान के अन्तर्गत किया गया है। वर्ष 2017-18 में जर्जर तार, पोल एवं एबी केबिल बदलने के मद में कुल रुपये 2410.70 लाख के कार्य कराये गये तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 20-08-2018 तक इस मद में कुल रुपये 710.49 लाख के कार्य कराये जा चुके हैं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से संबंधित केन्द्र सरकार की आई0पी0डी0एस0 योजना में आई0पी0डी0एस0 नगरों में जर्जर तार व पोल बदलने की व्यवस्था है। आई0पी0डी0एस0 योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य 31-12-2018 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के अन्तर्गत 21 जनपदों के 142 आई0पी0डी0एस0 नगरों में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत जर्जर तारों को ए0बी0सी0 केबिल से बदलने का कार्य किया जा रहा है। कार्य माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

केस्को, कानपुर के अन्तर्गत आई0पी0डी0एस0 योजना में जर्जर तार बदलने की व्यवस्था है। जर्जर पोल केस्को द्वारा एम0 एण्ड आर0 में बदले जाते हैं, कार्य माह नवम्बर, 2018 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में किसानों की भूमि पर बिजली विभाग द्वारा जबरन निर्माण कराये जाने विषयक

***15-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि भूमि पर बिना भूमि अधिग्रहण किये या किसानों की सहमति के बिना उनकी भूमि पर बिजली विभाग द्वारा जबरन निर्माण कराया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जिला अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा के ग्राम जियापुर में जबरन किसानों की खतौनी की भूमि पर 11 मीटर × 11 मीटर की भूमि पर कंकरीट करते हुए चार पोल का खम्भा लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि का प्रतिकर किसानों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

निर्माणाधीन पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में मुआवजे की वर्तमान व्यवस्था क्षतिपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 एवं 68 सपठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-10 एवं 16 द्वारा नियमित है। इन अधिनियमों में इंगित प्रावधानों के अन्तर्गत ही पारेषण अनुज्ञाधारियों द्वारा फसल, पेड़ अथवा किसी ढांचे को होने वाली क्षति की ही पूर्ति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना बनाने विषयक

***16-श्री सुखदेव राजभर तथा श्री नाहिद हसन-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन हो रहा है ? यदि नही, तो क्या सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने का कोई नया पावर प्रोजेक्ट लाने सहित कोई प्रभावशाली कार्य योजना लाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विद्युत मांग की पूर्ति प्रदेश में हो रहे विद्युत उत्पादन तथा प्रदेश से बाहर से विद्युत क्रय कर की जाती है।

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत स्थापित ताप विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता 5474 मे0वा0 है जिसके सापेक्ष औसतन 4000 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस विद्युत उत्पादन क्षमता की अग्रेत्तर वृद्धि करने के क्रम में उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन राज्य/संयुक्त क्षेत्र में नवीन तापीय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें 3960 मेगावाट राज्य क्षेत्र में तथा 3300 मेगावाट संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन/स्वीकृत है। इनका विवरण निम्नवत् है :-

राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन-

1-2×660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन, एटा। (प्रथम इकाई से दिसम्बर, 2020 व द्वितीय इकाई से अप्रैल, 2021 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

2-2×660 मे0वा0 ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा, सोनभद्र। (प्रथम इकाई से दिसम्बर, 2020 व द्वितीय इकाई से अप्रैल, 2021 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

3-1×660 मे0वा0 पनकी तापीय परियोजना, पनकी, कानपुर। (इकाई से जनवरी, 2022 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

4-1×660 मे0वा0 हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना, हरदुआगंज, अलीगढ़। (इकाई से जनवरी, 2020 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन-

1-2×660 मे0वा0 मेजा तापीय परियोजना, इलाहाबाद। उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 के संयुक्त उपक्रम मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 के अन्तर्गत। (प्रथम इकाई से अगस्त, 2018 व द्वितीय इकाई से अगस्त, 2019 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

2-3×660 मे0वा0 घाटमपुर तापीय परियोजना, घाटमपुर, कानपुर देहात। उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत। (प्रथम इकाई से नवम्बर, 2020 व द्वितीय इकाई से मई, 2021 तथा तृतीय इकाई से नवम्बर, 2021 से विद्युत उत्पादन लक्षित)।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में-

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम के नियन्त्रणाधीन स्थित जल विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 524.9 मे0वा0 है। उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा जनपद सहारनपुर में नवीन खारा लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता 2×750 कि0वा0 निर्माणाधीन है)।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कारपोरेट प्लानिंग द्वारा-

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध भी हस्ताक्षरित किये गये हैं :-

1-सिंगरौली स्टेज-II परियोजना, जो कि वर्ष 2022 में आयेगी, से 1320 मे0वा0 ऊर्जा, 25 वर्षों तक ऊर्जा क्रय किये जाने हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध (पी0पी0ए0) हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2-न्यू नबीनगर परियोजना, बिहार (3×600 मे0वा0) एन0टी0पी0सी0 एवं बिहार सरकार के संयुक्त उपक्रम में उ0 प्र0 का अंश 209 मे0वा0 ऊर्जा है, आगामी वित्तीय वर्ष से 25 वर्षों तक ऊर्जा क्रय किये जाने हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध (पी0पी0ए0) हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत विभाग में लाइनमैनों की नियुक्ति करने एवं लाइन फाल्ट ठीक करने में होने वाली दुर्घटना का बीमा कराये जाने विषयक

***17-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन-फाल्ट ठीक करने के लिए लाइनमैनों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानकानुसार लाइनमैनों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लाइनमैनों को लाइन का फाल्ट ठीक करते समय होने वाली दुर्घटना का बीमा कराने या क्षतिपूर्ति दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन फाल्ट ठीक करने के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में विभागीय व वाह्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा के आधार पर कुशल व अकुशल श्रमिक रख कर फाल्ट को ससमय ठीक कराया जा रहा है।

जी हां।

क्या लाइनमैन (टी0जी0-2) (लाइन) का पद डिस्काम का आमेलित पद है जो 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है जिस पर कुशल श्रमिकों से पदोन्नति की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में (टी0जी0-2) (लाइन) के 6841 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2609 कार्यरत हैं तथा 4232 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर वर्ष 2017-18 में की गयी प्रोन्नति व वर्तमान चयन 2018-19 में की जाने वाली प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न करके दिनांक 15-09-2018 तक कारपोरेशन को अवगत कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को, कानपुर को उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र दिनांक 29-08-2018 द्वारा निर्देशित किया गया है।

चयन वर्ष 2017-18 में (टी0जी0-2) (विद्युत) के पद पर कुल 884+120=1004 अभ्यर्थियों का सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया गया है तथा चयन वर्ष 2018-19 हेतु 2779 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

लाइनमैनों को लाइन का फाल्ट ठीक करते समय होने वाली दुर्घटना की क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत की जाती है, जो उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सभी निगमों में प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसों में एथनॉल एवं बायोडीजल बस चलाये जाने विषयक

***18-श्री मनीष असीजा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों/प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार के द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार परिवहन विभाग के अन्तर्गत चलने वाली बसों के बेड़े में एथनॉल एवं बायोडीजल से चलने वाली बसें चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-115 के उपनियम (7) में वाहनों के प्रदूषण की रोकथाम का प्राविधान है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-115 के उपनियम 1 में विभिन्न प्रकार के वाहनों की जांच हेतु धूम्र उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

उक्त से सम्बन्धित विवरण मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में एथनॉल एवं बायोडीजल से चलने वाली बसें एवं उक्त प्रकार का ईंधन उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश में इस प्रकार की बसों का संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में धान खरीद नीति बनाने विषयक

***19-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने कोई धान खरीद नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष हेतु धान क्रय नीति जारी की जाती है।

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान क्रय नीति शासनादेश संख्या-03/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा जारी की गयी।

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 हेतु धान क्रय नीति का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान क्रय नीति में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कामन धान रु0 1550/- प्रति कु0 तथा ग्रेड ए रु0 1590/- प्रति कुं0 पर कृषकों से धान खरीद की व्यवस्था रखी गयी।

धान क्रय हेतु प्रथम बार ई-उपार्जन मॉड्यूल लागू किया गया जिसके अन्तर्गत किसानों एवं राइस मिलों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया।

धान की सफाई व उतराई, छनाई के मद में धनराशि रु0 15/- प्रति कुं0 का भुगतान किया गया तथा मिलर को 30 दिन के भीतर सी0एम0आर0 का सम्प्रदान करने पर रु0 10/- प्रति कुं0 अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी।

भुगतान ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से क्रय के 72 घण्टों के अन्दर सीधे कृषकों के खातों में किये जाने की व्यवस्था की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में पूर्ति एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राशन की वस्तुओं पर अवैध वसूली को रोकने विषयक

1-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी तथा जिला सम्भल तहसील चन्दौसी में कतिपय उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन की वस्तुओं पर अवैध वसूली की दरें निर्धारित करने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकान निरस्त करने को आधार लिंक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने में आ रही परेशानी को दूर करने की कोई नई व्यवस्था प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, बिलारी से करायी गयी और किसी भी स्तर पर उचित दर विक्रेताओं से कोई अवैध वसूली किया जाना नहीं पाया गया। इसी प्रकार जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल ने प्रश्नगत शिकायत की जांच क्षेत्रीय

खाद्य अधिकारी, सम्भल से करायी, जिसमें उचित दर विक्रेताओं द्वारा अवगत कराया गया कि उनसे किसी भी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली नहीं की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर दुकान निरस्त करने एवं बायोमैट्रिक प्रणाली में कोई सम्बन्ध नहीं है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर में 33/11 के0वी0 के पावर हाउस की स्थापना विषयक

2-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बऊरी में आम जनता को बिजली उपलब्ध कराये जाने के लिए पावर हाउस हेतु भूमि स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार बऊरी ग्राम में 33/11 के0वी0 के पावर हाउस का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, जंगीपुर को 26 मई, 2018 को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। अतः तकनीकी दृष्टि से ग्राम सभा बऊरी में 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र के बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बऊरी में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम बोगना में 33/11 के0वी0 के पावर हाउस का निर्माण कराये जाने विषयक

3-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र की बोगना ग्राम सभा में आम जनता को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ता है जिस कारण उक्त ग्राम सभा के निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार बोगना ग्राम सभा के निवासियों को हो रही बिजली की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निजात दिलाने हेतु 33/11 के0वी0 पावर हाउस लगाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक नया 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित है एवं इससे बोगना ग्राम सभा को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

जनपद जौनपुर के नगर पालिका, मुंगरा बादशाहपुर स्थित जर्जर बस अड्डे का पुनर्निर्माण कराने विषयक

4-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर नगर पालिका में जौनपुर इलाहाबाद मुख्य मार्ग पर स्थित बस अड्डा अत्यंत जर्जर होने के कारण यात्रियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस अड्डा का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

मुंगरा बादशाहपुर बस स्टेशन मुख्य मार्ग इलाहाबाद-जौनपुर से 20 मीटर अन्दर की ओर है। अतः लम्बी दूरी के यात्री प्रायः बाहर से ही बसों पर बैठते हैं। केवल कम दूरी की बसें ही बस स्टेशन परिसर के अन्दर आती है। अतः यात्रियों को असुविधा नहीं होती है।

पुनर्निर्माण का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपाल के अन्तर्गत ग्राम भिनवा, आमा, पकरी आदि ग्रामों में जर्जर विद्युत तारों एवं खम्भों को बदलने विषयक

5-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपाल के अन्तर्गत ग्राम भिनवा, आमा पकरी, नरायनपुर, पचानू आदि गांवों में विद्युत तार तथा खम्भे जर्जर हैं तथा लो-वोल्टेज विद्युत आपूर्ति से असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर तारों एवं खम्भों तथा लो-वोल्टेज से उक्त ग्रामवासियों को निजात दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपाल के ग्राम भिनवा, आमा पकरी, नरायनपुर, पचानू आदि ग्रामों के विद्युत तार तथा जर्जर खम्भों को बदलने की कार्यवाही माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हुई जन-धन की हानि के फलस्वरूप दुर्घटनाओं को रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

6-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितनी जन-धन की हानि हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 2017-18 में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु सरकार किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

40,268 दुर्घटनायें।

20,861 मृत्यु।

28,350 घायल।

जी हां।

उत्तर प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता में हुआ सुधार, मोटर गाड़ियों की तकनीकी में सुधार के फलस्वरूप उनकी गति क्षमता में वृद्धि, उत्तर प्रदेश में युवा जनसंख्या में वृद्धि तथा तीव्र गति से वाहन चालन की प्रवृत्ति में वृद्धि, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण है।

जी हां।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :-

सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरुकता संबंधी कार्यक्रम।

लाइसेंस प्रणाली व चालकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम।

वाहनों की फिटनेश प्रक्रिया को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त व आधुनिक बनाने की कार्यवाही।

ब्लैक स्पाट के सुधारीकरण व संकेतक बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन संबंध कार्यवाही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंधी से क्षतिग्रस्त विद्युत पोल एवं तार को बदलने विषयक

7-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंधी तूफान से ध्वस्त व क्षतिग्रस्त पोल-तार को बदलने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि

उक्त हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट की व्यवस्था हुई है, तो कितना बजट आवंटित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में आंधी-तूफान से ध्वस्त व क्षतिग्रस्त पोल-तार को क्षतिग्रस्त होने के तुरन्त बाद ही बदलने/ठीक करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी जाती है।

प्रदेश में आंधी-तूफान से ध्वस्त व क्षतिग्रस्त पोल-तार को बदलने के कार्य हेतु बजट की व्यवस्था रख-रखाव मद व शासकीय पूंजी मद के आवंटन में से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का शासनादेश जारी करने विषयक

8-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक साल नई मिसाल के कार्यक्रम में मुख्य मंत्री जी के द्वारा रायल्टी मुक्त खनन की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो घोषणा के अनुरूप सरकार ने उक्त के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा साधारण मिट्टी (ईंट भट्ठों के लिए प्रयुक्त मिट्टी को छोड़कर) पर रायल्टी को समाप्त किये जाने की घोषणा की गई।

साधारण मिट्टी पर रायल्टी समाप्त करने विषयक अधिसूचना संख्या-641/86-2018-153(सा0)/2017, दिनांक 27-03-2018 निर्गत की गई है।

प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में बस अड्डा निर्माण कराये जाने विषयक

9-श्री दिनेश चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की केराकत तहसील में बस डिपो न होने के कारण आम जनता को उक्त क्षेत्र से गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी आदि स्थानों के आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बस डिपो/बस अड्डा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

केराकत से जौनपुर डिपो/बस स्टेशन की दूरी मात्र 30 किमी0 तथा केराकत से वाराणसी की दूरी 45 किमी0 है। अतः केराकत में बस डिपो/बस अड्डा बनाने का कोई औचित्य नहीं है। केराकत में निगम के स्वामित्व की कोई भूमि भी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2017-18 में जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 गोपालपुर के गांवों में किये गये विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जानकारी विषयक

10-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2017-18 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विकास खण्ड महराजगंज में 07 ग्राम एवं विलरियागंज में 04 ग्राम को पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

जी हां।

विकास खण्ड विलरियागंज, ग्राम बिन्दवल, जगमलपुर, जोलहापुर, मधनापार। विकास खण्ड महराजगंज ग्राम वैदरा, बरौली, निटेहरा, चौंदपुर, मटौरा, देवारा, कदीम, मीरपुर नर्वे एवं नरोत्तमपुर, सूर्यमान।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0खं0 महराजगंज/विलरियागंज में ट्रांसफार्मरों की बढ़ायी गयी क्षमता की जानकारी विषयक

11-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज/विलरियागंज में कितने ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि बढ़ायी गयी है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में 06 तथा विलरियागंज में 14 ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है।

विकास खण्ड महराजगंज ग्राम सभा में क्रमशः जूड़ा खुर्द, प्रतापपुर, अराजी शंकरपुर, नेवादा बैजुआपार में (25 से 63 के0वी0ए0), गोपालपुर में (63 से 100 के0वी0ए0), चांदपुरा नयापुर में (100 से 250 के0वी0ए0)।

विकास खण्ड विलरियागंज ग्राम सभा में क्रमशः भगतपुर, बहौला, खनकाह, पड़री, बधैला, नसीरपुर एवं मघनापार में (25 से 63 के0वी0ए0), बड़िहारी, हारीपुर, पतिला गौसपुर, गद्दोपुर हसनपुर बाग में (63 से 100 के0वी0ए0), गुलवा में (100 से 250 के0वी0ए0), विलरियागंज थाना में (250 से 400 के0वी0ए0)।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने विषयक

12-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कतिपय फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों से श्रम लिये जाने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र से वर्ष 2010 से 2017 तक कुल कितने बाल श्रमिक मुक्त कराये गये तथा कितने फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को कहां पुनर्वासित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2010 से 2017 तक किसी भी बाल श्रमिक से बाल श्रम कराये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है और न ही कोई बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0खं0 टाण्डा के ग्राम विहरई निनावां के गोमती देवी का अनुबन्ध बहाल कराये जाने विषयक

13-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम विहरई निनावां में उचित दर विक्रेता गोमती देवी का अनुबन्ध मा0 न्यायालय उपायुक्त खाद्य फैजाबाद के आदेश दिनांक 02-01-2018 के क्रम में उप जिलाधिकारी, टाण्डा के द्वारा दिनांक 27-01-2018 को बहाल किया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के बाद भी वितरण हेतु राशन का उठान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम विहरई निनावां में उचित दर विक्रेता श्रीमती गोमती देवी का अनुबन्ध-पत्र मा0 न्यायालय, उपायुक्त खाद्य, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के आदेश दिनांक 02-01-2018 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी, टाण्डा द्वारा दिनांक 27-01-2018 को बहाल किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती गोमती देवी द्वारा राशन का उठान किया जा रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में रोजगार उपलब्ध कराने विषयक

14-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार 05 वर्ष में 70 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने की योजना पर कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 70 लाख के सापेक्ष 14 लाख रोजगार का सृजन हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग बेरोजगारों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 633 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 63152 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर में नियमानुसार गेहूं की खरीद की व्यवस्था किये जाने विषयक

15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत संचालित गेहूं क्रय केन्द्र सल्टौआ पर किसानों से प्रति कुन्तल 15 रुपये से 20 रुपये तक मांग किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर गेहूं की खरीद की व्यवस्था कराकर किसानों को राहत दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती सम्भाग, बस्ती की आख्या दिनांक 25-06-2018 के अनुसार जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत संचालित गेहूं क्रय केन्द्र सल्टौआ पर किसानों से प्रति कुन्तल 15 रुपये से 20 रुपये तक मांग किये जाने की जानकारी सरकार को नहीं है। मान्यवर, द्वारा की गयी प्रश्नगत शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की जांच गहनतापूर्वक कराने के उपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि किसी भी कृषक द्वारा गेहूं क्रय केन्द्र पर उपरोक्तानुसार धनराशि मांगे जाने की पुष्टि नहीं की गयी। सल्टौआ में दो क्रय केन्द्र क्रमशः खाद्य विभाग (सोनहा) व पी0सी0एफ0 (कोठिला) द्वारा स्थापित/संचालित किये गये थे, जहां गेहूं क्रय हेतु यथावश्यक समस्त मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध था जहां खाद्य विभाग (सोनहा) द्वारा कार्यकारी लक्ष्य 600 मी0 टन के सापेक्ष 243 कृषकों से 1056 मी0 टन (176 प्रतिशत) व पी0सी0एफ0, सल्टौआ (कोठिला) द्वारा 354 मी0टन के सापेक्ष 170 किसानों से 1301 मी0 टन (368 प्रतिशत) की खरीद की गयी। आलोच्य अवधि में किसी भी कृषक द्वारा कोई भी शिकायत किसी भी स्तर/पोर्टल पर किया जाना संज्ञानित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य वितरण हेतु पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने विषयक

16-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य वितरण हेतु पात्र व्यक्तियों के लिए सरकारी राशन कार्ड बनाने के लिए क्या प्राविधान हैं ? क्या सरकार को प्रदेश में पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड मानक के अनुरूप नहीं बनाये जाने की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड मानक के अनुरूप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य वितरण हेतु दो श्रेणियों अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के पात्र लाभार्थियों के लिए सरकारी राशन कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों के लिए शासनादेश संख्या भा0स0-2/29-खा-6-2001-03सा/2001, दिनांक 31-01-2001 एवं शासनादेश संख्या 2493/29-6-2004-03सा/02, दिनांक 19-08-2004 तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के लिए शासनादेश संख्या-2364, दिनांक 07-10-2014 द्वारा पात्रता के मापदण्ड के अनुरूप लाभार्थियों का चयन करते हुए राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड मानक के अनुरूप नहीं बनाये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर उनकी नियमानुसार जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को पात्रता के अनुरूप राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाती है। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति का राशन कार्ड मानक के अनुरूप नहीं बना है, तो उसके सत्यापनोपरान्त राशन कार्ड निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-7/2017/631/29-6-2017-104सा/09टीसी/10, दिनांक 27-04-2017 के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों का वृहद सत्यापन माह मई, 2017 से अगस्त, 2017 तक कराया गया, जिसमें 2982497 अपात्र कार्डधारक पाये गये, जिन्हें निरस्त करते हुए 3714727 पात्र कार्डधारकों का चयन किया गया। इसी प्रकार शासनादेश संख्या-13/2017/1930/29-6-2017-104सा/09टीसी/10, दिनांक 20-09-2017 के अनुपालन में दिनांक 25 सितम्बर, 2017 से दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के मध्य विशेष अभियान चलाकर 29010 पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण योजना 'गरीब को अन्न' पखवाड़े के दिनांक 01 से 15 अगस्त, 2018 तक आयोजन के मध्य पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक् एवं कल्याणकारी योजनाओं हेतु पात्र परिवारों के सर्वेक्षण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर वर्तमान में सत्यापन

कराया जा रहा है। उक्त सत्यापन में वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित करने तथा अपात्रों को सूची से निष्कासित करने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार अपात्रों के राशन कार्डों को निरस्त किया जाना एवं पात्रों को योजना से निरन्तर आच्छादित किया जाना विभागीय प्रक्रिया का अंग है, जिसका मूल उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वितरण व्यवस्था से वंचित/लाभान्वित होने से न रह जाये।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज में ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में दिये गये पत्र क-6 नं0 037481 पर कार्रवाई विषयक

17-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज 220 के0वी0 उप केन्द्र पर स्थापित 2 × 100 एम0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करते हुए 2 × 160 एम0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव पत्र संख्या क-6 नं0 037481 दिनांक 01-02-2018 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में 220 के0वी0, सिरसागंज उप केन्द (2 × 100 एम0वी0ए0) पर लगभग 90 एम0वी0ए0 क्षमता शेष है। उपकेन्द्र अतिभारित न होने के कारण किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक नगर फिरोजाबाद में बस डिपो खोलने विषयक

18-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कांच चूड़ी एवं कांच उत्पादों के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक नगर फिरोजाबाद में बस डिपो न होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक नगरी फिरोजाबाद में प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में आवागमन करने वाले नागरिकों की सुविधा हेतु बस डिपो खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में फिरोजाबाद बस स्टेशन है, जहां से दिल्ली, उत्तरांचल, राजस्थान सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिए बसें संचालित होती हैं। अतः वर्तमान में यात्रियों को पर्याप्त

परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है। इसलिए बस डिपो न होने पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद जनपद से 24 किमी0 की दूरी पर शिकोहाबाद डिपो स्थित है। जो कि फिरोजाबाद जनपद के अन्तर्गत ही है, जहां से यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद में बस डिपो बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तावित 132 के0वी0 उपकेन्द्र, नारखी के निर्माण कराये जाने विषयक

19-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 × 7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के तारतम्य में जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तावित 132 के0वी0 उप केन्द्र नारखी के निर्माण हेतु ग्राम राजारामपुर, नारखी में 2 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विद्युत उप केन्द्र के निर्माण आरम्भ कराने एवं पूर्ण कराने की कोई समय-सीमा तय की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

कार्यदायी संस्था को उपकेन्द्र का निर्माण एक वर्ष के अन्दर पूर्ण करना है। यह समय-सीमा माह अप्रैल, 2019 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जिला कारागार में एक कम्युनिटी हाल का निर्माण कराये जाने विषयक

20-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित जिला कारागार में कोई कम्युनिटी हाल न होने के कारण कारागार में निरुद्ध बन्दियों के हित में होने वाली लोक अदालतों, चिकित्सा कैंपों, अन्य शासकीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कारागार, फिरोजाबाद में एक कम्युनिटी हाल का निर्माण कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला कारागार, फिरोजाबाद का निर्माण वर्ष 2000 से पूर्व हुआ था एवं यह कारागार माह फरवरी, 2000 से प्रारम्भ हुई है। कारागार का निर्माण के समय से कारागार में सामुदायिक कक्ष का निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान में कारागार में निरुद्ध बन्दियों के हित में होने वाली लोक अदालतों, चिकित्सा कैंपों, अन्य शासकीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कारागार के गिर्दा क्षेत्र में खुले प्रांगण में कराया जाता है।

कारागार की उपरोक्त आवश्यकता के दृष्टिगत कारागार में एक मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 18-07-2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं उक्त कार्य कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0 प्र0 जल निगम को आवंटित किया गया है, जिस हेतु धनराशि भी कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इस कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा 12 माह का समय निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत उसायनी, टूण्डला में स्थापित 132 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाने विषयक

21-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत उसायनी, टूण्डला में स्थापित 132 के0वी0 उप केन्द्र की क्षमता 2 गुणे 40 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 2 गुणे 63 एम0वी0ए0 करने का प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 5.36 करोड़ रुपये हैं, पारेषण कार्य अनुमोदन समिति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने हेतु कोई समय-सीमा तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

63 एम0वी0ए0 का एक परिवर्तक माह दिसम्बर, 2018 में तथा दूसरा माह फरवरी, 2019 में स्थापित कर ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान समय में बन रहे कार्डों के सम्बन्ध में जानकारी विषयक

22-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में राशन कार्ड बनाने की कार्यवाही के अन्तर्गत कितने कार्ड दिनांक 16-01-2018 तक बन कर तैयार हो गये हैं तथा कितने कार्ड निरस्त किये गये हैं ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राशन कार्ड बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके पात्र लाभार्थियों को जोड़ने तथा अपात्र लाभार्थियों को पात्रता सूची से हटाये जाने का कार्य सुनिश्चित किया जाता है। तदोपरान्त पात्र लाभार्थियों को पात्रता श्रेणी के राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे तथा कोई अपात्र राशन कार्डधारक अनुचित लाभ न पाये, इस हेतु विभाग निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। शासनादेश संख्या-7/2017/631/29-6-2017-104सा/09टीसी-10, दिनांक 27-04-2017 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश

स्तर पर सत्यापन का कार्य सुनिश्चित कराया गया तथा राशन कार्डों के सत्यापन के अभियान के अन्तर्गत कुल 2982497 राशन कार्ड निरस्त किये गये। वर्तमान में अन्त्योदय योजना के 4094500 एवं पात्र गृहस्थी योजना के 29154260 राशन कार्ड प्रचलन में हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सहसवान के जनपद बदायूं में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने विषयक

23-श्री ओमकार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सहसवान जनपद बदायूं में विद्युत आपूर्ति समयबद्ध नहीं हो रही है, जिससे किसानों, व्यापारियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

ग्रिड की सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

विधान सभा क्षेत्र सहसवान की विद्युत आपूर्ति वर्तमान समय में दोपहर 13:15 बजे से सायं 20:30 बजे तक एवं रात्रि 21:30 बजे से सुबह 11:15 बजे तक कुल 20:30 घण्टे आदेशित है।

विधान सभा क्षेत्र सहसवान में गत चार माह (अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 2018) की गयी औसतन विद्युत आपूर्ति इस प्रकार है। माह अप्रैल, 2018 में (16:51 घण्टे विद्युत आपूर्ति हुई), माह मई, 2018 में (16:04 घण्टे विद्युत आपूर्ति हुई) एवं माह जून, 2018 में (17:21 घण्टे विद्युत आपूर्ति हुई), माह जुलाई, 2018 में (17:39 घण्टे विद्युत आपूर्ति हुई) है।

132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, सहसवान से सहसवान टाउन क्षेत्र का 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिनांक 26-06-2018 का एवं सहसवान ग्रामीण क्षेत्र का 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिनांक 04-08-2018 को जोड़कर ऊर्जीकृत किया जा चुका है एवं वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय योजना में सम्मिलित ग्राम सभाओं में अति भारित एल0टी0 लाइन को विखण्डित कर विद्युत पोषित किये जाने हेतु

24-श्री नरेश सैनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15-02-2018 को जो कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में पत्र में उल्लिखित ग्राम सभाओं में अति भारित एल0टी0 लाइन को विखण्डित कर अलग से परिवर्तक लगाकर उनको विद्युत पोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र बेहट में पत्र में वर्णित क्रमशः 1 से 22 तक के ग्रामों में नयी विद्युत लाइन बनाकर परिवर्तक रखने का कार्य डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के अन्तर्गत अनुबंधित धनराशि से कराया जाना सम्भव नहीं होने के कारण इन कार्यों को डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 में सम्मिलित नहीं किया गया था।

वर्तमान में चल रही सौभाग्य योजना के ग्रामों में नयी लाइन बनाकर परिवर्तक रखने का कार्य प्रगति पर है जिसे माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में पलायन को रोकने के लिए सरकार की कार्य योजना का विवरण

25-श्री बृजेश कुमार प्रजापति तथा श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड में सूखा एवं बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कैरियर कॉउन्सिलिंग का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में संचालित सेवायोजन कार्यालयों झांसी, जालौन स्थित उरई, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा द्वारा क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेला एवं कैरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की प्रगति विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेलों की प्रगति		बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आयोजित कॅरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की प्रगति	
	मेंलों की संख्या	रोजगार हेतु चयनित अभ्यर्थी	कैरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अभ्यर्थी
2017-18	65	3690	200	45389
2018-19 (30 जून, 2018 तक)	16	968	48	7695

प्रश्न नहीं उठता।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर के बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में

26-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर को बुनकर के रूप में विकास हेतु चयनित किया गया है ? यदि हां, तो जनपद के बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 24 घण्टे अनवरत् विद्युत आपूर्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जिला अम्बेडकरनगर जिला मुख्यालय पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 24 घण्टे अनवरत् विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय नीतिगत है। जनपद मुख्यालय पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र शहजादपुर में निर्धारित रोस्टर 24:00 घण्टे के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 22:53 घण्टे, माह मई, 2018 में 22:05 घण्टे एवं माह जून, 2018 में 22:37 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी।

तहसील स्तर पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र टाण्डा में निर्धारित रोस्टर 20:00 घण्टे के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 18:30 घण्टे, माह मई, 2018 में 18:20 घण्टे एवं जून, 2018 में 18:15 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी।

तहसील स्तर पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र जलालपुर में निर्धारित रोस्टर 20:00 घण्टे के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 20:30 घण्टे, माह मई, 2018 में 19:16 घण्टे एवं माह जून, 2018 में 19:13 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी।

ग्रामीण स्तर पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र टाण्डा में निर्धारित रोस्टर के अनुसार 18:00 घण्टे के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 16:15 घण्टे, माह मई, 2018 में 17:20 घण्टे एवं माह जून, 2018 में 17:00 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पिलखुवा, हापुड़ के अधिशासी अभियन्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में

27-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ की विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पिलखुवा हापुड़ में अधिशासी अभियन्ता द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली करने हेतु रखे गये प्राइवेट लोगों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बुरी नियत की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, हापुड़ (पिलखुवा) में उपभोक्ताओं से वसूली करने हेतु कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं है तथा विभाग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ताओं के घरों पर मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बुरी नियत का व्यवहार करने संबंधी किसी भी उपभोक्ता की शिकायत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, हापुड़ (पिलखुवा)/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल हापुड़/मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र द्वितीय, बुलन्दशहर की संज्ञान में नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम दौलतपुर तिगरी में विद्युत लाइन के खम्भे को बदलने विषयक

28-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम दौलतपुर तिगरी के टेहरा में आबादी के बीचो-बीच 11 हजार विद्युत लाइन के खम्भे टूटे हैं और विद्युत तार जमीन से मात्र 3 फुट की ऊंचाई पर है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तार के खम्भों की मरम्मत करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 विधायक जी के निर्देशानुसार जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम दौलतपुर ढिकरी (शासकीय अभिलेखों में वास्तविक नाम ग्राम दौलतपुर ढिकरी का देहरा है) में 11 हजार वोल्ट लाइन के स्पैन लम्बे होने के कारण दिनांक 20-06-2018 को लाईन में 03 नं0 पोल लगाकर पुरानी लाइन को ऊंचा करा दिया गया है।

प्रदेश में पात्र व्यक्तियों के निरस्त किये राशन कार्ड को बहाल किये जाने विषयक

29-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं ? क्या यह सही है कि पात्र व्यक्तियों के भी राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार निरस्त कार्डों को पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कुल 5084608 राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं।

अकारण किसी पात्र व्यक्ति के राशन कार्ड निरस्त किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपात्रता के कारण निरस्त किये गये राशन कार्डों की बहाली किया जाना सम्भव नहीं है। यदि कोई पात्र व्यक्ति संज्ञान में आता है तो नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसका नाम पात्रता सूची में जोड़े जाने के उपरान्त राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में सरकारी राशन की दुकानों पर लगे बायोमेट्रिक मशीनों के सर्वर डाउन होने के कारण जनता को हो रही परेशानी के निराकरण की कार्य योजना

30-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में सरकारी राशन की दुकानों पर लगे बायोमेट्रिक मशीनों के सर्वर डाउन होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो, उक्त समस्या के निराकरण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बागपत के समस्त नगरीय क्षेत्र में कार्यरत कुल 76 उचित दर विक्रेताओं के यहां 76 बायोमेट्रिक मशीन (ई-पास) स्थापित हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 02 ई-पास मशीन तहसील व विकास खण्ड बड़ौत की ग्राम सभा कण्डेरा व ढिकाना में स्थापित है। जनपद के नगरीय क्षेत्रों से सर्वर डाउन होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही जनपद में कोई नेट कनेक्टीविटी की समस्या है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में वर्ष 2016 व 2017 में विभिन्न ग्रामों में बदले गये जर्जर खम्भों व तारों के सम्बन्ध में विवरण

31-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में विभाग द्वारा वर्ष 2016 व 2017 में, कितने ग्रामों में जर्जर खम्भों व तारों को बदला गया तथा कितने नए ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये, क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2016 व 2017 में बदले गये जर्जर तार एवं खम्भों तथा स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों का विवरण निम्नवत् है :-

सामग्री का नाम	ग्रामों की संख्या वर्ष 2016	वर्ष 2016	ग्रामों की संख्या वर्ष 2017	वर्ष 2017
बदले गये जर्जर खम्भों की संख्या		24 नग	-	-
बदले गये जर्जर तार की संख्या		29.119 कि0मी0		4.151 कि0मी0
स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या	11	48 नग	48	161 नग

जी हां। (उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत है)।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण आग लगने से नष्ट हुई किसानों की फसलों के सम्बन्ध में

32-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 से 15 मई, 2018 तक जनपद बागपत में विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण कितने किसानों की फसलें आग लगने के कारण नष्ट हुई हैं ? क्या सरकार द्वारा किसानों को उनकी नष्ट फसल की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त के नाम व पते क्या हैं व कितने किसानों का मुआवजा जिला स्तर या शासन स्तर पर लम्बित है ? क्या सरकार किसानों के इन लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत वर्ष 2016 से 15 मई, 2018 तक जनपद बागपत में विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण 124 किसानों की फसलों की क्षति आग लगने के कारण हुई है, जिसमें 04 किसानों की फसल विद्युत चिंगारी से नष्ट होना नहीं पाया गया है।

जी हां।

76 किसानों का भुगतान हो चुका है एवं 04 किसानों का भुगतान उनके बैंक विवरण आदि प्राप्त न होने के कारण धनराशि खण्ड स्तर पर उपलब्ध है। 40 किसानों, जिनका भुगतान अवशेष है, के अन्तर्गत 03 प्रकरणों का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, बड़ौत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को चेक के माध्यम से कर दिया गया है। 15 प्रकरणों की निधि मांग-पत्र की धनराशि को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा दिनांक 24-08-2018 को वितरण खण्डों को भुगतान करने हेतु निर्गत कर दी गयी है। विद्युत

अग्निकाण्ड संबंधी प्रकरणों की 06 पत्रावलियां उप जिलाधिकारी, बड़ौत स्तर पर तथा 01 पत्रावली उप जिलाधिकारी, बागपत स्तर पर एवं 15 पत्रावलियां उप जिलाधिकारी, बागपत स्तर पर लम्बित हैं। राजस्व विभाग से उक्त पत्रावलियों पर नियमानुसार संस्तुति प्रेषित करने हेतु पत्राचार/व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा रहा है। संस्तुति प्राप्त होते ही प्रकरण निस्तारित करने हेतु तत्काल अग्रेतर कार्यवाही कर ली जायेगी।

जी हां।

40 किसानों का भुगतान प्रक्रिया में है, जिसको माह अगस्त, 2018 तक भुगतान किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में ईंट भट्ठा मालिकों को इनवायरमेण्ट सर्टीफिकेट जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

33-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में इनवायरमेण्ट सर्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा ईंट भट्ठा मालिकों से 40 हजार लेकर 50 हजार रुपये तक की मांग किये जाने तथा सुविधा शुल्क उपलब्ध न कराये जाने पर इनवायरमेण्ट सर्टीफिकेट जारी नहीं किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खनन विभाग बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सरकार द्वारा विपणन गोदाम निर्मित किये जाने की मांग

34-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विपणन गोदान न होने के कारण गोदाम हर वर्ष किराये पर लिया जाता है जब कि बस्ती मण्डल के प्रत्येक जनपद में विपणन गोदाम सरकार द्वारा निर्मित किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में विपणन गोदाम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती सम्भाग, बस्ती की आख्यानुसार जनपद बस्ती में विपणन गोदाम न होने के कारण गोदाम किराये पर लेकर भण्डारण का कार्य किया जाता है, क्योंकि बस्ती मण्डल में किसी भी जनपद में खाद्य विभाग द्वारा निर्मित सरकार विपणन गोदाम नहीं है। तत्काल जनपद बस्ती में विपणन गोदाम का निर्माण कराया जाना योजनान्तर्गत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के डी0एच0-2 जानकीपुरम् विस्तार के प्लाट नम्बर-370 साईं इन्क्लेव में लगे विद्युत पोल पर तार लगाने विषयक

35-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित डी एच-2 जानकीपुरम् विस्तार से लगभग 300 मी0 दूरी पर प्लाट नम्बर-370, साईं इन्क्लेव, जानकीपुरम् विस्तार तक में विद्युत पोल 6 माह पूर्व लगा दिये गये हैं किन्तु तार न खींचे जाने के कारण वहां रह रहे अध्यासियों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

लखनऊ नगर स्थित डी0एच0-2 जानकीपुरम् विस्तार उक्त क्षेत्र एक निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित क्षेत्र में स्थित है, जिसमें विद्युत तंत्र विकसित नहीं है, चूंकि उ0 प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 4.9 द्वारा विकासकर्ता/उपभोक्ता द्वारा जमा योजना द्वारा विद्युत तंत्र विकसित करना चाहिए जो कि नहीं किया गया है। क्षेत्र में निवास कर रहे मात्र एक अध्यासी श्री शान्ति भूषण पाण्डेय पुत्र श्री सभापति पाण्डेय, मकान नं0 370, मिश्रपुर कुर्सी रोड, लखनऊ जो कि डी0एच0-2 जानकीपुरम से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है, द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विद्युत तंत्र विस्तार एवं विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु खण्डीय कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया था जिसके पश्चात् प्राक्कलन धनराशि रु0 143262.00 की टी0सी0 पत्रांक 1210 वि0वि0ख0/दिनांक 02-04-2018 द्वारा श्री पाण्डेय जी को निर्गत की गई थी, जिसका भुगतान रसीद सं0 000027, दिनांक 06-06-2018 द्वारा किया गया। धनराशि जमा होने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार करते हुए, मीटर सं0 SV3197 लगाते हुए 2 किलोवाट का घरेलू विद्युत संयोजन सं0 9005198980 दिनांक 30-06-2018 को निर्गत किया जा चुका है।

जी हां।

दिनांक 30-06-2018 को विद्युत तंत्र विकसित कर विद्युत संयोजन निर्गत करते हुए समस्या का निराकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा गौरा के विकास खण्ड छपिया के तालागंज ग्रन्ट, महुलीखोरी आदि गांवों में विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कराने की मांग

36-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड छपिया के तालागंज ग्रन्ट, महुलीखोरी एवं बभनजोत विकास खण्ड के कूकनगर ग्रन्ट एवं केशवनगर ग्रन्ट सहित कई गांवों के मजरों में विद्युतीकरण अधूरा है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

37-श्री रितेश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-95 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रूकुनपुर (मालीपुर) एवं जीवत (कर्बला) विकास खण्ड जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद अम्बेडकरनगर में 33/11 के0वी0 विद्युत नये उपकेन्द्र कर्बला को ऊर्जीकृत कर चालू करके दिनांक 11-07-2018 को लाइनों का लोड ले लिया गया है।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मालीपुर का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। स्विचयार्ड का कार्य प्रगति पर है। 33 के0वी0 लाइन का निर्माण 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 33 के0वी0 लाइन निर्माण एवं विद्युत गृह को माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0ख0 जलालपुर के ग्राम अवधना इस्माइलपुर में राशन न वितरण कराने के संबंध में दिये गये पत्रांक ख-6-212132, दिनांक 07-05-2018 पर की गयी कार्रवाई के सम्बन्ध में

38-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अवधना इस्माइलपुर में अपात्रों को राशन का वितरण कर काला बाजारी करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या ख-6-212132 दिनांक 7-5-2018 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कोटा निलम्बन की कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अवधना इस्माइलपुर में अपात्रों को राशन वितरण कर कालाबाजारी के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का पत्रांक संख्या ख-6-212132 दिनांक 7-5-2018 प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, जलालपुर द्वारा उचित दर विक्रेता श्री नवाब अली, ग्राम पंचायत अवधना इस्माइलपुर, विकास खण्ड जलालपुर के वितरण की जांच करायी गयी। जांच में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 345, दिनांक 09-07-2018 द्वारा विक्रेता को आरोप-पत्र निर्गत करते हुए 3 माह के वितरण/स्टाक रजिस्टर सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की जांच/परीक्षण पूर्ति निरीक्षक, जलालपुर द्वारा की गयी, जिसमें गम्भीर अनियमितता प्रकाश में नहीं पायी गयी। फिर भी उप जिलाधिकारी, जलालपुर द्वारा उचित दर विक्रेता की धनराशि रु0 5000/- शासन के पक्ष में जब्त करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गयी।

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद में होने वाली गड़बड़ी की जांच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खोले गये क्रय केन्द्रों पर बोरे की कमी के कारण कृषक अपना गेहूं बिचौलियों को बेचने को मजबूर हैं तथा जिन कृषकों का गेहूं खरीदा गया है उनका समय से भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो प्रकरण की जांच कराकर गेहूं खरीद में होने वाली गड़बड़ी के दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों व क्रय एजेन्सियों की आख्या के अनुसार सम्भागों/जनपदों में खोले गये क्रय केन्द्रों पर बोरे की कोई कमी नहीं रही तथा कृषकों का गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीदा गया। रबी विपणन वर्ष 2018-19 में अन्तिम खरीद दिनांक 15-06-2018 तक 52.92 मी0टन गेहूं खरीद की गई है, जिसके सापेक्ष जनपद लखीमपुर खीरी में पी0सी0एफ0 संस्था के रु0 03 करोड़, जनपद झांसी में एडको मल्टी स्टेट सोसाइटी के 32 किसानों का एवं जनपद बांदा में नैफड संस्था के 7 किसानों, पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 संस्था के 1-1 किसानों को छोड़कर पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

पी0सी0एफ0 ने अपने पत्र दिनांक 17-07-2018 द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी से राजस्व अधिकारियों के साथ प्रत्येक केन्द्र के लिए कम से कम एक टीम गठित कराकर शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन कराते हुए भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है एवं सत्यापन उपरान्त अर्ह कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दोषी जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, लखीमपुर खीरी को निलम्बित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी की आख्या दिनांक 29-08-2018 के अनुसार झांसी सम्भाग में कुल खरीद मात्रा 290543.85 मी0टन के सापेक्ष कृषकों को देय भुगतान

रु0 50699.90/- लाख है, जिसके सापेक्ष जनपद जालौन एवं ललितपुर में कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। जनपद झांसी में मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी एडको को छोड़कर अन्य समस्त संस्थाओं द्वारा कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। केवल एडको समिति द्वारा 85 कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान किये जाने की भ्रामक/झूठी सूचना कार्यालय को दी गयी थी, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि उक्त कृषकों को एडको द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और न ही भा0खा0नि0 में गेहूं का शत-प्रतिशत सम्प्रदान किया गया है। इस प्रकार एडको समिति द्वारा की गयी उक्त अनियमितता/झूठी सूचना दिये जाने/कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने आदि के सम्बन्ध में एडको मल्टी स्टेट सोसाइटी के प्रबन्ध निदेशक एवं मण्डल प्रभारी के विरुद्ध दिनांक 04-08-2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। एडको समिति के देयकों से उक्त शेष कृषकों को सत्यापन उपरान्त भुगतान किया जा रहा है। अभी तक उक्त 85 कृषकों में से 53 किसानों को दिनांक 27-08-2018 तक देय भुगतान धनराशि रु0 4859838/- का भुगतान किया जा चुका है। शेष 32 किसानों के भुगतान लम्बित हैं, जिसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा की आख्या दिनांक 29-08-2018 के अनुसार चित्रकूटधाम सम्भाग के हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट जनपदों में क्रय किये गये गेहूं का किसानों को सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। जनपद बांदा में नैफेड, पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 द्वारा सम्पूर्ण भुगतान हो जाने की सूचना दिये जाने के बावजूद नैफेड में 07 किसानों, पी0सी0एफ0 में 01 किसान व पी0सी0यू0 में 01 किसान को भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त हुई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बांदा द्वारा अवगत कराया गया है कि नैफेड संस्था के जिन 7 किसानों का भुगतान नहीं हुआ था उनमें से 3 किसानों का भुगतान हो गया है। शेष 04 किसानों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 के 1-1 किसानों का भुगतान भी किया जाना अवशेष है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बांदा को शेष समस्त किसानों का भुगतान कराकर कृत कार्यवाही से तीन दिनों के अन्दर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी में प्रकरण की जांच कराकर दोषी जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, लखीमपुर खीरी को निलम्बित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी।

जनपद झांसी में एडको समिति द्वारा की गयी उक्त अनियमितता/झूठी सूचना दिये जाने/कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने आदि के सम्बन्ध में एडको मल्टी स्टेट सोसाइटी के प्रबन्ध निदेशक एवं मण्डल प्रभारी के विरुद्ध दिनांक 04-08-2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

जनपद बांदा में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्रय संस्था नैफेड, पी0सी0एफ0 एवं पी0सी0यू0 को पत्र प्रेषित किया गया है।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत पेयजल इकाइयों को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु

40-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित हो रही पेय जल इकाइयों से सरकार द्वारा वाणिज्य श्रेणी में विद्युत बिल लिया जा रहा है जबकि पेयजल इकाई मानव जीवन के पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु संचालित है, जो इतनी महंगी बिजली से संचालित होनी मुश्किल हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इकाइयों पर विद्युत का बिल सस्ती दरों पर लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित हो रही पेयजल इकाइयों से एल0एम0वी0-7 श्रेणी में निर्धारित टैरिफ अनुसार ही विद्युत बिल दिया जा रहा है न कि वाणिज्यिक श्रेणी में।

एल0एम0वी0-7 में रु0 350 प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज है एवं एक मात्र रेट स्लेब रु0 8.30 प्रति यूनिट चार्ज है, जबकि एल0एम0वी0-2 (वाणिज्य) श्रेणी में रु0 430 प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज एवं ऊर्जा मूल्य 300 यूनिट तक रु0 7 प्रति यूनिट और 301 से 1000 तक रु0 8 प्रति यूनिट तथा 1000 से अधिक यूनिट पर रु0 8.30 प्रति यूनिट चार्ज है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर से इटवा-डुमरियागंज-बस्ती तक स्कैनिया बसों के संचालन की मांग

41-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर से इटवा-डुमरियागंज-बस्ती होते हुए लखनऊ और दिल्ली तक स्कैनिया बसों के संचालन की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर 03 साधारण बस सेवायें बस्ती-लखनऊ होते हुए दिल्ली तक संचालित है। भविष्य में यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बस सेवाओं में वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन का आधुनिकीकरण किये जाने की मांग

42-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित तथा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केन्द्र वाले जनपद सिद्धार्थनगर में परिवहन निगम के जनपद मुख्यालय

पर स्थित बस स्टेशन का आधुनिकीकरण और सुन्दरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

परिवहन निगम में संसाधन उपलब्ध होने पर आधुनिकीकरण एवं सुन्दरीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर के सिंगारजोत से शाहपुर, धोबहा आदि जगहों से मुख्यालय तक बस संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

43-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के सिंगारजोत से शाहपुर, धोबहा, मझौवा, बांसी होते हुए जनपद मुख्यालय तक परिवहन निगम की बसों को संचालित सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर के सिंगारजोत से शाहपुर, डुमरियागंज, बांसी होते हुए जनपद मुख्यालय तक वर्तमान में बस संचालित है।

सिंगारजोत से शाहपुर, धोबहा, मझौवा, बांसी, सिद्धार्थनगर मार्ग में शाहपुर से धोबहा, मझौवा के मध्य आर0सी0सी0 रोड निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् जनपद मुख्यालय तक बस का संचालन प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में अप्रैल, 2017 के बाद संचालित बसों का विवरण

44-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में अप्रैल, 2017 के बाद किन-किन स्थानों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रारम्भ हुआ है तथा उनमें से कौन-कौन सी वर्तमान में संचालित हैं तथा कौन-कौन सी बन्द हैं ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

सिद्धार्थनगर डिपो द्वारा माह अप्रैल, 2017 के बाद 04 मार्गों पर बस का संचालन शुरू किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-सिद्धार्थनगर, बांसी, डुमरियागंज, सिंगारजोत तक बस सेवा संचालित हो रही है।

2-सिद्धार्थनगर से बर्डपुर, गौरा बाजार तक बस सेवा संचालित हो रही है।

3-सिद्धार्थनगर से उस्का बाजार तक बस सेवा संचालित हो रही है।

4-सिद्धार्थनगर, बांसी, चेतिया, निठौआ, इटवा, उतरौला, लखनऊ तक बस सेवा बन्द है।

प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द कैदियों को जेल से रिहाई विषयक

45-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में कितने ऐसे कैदी हैं जो अपनी सुनाई गयी सजा को पूरा कर चुके हैं परन्तु उनको जेल से रिहा नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने ऐसे कैदी हैं जिनको जुर्माना भुगतान नहीं किये जाने के कारण आज भी जेल में बन्द रखा गया है ? क्या सरकार की तरफ से उक्त कैदियों की रिहायी हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

01 कैदी। (केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में)।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध बन्दी श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री अमीरुद्दीन को उनके देश पाकिस्तान भेजने हेतु पाकिस्तानी दूतावास, नई दिल्ली से ट्रेवेल्स प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण बन्दी को निरुद्ध रखा गया है।

दिनांक 14-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार जुर्माने की धनराशि जमा न कर सकने के कारण कारागार में निरुद्ध कैदियों की संख्या 200 है।

जी हां।

शासनादेश संख्या-575/2018/1402/22-2-2018-24जी/2017, दिनांक 09-08-2018 एवं शासनादेश संख्या- 577/2018/1402/22-2-2018-24जी/2017, दिनांक 14-08-2018 द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर जुर्माने की धनराशि भुगतान न कर पाने वाले 72 कैदियों को विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से धनराशि जमा कराकर प्रदेश के विभिन्न कारागारों से रिहा कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में अवैध खनन रोकने एवं अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

46-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में बालू मौरंग का अवैध खनन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में जारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध खनन को संरक्षण देने वाले अधिकारियों एवं अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के तहसील पैलानी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

47-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की तहसील पैलानी में बालू/मौरंग खनन हेतु आवंटित खण्ड ग्राम सिधन कला व ग्राम-सादीमदनपुर में कतिपय आवंटितों द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवंटितों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद बांदा की तहसील पैलानी के अन्तर्गत ग्राम सिन्धनकला में 01 तथा ग्राम सादीमदनपुर में बालू/मोरम के 02 खनन पट्टे संचालित हैं।

(1) ग्राम सिन्धनकला के पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने पर रु0 59,00,800.00 (उनसठ लाख आठ सौ रुपये मात्र) शास्ति की धनराशि जमा करायी गयी है तथा पट्टा क्षेत्र के अन्दर निर्गत परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 की मात्रा से अधिक खनन करने पर रु0 61,18,000.00 (इकसठ लाख अट्ठारह हजार रुपये) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे का अनुरक्षण न करने पर रु0 9,75,000.00 (नौ लाख पचहत्तर हजार रुपये) शास्ति जमा करायी गयी है

(2) ग्राम सादीमदनपुर के पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन नहीं किया गया है। पट्टा क्षेत्र के अन्दर निर्गत परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 की मात्रा से अधिक खनन करने पर दोनों पट्टाधारकों से रु0 1,21,00,000.00 (एक करोड़ इक्कीस लाख रुपये) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे का अनुरक्षण न करने पर रु0 16,00,000.00 (सोलह लाख रुपये) शास्ति जमा करायी गयी है

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के जिला कारागार के निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने विषयक

48-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्यालय अकबरपुर में निर्माणाधीन जिला कारागार का कार्य निर्धारित सीमा समाप्त होने के बाद भी अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कारागार का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्यालय, अकबरपुर में निर्माणाधीन जिला कारागार का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण है। कार्यदायी संस्था को उक्त कार्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, इन्वेन्ट्री नोडल अधिकारी, जिला कारागार, फैजाबाद को तत्काल उपलब्ध कराकर जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी से निरीक्षण कर कारागार को शीघ्र ही हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

कारागार को शीघ्र ही हस्तगत कर क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के समस्त गांवों/नगरों को शीघ्र विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

49-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 में जनपद अम्बेडकरनगर के कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि लक्ष्य के सापेक्ष कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कितने मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार शेष मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद अम्बेडकरनगर में वर्ष 2017-18 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती आरजीजीजेवाई 12वीं) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु 482 मजरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जनपद अम्बेडकरनगर में वर्ष 2017-18 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती आरजीजीजेवाई 12वीं) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु 480 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 31-03-2018 तक पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 02 मजरों बहोरिकपुर एवं दाऊदपुर में विवाद के कारण कार्य बाधित है।

जी हां।

अवशेष 2 मजरों बहोरिकपुर एवं दाऊदपुर में विवाद सुलझाकर विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31-08-2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर के तहसील ज्ञानपुर के ग्राम गनेशरायपुर में विद्युत पोल व तार लगवाने विषयक

50-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गनेशरायपुर (धनापुर) पोस्ट पाली, तहसील ज्ञानपुर, जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) में श्री अमृत लाल बिन्द के घर से श्री बृजमोहन बिन्द के घर तक (लम्बाई लगभग 700 मीटर) विद्युत पोल व तार न होने के

कारण वहां के निवासियों को विद्युत सप्लाई नहीं मिल पा रही है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत पोल एवं तार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

ग्राम गनेशरायपुर (धनापुर), पोस्ट पाली, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही में श्री अमृत लाल के घर से श्री बृजमोहन बिन्द के घर तक (लम्बाई लगभग 700 मीटर) का विद्युतीकरण का कार्य जून, 2018 में करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर के बालागंज/पूरबटोला में विद्युत सब स्टेशन को शीघ्र चालू किये जाने की मांग

51-श्री पल्टूराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु विद्युत लाइन एवं विद्युत सब स्टेशन नहर बालागंज/पूरबटोला तथा श्री दत्तगंज कब तक संचालित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बलरामपुर में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु विद्युत लाइन एवं विद्युत सब स्टेशन नहर बालागंज/पूरबटोला का कार्य सिस्टम आग्यूमेन्टेशन प्लान, 2016-17 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

बिजनेस प्लान, 2017-18 के अन्तर्गत श्री दत्तगंज विद्युत सब स्टेशन एवं लाईन का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है जिसे माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर रोडवेज के बस अड्डे की शीघ्र निर्माण कराने के संबंध में जानकारी

52-श्री पल्टूराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में रोडवेज द्वारा बस अड्डा बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन खरीदी गयी है किन्तु जिला प्रशासन द्वारा निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कब तक अनुमति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जनपद बलरामपुर शहर में स्थित ग्राम घुघुलपुर, परगना तहसील व जनपद बलरामपुर की गाटा संख्या 301मि/19.1180 में रकबा 1.482 है0 (3.66 एकड़) क्रय हेतु परिवहन

निगम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक चेक सं0 184751, दिनांक 29-01-2015 धनराशि रु0 44,46,000.00 (रु0 चौवालिस लाख छियालिस हजार मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 179, दिनांक 10-03-2015 को लेखाशीर्षक ''0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां'' के अन्तर्गत कोष में जमा किया जा चुका है। उक्त भूमि का नामांतरण परिवहन निगम के पक्ष में राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बालू खनन के ठेकेदारों पर अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली को रोकने के संबंध में कार्रवाई किया जाना

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बालू खनन के ठेकेदारों पर बालू घाट तथा भण्डारण हेतु खनन अधिकारी बस्ती तथा जिलाधिकारी बस्ती द्वारा 2 से 5 लाख रुपये की अवैध रूप से मांग तथा मांग पूरी न करने पर खनन कार्य रोके जाने की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार खनन में अवैध वसूली को रोकने के लिए जांच करा कर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चन्दर पुरवा मजरे चांदपुर लोथौनी व भगवन्तपुर में विद्युतीकरण किये जाने विषयक

54-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चन्दपुरवा मजरे चांदपुर लोधौनी व भगवन्तपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत काफी समय पूर्व विद्युतीकरण कराये जाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चन्दर पुरवा मजरे चांदपुर लोधौनी व भगवन्तपुर में विद्युतीकरण का कार्य मे0 ज्योति कम्पनी द्वारा आर0जी0जी0जे0वाई0 योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया था। मे0 ज्योति कम्पनी के असंतोषजनक कार्य के कारण ब्लैकलिस्टेड होने से उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण था। अधूरे विद्युतीकरण के कार्य का सर्वे

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मे0 बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि0 द्वारा करा लिया गया है जिसमें चन्दर पुरवा मजरे चांदपुर, लोधौनी में 26 पोल एवं भगवन्तपुर में 28 पोल लगाना प्रस्तावित है।

जी हां।

माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों से नियम विरुद्ध तरीके से धन उगाही करने विषयक

55-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सरकार द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों से नियम विरुद्ध तरीके से धन उगाही की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर नियम संगत तथा पारदर्शी तरीके से गेहूं का क्रय करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती सम्भाग, बस्ती की आख्या के अनुसार जनपद बस्ती में सरकार द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों से नियम विरुद्ध तरीके से धन उगाही होने के सम्बन्ध में कृषक/जनसामान्य/अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई। मा0 विधायक (श्री संजय प्रताप जायसवाल) द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 13-05-2018 व 16-05-2018 की जांच क्रमशः सक्षम विभागीय प्राधिकारी व मण्डलायुक्त, बस्ती द्वारा गठित जांच समिति से करायी गयी। जांचोपरान्त प्राप्त शिकायतें निराधार पायी गयी। रबी विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत सीधे कृषकों से नियम संगत व पारदर्शी तरीके से गेहूं क्रय किये जाने हेतु सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध रही है। परिणामस्वरूप जनपद बस्ती में गेहूं क्रय के कार्यकारी लक्ष्य 61700 मी0टन गेहूं के सापेक्ष 82625 मी0टन (134%) गेहूं की खरीद 14524 कृषकों से की गयी। समस्त कृषकों को उनके बिक्रीत उत्पाद के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में सिंचाई हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन बढ़ाने की मांग

56-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में इस वर्ष सिंचाई हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत कितने निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उसके सापेक्ष अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके नाम व पते क्या हैं ? क्या आवेदनों की संख्या को देखते हुए सरकार सामान्य योजना के अन्तर्गत कनेक्शनों की संख्या को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बागपत में वर्ष 2018-19 में सिंचाई हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत 843 निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन देने हेतु दिनांक 31-07-2018 तक 1547 नं0 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

जी हां।

सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन के कार्य हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न शहरों/कस्बों में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच अण्डरग्राउण्ड केबिल के कार्य के संबंध में जानकारी

57-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 के बीच में प्रदेश के कितने शहर/कस्बों में अन्डरग्राउण्ड केबिल का कार्य स्वीकृत किया गया, उसमें से कितने स्थानों पर काम पूर्ण हुआ तथा कितना काम अवशेष/अधूरा है ? क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 के बीच प्रदेश के 27 शहरों/कस्बों में 40 स्थानों पर अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग का कार्य स्वीकृत किया गया। स्वीकृत कार्यों में से 21 स्थानों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष 18 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। एक कार्य बजट व कम उपयोगिता के दृष्टिगत निरस्त किया गया है।

जी हां।

प्रारम्भ हो चुके कार्यों को माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापित उद्योग एवं नौकरियों में 90 फीसदी युवाओं को आरक्षित करने के संबंध में

58-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी 2018 माह के अंत तक प्रदेश में कुल कितने रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर जिलावार पैदा किये गये तथा इस दौरान प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित हुए जहां पर 90 फीसदी नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सेवायोजन विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 63152 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 18-09-2015 से उद्योग आधार मेमोरण्डम व्यवस्था लागू कर दी गयी। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को दिनांक 24-11-2015 को नोटिफाइड कर दिया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी www.udyogaadhar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना उद्योग आधार मेमोरण्डम आनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। सृजित सूचनानुसार वर्ष 2017-18 के जनवरी, 2018 माह के अन्त तक प्रदेश में कुल 535240 (प्रत्यक्ष 477612 तथा परोक्ष 57628) रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किये गये तथा इस दौरान प्रदेश में कुल 93515 उद्योग स्थापित हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुरानी बसों की मरम्मत कराकर चलाने की योजना की जानकारी

59-श्री पारसनाथ यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी नई बसें खरीदी गयी हैं और कितनी नई बसें खरीदी जानी हैं ? क्या पुरानी बसें जो जर्जर स्थिति में हैं उनकी मरम्मत कराकर चलाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

वर्ष 2016-17 में 1650 नई बसें खरीदी गयी हैं।

वर्ष 2017-18 में नई बसें क्रय की संख्या शून्य है।

वर्ष 2018-19 में 1050 नई बसें क्रय किये जाने की योजना है।

उ0 प्र0 परिवहन निगम में बसों के निष्प्रयोज्य होने की निम्न शर्ते हैं :-

क्र0 सं0	वाहनों का विवरण	आयु वर्ष तथा किमी0 में (चेसिस किमी)	बस का ह्रासित मूल्य (कुल मूल्य का)
1	निगम बस जिसका रिनोवेशन न हुआ हो (साधारण)	9 वर्ष एवं 11 लाख किमी0	12 प्रतिशत
2	निगम बस जिसका मिनी रिनोवेशन हुआ हो	9 वर्ष एवं 11.50 लाख किमी0	12 प्रतिशत
3	निगम बस जिसका रिनोवेशन हुआ हो (साधारण बस)	10 वर्ष एवं 11 लाख किमी0 (जीर्णोद्धार के उपरान्त बस को 3.00 लाख किमी0 अथवा 03 वर्ष जो भी बाद में हो, अवश्य संचालित किया जायेगा)	20 प्रतिशत

इन मानकों को पूर्ण करने से पूर्व जिन बसों की बाडी कन्डीशन किसी भी कारण यथा-दुर्घटना, किसी उपद्रव में क्षतिग्रस्त, आगजनी में क्षति हुई बसों को ठीक करने हेतु 02 कार्यशालायें कानपुर में (केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर/डॉ0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर) स्थित है जहां बसों का मेजर तथा मिनी रिनोवेशन (जीर्णोद्धार) किया जाता है तथा छोटी-छोटी खराबी को क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्यशालाओं में ठीक कराया जाता है। उ0 प्र0 परिवहन निगम में किसी जर्जर बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कस्बा, तहसील कांठ में बस स्टैण्ड के स्थापना हेतु

60-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर कस्बा कांठ में कोई बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण बस यात्रियों को मुख्य सड़क पर ही चढ़ाती है जिससे यहां हर समय जाम लगा रहता है। यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा कांठ पर बस स्टैण्ड की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

जनपद मुरादाबाद के कस्बा कांठ में परिवहन निगम का एक यात्री शेड उपलब्ध है, जहां से बसें यात्रियों को मुख्य सड़क पर ही चढ़ाती है। उक्त यात्री शेड पर यात्रियों के सहयोगार्थ मुरादाबाद डिपो का एक कर्मचारी तैनात है, जो यात्रियों को बस उपलब्ध कराने में सहयोग करता है तथा जाम की स्थिति का निदान करता रहता है।

कांठ में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मुरादाबाद से अनुरोध किया गया है।

भूमि उपलब्ध होने व संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत ही बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के प्रथम शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न संख्या-3 पर किये गये कार्यवाही की जानकारी

61-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2017 के प्रथम शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में 11 के0वी0 पोलों को हटाये जाने का कार्य दिनांक 20-6-2017 तक तथा एल0टी0 लाइनों के पोलों को हटाये जाने का कार्य दिनांक 30-9-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था ? यदि हां, तो क्या दिनांक 10-5-2018 तक महमूदाबाद में उन पोलों को हटा दिया ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

1-म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ द्वारा अनुबंध के प्राविधानानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु प्रयुक्त पालों को छोड़कर अन्य सभी 11 के0वी0 पोलों को दिनांक 10-05-2018 के पूर्व हटा दिया गया है।

2-विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर द्वारा निर्गत किये गये लगभग 2400 नये संयोजनों की एल0टी0 लाइन भूमिगत कराये जाने के उपरान्त ही पोलों को हटाये जाने का कार्य किया जाना सम्भव होगा, जो विगत में म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ द्वारा सम्पादित अनुबंध में आवरित नहीं था। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के उपरान्त पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा।

धन की उपलब्धता के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-महमूदाबाद-बहराइच मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन समयानुसार कराये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महमूदाबाद-बहराइच मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन समयानुसार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कितनी बसों का संचालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

लखनऊ महमूदाबाद-बहराइच मार्ग पर 02 बसों का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विद्युत वितरण खण्ड के झील की पुलिया से सब स्टेशन लालऊ तक जाने वाली 33 के0वी0ए0 हाईटेंशन लाइन को हटाने विषयक

63-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण के अन्तर्गत झील की पुलिया से सब स्टेशन लालऊ तक जाने वाली 33 के0वी0ए0 की हाईटेंशन लाइन पूरी तरह से घनी आबादी के ऊपर से गुजर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि विगत वर्षों में अनेकों बार तार टूटने/फाल्ट होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में उसायनी से लालऊ तक 33 के0वी0ए0 लाइन पूरी होने के बाद निष्प्रयोज्य होने वाली झील की पुलिया से लालऊ सब स्टेशन तक स्थित 33 के0वी0ए0 लाइन को हटाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उसायनी से लालऊ तक नई 33 के0वी0 लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त झील की पुलिया से लालऊ तक की लाइन को जनहित/सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 07-06-2018 को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद स्थित नैनी लेबर कालोनी की बिक्री के सम्बन्ध में

64-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी के श्रमिकों की लेबर कालोनी की बिक्री के लिये सरकार किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था कराने हेतु

65-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि हेल्प डेस्क पर कितने उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण हुआ, कितने कनेक्शन हुये, कितने डुप्लीकेट विद्युत बिल तथा विद्युत भार कितने बढ़ाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

दिनांक 12-04-2017 से 09-07-2018 तक हेल्प डेस्क (टाल फ्री 1912) पर प्राप्त कुल 630969 के सापेक्ष 612286 उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण हुआ। दिनांक 12-04-2017 से 09-07-2018 तक प्राप्त कुल 21590 के सापेक्ष 20584 नये कनेक्शन हेल्प डेस्क के माध्यम से हुए। दिनांक 12-04-2017 से 09-07-2018 तक प्राप्त कुल 19981 के सापेक्ष 19407 डुप्लीकेट विद्युत बिल का निस्तारण हुआ। दिनांक 12-04-2017 से

09-07-2018 तक प्राप्त कुल 1470 के सापेक्ष 1427 उपभोक्ताओं के हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्युत भार बढ़ाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को अपने खेत में मिट्टी उठाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में

66-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों को निजी घर बनाने हेतु अपने खेत से कितनी मिट्टी उठाने की सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कृषकों को निजी घर बनाने हेतु अपने खेत से मिट्टी उठाने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन व वितरण सेवाओं पर लिये जा रहे जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार बिजली के ट्रांसमिशन व वितरण की सेवाओं पर जी0एस0टी0 शून्य घोषित किये जाने और इलेक्ट्रीसिटी के ड्यूटी वसूल करने बावजूद विद्युत उपभोक्ताओं से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस प्राविधान के तहत लिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी नोटिफिकेशन सं0 12/2017-सेन्ट्रल टैक्स(रेट) के बिन्दु सं0 25 के अनुसार विद्युत पारेषण अथवा वितरण निगमों द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत पारेषण एवं वितरण आपूर्ति जी0एस0टी0 से करमुक्त है। उपभोक्ताओं को दी जा रही विद्युत पर जी0एस0टी0 नहीं लिया जा रहा है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत की गयी नोटिफिकेशन सं0 14/2018-सेन्ट्रल टैक्स(रेट), दिनांक 26-07-2018 के दिनांक 27-07-2018 से निजी नलकूपों पर जी0एस0टी0 समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य कार्य सम्बन्धित सेवाओं के संदर्भ में कर अनुसंधान इकाई वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 34/2018-जी0एस0टी0, दिनांक 01-03-2018 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार पारेषण एवं वितरण कम्पनी/निगमों द्वारा प्रदान

की जा रही अन्य कार्य संबंधित सेवायें जी0एस0टी0 के दायरे में आती हैं। अतः इन संबंधित सेवाओं पर यथा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन शुल्क, मीटरिंग उपकरण के विरुद्ध किराया, मीटर के लिए परीक्षण शुल्क, उपभोक्ता की सर्विस लाईन अथवा मीटर शिफ्ट करने हेतु लेबर शुल्क, डुप्लीकेट बिल हेतु लिये जाने वाले शुल्क पर जी0एस0टी0 वसूला जाना विधिक अनुपालन में अपरिहार्य है।

उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर पूर्व की भांति इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी वसूली जा रही है क्योंकि इस शुल्क की देयता प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में विद्युत दुर्घटना में मुआवजा देने के संबंध में दिये गये पत्र संख्या 184/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 14-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

68-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में अलग-अलग स्थानों पर विद्युत दुर्घटना में हुये मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-184/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 14-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

शिकायतकर्ता के पत्र में कुल 9 अदद विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों के संदर्भ में 8 मृत व्यक्तियों में से 06 व्यक्तियों के हितग्राही को एवं एक मृत भैंस के मालिक को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। क्रमांक 06 का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। क्रमांक 2 के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा देय नहीं है। (विवरण संलग्न)।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2018-19 में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद दर रु0 2000/- कुन्तल करने की कार्य योजना की जानकारी

69-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की भांति वर्ष 2018-19 में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद दर रु0 2000/- प्रति कुन्तल करने की सरकार की कोई योजना प्रदेश के किसानों के हित में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मध्य प्रदेश की भांति वर्ष 2018-19 में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद दर रु0 2000/- प्रति कुन्तल करने की सरकार की कोई योजना नहीं है, बल्कि भारत सरकार

द्वारा जारी समर्थन मूल्य के आधार पर शासन द्वारा जारी गेहूं क्रय नीति दिनांक 21-03-2018 के प्रस्तर संख्या 1 में निम्न व्यवस्था दी गयी थी :-

''भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपया 1735/- प्रति कुन्तल के आधार पर रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूं का क्रय किया जायेगा।''

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2017 तक कुल बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क दिये गये कनेक्शन के सम्बन्ध में

70-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिये जाने हेतु निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना लागू है ? यदि हां, तो माह मार्च, 2017 से दिनांक 25-02-2018 तक कुल कितने बी0पी0एल0 परिवारों को उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार अवशेष परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

मार्च, 2017 से दिनांक 25-02-2018 तक 11.47 लाख बी0पी0एल0 एवं गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन दिये गये।

माहवार/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष निरन्तर विद्युत संयोजन दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

समस्त इच्छुक गरीब/बी0पी0एल0 परिवारों को दिसम्बर, 2018 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में संचालित सुगम संयोजन योजना का प्रारूप जनपदवार विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

71-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुगम संयोजन योजना लागू है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने परिवार को विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा लक्ष्य के सापेक्ष कुल कितने विद्युत संयोजन दे दिये गये हैं एवं कितने दिये जाने शेष है ? क्या सरकार जनपदवार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

सुगम संयोजन योजना के मुख्य बिन्दु संलग्न है।

नये विद्युत संयोजनों हेतु प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाते हुए, संयोजनों के निर्गमन प्रक्रिया में तत्परता लाये जाने के उद्देश्य से सुगम संयोजन योजना लागू की गयी है, ताकि आवेदन प्रक्रिया एवं संयोजन निर्गमन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके और इसमें गति प्रदान की जा सके।

वास्तव में सुगम संयोजन योजना विद्युत संयोजनों के निर्गमन की एक सरलीकृत व्यवस्था है, जो नये संयोजनों को दिये जाने हेतु किसी अभियान से सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश एवं जनपद बलिया के बैरिया में तूफान व प्राकृतिक कारणों से टूटे विद्युत खम्भों को बदलवाने के सम्बन्ध में

72-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तूफान या अन्य प्राकृतिक कारणों से ध्वस्त हुये विद्युत खम्भों को बदलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बलिया जनपद के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टूटे खम्भों व लकड़ी के खम्भों को बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

दैवीय आपदा राहत कोष मद से कार्य कराया जाता है।

जी हां।

दिनांक 25-07-2018 को कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा बाबूपुर में पावर हाउस खोलने की मांग

73-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत टाउन एरिया पैतेपुर व ग्राम सभा बाबूपुर में 33/11 के0वी0 हेतु विभाग के पास उपलब्ध भूमि पर पावर हाउस खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 पैतेपुर उपकेन्द्र का निर्माण प्रगति पर है तथा माह सितम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।

ग्राम सभा बाबूपुर में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

तकनीकी दृष्टिकोण से ग्राम सभा बाबूपुर में नये उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा बाबूपुर को पृथक् 11 के0वी0 फीडर 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सरैया कादीपुर से निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है जो नवम्बर, 2018 तक पूर्ण करा दी जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर में खनोत व गर्रा से रेत के खदान को मनमाने ढंग से विक्रय किये जाने की जांच कराने विषयक

74-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में खनोत तथा गर्रा नदी की रेत बिक्री का ठेका दिनांक 01-04-2017 से 15-05-2018 तक कितनी-कितनी धनराशि में किस-किस व्यक्ति को दिया गया तथा उक्त से रेत बिक्री प्रति ट्रक तथा ट्राली कितने-कितने रुपये में नियत की गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त रेत की निर्धारित सरकारी रेट से ज्यादा रेट पर बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2017 से 15-05-2018 के मध्य खनोत नदी के तट पर कोई रेत बिक्री का अनुज्ञा-पत्र/पट्टा नहीं हुआ है। उक्त अवधि के मध्य गर्रा नदी स्थित बालू खनन क्षेत्र अजीजगंज, ककरा काकर कुण्ड, घुसगंवा खादर, धन्यौरा खादर के खनन क्षेत्रों को छः माह हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अनुज्ञा-पत्र पर उठाया गया था, जिसमें अजीजगंज तहसील सदर के 23300 घन मीटर खनन क्षेत्र को 303/- रु0 प्रति घन मीटर की दर से मैसर्स दुर्गा डब्लपर्स, गांधी कालोनी सदर बाजार, शाहजहांपुर को 70,59,900/- रु0, ककरा काकर कुण्ड, तहसील सदर के 47900 घन मीटर खनन क्षेत्र को 333/- रु0 प्रति घन मीटर की दर से 1,59,50,700/- रु0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता, नि0 मो0 बाजार मीरानपुर कटरा, तहसील तिलहर, ग्राम घुसगंवा खादर, तहसील सदर के 48000 घन मीटर बालू खनन क्षेत्र को 207/- रु0 प्रति घन मीटर की दर से श्री ओमप्रकाश गुप्ता उपरोक्त को 99,36,000/- रु0 में तथा ग्राम धन्यौरा खादर के 44000 घन मीटर बालू खनन क्षेत्र को 207/- रु0 प्रति घन मीटर की दर से 91,08,000/- रु0 में श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनरायन अग्रवाल, नि0 ग्रा0 बिरीयागंज, शाहजहांपुर को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से सर्वाधिक बोली आने पर छः माह हेतु अनुज्ञा-पत्र पर दिये गये, जिसका समय पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। उक्त के अतिरिक्त तहसील सदर के गर्रा नदी पर स्थित ग्राम शहरखास मु0 बस्ती बेगम के 7.283 हे0 बालू खनन क्षेत्र को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 07-11-2017 को 05 वर्ष मैसर्स विराट कान्स्ट्रक्शन (श्री प्रिन्स गुप्ता) तारीन बहादुरगंज, शाहजहांपुर के नाम सर्वाधिक बोली 604/- रु0 प्रति घन मीटर की दर पर स्वीकृत हुआ है। जनपद में एक ही बालू खनन पट्टा संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी अनुज्ञा-पत्र धारकों एवं पट्टाधारक के संबंध में ज्यादा रेट पर बिक्री की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश में शादियों में बचने वाले खाना गरीबों में वितरण किये जाने हेतु फूड बैंक योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में

75-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में बचने वाला खाना एकत्रित कर गरीबों में वितरण किये जाने हेतु फूड बैंक योजना प्रदेश में लागू है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी शादियों में से बचे हुये भोजन को एकत्रित कर गरीबों में वितरित किया गया ? क्या सरकार उक्त का वितरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम डाकघर नगला बीच के श्रीमती लक्ष्मी को विद्युत तारों से करन्ट लगने से गम्भीर घायल होने से जिलाधिकारी को दिये गये पत्र संख्या क-6 नं0 037520, दिनांक 24-05-2018 पर कार्यवाही किये जाने की जानकारी विषयक

76-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ग्राम डाकघर नगला बीच, तहसील टूण्डला, थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद के निवासी कैलाश चन्द्र द्वारा विद्युत पोल टेढ़े होने के कारण अपने आवास के सामने से गुजरने वाली 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन छत पर आने की शिकायत करने के बावजूद विद्युत कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी दिनांक 03-08-2017 को विद्युत तारों के करन्ट की चपेट में गम्भीर रूप से घायल होने तथा लम्बे इलाज के पश्चात् एक पूरा हाथ और पैरों की अंगुलियां कटने के पश्चात् भी विद्युत विभाग द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0 037520 दिनांक 24-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ग्राम डाकघर नगला बीच, तहसील टूण्डला, थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद में श्री कैलाश चन्द्र की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी की विद्युत से घातक दुर्घटना दिनांक 03-08-2017 को हुई थी। विद्युत से घातक दुर्घटना की शिकायत दिनांक 24-04-2018 को आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 4001478006547 के माध्यम से की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी जांच में 72 प्रतिशत विद्युत घातक दुर्घटना से शारीरिक क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की सूचना विभाग को दिनांक 05-05-2018 को प्राप्त हुई।

दिनांक 24-05-2018 को विद्युत सुरक्षा निदेशालय विभाग द्वारा जांच की गयी। तदोपरान्त दिनांक 26-05-2018 को जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया। इस प्रकार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर विभाग द्वारा उक्त प्रार्थिनी के खाते में दिनांक 05-06-2018 को रु0 3.75 लाख का नेफ्ट द्वारा स्थानान्तरण कराया गया, जो कि नेटवर्क समस्या के कारण स्थानान्तरित नहीं हो पाया, लेकिन उसके उपरान्त दिनांक 11-06-2018 को उक्त धनराशि का नेफ्ट कराया गया, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण फिर भी स्थानान्तरण नहीं हो पाया। तदोपरान्त दिनांक 20-06-2018 को नेफ्ट द्वारा उक्त धनराशि का स्थानान्तरण कराया गया, जो कि नेफ्ट संख्या 000047569883 द्वारा प्रार्थिनी के खाते में पहुंच गया।

घातक (मृत्यु) दुर्घटना पर निगम/विभाग द्वारा रु0 5,00,000.00 की क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत दुर्घटना से प्रार्थिनी में शारीरिक विकलांगता 72 प्रतिशत पायी गयी, उसी के अनुसार रु0 5.00 लाख × 72% = रु0 3.60 लाख के सापेक्ष मानवीय आधार पर प्रार्थिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी को रु0 3.75 लाख की धनराशि प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 400 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना

77-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 400 के0वी0 सब स्टेशन एवं उससे सम्बन्धित लाइनों का निर्माण कराया जाना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 400 के0वी0 सब स्टेशन एवं लाइनों का निर्माण शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा जनपद फिरोजाबाद में विद्युत पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसकी स्वीकृति पारेषण कार्य समिति तथा इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

पी0पी0पी0 पद्धति द्वारा विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु मै0 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0 को बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर (बी0पी0सी0) नियुक्त किया गया है। मै0 आर0ई0सी0 लि0 द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु निविदा भाग-एक (आर0एफ0क्यू0) आमंत्रित कर ली गयी है। अन्तिम रूप से कार्यकारी संस्था के चयन में लगभग 4 माह का समय लगना सम्भावित है, जिसके पश्चात् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के करछना में 1320 मेगावाट पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित करने विषयक

78-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के करछना में 1320 मेगावाट पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भारत सरकार की नवीन प्रतिस्पर्धा बिडिंग गाइड लाइन के अन्तर्गत की अवधि तक निविदा आमंत्रित करने की व्यवस्था कर इस पावर प्लान्ट को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद इलाहाबाद के करछना में 2 × 660 मेगावाट पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार की नवीन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग गाइडलाइन्स के अन्तर्गत स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

उक्त के क्रम में करछना परियोजना के निर्माण हेतु गठित शेल कम्पनी मे0 संगम पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड का हस्तान्तरण निजी क्षेत्र (स्वामित्व जे0पी0 ग्रुप) से वापस उ0प्र0पा0का0लि0 को हस्तान्तरित किया जाना है। कम्पनी/परियोजना हस्तान्तरण, बिडिंग प्रक्रिया परियोजना हेतु सभी विलंगमों से मुक्त आवश्यक भूमि की उपलब्धता तथा पर्यावरण क्लीयरेन्स आदि जैसे विषय विधिक संस्थाओं यथा न्यायालय, विद्युत नियामक आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार आदि के विधिक आदेशों/स्वीकृति से आच्छादित है तथा परियोजना निर्माण हेतु सभी संस्थाओं के अनुकूल आदेशों/क्लीयरेन्स प्राप्त होने के साथ विकासकर्ता के चयन के उपरान्त ही परियोजना निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन कारागार का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में

79-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन कारागार 7 वर्ष के बाद भी अपूर्ण है और कार्यदायी संस्था साई कास्ट्रक्शन, हैदराबाद बीच में कार्य छोड़कर जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारागार के अपूर्ण निर्माण हेतु आवश्यक धन आवंटित कर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया और कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से ठेकेदार मेसर्स साईनाथ स्टेट प्रा0 लि0 को अनुबंधित किया गया। अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स साईनाथ स्टेट प्रा0 लि0 द्वारा निर्माण कार्य कराने में अक्षम होने के कारण निर्माण कार्य को बन्द कर दिया गया। मेसर्स साईनाथ स्टेट प्रा0 लि0 को रु0 50339324.00 का असमायोजित अग्रिम प्रदान किये जाने के कारण उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यदायी संस्था द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है तथा उक्त प्रकरण आर्बिट्रेशन में क्रियाशील है।

उक्त कार्य की कुल स्वीकृति लागत रु0 10437.36 लाख के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रु0 9929.67 लाख शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिला कारागार, अम्बेडकरनगर के अनावासीय भवनों को पूर्ण करा दिया गया है तथा आवासीय भवनों में कुछ आवासों को छोड़कर समस्त कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कारागार को माह सितम्बर, 2018 में पूर्ण कर क्रियाशील कर दिया जायेगा एवं समस्त निर्माण कार्य फरवरी, 2019 तक पूर्ण किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में आई0पी0डी0एस0 योजना व पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत ग्रामों व शहरों में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में जानकारी

80-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0पी0डी0एस0 योजना व पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम व शहर के जर्जर विद्युत तार बदलने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के किन क्षेत्रों के विद्युत तार व जर्जर पोल वर्ष 2017-2018 में बदले गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के क्षेत्र क्रमशः :-

1-महराजगंज के पश्चिमी फीडर पर 9.505 कि0मी0।

2-बिलरियागंज के टाउन फीडर पर 13.548 कि0मी0।

जर्जर तार ए0बी0सी0 कण्डक्टर से बदले जा चुके हैं।

उक्त कार्य आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये गये हैं, जिसकी पुष्टि/समीक्षा योजना हेतु निर्धारित पी0एम0ए0 मै0 मेधज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिलाये गये विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में

81-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन लेने के लिये कितने आवेदन किये गये हैं तथा उनमें दिनांक 30-05-2018 तक कितने घरों में कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के कनेक्शनों के साथ ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराई हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में दिनांक 30-05-2018 तक 13619 अदद घरेलू बत्ती, पंखा विधा के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों का कनेक्शन निर्गत कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं था।

डी0बी0टी0 योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद को सम्मिलित करने विषयक पत्र सं0 क-6 नं0 037225 दिनांक 09-01-2018 पर कार्यवाही विषयक

82-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत डी0बी0टी0 योजना में जनपद फिरोजाबाद को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या-क-6 नं0-037225, दिनांक 09-01-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खाद्य सब्सिडी हेतु डी0बी0टी0 योजना जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा के ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद फैजाबाद के नगर निगम क्षेत्र अयोध्या, फैजाबाद में प्रायोगिक तौर पर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। डी0बी0टी0 योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अन्य जनपदों में डी0बी0टी0 योजना लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा, जिसके दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद को खाद्य सब्सिडी हेतु डी0बी0टी0 योजना में सम्मिलित करने का सम्प्रति अवसर नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मिट्टी के तेल मामले में हुई गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

83-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के खुले बाजार में मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सफेद मिट्टी के तेल की आपूर्ति करायी गयी थी ? क्या सरकार को अवगत है कि उक्त सफेद मिट्टी का तेल बाजार में पहुंचने से पहले ही गायब हो गया और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, एवं कौन-कौन दोषी पाये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। जनपद फिरोजाबाद में खुले बाजार में मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सफेट मिट्टी के तेल की आपूर्ति करायी गयी थी।

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद हेतु आपूर्तित सफेद मिट्टी का तेल जिले में निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचा और न ही इसके वितरण की पुष्टि पायी गयी। उक्त अनियमितता के लिए उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के व्यापारिक सहयोगी मै0 एस0एस0जे0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, लखनऊ एवं जिला स्तरीय डीलर मै0 सौरभ पेट्रो इण्डिया प्रा0 लि0, लखनऊ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जो विवेचनाधीन है। मै0 एस0एस0जे0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, लखनऊ का निगम के व्यापारिक सहयोगी के रूप में किया गया अनुबन्ध निरस्त करते हुए रु0 25.00 लाख की बैंक गारण्टी जब्त कर ली गयी है तथा मै0 सौरभ पेट्रो इण्डिया प्रा0 लि0 का जनपद फिरोजाबाद हेतु जिला स्तरीय डीलर के रूप में किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक महराजगंज एवं विलरियागंज में सन 2017-18 व 2018-19 में पं0 दीन दयाल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की संख्या के संबंध में

84-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक महाराजगंज एवं बिलरियागंज में वर्ष 2017-18, 2018-19, में दिनांक 30-05-2018 तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का चयन किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में 07 ग्राम एवं बिलरियागंज में 04 ग्राम को पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

जी हां।

विकास खण्ड बिलरियागंज, ग्राम बिन्दवल, जगमतपुर, जोजहापुर, मघनापुर, विकास खण्ड महराजगंज ग्राम बैदरा, बैरोली, मिटेहरा, चांदपुर, भटौरा, देवारा कदीम, मीरपुर नर्वे एवं नरोत्तमपुर सूर्यमान।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण व निकाय क्षेत्रों के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निर्धारण के लिए आबादी के मानक के सम्बन्ध में जानकारी

85-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण व निकाय क्षेत्रों के लिये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निर्धारण के लिये आबादी का मानक क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आबादी वृद्धि को देखते हुये एक ही ग्राम में दो दुकानों का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्रामीण क्षेत्र में शासनादेश संख्या 2715/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक ग्राम सभा में एक राशन की दुकान होगी और यदि ग्राम सभा में 4000 यूनिट है, तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किये जाने का मानक है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में शासनादेश संख्या 4228/29-9-03-300सा/2003, दिनांक 15-01-2004 के अनुसार प्रत्येक उचित दर दुकानदार से 4000 यूनिट/800 राशन कार्ड सम्बद्ध करते हुए उचित दर दुकान की नियुक्ति की व्यवस्था है। इस प्रकार उचित दर दुकान के निर्धारण के लिए आबादी नहीं, अपितु प्रचलित यूनिट मानक है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुमानित यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाने के संबंध में

86-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुमानित 1 लाख यात्रियों पर पांच बस चलाने का प्रावधान है जबकि भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में यह मानक 20 बसों तक है ? यदि हां तो क्या उक्त अन्तर को समाप्त करने के लिये परिवहन विभाग बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

यात्रियों की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर वर्तमान में परिवहन निगम की 5 बसें उपलब्ध हैं जबकि अन्य प्रदेशों में औसतन इससे अधिक सरकारी बसें उपलब्ध हैं।

जी हां।

वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने संसाधनों से 1250 बसों का क्रय करने की निविदा निर्गत की गयी है। इन नयी बसों के बस बेड़े में सम्मिलित होने से प्रति लाख जनसंख्या पर बसों की संख्या में वृद्धि होगी। यात्रियों की मांग तथा क्रय करने के मद में संसाधन उपलब्ध होने पर प्रति लाख जनसंख्या पर बसों की संख्या में और वृद्धि की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के किरावली तहसील के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी बस अड्डे पर पेयजल की व्यवस्था कराया जाना

87-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की किरावली तहसील के अन्तर्गत विश्व विख्यात फतेहपुर सीकरी में परिवहन विभाग के बस अड्डा पर यात्रियों (देशी-विदेशी पर्यटकों) के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यदि हां, तो क्या सरकार देशी-विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

फतेहपुर सीकरी में परिवहन विभाग के बस अड्डे पर पेयजल की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बस अड्डे पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु आर0ओ0 लगा है।

जनपद आगरा के किरावली तहसील के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् अछनेरा की सीमाओं में परिवहन विभाग की भूमि के सदुपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

88-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् अछनेरा की सीमाओं के भीतर परिवहन विभाग के पास 2500 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो उसका उपयोग किस कार्य हेतु किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, अछनेरा की सीमाओं के भीतर परिवहन विभाग के पास 1982.96 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है, जिस पर बस स्टेशन निर्मित है।

परिवहन विभाग की भूमि का परिवहन निगम के बस स्टेशन के रूप में उपयोग हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित कल्याण निगम उ0 प्र0 में संचालित शाखायें एवं बन्द डिपो और उनके कर्मियों के वेतन के सम्बन्ध में जानकारी

89-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 कल्याण निगम की कितनी शाखायें प्रदेश में संचालित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जी0एस0टी0 लगाने के बाद अधिकांश कल्याण निगम के डिपो बन्द हो गये हैं तथा उक्त निगम में तैनात कर्मियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों को वेतन देने व डिपो से सामान बिक्री पुनः करने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कुल 161 डिपोज संचालित हैं।

जी नहीं। जी0एस0टी0 लगने के पश्चात् निगम का कोई भी डिपो बन्द नहीं हुआ, परन्तु पर्याप्त लाभांश के अभाव में वेतन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 लगने के उपरान्त जून, 2018 तक कुल वेतन देयता रु0 30.58 करोड़ के सापेक्ष डिपोज कार्मिकों को रु0 10.84 करोड़ का वेतन भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि जी0एस0टी0 लगने के पूर्व भी निगम कार्मिकों को वेतन अपेक्षित लाभांश नहीं प्राप्त होने के कारण रु0 10.84 करोड़ बकाया था। कम्पनियों से सीधे विचार-विमर्श करके जी0एस0टी0 सहित माल को कम करने के उपरान्त बाजार दर से सस्ते दर पर बिक्री की जा रही है। निगम के वेतन व्ययभार को कम करने के क्रम में निगम से 42 कर्मचारियों का सेवा स्थानान्तरण उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा अन्य व्यवसायों के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो रहा है उसको अधिक बढ़ावा देकर उक्त दिशा में व्यवसाय को विस्तीर्ण/विस्तार करने के निर्देश निगम को दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के नगर पालिका, अहरौरा में बिजली बिल के रेट एवं भुगतान के सम्बन्ध में

90-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत नगर पालिका अहटौरा में विद्युत सप्लाई ग्रामीण रोस्टर के अनुसार की जा रही है किन्तु बिल का भुगतान नगरीय रेट पर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगर पालिका में विद्युत सप्लाई नगरीय रोस्टर के अनुसार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत नगर पालिका में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार 18:00 घण्टे की जा रही है। नगर पालिका होने के कारण अहरौरा नगर के उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग के आधार पर नगरीय दर से विद्युत बिल की वसूली की जा रही है।

कारपोरेशन के आदेश संख्या 2587/सीएमयू(डी)/विद्युत आपूर्ति/2018, दिनांक 27-08-2018 के अनुपालन में दिनांक 01-09-2108 से अहरौरा नगर पालिका को तहसील स्तरीय रोस्टर से 20:00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

जी हां।

दिनांक 01-09-2018 से।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0स0 क्षेत्र आलापुर जर्जर बसों के स्थान पर नई बसों एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 2352/2018 पर कार्यवाही विषयक

91-श्रीमती अनीता-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत जर्जर बसों के स्थान पर नई बसों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2352/2018 दिनांक 26-03-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

पत्र संख्या 2352/2018 प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि पत्र संख्या 2532/2018 दिनांक 26-03-2018 प्राप्त हुआ है, जो कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत जर्जर बसों के स्थान पर नई बसों का संचालन किये जाने के संबंध में है।

जनपद अम्बेडकर नगर में उ0 प्र0 परिवहन निगम का अकबरपुर डिपो स्थापित है, जिसमें कुल 62 बसें सम्बद्ध है, जिनका औसत चेसिस कि0मी0 7.95 लाख है। डिपो में कोई जर्जर बस नहीं है। जो भी बसें निगम द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण करती हैं उनका प्रतिस्थापन नई बसों से किया जाता है। 15 जुलाई, 2016 से 15 जुलाई, 2018 तक की अवधि में डिपो में कुल 19 नई बसें दी गयी हैं तथा 06 बसें नीलाम की गयी है। समय-समय पर डिपो/क्षेत्रीय कार्यशाला एवं केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में बसों की मरम्मत करायी जाती है। पूर्णतः फिट होने पर ही बसों को संचालित किया जाता है।

पत्र प्राप्ति के बाद जनता की सुविधा हेतु एक बस अकबरपुर-राजेसुल्तानपुर-लखनऊ मार्ग पर संचालित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0स0 क्षेत्र आलापुर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 2751/2018 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

92-श्रीमती अनीता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत न्यौरी में बन रहे उपकेन्द्र के निर्माण में बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या : 2751/2018 दिनांक 18-04-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत न्यौरी में कार्यदायी संस्था मेसर्स सर्याश इन्फ्राटेक लि0 को कार्य आवंटित हुआ है। उपकेन्द्र हेतु भूमि माह अगस्त, 2017 में प्राप्त हुई थी कन्ट्रोल रूम की बिल्डिंग का कार्य लगभग पूर्ण है 33 के0वी0 उपरगामी लाइन के सभी पोल खड़े किये जा चुके हैं जिसमें 40 प्रतिशत स्ट्रीगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 11 के0वी0 लाइन के सभी पोल खड़े किये जा चुके हैं। वर्षा के कारण तार के स्ट्रीगिंग एवं अन्य कार्य प्रभावित है निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है। कार्य को दिनांक 31-10-2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

रामनगर बाजार में अधिकांश आवश्यक स्थानों पर ए0बी0सी0 वायर लगा दिया गया है शेष आवश्यक स्थानों पर कार्य कराया जा रहा है, जोकि माह अगस्त, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

वर्तमान में तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे एवं ग्रामीण में 18 घण्टे आपूर्ति की जा रही है बरसात, आंधी, तूफान एवं लोकल फाल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति में कभी-कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है फिर भी कम से कम समय में फाल्ट को दूर करके विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0 स0 क्षेत्र आलापुर विद्युत व्यवस्था सुधारने एवं रामनगर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख-6/915050 दिनांक 06-10-2017 पर कार्यवाही विषयक

93-श्रीमती अनीता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत चाड़ीपुर कला एवं ऐनवा ब्लाक जहांगीरगंज तथा बिडहर एवं भगवान मझरिया ब्लाक रामनगर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6/915050 दिनांक 06-10-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत चाड़ीपुर कला एवं ऐनवा ब्लाक जहांगीरगंज तथा बिडहर, ब्लाक रामनगर में उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड टाण्डा ने निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, आलापुर को अपने कार्यालय पत्रांक 5434/वि0वि0खं0(टा0), दिनांक 06-11-2017 द्वारा अनुरोध किया गया था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 न्यौरी विद्युत उपकेन्द्र जोकि दिनांक 31-10-2018 तक पूर्ण होना लक्षित है। उसके उपरान्त भगवानपुर मंझरिया उपकेन्द्र को स्थापित करने की तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की कुल क्षमता एवं उपभोक्ताओं को स्वीकृत किलोवाट का भार विषयक

94-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेसा के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की कुल क्षमता कितने किलोवाट है तथा लेसा के कुल उपभोक्ताओं को कितने किलोवाट का भार स्वीकृत है ? क्या सरकार बतायेगी कि स्वीकृत भार और क्षमता-भार में अन्तर का क्या कारण है ? क्या सरकार लेसा के विद्युत उपभोक्ताओं को क्या सरकार विद्युत वितरण संहिता के अनुरूप विद्युत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद लखनऊ के लेसा के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र व उपभोक्ता के भार का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की सं0	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता केवीए में	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता कि0वा0 (के0वी0ए0 0.9) में	विद्युत संयोजन का भार कि0वा0 में
1	सिस गोमती	85	1505000	1354500	1462271
2	ट्रांस गोमती लेसा	50	945000	850500	1186636
लेसा, लखनऊ का कुल योग		135	2450000	2205000	2648907

डायवर्सिटी फैक्टर के अनुसार स्वीकृत भार के अनुरूप क्षमता भार है। विद्युत तंत्र से संयोजित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, कृषि का अधिकतम

विद्युत उपभोग दिन में एक ही समय पर नहीं होता है, बल्कि हर श्रेणी के उपभोक्ता का पीक लोड का समय अलग होता है। विद्युत उपभोग की इस विविधता के कारण डायवर्सिटी फैक्टर परिभाषित किया गया है। विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 में घरेलू विधा हेतु डायवर्सिटी फैक्टर 0.5 एवं घरेलू विधा के अतिरिक्त डायवर्सिटी फैक्टर 0.75 परिभाषित है। लेसा क्षेत्र का कुल स्थापित भार 2205000 कि0वा0 एवं उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार 2648907 कि0वाट है। जिसका अनुपात 0.83 है, जो मानक के अनुरूप है।

जी हां।

उपभोक्ताओं की संख्या तथा मांगी गयी डिमान्ड में वृद्धि होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में विद्युत आपूर्ति विभाग के जू0 इंजीनियर एवं अन्य इंजीनियरों के ऊपर अनुशासनहीनता पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

95-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में दिनांक 11-08-2017 को सायंकाल 03 बजे से 09 बजे रात्रि तक नगर के विद्युत आपूर्ति विद्युत विभाग के जू0 इंजीनियरों एवं अन्य इंजीनियरों द्वारा बिना किसी विशेष कारण के बन्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुशासनहीनता तथा जनता को परेशान करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बन के पश्चात् तथा उपखण्ड अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, बरेली को अन्यत्र मण्डल में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। जांचोपरान्त आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0 सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज बाजार निकट आदर्श रोडवेज स्थापित कराया जाना

96-श्रीमती अनीता-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज बाजार, राजे सुल्तानपुर बाजार तहसील परिसर के निकट आदर्श रोडवेज स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2534/2018 दिनांक 26-03-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

उक्त पत्र का उत्तर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्रांक 82/रोपी/मं0/18-04 रोपी/शा0/फैजाबाद/17, दिनांक 05-06-2018 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0 स0 आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज, रामनगर, देवरिया, पदुमपुर, राजे सुल्तानपुर प्रमुख बाजारों इन्सुलेटेड तार लगाने की जांच कराये जाने की जानकारी

97-श्रीमती अनीता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत रामनगर, जहांगीरगंज, देवरिया, पदुमपुर, राजे सुल्तानपुर आदि प्रमुख बाजारों में इन्सुलेटेड तार युक्त विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6/089356 दिनांक 30-01-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत रामनगर, बाजार एवं जहांगीरगंज बाजार में आवश्यक स्थानों पर बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ए0बी0सी0 तार लगाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। रामनगर बाजार में अधिकांश आवश्यक स्थानों पर ए0बी0सी0 वायर लगा दिया गया है शेष आवश्यक स्थानों पर कार्य कराया जा रहा है जोकि माह अगस्त, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। देवरिया, पदुमपुर एवं राजे सुल्तानपुर बाजारों में तकनीकी रूप से आवश्यक स्थानों पर इन्सुलेटेड तार लगाने का प्राक्कलन बना लिया गया है। स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0 स0 क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर के जर्जर विद्युत तार ठीक कराने के सम्बन्ध में

98-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर के बभनगावां में प्राथमिक विद्यालय के निकट विद्युत सप्लाई का तार जमीन से नजदीक लटकने से स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के साथ दुर्घटना हो रही है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत सप्लाई का तार पुनः ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर के बभनगावां में प्राथमिक विद्यालय के निकट विद्युत सप्लाई का तार जमीन से 6-7 फिट के ऊपर था, लाईन निर्जीव होने के कारण बच्चों की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यह लाईन हुद-हुद तूफान में क्षतिग्रस्त हो गयी थी, पास के वैकल्पिक लाईन से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी थी।

उक्त लाइन बन्द होने के कारण कण्डक्टर उतार दिया गया है।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के सरजू नहर पुल के निकट 33000 वोल्ट सप्लाई के पोल सीधा कराया जाना

99-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के विद्युत उपकेन्द्र बघौड़ी स्थित देईपार सरजू नहर पुल के निकट 33000 (तैतीस हजार) वोल्ट सप्लाई के लिये लगा पोल तिरछा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटना के दृष्टिगत उक्त पोल को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 19-8-2018 को पोल सीधा करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के राघौपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

100-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के राघौपुर में विद्युत समस्या के निदान हेतु राघौपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सण्डीला, जनपद हरदोई के निकट मल्लावां में 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना अध्ययन अधीन है। भूमि चयन व समस्त अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त उपकेन्द्र का निर्माण जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर जून, 2020 तक पूर्ण होना सम्भावित है। इस उपकेन्द्र का निर्माण हो जाने से राघौपुर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में 10 मोबाइल ट्रांसफार्मर एवं वर्कशाप की मांग पर कार्यवाही विषयक

101-श्रीमती साधना सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र 380 मुगलसराय (दीन दयाल नगर) में 10 मोबाइल ट्रान्सफार्मर व वर्कशाप की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र 380 मुगलसराय (दीन दयाल नगर) में परिवर्तक जलने पर 24 घण्टे के अन्दर बदल दिया जाता है। मुगलसराय (दीन दयाल नगर) से 8.00 किमी दूरी पर वृहद कार्यशाला कार्यरत है। जहां पर प्रत्येक क्षमता के परिवर्तक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। विधान सभा क्षेत्र 380 मुगलसराय (दीन दयाल नगर) में मोबाइल ट्रान्सफार्मर एवं वर्कशाप की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बस्ती में 50 हजार एम0टी0 के क्षमता का विपणन गोदाम निर्माण कराये जाने विषयक पत्र दिनांक 16-05-2018 पत्र सं0 क-6 नं0 180150 पर कार्यवाही विषयक

102-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 50 हजार एम0टी0 के क्षमता का विपणन गोदाम निर्माण कराये जाने विषयक पत्र सं0 क-6 नं0 180150 दिनांक 16-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद बस्ती में स्टोरेज गैप के आंकलन के उपरान्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50 हजार मी0 टन क्षमता के स्टील साइलो गोदाम के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। वर्तमान में खाद्य विभाग में नये गोदाम बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम रायपुर के दक्षिण दिशा से 11000 के0वी0 बिजली की लाइन को टाइट कराने की कार्यवाही विषयक

103-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ग्राम रायपुर, पोस्ट सरई गुदौली, मोहनलालगंज के दक्षिण दिशा से 11 हजार के0वी0 की बिजली लाइन का तार श्री भाईलाल तथा अन्य किसानों के खेत में काफी नीचे आ गया है को टाइट करने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 01-05-2018 को एस0डी0ओ0 गोसाईगंज तथा दिनांक 30-05-2018 को अधिशासी

अभियन्ता, मोहनलालगंज को रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

लखनऊ के ग्राम रायपुर, पोस्ट सरई गुदौली, मोहनलालगंज के दक्षिण दिशा में 11 हजार के0वी0 की बिजली लाइन का तार श्री भाईलाल तथा अन्य किसानों के खेत में काफी नीचे आ गया था, जिसका दिनांक 03-08-2018 को उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। खेत में लगे पोल के क्रास आर्म को ऊंचा कर तारों को टाइट करा दिया गया है। उक्त कार्य पर शिकायताकर्ता श्री भाई लाल ने अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के वि0स0 क्षे0 मोहनलालगंज के किसानों में ट्यूबवेल कनेक्शन में बिल मोटर हार्सपावर के हिसाब से बदलकर मीटर रीडिंग के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में

104-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के किसानों से पूर्व में ट्यूबवेल कनेक्शन में मोटर हार्सपावर के हिसाब से बिल फिक्स करने के स्थान पर अब मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल बनाये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों के हित में पूर्व व्यवस्था को मोहनलालगंज में भी बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

यह व्यवस्था उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू है जहां शहरी शिड्यूल पर मीटर्ड विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा यह उ0 प्र0 नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 30-11-2017 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अधिसूचना संख्या 393/ एच0सी0/टैरिफ/2017, दिनांक 27-12-2017 द्वारा लागू टैरिफ के एल0एम0वी0-5 रेट शिड्यूल में उल्लिखित है। किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन का बिल क्षेत्र में शहरी शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति होने के कारण उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत टैरिफ के प्राविधान के अनुसार बिलिंग की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मीटर आधारित बिलिंग में उपभोक्ता वास्तविक उपभोग का ही व्ययभार वहन करता है।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत कस्बा बेहट में फूल कालोनी व इन्द्रा कालोनी के विद्युतीकरण किये जाने की मांग

105-श्री नरेश सैनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कस्बा बेहट में फूल कालोनी व इन्द्रा कालोनी का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कालोनियों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कस्बा बेहट में फूल कालोनी में विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसे अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कस्बा बेहट में इन्द्रा कालोनी एक अवैध कालोनी है, जो पी0डब्लू0डी0 की जमीन पर बसी है। विद्युत विभाग ने इन्द्रा कालोनी में विद्यतीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0 स0 क्षे तिदवी के विकास खण्ड तिंदवारी के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों के बदलने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक क-6 नं0 097164 दिनांक 14-12-2017 पर कार्यवाही किये जाने विषयक

106-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-6, नं0-097164 दिनांक 14-12-2017 जो कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत विकास खण्ड तिन्दवारी जसपुरा व बड़ोखर खुर्द क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में जर्जर विद्युत पोल व तार बदलने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

स्थानीय स्तर से मा0 विधायक जी से पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

तथापि मा0 विधायक जी से स्थानीय स्तर पर वार्ता के अनुसार जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा व बडोखर खुर्द के अन्तर्गत गांवों में जर्जर विद्युत पोल व तार बदलने का कार्य प्रारम्भ होने की प्रक्रिया में है, कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 31-12-2018 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन में बिजली की आपूर्ति किये जाने के संबंध में

107-श्री राजकुमार अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में ब्लाक भरावन में कितने ग्रामों में तार खम्भे लगे हैं, किन्तु विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है ? क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं एवं 12वीं योजना) के अन्तर्गत भरावन क्षेत्र में कुल 233 मजरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खींचने का कार्य किया जाना था, जो पूर्ण हो चुका है।

ब्लाक, ग्राम तथा कुल 233 मजरों (70,163) के नाम सहित सूची संलग्न है। विद्युत आपूर्ति चालू है।

जी हां।

कार्य पूर्ण।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के वि0स0 शिकोहाबाद में बिजली स्टेशनों पर पुरानी मशीनों व लाइन बदलने विषयक पत्र खण्ड-6 नं0 086015, दिनांक 04-05-2017 पर कार्यवाही हेतु किया जाना

108-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में बने बिजली स्टेशनों की पुरानी जर्जर मशीनों व लाइन बदलने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक खण्ड-6 नं0 086015 दिनांक 04-05-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में बने 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के माधौगंज फीडर का इनकमिंग, आउटगोइंग एवं पैनल बदलने हेतु प्राक्कलन बनाकर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद के कार्यालय पत्र संख्या 1062, दिनांक 14-06-2018 द्वारा द0वि0वि0नि0लि0, भण्डार अनुभाग को प्रेषित किया जा चुका है। फीडर का इनकमिंग ब्रेकर, आउटगोइंग ब्रेकर एवं पैनल दिनांक 30-09-2018 तक बदल दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगला चूरा, मटसैनी, लौहारी के फीडरों की जर्जर मशीनों को बदलने की कार्रवाई के संबंध में

109-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगला चूरा, मटसैना, लौहारी के फीडरों की जर्जर (खराब) मशीनों को बदल दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा चूरा पर वर्तमान में 01 नं0 इनकमिंग तथा 03 नं0 आउटगोइंग नई 11 के0वी0 वी0सी0बी0 स्थापित कर दी गई है। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मटसैना पर वर्तमान में 01 नं0 इनकमिंग तथा 02 नं0 आउटगोइंग नई 11 के0वी0 वी0सी0बी0 स्थापित कर दी गई है। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र लौहारी पर 01 नं0 इनकमिंग तथा 01 नं0 आउटगोइंग नई 11 के0वी0 वी0सी0बी0 स्थापित करा दी गई है तथा शेष 01 नं0 11 के0वी0 वी0सी0बी0 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र शिकोहाबाद में हाइटेंशन तार को घर से ऊपर हटाने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

110-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत कितने ग्राम हैं जिसमें विद्युत हाइटेंशन लाइन घर के ऊपर से जा रही है ? क्या सरकार हाईटेंशन तार को घर के ऊपर से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत कुल 209 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें हाईटेंशन लाईन पूर्व में बनी हुई है। कुछ लोगों द्वारा लाईन निर्माण के बाद विभिन्न स्थानों पर लाईन के नीचे मकान/घरों का निर्माण कर लिया गया है।

विभागीय/निगम के नियमानुसार लाईन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा होने के उपरान्त एवं उचित स्थान मिलने पर लाईन को शिफ्ट करा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्रय केन्द्रों पर प्रयाप्त बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

111-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सरकार द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरे के अभाव में क्रय कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरों की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती सम्भाग, बस्ती की आख्या दिनांक 18-07-2018 के अनुसार बस्ती सम्भाग के जनपद बस्ती में गेहूं खरीद वर्ष 2018-19 में गेहूं खरीद हेतु बोरों की पर्याप्त उपलब्धता रही है। किसी भी केन्द्र पर बोरे के अभाव में खरीद बाधित नहीं हुई है। सभी क्रय एजेन्सियों को क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 140 प्रतिशत तक बोरों की आपूर्ति खाद्य विभाग द्वारा की गई थी। जनपद को निर्धारित क्रय लक्ष्य 61700 मी0टन के सापेक्ष 82625 मी0टन गेहूं खरीद की गई है जो क्रय लक्ष्य का 134 प्रतिशत है। जनपद बस्ती में सभी एजेन्सियों द्वारा गेहूं का कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान भी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ग्राम बसेड़ा में अवैध खनन पट्टे की अनियमितताओं की जांच कराया जाना

112-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम बसेड़ा में होने वाले खनन में ठेकेदार द्वारा प्रदत्त पट्टे की मूल भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर खनन कर अनियमितता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में ग्राम बसेड़ा में खनन पट्टाधारक द्वारा प्रदत्त तहसील कैराना के गाटा संख्या 125म, 126म क्षे0 4.002 हे0 आवंटित पट्टे की मूल भूमि पर ही खनन कार्य पूर्व सीमांकन के अनुसार ही किया जा रहा था। दिनांक 01-07-2018 से वर्षाकाल (मानसून) प्रारम्भ होने के कारण स्थल पर कार्य बन्द है।

जनपद फिरोजाबाद के वि0स0 शिकोहाबाद के शिकोहाबाद नगर में बिजली के खम्भे लगाने हेतु

113-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के शिकोहाबाद नगर में अभी तक बिजली के खम्भे नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो

विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में कब तक बिजली के खम्भे लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत शिकोहाबाद नगर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण है, नगर की गलियां काफी संकरी है एवं मकानों के छज्जे भी गलियों में निकले हुए हैं। गलियां काफी संकरी होने के कारण विद्युत पोल लगाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

गलियों के नुक्कड़ पर पोल लगे हैं एवं वहां से केबिल डालकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद के वि0स0 शिकोहाबाद में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

114-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का फीडरवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के शिकोहाबाद नगर में लगभग 20:00 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 17:30 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

फीडर विद्युत आपूर्ति का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली चोरी के छापों में अनियमिततायें एवं विजिलेंस टीमों की कार्य प्रणाली की जांच की जानकारी

115-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग के विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरी के छापों में अनियमितताएं एवं विजिलेंस टीम द्वारा लगाये गये अत्यधिक जुर्माने के विरुद्ध अपीलेट अथॉरिटी कौन हैं तथा विजिलेंस टीम के द्वारा जारी नोटिस से असंतुष्ट उपभोक्ता उसकी शिकायत किस स्तर पर कर सकता है जिससे कि विजिलेंस टीमों के द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोका जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उपभोक्ता परिसर में विद्युत चोरी एवं अनियमिततायें पाये जाने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को राजस्व निर्धारण बिल प्रेषित करते हुए आक्षेप आमंत्रित करने हेतु 15 कार्य दिवस का समय देते हुए नोटिस दिया जाता है। यदि उपभोक्ता, निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी

† छापी नहीं गई।

किये गये राजस्व निर्धारण बिल से सहमत नहीं है तो उपभोक्ता निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत संहिता, 2005 के खण्ड 8.1 (ख) में निहित प्राविधानानुसार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2006-XXIV/P-3-27P98 T.C. Luvknow, दिनांक 27-06-2006 (यथा संलग्न) में उल्लिखित आदेशों के अनुसार राजस्व निर्धारण के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, निर्धारण अधिकारी एवं उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से किये गये राजस्व निर्धारण के विरुद्ध उपभोक्ता को, उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 174/2006-24पी-3-27पी/98टी0सी0, दिनांक 14-07-2006 (यथा संलग्न) में निहित प्राविधानानुसार, सम्बन्धित मण्डलायुक्त या इस प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अपर आयुक्त के समक्ष अपील करने का अधिकार होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के पूर्व सांसद श्री रमाशंकर राजभर द्वारा दिनांक 10-01-2018 को दिये गये प्रश्न एवं श्री राहुल पासवान के भुगतान कराये जाने विषयक

116-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर राजभर (पूर्व सांसद) रामलीला मैदान देवरिया का पत्र दिनांक 10-01-2018 जो स्व0 हरीप्रसाद लाइनमैन के देयकों को उनके पुत्र श्री राहुल पासवान देवरिया को भुगतान किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी मा0 पूर्व सांसद के पत्र के साथ आवेदक श्री राहुल पासवान के पत्र के संदर्भ में परिषदीय/कारपोरेशन आदेश दिनांक 26-12-1984 के अनुसार श्री हरि प्रसाद के पुत्र श्री राहुल कुमार पासवान को सक्षम दीवानी अदालत/न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, देवरिया द्वारा दिनांक 09-05-2017 एवं 11-07-20178 द्वारा निर्देशित किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में पंडित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजरों को विद्युतीकरण कराने विषयक

117-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों/मजरों को विद्युतीकृत किया गया है एवं कितने

अवशेष हैं ? क्या सरकार अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों को भी विद्युतीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कुल 195 ग्राम/मजरें चयनित थे। जिनमें 65 ग्रामों/मजरों में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 130 ग्रामों/मजरों में कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

माह दिसम्बर, 2018 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को खाद्यान्न उपलबध कराने हेतु कार्रवाई किया जाना

118-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था पात्रता के चयन में की गई धांधली के कारण पात्र योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अन्त्दयोदय योजना में प्रति कार्ड 20 किग्रा0 गेहूं एवं 15 किग्रा0 चावल धनराशि रु0 85/- में तथा पात्र गृहस्थी योजना में प्रति यूनिट पर 03 किग्रा0 गेहूं एवं 02 किग्रा0 चावल क्रमशः रु0 2/- एवं रु0 3/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरित कराया जा रहा है। इसी प्रकार अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति कार्ड 3.5 लीटर एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति कार्ड 02 लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों का विस्तृत सत्यापन शासनादेश संख्या 7/2017/631/29-6-2017-104सा/09टीसी-10, दिनांक 27-04-2017 के अनुपालन में कराया गया। इस हेतु विकास खण्डवार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल के माध्यम से सत्यापन कराया गया। जनपद में अन्त्योदय योजना के 89067 एवं पात्र गृहस्थी योजना में 295842 राशन कार्ड प्रचलित हैं। पुनर्सत्यापन के अन्तर्गत 20790 राशन कार्ड अपात्र हटाये गये तथा 5410 राशन कार्ड पात्र जोड़े गये। इसी क्रम में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण योजना ''गरीब को अन्न'' में दिनांक 01-08-2018 से 15-08-2018 तक रोस्टर निर्धारित करते हुए छूटे हुए गरीब व्यक्तियों के फार्म संकलित कर फीड कराने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या 5/18/149/38-10-18-9/18, दिनांक 12-07-2018 द्वारा दिये

गये निर्देशों के अनुपालन में लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 24-07-2018 से 05-08-2018 के मध्य रोस्टर के अनुसार समस्त ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य कराया गया। सर्वेक्षण में वंचित पात्र लोगों को सम्मिलित करते हुए लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद बरेली के नगर पंचायत, फतेहगंज में मानक अनुरूप विद्युत आपूर्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

119-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में माह जून, 2018 में विद्युत वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति मानक के अनुरूप दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी वोल्टेज एवं आपूर्ति दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बरेली की नगर पंचायत, फतेहगंज पूर्वी में माह जून, 2018 में एच0टी0 पर 11 के0वी0 एवं एल0टी0 पर 440 वोल्टेज आपूर्ति दी जा रही है तथा औसतन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। लाईन पुरानी जर्जर होने के कारण तार का टूटना जर्जर लाइन पर नये तार डालने का कार्य दिनांक 15-10-2018 तक करा दिया जायेगा। 33 के0वी0 लाईन के अतिभारित होने के कारण 33 के0वी0 लाईन की अतिभारित, शिवपुरी क्षेत्र में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, पढ़ेरा का निर्माण कर भार वितरित कर दूर की जा रही है। यह कार्य 31-12-2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। आंधी-तूफान की वजह से सप्लाई बाधित होती है। आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों हेतु दैवीय आपदा में प्राक्कलन तैयार कर मरम्मत का कार्य दिनांक 31-10-2018 तक करा दिया जायेगा। पुराने पैनल में फ्लैश ओवर होने के कारण 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, फतेहगंज (पूर्वी) के 11 के0वी0 के इनकमिंग/आउटगोइंग स्विच गियर को बदलने का बिजनेस प्लान, 2018-19 में प्राक्कलन/पैकेज तैयार कर लिया गया है, कार्य दिनांक 30-11-2018 तक करा दिया जायेगा। पोषक की लम्बाई अधिक होने से फाल्ट अटेन्ड करने में समय अधिक लगता ह। शिवपुरी क्षेत्र में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कर इससे निर्गत 11 के0वी0 पोषकों पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र फतेहगंज (पूर्वी) के लम्बे 11 के0वी0 पोषकों का भार वितरित कर पोषकों की लम्बाई दूर की जा रही है। यह कार्य दिनांक 31-12-2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण होने पर नगर पंचायत, फतेहगंज (पूर्वी) एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र फतेहगंज (पूर्वी) से संबंधित उपभोक्ताओं को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति देना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सब स्टेशन के रूदामऊ, माधौगंज के कतिपय जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

120-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सब स्टेशन रुदामऊ माधौगंज से रूलर फीडर की लाइन जो ग्राम रुकनापुर, सेलापुर, पिपरवां आदि गांवों को जाती

है, लगभग 55 वर्ष पुरानी लाइन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर तार को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद हरदोई के रुदामऊ माधौगंज में रूलर फीडर की लाइन जो ग्राम रुकनापुर, सेलापुर, पिपरवां आदि ग्रामों की 11 के0वी0 विद्युत लाइन लगभग 55 वर्ष पुरानी है तथा 9.5 कि0मी0 जर्जर है।

बिजनेस प्लान वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। प्राक्कलन की लागत लगभग रु0 11.50 लाख है।

प्राक्कलन स्वीकृत होने एवं वित्तीय लिंकेज प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह कार्य मार्च, 2019 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदाई के बालू खनन क्षेत्र कटरी परसोला समाप्त किये जाने विषयक

121-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बालू खनन क्षेत्र कटरी परसोला में लगातार बालू खनन के कारण गंगा नदी में भीषण बाढ़ आती है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2010 में खनन के कारण गंगा नदी का एक सिरा पूरी तरह से कट गया था, जिससे एक दर्जन गांव भीषण बाढ़ में बह गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार बालू खनन क्षेत्र कटरी परसोला से खनन समाप्त करगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में वर्ष 2010 में आयी भीषण बाढ़ से गंगा नदी के कटान से ग्राम मटरूपुरवा, गन्नीपुरवा, घासीरामपुरवा, मजरा कटरी परसोला के आंशिक भाग कट गये थे। उक्त कटान खनन के कारण नहीं हुआ था बल्कि नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के वि0 स0 स0 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को दिये गये पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की जानकारी

122-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवेन्द्र निम, माननीय सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06 जून, 2018 का पत्र संलग्नकों सहित जो कि ग्राम कसारी, परगना मवई,

तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद के कोटेदार के विरुद्ध था, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम सभा कसारी के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, रूदौली के स्तर से सयुंक्त टीम गठित करके की गयी। शासनादेश संख्या 2441/29-6-2014-300सा/03टीसी, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के प्रस्तर 04 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार कसारी के उचित दर विक्रेता के खाद्यान्न वितरण रजिस्टर प्राप्त किये गये। विक्रेता की दुकान पर कुल सम्बद्ध 704 राशन कार्डों में से जांच टीम द्वारा मौके पर उपस्थित मिले 191 कार्डधारकों के बयान लिये गये एवं उनके राशनकार्ड ड्राफ्ट प्रारूप देखे गये तथा बिक्री रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान उनके राशनकार्ड के ड्राफ्ट प्रारूप से की गयी। जांच आख्या के अनुसार बिक्री रजिस्टर और राशनकार्ड ड्राफ्ट प्रारूप से मिलान व कार्डधारकों के बयान से खाद्यान्न वितरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। जांच टीम द्वारा विक्रेता की दुकान की चौहद्दी पर भी जाकर जांच किये जाने पर दुकान पर ''साईन बोर्ड'' का प्रदर्शन उचित जगह नहीं पाया गया तथा ''स्टाक व रेट बोर्ड'' पर प्रविष्टियां अद्यतन नहीं पायी गयी। इस लापरवाही पर उप जिलाधिकारी, रूदौली द्वारा अपने कार्यालय आदेश पत्रांक 174/उ0जि0अ0/आपूर्ति/प्रवर्तन/2018, दिनांक 30 जुलाई, 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही करते हुए विक्रेता की जमा प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रु0 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) शासन के पक्ष में जब्त करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में डग्गामार बसों पर कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में

123-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितनी डग्गामार बसें चल रही हैं ? वर्ष 2017-18 व जून, 2018 तक कितनी बसों को आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 गोण्डा द्वारा सीज किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

वर्तमान में जनपद गोण्डा में कोई डग्गामार बस संचालित नहीं हो रही है।

वर्ष 2017-18 में 10 तथा माह जून, 2018 तक 8 डग्गामार बसों को आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0, गोण्डा द्वारा सीज किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण का काम करा रही कम्पनी तनु अग्रवाल आई0एल0एफ0एस0 व चन्देल कन्सट्रक्सन द्वारा घटिया पोल सप्लाई के जांच कराने के संबंध में

124-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में तनु अग्रवाल आई0एल0एफ0एस0 व चन्देल कन्सट्रक्सन द्वारा लगाये गये घटिया पोल एक ही आंधी में टूट गये हैं एवं अन्य कार्य भी मानक के अनुरूप तथा समय से कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मेसर्स तनु अग्रवाल चन्देल कान्सट्रक्सन एवं आई0एल0एफ0एस0 द्वारा कराये गये विद्युतीकरण कार्यों को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, मनकापुर ने अपने पत्र दिनांक 20-08-2018 द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं पी0एम0ए0 की गठित जांच समिति द्वारा विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर तथा विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम ओराडीह एवं विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम तिलहरवा खजुरी की जांच करायी गयी, जिसमें पोल मानकानुरूप पाये गये, जबकि सकदरपुर में 03, ओराडीह में 02 तथा तिलहरवा खजुरी में 04 पोल विगत समय में आंधी-तूफान से टूटे पाये गये थे जिन्हें उसी समय बदलवा दिया गया था। विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ में विलम्ब से शुरू हुआ था जिसे गति प्रदान कर पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में शुक्लगंज में स्थित श्री प्रकाश ज्वाला देवी बालिका विद्यालय वाली गली में विद्युत पोलों के मरम्मत कराने विषयक

125-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के शुक्लागंज स्थित श्री प्रकाश ज्वाला देवी बालिका विद्यालय वाली गली में विद्युत पोलों पर लगे तार अत्यन्त ढीले एवं जर्जर होने से आये दिन तार टूटकर गली में गिर जाते हैं जिससे आने जाने वाले लोगों में भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तारों के स्थान में बंच केबल डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद उन्नाव के शुक्लागंज स्थित श्री प्रकाश ज्वाला देवी बालिका विद्यालय वाली गली में जर्जर एवं ढीले तारों को आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 30-09-2018 तक बदल दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी स्थित विद्युत परियोजना के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी स्थित पारीक्षा विद्युत परियोजना के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को वर्तमान में 55000 से 60000 वेतन दिया जा रहा है जबकि प्रदेश की अन्य विद्युत परियोजनाओं में प्राइमरी शिक्षकों को रुपया 85000 वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की अन्य विद्युत परियोजनाओं के प्राइमरी शिक्षकों की भांति झांसी स्थित पारीक्षा विद्युत परियोजना के प्राइमरी शिक्षकों को भी समान वेतनमान एवं गत वर्षों का एरियर देने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादन निगम लि0 में सहायक अध्यापक (प्राइमरी) की भर्ती परियोजना स्तर पर की गयी थी। इसी क्रम में जनपद झांसी में पारीछा ताप विद्युत गृह पर स्थित विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक (प्राइमरी) की नियुक्ति भी पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के दौरान परियोजना के स्तर पर रुपये 1100-1575 के वेतनमान में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष की गयी थी तथा वर्तमान में ये अध्यापक इसी के अनुरूप वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। अतः इस संबंध में वेतनमान तथा एरियर दिये जाने का कोई आधार नहीं है।

जनपद बस्ती के रोडवेज परिसरों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

127-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रोडवेज परिसर में सफाई कर्मचारी न होने की वजह से जगह-जगह कूड़ा फैला रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती के रोडवेज परिसर में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जनपद बस्ती के रोडवेज परिसर की सफाई का कार्य मासिक दर पर आधारित ठेके के माध्यम से नियमित रूप से कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन किया जाता है।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-09-2010 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0 स0 क्षेत्र रूधौली में अधूरे विद्युतीकरण को तय समयावधि में पूर्ण किये जाने विषयक

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/पं0 दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्यदायी संस्था एन0सी0सी0 द्वारा कराया जाने वाला विद्युतीकरण का कार्य जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में समयावधि होने के बाद भी अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

कार्यदायी संस्था मे0 एन0सी0सी0 द्वारा विधान सभा रूधौली क्षेत्र (बस्ती) के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 145 ग्रामों के 76 मजरे विद्युतीकरण हेतु चयनित थे जिसमें से 57 ग्रामों के 66 मजरों में विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा 43 ग्रामों के 50 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जोकि माह अगस्त, 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

विधान सभा रूधौली के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित अवशेष 45 ग्रामों के 60 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के माध्यम से दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है जिसके सर्वे का कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

43 ग्राम के 50 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य माह अगस्त, 2018 तक एवं अवशेष 25 ग्राम के 60 मजरों का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नबीनगर, बालाजी एन्क्लेव में 10 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की स्थापना विषयक

129-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) को सम्बोधित नबी नगर, बालाजी एन्क्लेव, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 20-06-2018 जो कि 10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर बदलकर उच्च क्षमता वाला टांसफार्मर एवं बंच केबल लगवाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

नबी नगर, बालाजी एन्क्लेव, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ के निवासियों द्वारा प्रेषित पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् इस खण्ड कार्यालय द्वारा बिजनेस प्लान, 2018-19 के अन्तर्गत 10 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक एवं बन्च केबिल जिसकी प्राक्कलन/पैकेज धनराशि रु0 3.02 (लाख में) है, की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है जिसका कार्य दिनांक 15-09-2018 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के करछना वि0 स0 क्षेत्र के इसौटा ग्राम सभा में उच्च क्षमता वाले टांसफार्मर की स्थापना विषयक

130-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम पंचायत इसौटा में कम क्षमता का टांसफार्मर होने के कारण अक्सर जल जाता है जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मर के क्षमता को 25 के0वी0ए0 से बढ़ाकर 63 के0वी0ए0 करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम पंचायत इसौटा में 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित है जिसमें एक उपभोक्ता का एल0एम0वी0-1 के अन्तर्गत 2 किलोवाट एवं दूसरे उपभोक्ता का एल0एम0वी0-5 के अन्तर्गत 7.5 एच0पी0 का भार है।

अतः परिवर्तक अतिभारित नहीं है, पूर्व में वर्षा के कारण परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

जनपद लखनऊ के हैदरगंज-2, नरपतखेड़ा के गायत्री विहार कालोनी में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने विषयक

131-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज-2, नरपतखेड़ा की गायत्री विहार कालोनी में लगा ट्रान्सफार्मर कम क्षमता (63 के0वी0ए0) का होने के कारण लो वोल्टेज एवं वोल्टेज फ्लैक्चुयेशन की समस्या बनी रहती है जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम क्षमता वाले

ट्रान्सफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता वाला ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

गायत्री विहार कालोनी नरपतखेड़ा वार्ड हैदरगंज-2, थाना पारा, लखनऊ के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सरोसा-भरोसा से पोषित ग्राम गायत्री विहार, पारा में स्थापित परिवर्तक की क्षमता वृद्धि 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 का कार्य बिजनेस प्लान 2018-19 के अन्तर्गत स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है तथा माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

माह सितम्बर, 2018 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में परमिटेड मार्ग से भिन्न मार्गों पर टैम्पों के अवैध संचालन के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

132-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नागरिकों को आवागमन की सुविधा हेतु निर्धारित विभिन्न रूटों पर टैम्पों चालकों की निश्चित अवधि के परमिट जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि निर्धारित रूटों पर न चलकर पुलिस एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली-भगत से अन्य रूटों पर टैम्पों का परिचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैध टैम्पों को सीज कर उनका परमिट निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

यदि कोई टेम्पो अपने निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग पर संचालित पायी जाती है, तो उस पर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अवैध संचालन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017 से मार्च, 2018 तक कुल 14522 वाहनों का चालान किया गया, 3359 वाहनों को थानों में निरुद्ध किया गया एवं रु0 420.73 लाख प्रशमन शुल्क जमा कराया गया। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत परमिट निरस्त किये गये तथा 215 परमिट निलम्बित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में टेम्पों चालकों द्वारा टैम्पों में सवारियों की संख्या, रूट नम्बर आदि की सूची प्रदर्शित न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

133-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत निर्धारित विभिन्न रूटों पर आवश्यक शर्तों के अधीन टैम्पों परिचालन हेतु परमिट

जारी किये गये हैं ? जिनमें टैम्पों में सवारियों की संख्या, रूट नम्बर एवं किराया सूची प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश टैम्पों चालकों द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे टैम्पों चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

जी हां।

परमिट शर्तों के विरुद्ध वाहन संचालित पाये जाने पर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

परमिट शर्तों के विरुद्ध वाहन संचालित पाये जाने पर वित्तीय वर्ष 2017 से मार्च, 2018 तक प्रवर्तन कार्यवाही के फलस्वरूप 14522 वाहनों का चालान किया गया, 3359 वाहनों को थानों में निरुद्ध किया गया एवं रु0 420.73 लाख प्रशमन शुल्क जमा कराया गया। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत 165 परिमिट निरस्त तथा 215 परमिट निलम्बित किये गये।

उक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सुचारु विद्युत सप्लाई कराने विषयक

134-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत दशनवल में लगे बिजली के खम्भे से ग्राम सभा बलईपुर, दशनवल, खण्डौरा, कन्हईपुर, हमीरपुर आदि गांवों को बिजली की आपूर्ति हेतु लाइन जोड़ी जाने से फाल्ट होने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कोई ठोस, स्थाई समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार लघु स्तर के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य कराते हुए क्षेत्रों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के एआरटीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में

135-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय जनपद शामली में आम जनों से लाइसेंस नवीनीकरण व नये लाइसेंस बनवाने हेतु आवेदक से फोटो तस्दीक

करने हेतु प्रति आवेदक सौ रुपये की धनराशि की मांग किये जाने की शिकायत सरकार के संज्ञान में वसूली जाने वाली अवैध राशि पर अंकुश लगाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध वसूली को रोकने के लिये सरकार कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

प्रकरण की जांच सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा किये जाने पर शिकायत निराधार पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के संबंध में

136-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे, तहसील स्तरीय ग्रामों में 18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की घोषणा के विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 10 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में भी मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति घोषणा के अनुरूप करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

माह जुलाई/अगस्त, 2018 में भारी वर्षा/हवा के कारण क्षेत्र में अत्यधिक फाल्ट के कारण जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 15:36 घण्टे तथा तहसील स्तर पर औसतन 19:30 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र अर्थात् जिला मुख्यालय पर 21:40 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति निर्धारित शिड्यूल के अनुसार की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति मोरंग व बालू के मूल्यों में कमी के संबंध में

137-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सापेक्ष अन्य प्रदेशों में मौरंग के मूल्यों में अन्तर होने के कारण अधिकांश व्यापारी बाहर के प्रदेशों में मौरंग की उठान कर रहे हैं जिससे राजस्व की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व क्षति बचाने के लिये मौरंग के मूल्यों में कमी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्थान सरकार की भांति रिहा कैदियों के रोजगार दिये जाने की मांग

138-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर क्या प्रदेश सरकार जेल से रिहा कैदियों को जरायम पेशा से रोकने के लिये सोसाइटी बना कर रोजगार दिये जाने की नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कारागार से रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास का कार्य निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के वि0 स0 क्षेत्र जमनिया के सब स्टेशन को चालू कराने एवं रिक्त अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में

139-श्रीमती सुनीता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां के ब्लाक भदौरा में निर्माणाधीन 220 के0वी0ए0 के सब स्टेशन कब तक पूर्ण होकर चालू करा दिया जायेगा ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में रिक्त अवर अभियन्ताओं के पदों पर तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा उपकेन्द्र 132 के0वी0 विभव पर दिनांक 12-04-2018 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। 220 के0वी0 की पोषक लाइन के निर्माण में 3 लोकेशन पर आर0ओ0डब्ल्यू की समस्या के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है, जिसके उपरान्त लाइन का निर्माण पूर्ण कराकर उपकेन्द्र को 220 के0वी0 विभव पर ऊर्जीकृत कराया जा सकेगा।

हां।

जमानियां क्षेत्र में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के कुल 02 उपकेन्द्रों में से 132 के0वी0 उपकेन्द्र, जमानियां पर एक स्वीकृत पद के विरुद्ध एक अवर अभियन्ता की तैनाती है। 220 के0वी0 भदौरा उपकेन्द्र अभी 220 के0वी0 विभव पर ऊर्जीकृत नहीं हुआ है। उपकेन्द्र के पूर्ण ऊर्जीकरण के उपरान्त आवश्यकतानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0 स0 क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा खोजापुर आदि ग्रामों में विद्युतीकरण कराने विषयक

140-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा खोजापुर तिलकाताली, भवानापुर के सिंघल दीप मजरा, ग्राम सभा चंदूपुर

व महुली में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्राम सभाओं/मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा खोजापुर तिलकाताली, भवानापुर के सिंघल दीप मजरा, ग्राम सभा चंदूपुर व महुली में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत सर्वे कार्य चल रहा है, सर्वे होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0 स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा परमानन्दपुर एवं गोबर्धनपुर में विद्युतीकरण कराने विषयक

141-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा परमानन्दपुर में ठेगई का पुरवा, सरायखानदेव, बिजलीपुर, छाता में नई बस्ती, प्रजापति बस्ती, चौहान बस्ती, जोगियान बस्ती, सरोज बस्ती में ग्राम सभा गोबर्धनपुर में ग्राम प्रधान पृथ्वीपाल के घर से बचऊबीज भण्डार नहर में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्तमान में जनपद इलाहाबाद में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत सोरांव में परमानन्दपुर में ठेगई का पुरवा, सरायखानदेव, बिजलीपुर, छाता में नई बस्ती, प्रजापति बस्ती, चौहान बस्ती, जोगियाना बस्ती, सरोज बस्ती में ग्राम सभा गोबर्धनपुर में ग्राम प्रधान पृथ्वीपाल के घर से बचऊ बीज भण्डार नहर तक विद्युतीकरण का कार्य माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों को भरने विषयक

142-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल 1111 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 60 पद रिक्त है।

जी हां।

श्री सन्तोष कुमार एवं अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या 44512 ऑफ 2017 दायर की गयी है। मा0 न्यायालय ने उक्त याचिका में दिनांक 12-10-2017 को पारित आदेशों द्वारा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर अग्रेतर आदेशों तक प्रोन्नति पर रोक लगा दी गयी है। मा0 न्यायालय द्वारा प्रश्नगत याचिका में अग्रेतर आदेश पारित किये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के बस्ती शहर में पटरी पर लगे विद्युत पोलों के डिवाइडर पर लगाने विषयक

143-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती शहर में अधिकांश सड़कों पर डिवाइडर निर्माण में सड़क की पटरी पर लगे विद्युत पोलों को डिवाइडर पर न लगाने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पटरी पर लगे विद्युत पोलों को डिवाइडर पर लगा कर आवागमन की सुलभ सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

बस्ती शहर के मालवीय रोड की पटरी पर लगे विद्युत पोलों को सड़क के किनारे लगाने का कार्य कार्यदायी संस्था को दिनांक 06-07-2018 को आवंटित हुआ है। फर्म द्वारा उक्त कार्य को 15 अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

डिवाइडर पर केवल मार्ग प्रकाश हेतु पोल अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बस्ती द्वारा लगवाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की रिक्त उचित दर दुकानों के बैकलांग को पूरा करने विषयक

144-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की रिक्त उचित दर दुकानों के बैकलॉग को पूरा किये जाने के

सम्बन्ध में दृष्टिबाधित विकलांगों को प्राथमिकता दिये जाने विषयक खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2008 के अनुपालन में किन-किन जनपदों में आवंटन की बैकलॉग की पूर्ति के लिये किन-किन श्रेणी के दिव्यांगजनों को कितने-कितने दुकान आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश में दृष्टिबाधित विकलांगों की कुल 434 उचित दर दुकानें कार्यरत हैं, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत है :-

क्र0	जनपद	एस0सी0/एस0टी0	ओ0बी0सी0	सामान्य	कुल
1	मेरठ	3	2	1	6
2	बागपत	2	1	1	4
3	गाजियाबाद	0	0	1	1
4	जी0बी0 नगर	1	1	2	4
5	बुलन्दशहर	2	5	1	8
6	हापुड़	1	1	2	4
7	सहारनपुर	3	3	6	12
8	मु0 नगर	1	5	1	7
9	शामली	0	2	0	2
10	मुरादाबाद	1	2	1	4
11	बिजनौर	3	3	2	8
12	रामपुर	0	0	4	4
13	सम्भल	0	2	2	4
14	अमरोहा	0	1	0	1
15	बरेली	5	3	8	16
16	शाहजहांपुर	1	1	0	2
17	पीलीभीत	0	2	0	2
18	बदायूं	1	2	1	4
19	लखनऊ	8	1	1	10
20	लखीमपुर	2	3	1	6
21	हरदोई	5	2	1	8
22	रायबरेली	1	4	2	7
23	सीतापुर	5	4	2	11

क्र0	जनपद	एस0सी0/एस0टी0	ओ0बी0सी0	सामान्य	कुल
24	उन्नाव	3	3	1	7
25	आगरा	2	2	3	7
26	मैनपुरी	2	2	0	4
27	मथुरा	2	2	4	8
28	फिरोजाबाद	1	2	0	3
29	अलीगढ़	2	3	5	10
30	हाथरस	2	0	0	2
31	एटा	0	3	1	4
32	कासगंज	0	5	1	6
33	कानपुर नगर	1	5	0	6
34	कानपुर देहात	0	1	0	1
35	इटावा	2	1	0	3
36	औरैया	2	1	0	3
37	फर्रुखाबाद	1	1	0	2
38	कन्नौज	1	0	1	2
39	झांसी	2	1	0	3
40	जालौन	1	3	1	5
41	ललितपुर	1	1	1	3
42	बांदा	2	3	2	7
43	हमीरपुर	1	3	0	4
44	महोबा	1	0	1	2
45	चित्रकूट	0	2	0	2
46	फैजाबाद	2	0	0	2
47	बाराबंकी	4	4	2	10
48	सुल्तानपुर	1	3	2	6
49	अम्बेडकरनगर	8	3	0	11
50	अमेठी	0	1	2	3
51	गोण्डा	2	4	1	7
52	बहराइच	1	1	0	2
53	श्रावस्ती	0	0	1	1

क्र0	जनपद	एस0सी0/एस0टी0	ओ0बी0सी0	सामान्य	कुल
54	बलरामपुर	0	2	0	2
55	गोरखपुर	4	3	0	7
56	देवरिया	5	1	1	7
57	कुशीनगर	5	7	2	14
58	महराजगंज	6	4	0	10
59	बस्ती	5	5	1	11
60	संतकबीरनगर	3	1	0	4
61	सिद्धार्थनगर	4	0	0	4
62	इलाहाबाद	8	1	2	11
63	प्रतापगढ़	2	2	3	7
64	कौशाम्बी	0	1	1	2
65	फतेहपुर	4	5	1	10
66	वाराणसी	6	7	1	14
67	गाजीपुर	3	6	5	14
68	जौनपुर	8	1	3	12
69	चन्दौली	1	3	0	4
70	मिर्जापुर	4	0	0	4
71	सोनभद्र	2	2	0	4
72	भदोही	0	2	0	2
73	आजमगढ़	4	5	2	11
74	मऊ	0	2	1	3
75	बलिया	3	2	1	6
	योग . .	**169**	**172**	**93**	**434**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ऊर्जा विभाग में एस्मा कानून के तहत हड़ताली कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

145-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में एस्मा कानून लागू है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत ड़ेढ़ वर्षों में प्रदेश के ऊर्जा विभाग में कोई हड़ताल हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त के लिए एस्मा कानून के तहत कार्रवाई की गयी है ? यदि हां, तो कब और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

दिनांक 27-03-2018 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के आह्वाहन पर विभिन्न संगठनों द्वारा एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया।

दिनांक 05-04-2018 को अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता में यह सहमति बनी कि ''वर्तमान आन्दोलन के कारण किसी भी विद्युत कर्मचारी/अभियन्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी''।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां में पुवायां से मोहम्मदी लखीमपुर तक राजकीय बस का संचालन एवं ब्लाक खुटार में रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित कराने विषयक

146-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में पुवायां से मोहम्मदी (जिला लखीमपुर) तक कोई राजकीय बस का संचालन नहीं है ? क्या उक्त क्षेत्र तथा ब्लाक खुटार में रोड वेज बस स्टैंड भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में बसों का संचालन करवाकर बस स्टैंड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में पुवायां से मोहम्मदी (जिला लखीमपुर) तक परिवहन निगम की 3 बस सेवायें गोला डिपो द्वारा संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :-

1-प्रातः 06:00 बजे पुवायां से मोहम्मदी-लखनऊ।

2-प्रातः 07:30 बजे मोहम्मदी से पुवायां होकर पलिया तक।

3-प्रातः 08:30 बजे मोहम्मदी से पुवायां-नाहिल होकर बरेली तक।

जी नहीं।

बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां के नानकपुरी गुरूद्वारे से पुरनौती-खुटार-पुवायां होकर शाहजहांपुर तक सरकारी बस संचालन के संबंध में

147-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत नानकपुरी गुरुद्वारे से पुरनौती-खुटार-पुवाया होकर शाहजहांपुर तक एक सरकारी बस चलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-2017 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

पत्र दिनांक 15-12-2017 प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि पत्र दिनांक 13-12-2017 प्राप्त हुआ है, जो कि नानकपुरी-गुरूद्वारे से पुरनौती-खुटार-पुवायां होकर शाहजहांपुर तक रोडवेज बस चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

नानकपुरी-गुरूद्वारे से पुरनौती-खुटार-पुवायां होकर शाहजहांपुर तक उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम की एक बस संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां में बने पुराने बस अड्डे के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

148-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में पुराने बने बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां के ग्रामों से सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन वितरण के सम्बन्ध में

149-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दिया गया है व कितनी मात्रा मे किटों का वितरण किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के विद्युत वितरण खण्ड पुवायां में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कुल 355 ग्राम सभाओं में 4802 निःशुल्क विद्युत संयोजन सम्पूर्ण किट के साथ प्रदान किये गये हैं।

जी हां। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां के ब्लाक बण्डा से परुनपुर तक राजकीय बसों के संचालन के सम्बन्ध में

150-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ब्लाक बण्डा से पूरनपुर (जिला पीलीभीत) तक राजकीय बसों का आवागमन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बसों का संचालन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

वर्तमान में शाहजहांपुर से पुवायां-बण्डा होकर पूरनपुर (जिला पीलीभीत) के लिए परिवहन निगम की बस शाहजहांपुर से प्रातः 07:00 बजे पुवायां-बण्डा होकर पूरनपुर तक संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के आलू मण्डी, फूलबाग, सर्वोदय नगर, बिजलीघर डिवीजन में मई-जून, 2018 में हुई विद्युत आपूर्ति की सूचना

151-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में आलू मण्डी फूलबाग सर्वोदय नगर बिजली घर डिवीजन में मई, 2018 और जून, 2018 में कितने घण्टे बिजली आपूर्ति हुई, कितनी ट्रिपिंग हुई तथा कितने फाल्ट हुए ? क्या उक्त का विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

कानपुर महानगर में आलू मण्डी, फूलबाग, सर्वोदय नगर, बिजली घर खण्ड में माह मई, 2018 एवं जून, 2018 में विद्युत आपूर्ति, फाल्ट, ट्रिपिंग का विवरण निम्नवत है :-

खण्ड	औसत विद्युत आपूर्ति		फाल्ट		ट्रिपिंग	
	मई, 2018	जून, 2018	मई, 2018	जून, 2018	मई, 2018	जून, 2018
आलू मण्डी	23:20	23:25	37	39	सूची संलग्न	
फूलबाग	23:06	23:21	57	48	सूची संलग्न	
सर्वोदय नगर	23:35	23:15	17	29	सूची संलग्न	
बिजली घर	23:20	23:30	59	56	सूची संलग्न	

जी हां।

(छायाप्रति संलग्न)[†]।

उपरोक्तानुसार।

[†] छापा नहीं गया।

जनपद बुलन्दशहर के वि0 ख0 अगौता गांव अन्हेडा में 11 के0वी0ए0 के जर्जर बिजली तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में

152-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर एवं विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के गांव अन्हेड़ा विकास खण्ड अगौता में 11 के0वी0ए0 बिजली के तार बहुत जर्जर अवस्था में हैं जिसके कारण तारों के टूटते रहने से घटनायें हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाईवोल्टेज जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अन्हेडा के जर्जर तार बदलवाने हेतु बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत पैकेज स्वीकृत किया जा चुका है। वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने पर निगम नियमानुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वाह्य एजेंसी द्वारा दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में

153-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में रसोई गैस (घरेलू) का उपयोग ठेला लगाने वाले चाय के दुकानदार खुलेआम कर रहे हैं जबकि घेरलू रसोई गैस व्यवसायिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार रसोई गैस (घरेलू) का व्यवसायिक उपयोग पर जांच कराकर कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

घरेलू गैस के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अधिकारियों के भ्रमण के दौरान इस प्रकार का तथ्य/अनियमितता पाये जाने पर जनपद बस्ती में समय-समय पर अभियान चलाकर जांच कराई जाती है एवं विधिक कार्यवाही भी करायी जाती है।

जनपद बस्ती में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित शेड्यूल के प्रकाश के सम्बन्ध में

154-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में नागरिकों की जानकारी हेतु विद्युत आपूर्ति के शेड्यूल का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बस्ती में नागरिकों की जानकारी हेतु विद्युत आपूर्ति के शेड्यूल का प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्र में किया जा रहा है। दैनिक जागरण समाचार-पत्र के दिनांक 15-08-2018 के अंक में प्रकाशित सम्बन्धित खबर की छायाप्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0 स0 क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-2017 में किये गये विद्युतीकरण से सम्बन्धित विवरण

155-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में कितने राजस्व ग्राम/मजरों में विद्युतीकरण किया गया व उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई व उक्त धनराशि का उपयोग किस मद में किया गया ? क्या सरकार उक्त विषय का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में कुल 297 राजस्व ग्राम/मजरों का विद्युतीकरण किया गया व इस कार्य हेतु धनराशि रु0 19.29 करोड़ आवंटित की गई, इस धनराशि का उपयोग पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीरण के कार्य में किया गया है।

जी हां। (विवरण संलग्न)।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में जले प्रवर्तकों की सूचना एवं उन्हें अपग्रेड करने के सम्बन्ध में

156-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह-मार्च, 2017 से 05-07-2018 तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा स्थापित कुल कितने परिवर्तक जले है ? क्या सरकार बताएगी की उक्त परिवर्तकों का जलना ओवरलोड के कारण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिवर्तकों को अपग्रेड करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माह मार्च, 2017 से 05-07-2018 तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा स्थापित कुल 365132 नग के सापेक्ष 71714 नग प्रवर्तक जले।

सभी प्रवर्तक ओवरलोड के कारण नहीं जले हैं अपितु परिवर्तक अन्दरूनी कमी, तेल, रिसाव, आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्तता, अतिभारित आदि कारणों से जले हैं।

---

† छापा नहीं गया।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में ओवर लोड के कारण जलने वाले परिवर्तकों को बिजनेस प्लान, आई0पी0डी0एस0 एवं डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 योजना के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा रसूलपुर तुंगी में 25 के0वी0ए0 का नया परिवर्तक लगाने के सम्बन्ध में

157-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तौहीद खान, जुबैद अहमद आदि निवासी ग्रामसभा रसूलपुर तुंगी, पो0 दुबरा, जनपद आजमगढ़ द्वारा उक्त ग्राम की अल्पसंख्यक बस्ती में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर लगाये जाने विषयक पत्र के क्रम में जारी अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सम्बद्ध ऊर्जा मंत्री का पत्र सं0-327 जनसुनवाई/ऊर्जा मंत्री/2018, दिनांक 10-04-2018 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम को प्रेषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्तमान में संचालित सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 25 के0वी0ए0 का नया परिवर्तक लगाने का कार्य 15 अक्टूबर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु 11 के0वी0 की नई लाइन का निर्माण एवं ट्रान्सफारमर लगाने हेतु डबल पोल इत्यादि का निर्माण किये जाने की आवश्यकता होगी। इन सभी कार्यों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कराया जाना ही सम्भव हो सकेगा। यह कार्य 15 अक्टूबर, 2018 से पूर्व ही करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के रम्मोपुर सरावा में 25 के0वी0ए का ट्रान्सफारमर एवं 10 खम्भे लगाकर विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक

158-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुनील कुमार, नरसिंह मौर्य आदि निवासी ग्राम रम्मोपुर सरावा, फूलपुर जनपद आजमगढ़ का अग्रसारित पत्र जो उक्त ग्राम में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर तथा 10 खम्भे लगाकर विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक है, के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सम्बद्ध ऊर्जा मंत्री के पत्र सं0-328 जनसुनवाई/ऊर्जा मंत्री/2018, दिनांक 10-04-2018 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाचल विद्युत वितरण नगम वाराणसी को प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ग्राम रम्मोपुर सरावां तथा फूलपुर में एक 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर व 10 खम्भे लगाने का कार्य वर्तमान में संचालित सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 15 अक्टूबर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु 11 के0वी0 की नई लाइन का निर्माण एवं ट्रान्सफारमर लगाने हेतु डबल पोल इत्यादि का निर्माण किये जाने की आवश्यकता होगी। इन सभी कार्यों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कराया जाना ही सम्भव हो सकेगा। यह कार्य 15 अक्टूबर, 2018 से पूर्व ही करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के पो0 दुबरा के ग्राम लिलाई में जर्जर विद्युत तारों को बदलने एवं नया विद्युत ट्रान्सफारमर लगाये जाने विषयक

159-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लिलाई, पो0 दुवरा, थाना बरदह, तहसील मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ में जर्जर विद्युत तारों को बदलने एवं नया विद्युत ट्रान्सर्फामर लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के संलग्नकों सहित पत्र अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सम्बद्ध मा0 ऊर्जा मंत्री के पत्रांक संख्या-329 जनसुनवाई/ऊर्जा मंत्री/2018/10-04-2018 द्वारा पूर्वांचल विद्युत विवरण निगम वाराणसी को निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 329 तद्दिनांक 10-04-2018 के स्थान पर इस कार्यालय को मूल रूप से उसी विषय/प्रश्न के अनुरूप वास्तविक पत्र संख्या 577 दिनांक 4-4-2018 प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित ग्राम लिलाई में उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु 11 के0वी0 की नई लाइन का निर्माण एवं ट्रान्सफारमर लगाने हेतु डबल पोल इत्यादि का निर्माण किये जाने की आवश्यकता होगी। इन सभी कार्यों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कराया जाना ही सम्भव हो सकेगा। यह कार्य 15 अक्टूबर, 2018 से पूर्व ही करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के वि0 स0 नगीना में अण्डरग्राउण्ड केबल डालने विषयक

160-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा नगीना, किरतपुर तथा बड़ी ग्राम सभा कोतवाली देहात, ग्राम भनेडा, अकबराबाद,

भोजपुर, छितावर, मैमन, दूधली आदि में अन्डर ग्राउण्ड केबिल डालने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

अन्डर ग्राउण्ड केबिल तकनीकी, आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर ही कराया जाता है।

लखनऊ के सरकारी वार्ड नं0 33 डालीबाग में अवैध रूप से चोरी की जा रही विद्युत की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु

161-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वार्ड नं0-33, रमैयाजी पुरम् डालीबाग लोवर, सरकारी आवास ट्रांजिस्ट हास्टल कालोनी के पास बने आवासों में पिछले कई वर्षों से बिना कनेक्शन लिए अवैध रूप से विद्युत की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उक्त स्थल की समय-समय पर पूर्व में भी जांच की जाती रही है। पुनः जांच करा ली जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के सम्भागीय परिवहन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री जीत सिंह द्वारा कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अधिक समय तक नौकरी करने के सम्बन्ध में

162-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात रहे श्री जीत सिंह जो दिनांक 31-10-2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं द्वारा वास्तविक जन्म तिथि 20-10-1950 के स्थान पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जन्मतिथि 20-07-1955 दर्शाकर नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध मे मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0-20643/ओ0एस0डी0(जे)सी0एम0/2015, दिनांक 09-10-2015 द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 व संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर को जांच कराये जाने व दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी के देय भुगतान न किये जाने एवं सेवानिवृत्त होने पर भी कोई लाभ न दिये जाने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सहारनपुर में कार्यरत श्री जीत सिंह, वरिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 31-10-2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र दिनांक 09-10-2015 परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है अपितु श्री जीत सिंह की जन्म तिथि की शिकायत से सम्बन्धित श्री झम्मन सिंह वर्मा, एडवोकेट, मेरठ की नोटिस दिनांक 20-10-2015 प्राप्त हुई है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर की आख्या दिनांक 22-12-2015 में श्री जीत सिंह की जन्म तिथि 20-10-1955 के स्थान पर 20-10-1950 के पाये जाने पर श्री जीत सिंह के सेवानिवृत्तिक देय पेंशन, जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, राशिकरण इत्यादि का भुगतान अभी नहीं किया गया है। श्री जीत सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री जीत सिंह सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान अभी नहीं किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के मौ0 बाजार माधोदास में हो रही विद्युत की चोरी रोकने हेतु कार्यवाही विषयक

163-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में मौ0 बाजार माधोदास में कटिया डालकर की जा रही विद्युत चोरी रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में मोहल्ला बाजार माधोदास व अन्य स्थानों पर समय-समय पर विभाग द्वारा निगम नियमानुसार चेकिंग अभियान चलाया जाता है। अगर चोरी का कोई भी प्रकरण पकड़ा जाता है तो उस पर विभागीय नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के मौ0 बाजार माधोदास में विद्युत चोरी रोकने हेतु बन्च केबिल डालने विषयक

164-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में मौ0 बाजार माधोदास में कसाई बाड़े से लेकर मौ0 हरीशाह तक खुली विद्युत लाइन होने के कारण हो रही विद्युत चोरी रोकने हेतु सरकार बंच केबिल डालने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में मोहल्ला बाजार माधोदास में कसाई बाड़े से लेकर मोहल्ला हरीशाह तक बाजार है। बाजार का क्षेत्र एवं सड़क के किनारे होने के कारण चोरी की सम्भावना कम है, जिसकी विद्युत विभाग द्वारा समय-समय पर चेकिंग की जाती है। इस स्थान पर 400 के0वी0ए0 परिवर्तक तथा डबल डॉग कन्डक्टर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अतः डबल डॉग कन्डक्टर को ए0बी0सी0 केबिल से बदले जाना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से उचित नहीं है।

जनपद हरदोई के बिलग्राम मल्लावां विधान सभा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की विद्युत लाइन की मरम्मत कराये जाने विषयक

165-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम, मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अटवाअली मर्दानपुर, ऊंचागांव, काजीपुर फरहतनगर, भिठाई, रसूलापुर, देवमनपुर, तेन्दुआ, बांसा, पुरबांवा, मांझगांव आदि ग्रामों में विद्युत लाइन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद हरदोई के बिलग्राम, मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अटवाअली मर्दानपुर, ऊंचागांव, काजीपुर फरहतनगर, भिठाई, रसूलापुर, देवमनपुर, तेन्दुआ, बांसा, पुरबांवा, मांझगांव आदि ग्रामों में विद्युत लाइन 11 कि0मी0 जर्जर है।

बिजनेस प्लान वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। प्राक्कलन की लागत लगभग रु0 12.10 लाख है।

यह कार्य मार्च, 2019 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लवां नगर पालिका होकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर आदि विभिन्न जनपदों से बसें प्रतिदिन जाती है परन्तु मल्ल्लावां में कोई रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को उक्त स्थानों की यात्रा में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मल्लावां में रोडवेज बस अड्डा बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं।

मात्र 15 किमी0 दूरी पर बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) में रोडवेज बस स्टेशन उपलब्ध होने के कारण यात्रियों को परेशानी नहीं होती है।

वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई से कानपुर मार्ग पर कस्बा मल्लावां (जनपद हरदोई) की हरदोई से दूरी 47 किमी0 है तथा मल्लावां से बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) की दूरी 15 किमी0 है। वर्तमान में बांगरमऊ में रोडवेज बस अड्डा/स्टेशन उपलब्ध है। मात्र 15 किमी0 की दूरी पर दूसरा बस अड्डा बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा लखनपुर करन में विद्युत तार एवं पोल के मरम्मत एवं ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने विषयक

167-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में विद्युत तार एवं पोल अत्यन्त जर्जर हो गये हैं तथा ट्रान्सफार्मर की क्षमता कम होने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर विद्युत तार व पोल को बदलवाकर उच्च क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

बिजनेस प्लान वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं जर्जर पोल को बदलने एवं अतिभारित ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि दिसम्बर, 2018 तक कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के वि0स0 क्षेत्र सदर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

168-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर में अघोषित विद्युत कटौती से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जाती है। आकस्मिक व्यवधान पर ही विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, जिसे अल्पसमय में ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल करायी जाती है।

वर्तमान में जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के जनपद मुख्यालय पर निर्धारित 24 घण्टे रोस्टर के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 23:17 घण्टे, माह मई, 2018 में 23:02 घण्टे एवं माह जून, 2018 में 23:37 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी। इसी तरह विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर 18 घण्टे के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 में 18:10 घण्टे, माह मई, 2018 में 18:36 घण्टे एवं माह जून, 2018 में 18:37 घण्टे औसत विद्युत आपूर्ति की गयी। (विवरण संलग्न)[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के विद्युत उपकेन्द्र चोला, ककोड़ तथा खुर्जा रोड के 33 के0वी0ए0 की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में

169-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में विद्युत उपकेन्द्र चोला ककोड़ तथा खुर्जा रोड के अन्तर्गत आने वाली 33 के0वी0ए0 की जर्जर विद्युत लाइनों को सरकार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में विद्युत उपकेन्द्र चोला ककोड़ तथा खुर्जा रोड सिकन्द्राबाद अन्तर्गत आने वाली 33 के0वी0ए0 की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने हेतु आवश्यक अनुमान प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं। प्राक्कलन पैकेज वित्तीय लिंकेज स्वीकृति के पश्चात् कार्य जनवरी, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा चलायी जा रही बसों के प्रदूषण की जांच कराने के सम्बन्ध में

170-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अधिकांश बसें जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही उन बसों से अत्यधिक धुंआ निकलने के कारण व्याप्त प्रदूषण से पीछे चलने वाले यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बसों के कारण व्याप्त प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम की बसों के प्रदूषण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी नहीं। परिवहन निगम की समस्त बसों का नियमानुसार प्रदूषण जांच करायी जाती है।

[†] छापा नहीं गया।

परिवहन निगम की प्रत्येक बस के प्रदूषण की जांच नियमानुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र से कराई जाती है।

नियमानुसार जांच हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित कृष्ण लोक कालोनी में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल लगवाने के सम्बन्ध में

171-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड स्थित कृष्णलोक कालोनी में विद्युत आपूर्ति बांस व बल्लियों के सहारे की जा रही है जिससे लोगों में जान-माल के खतरे की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में बिजली के खम्भे तथा तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

कुछ कनेक्शन बांस-बल्ली के सहारे लम्बी दूरी पर दिये गये हैं, जिन्हें उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 2055, दिनांक 23-07-2018 में निहित निर्देशों के अनुरूप नियमितीकरण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनुमोदनोपरान्त नियमितीकरण सुनिश्चित करा दिया जायेगा।

जी हां।

प्रस्ताव के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उत्तर वि0 स0 क्षेत्र स्थित श्याम विहार, दाऊद नगर नई कालोनी में विद्युत आपूर्ति हेतु पोल लगवाने के सम्बन्ध में

172-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित श्याम बिहार, दाऊद नगर-नई कालोनी में विद्युत आपूर्ति बांस व बल्लियों के सहारे की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जनहित में विद्युत पोल व नये तार सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां। कुछ कनेक्शन बांस-बल्ली के सहारे लम्बी दूरी पर दिये गये हैं, जिसको नियमितीकरण करने का प्रस्ताव उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 2055/रेस्पो/बांस-बल्ली, दिनांक 23-07-2018 के अन्तर्गत विचाराधीन है, जिसमें कुल खर्च का 1/3 भाग बिजनेस प्लान से एवं बचे हुए 2/3 धनराशि को लाभार्थी कन्ट्रीब्यूशन,

आर0सी0 फण्ड तथा विधायक निधि से किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न)[†] तत्पश्चात् अनुमोदनोपरान्त नियमितीकरण सुनिश्चित कर दिया जायेगा।

जी हां।

प्रस्ताव के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0 स0 रूधौली के अन्तर्गत असनहरा बाजार में हो रहे विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की गुणवत्ता की जांच

173-श्री संजय प्रताप जायवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत असनहरा बाजार में सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन एवं मानक के विपरीत किए जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच टी0ए0सी0 से कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य मे0 पियुष इण्टरप्राइजेज जंगमबाड़ी, वाराणसी द्वारा माह दिसम्बर, 2017 में उपकेन्द्र के निर्माण हेतु जनपदीय कार्य शुरू किया गया। कार्य शुरू करने की तिथि से ही फर्म द्वारा गुणवत्तापरक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर नहीं गिरायी गयी। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा तुरन्त कार्य का निरीक्षण कर कार्य स्थल से गुणवत्ताविहीन सामग्री को हटवा दिया गया एवं कान्ट्रेक्टर को निर्देश दिया गया कि मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति कर कार्य शुरू करे। फर्म द्वारा मानक के अनुरूप मौरंग एवं बालू की आपूर्ति के बाद पुनः कार्य शुरू कराया गया। कार्य स्थल पर कार्य की क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लगातार अनुश्रवण एवं परिवेक्षण किया जा रहा है। जब भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्य अस्वीकृत कर दिया जाता है एवं भुगतान भी रोक दिया जाता है। गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु निरन्तर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है।

फर्म द्वारा अभी तक कुल 20 प्रतिशत ही कार्य सम्पादित किया गया है एवं उपकेन्द्र के जनपदीय निर्माण कार्य संबंधित कोई भी भुगतान निर्गत नहीं किया गया है।

कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है एवं फर्म के गुणवत्तविहीन कार्यों को अस्वीकृत कर दिया गया और न कोई भुगतान किया गया है। अतएव टी0ए0सी0 जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

[†] छापा नहीं गया।

प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसों के अनाधिकृत ढाबों और दुकानों पर रोकने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

174-श्री संजय प्रताप जायवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसों के ड्राइवर व कन्डक्टर लम्बे रूट के यात्रियों के जलपान हेतु निर्धारित स्थानों पर न रोक कर ऐसे स्थानों (दुकानों) पर बसों को रोकते हैं जहां उनको मुफ्त का खाना/नाश्ता मिलता है एवं उसके एवज में दुकानदार के द्वारा यात्रियों का शोषण किया जाता है, की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर यात्रियों के सुविधार्थ मानक के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की खान-पान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यात्री प्लाजा योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर यात्री प्लाजा अधिकृत किये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत लम्बे मार्गों पर संचालित बसों को मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन निगम से अनुबन्धित यात्री प्लाजा पर ही रोकने के निर्देश हैं।

परिवहन निगम की बसों के क्रू (चालक/परिचालक) द्वारा अनधिकृत ढाबों और दुकानों पर बसों को रोकने की जानकारी होने पर निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1341रोपी/10, दिनांक 21-11-2010 के क्रम में परिवहन निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रू (चालक/परिचालक) के विरुद्ध अर्थदण्ड एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के ननौता में स्थित मधुसूदन नामक फैक्ट्री के दूध व घी में मिलावट के सम्बन्ध में

175-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के कस्बा नानौता में स्थित मधुसूदन नामक घी और दूध के ब्रांड में फैक्ट्री द्वारा मिलावट किये जाने तथा सब स्टैंडर्ड घी एवं दूध फैक्ट्री द्वारा मार्केट में पैक करके भेजे जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। जनपद सहारनपुर के कस्बा नानौता में स्थित मधुसूदन नामक घी और दूध के ब्रांड की फैक्ट्री के सम्बन्ध में दिनांक 01-04-2017 से 31-07-2018 तक की अवधि में कुल 05 निरीक्षण कर 05 नमूने (1-मधुसूदन एगमार्क देशी घी, 2-मधुसूदन फुल क्रीम दूध, 3-मधुसूदन दही, 4-मधुसूदन पनीर, 5-मधुसूदन फुल क्रीम दूध) जांच हेतु संग्रहीत किये गये। जांच में सभी नमूने मानक के अनुरूप पाये गये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों से मधुसूदन ब्राण्ड दूध का 01 नमूना संग्रहीत कर जांच हेतु प्रेषित किया गया, जो जांच में मानक के अनुरूप पाया गया।

प्रदेश के जेलों में सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

176-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जेलों में सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था की गई है तथा कितने जेलों में अभी तक कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पायी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 71 क्रियाशील कारागारों (किशोर सदन बरेली को छोड़कर) में से 67 कारागारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हो गये हैं। शेष 03 कारागारों क्रमशः जिला कारागार, बागपत, सोनभद्र एवं नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में स्थापना का कार्य अन्तिम चरण में है। इसे माह अगस्त, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इस प्रकार प्रदेश की सभी कारागारों में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता हो जायेगी।

जी हां।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर तहसील में पात्र गरीब व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट में जोड़ने एवं अपात्रों के नाम हटाये जाने की मांग विषयक

177-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर तहसील में पात्र गरीब व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट में छूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में जोड़ने एवं अपात्रों का नाम हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण योजना गरीब को अन्न पखवाड़े का आयोजन दिनांक 01 से 15 अगस्त, 2018 तक किया गया है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार नये राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं हेतु पात्र परिवारों के सर्वेक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी तथा न्याय पंचायत स्तर पर सुपरवाइजर एवं ग्राम पंचायतवार ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, रोजगार सेवक एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर वर्तमान में सत्यापन कार्य कराया जा रहा है।

सत्यापनोपरान्त योजना से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किये जाने तथा अपात्रों को सूची से निष्कासित करने का कार्य कराया जा रहा है।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद मुरादाबाद के वि0स0 बिलारी के अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन, स्योडारा में जुड़े सीमावर्ती गांवों में कम वोल्टेज की समस्या के निदान के सम्बन्ध में

178-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधानसभा क्षेत्र बिलारी, क्षेत्रांतर्गत बिद्युत सब-स्टेशन स्योडारा से जुड़े सीमावर्ती गांव अहलादपुर करार, कासमपुर, गौरा शाहगढ़, मंगूपुरा आदि में कम वोल्टेज की समस्या सरकार दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधानसभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम अहलादपुर करार, कासमपुर, गौरा शाहगढ़, मंगूपुरा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, स्योडारा से निर्गत पोषक मंगूपुरा से पोषित है। वर्तमान में उक्त फीडर के अतिभारित होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या हो रही है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु पोषक को दो भागों में विभक्त करने का कार्य प्रगति पर है। जिसके तहत 65 नग विद्युत पोल स्थापित किये जा चुके हैं। शेष लगभग 20 नग विद्युत पोल स्थापित किये जाने बाकी है।

वर्तमान में भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से शेष विद्युत पोलों को स्थापित करने का कार्य रुका हुआ है। खेतों में पानी समाप्त हो जाने के उपरान्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा, जो कि माह अक्टूबर, 2018 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के एन0सी0सी0 द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण की बारहवीं परियोजना के अन्तर्गत वि0 स0 क्षेत्र रुधौली, सल्टौआ आदि गांवों के अधूरे कार्यों के पूरा कराने के सम्बन्ध में

179-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में राजीव गांधी विद्युतीकरण की बारहवीं परियोजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र रुधौली, सल्टौआ गोपालपुर, साऊघाट, रामनगर में एन0सी0सी0 द्वारा कार्य कराये जाते हैं, अधूरे कार्यों को सरकार पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बस्ती में राजीव गांधी विद्युतीकरण की बारहवीं परियोजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र रुधौली, सल्टौआ गोपालपुर, साऊघाट, रामनगर में एन0सी0सी0 द्वारा कराये गये अधूरे विद्युतीकरण कार्यों को पूर्ण कराने के क्रम में अवशेष 45 ग्रामों के 60 मजरों में

विद्युतीकरण का कार्य ''सौभाग्य योजना'' के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में विद्युत पोल व तारों की मरम्मत के सम्बन्ध में

180-श्री राहुल प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे में जर्जर विद्युत पोलों व तारों के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजनेश प्लान के तहत जर्जर विद्युत तारों एवं पोलों (खम्भा) को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र छानबे में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र छानबे के ग्रामों में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत जर्जर तार व पोलों को बदलने का कार्य आवश्यकतानुसार स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है।

आवंटित बजट के अनुरूप मार्च, 2019 तक कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के वन क्षेत्र लालगंज में अवैध खनन के कारण हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में

181-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे के वन क्षेत्र लालगंज में अवैध रूप से पत्थर खनन होने के कारण आस-पास के क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वनक्षेत्र लालगंज में चल रहे अवैध पत्थर खनन की जांच कराकर बन्द करायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम भानपुर तथा अधौली एवं नगर पंचायत रुधौली में एक बस स्टैण्ड भवन बनवाने के सम्बन्ध में

182-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती-डुमरियागंज तथा बस्ती-बांसी मार्ग पर ग्राम भानपुर तथा रुधौली एवं नगर पंचायत रुधौली में यात्रियों को सुविधा हेतु बस स्टैण्ड भवन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

वर्तमान में इसकी कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

रुधौली एवं भानपुर में वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः दोनों स्थानों पर बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र की कतिपय बस्तियों में सुचारु विद्युत आपूर्ति एवं बिजली चोरी रोके जाने के सम्बन्ध में

183-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज की बस्तियों एवं जानकीपुरम् सहित अन्य वार्डों में व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत ए0बी0सी0 केबल व स्मार्ट मीटर सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

क्योंकि वर्तमान में व्यापार विकास निधि के मद में धन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उक्त मद में उक्त क्षेत्र में ए0बी0सी0 लगाया जाना सम्भव नहीं है।

स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा लखनऊ के उक्त क्षेत्र के लिए स्वीकृत है। प्रथम चरण में मण्डल तृतीय/अष्टम लेसा में कार्य कराया जा रहा है। द्वितीय चरण में जनवरी, 2019 में फैजुल्लागंज की बस्तियों एवं जानकीपुरम सहित अन्य वार्डों पर स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड स्थित दाऊदनगर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराने के सम्बन्ध में

184-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज, द्वितीय वार्ड स्थित दाऊदनगर में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास हुआ है किन्तु अब

तक उपकेन्द्र स्थापित नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उक्त भूमि मा0 महापौर जी द्वारा आगामी मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी एवं भूमि का चिन्हांकन नगर निगम द्वारा पहले ही किया जा चुका था। तत्पश्चात् उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का अन्तरण/हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रतीक्षित होने के कारण उपकेन्द्र का निर्माण अभी तक किया जाना सम्भव नहीं हो सका है, जिसके लिए पत्र दिनांक 04-01-2018 द्वारा नगर निगम, लखनऊ को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। नगर निगम से भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत ग्राम रंजीतपुर से हमूपुर तक विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में

185-श्री ओमकार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान अन्तर्गत ग्राम रंजीतपुर से हमूपुर के विद्युत तार आठ वर्ष पहले चोरी हो गये थे जिसके कारण तब लगातार प्रयास करने पर भी तार नहीं लगाये गये, जिस कारण हमूपुर गांव में विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में खड़े खम्भों पर तार लगाकर विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

ग्राम रंजीतपुर से हमूपुर की 11 के0वी0 लाइन 33 खम्भे की है, जिसमें 11 खम्भे खड़े हैं तथा 22 खम्भे लगाये जाने हैं एवं 07 किमी0 तार की आवश्यकता है। एच0टी0 लाइन की लम्बाई 2.310 किमी0 एवं एल0टी0 लाइन की लम्बाई 1.050 किमी0 है। ग्राम रंजीतपुर से हमूपुर की लाइन के मध्य कोई अन्य ग्राम/मजरा नहीं है। जांच में अवगत कराया गया है कि उक्त लाइन ग्रामवासियों के आपसी विवाद होने के कारण नहीं बन पायी है।

वर्तमान में जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रंजीतपुर से हमूपुर, ब्लाक दहगंवा सेन्सस कोड 128088 आंशिक रूप से विद्युतीकृत है एवं मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजना 24×7 पावर फार आल के अन्तर्गत चयनित है। ग्राम के सर्वे में चोरी किये गये तारों एवं सम्बन्धित सामग्री को भी सम्मिलित कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा माह अक्टूबर, 2018 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के ब्लाक लालगंज क्रय केन्द्रों पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा की जारी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में

186-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानवे के ब्लाक लालगंज में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र लालगंज में वर्ष 2017-18 में धान व गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार लालगंज में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र में धान, गेहूं की खरीद की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में फाफामऊ से मलाका चौराहा होते हुए प्रतापगढ़ रोड पर सोरांव से कन्दर पुर होते हुए अशोक नगर से मऊआइमा रोड तक परिवहन बसों के संचालन के सम्बन्ध में

187-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में फाफामऊ से मलाका चौराहा होते हुये प्रतापगढ़ रोड पर सोरांव से कलन्दरपुर होते हुये अशोक नगर से मऊआइमा रोड तक जिसकी लम्बाई 50 किमी0 है पर सरकार परिवहन बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

इलाहाबाद से फाफामऊ, मलाका चौराहा होते हुये सोरांव से कलन्दरपुर, अशोक नगर, मऊआइमा मार्ग घूम कर जाने के कारण सीधी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अव्यवहारिक है। इलाहाबाद से सोरांव एवं मऊआइमा हेतु प्रतापगढ़ एवं फैजाबाद मार्ग की परिवहन निगम की बसें यात्रा हेतु 24 घण्टे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद से कलन्दरपुर के लिए पड़िला, कमला नगर होकर अपेक्षाकृत कम दूरी के मार्ग पर नगरीय बसें यात्रियों हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में फाफामऊ से पड़िलन-कमला नगर-सिकन्दरा होते हुए बहरिया तक परिवहन बसों के संचालन के सम्बन्ध में

188-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में फाफामऊ से पड़िलन कमला नगर सिकन्दरा होते हुये बहरिया करनाईपुर तक जिसकी

लम्बाई 40 किमी0 है पर सरकार परिवहन बसों का संचालन कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

इलाहाबाद से फाफामऊ होकर पड़िला, कमला नगर, सिकन्दरा होते हुए बहरिया, दोनईया, दांदूपुर तक वर्तमान में परिवहन निगम की बस सेवा संचालित है। उक्त संचालित बस सेवा में पूर्व में करनाईपुर तक संचालित थी परन्तु दांदूपुर से करनाईपुर तक मार्ग खराब होने के कारण वर्तमान में दांदूपुर तक ही संचालित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों की भर्ती के सम्बन्ध में

189-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों की भर्ती नियमावली सम्बन्धी अधिसूचना सं0-6-12-1973-नियुक्ति-4, दिनांक 07 अक्टूबर, 1974 एवं उ0प्र0 सरकार के कार्मिक अनु-2 की अधिसूचना सं0-6/1273-क-2-टी0सी0-IV, दिनांक 17 जनवरी, 2014 का नियम-5 मृतक आश्रितों की भर्ती में लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सहायक निदेशक (सेवायोजन) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ के पत्रांक-स्था0/मृ0आ0/नियुक्ति/संजीव कुमार/2018/337, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा मृतक आश्रित की नियुक्ति विषयक प्रेषित प्रस्ताव, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

निदेशालय के पत्रांक 591/ई-1/0903/च0श्रे0/मृ0आ0/2013, दिनांक 10-07-2013 एवं पत्रांक 991/ई-1/0903/च0श्रे0/मृ0आ0/2013, दिनांक 09-10-2017 द्वारा क्षेत्र में तैनात सहायक निदेशकों (नियुक्ति प्राधिकारी) को मृतक आश्रितों के नियुक्ति प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जा चुका है। सहायक निदेशक (सेवा0), क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ के पत्रांक-स्था0/सेवा0/मृतक आश्रित/नियुक्ति/2018/890-91, दिनांक 16-08-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि मृतक आश्रित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार यादव पुत्र स्व0 राजकुमार यादव की पात्रता नियुक्ति हेतु मृतक आश्रित के रूप में नहीं आती क्योंकि उनकी माता श्रीमती किरन देवी वर्तमान में राजकीय सेवा के अन्तर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ में कार्यरत हैं। तद्नुसार श्री संजीव कुमार यादव का नियुक्ति प्रार्थना-पत्र निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना हेतु ''राइट आफ वे'' के अन्तर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय मुआवजे के सम्बन्ध में

190-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6, नं0-248027 दिनांक 12-7-2018 जो कि ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना हेतु ''राइट आफ वे'' के अन्तर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय मुआवजे के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

निर्माणाधीन पारेषण लाइनों के निर्माण के उपयोग में आने वाली भूमि का मुआवजा प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जेलों में मुन्ना बजरंगी के कत्ल केस जैसी वारदात रोकने हेतु एहतियाती उपाय के सम्बन्ध में

191-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी के कत्ल केस जैसी वारदात प्रदेश भर में रोकने हेतु एहतियाती कदम उठाने की कोई विशेष कार्य योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

(1) बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी के कत्ल की वारदात के उपरान्त प्रदेश के कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शासनादेश संख्या 999/22-1-2018-46/2018, दिनांक 10-07-2018 द्वारा 03 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में श्री सुलखान सिंह, सेवावृत्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश-अध्यक्ष, श्री हरि शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक, कारागार-सदस्य तथा डॉ0 शरद, अपर महानिरीक्षक, कारागार-सदस्य सचिव नामित किय गये हैं। उक्त समिति द्वारा कारागारों की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट/संस्तुतियां 02 माह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) कारागार प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने तथा माफिया एवं अत्यन्त शातिर प्रवृत्ति के बंदियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1380जे/22-3-86/96, दिनांक 03-12-1996, 283पी/22-4-98-50(3नि0)/98, दिनांक 17-03-1998, 269जे/22-3-5जी/99, दिनांक 15-03-1999, 2840जेएल/22-3-2006, दिनांक 31-08-2006, 737जे0एल0/22-3-07-10जी/99, दिनांक 06-03-2007, 354जे0एल0/22-3-2008, दिनांक 14-02-2008 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) वर्तमान में कारागारों में घटनाओं पर निगरानी रखने हेतु 30 सी0सी0टी0वी0 कैमरों की इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

(4) वाह्य जनपदों के मा0 न्यायालयों में पेशी हेतु भेजे जाने वाले बंदियों की पूर्ण आपराधिक पृष्ठभूमि का संज्ञान लेते हुए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 24161-240/मा0अनु0(5)/2018, दिनांक 09-07-2018 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(5) शासनादेश संख्या 2229/22-4-2003-60/99/टीसी, दिनांक 25-10-2003 द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों से कारागारों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 28695/लो0शि0(6)निरी0-2018, दिनांक 08-08-2018 द्वारा संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु निरीक्षण के चेक प्वाइंट्स प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के सभी सहकारी समितियों पर गेहूं खरीद बन्द होने के सम्बन्ध में

192-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के सभी सहकारी समितियों पर गेहू की खरीद बन्द होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आख्या सं0-18199180118616 द्वारा विशेष सचिव, श्री अमित सिंह मुख्य मंत्री कार्यालय का दिनांक 21 मई, 2018 का आदेश अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 विधायक, मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के पत्र दिनांक 13-05-2018 के द्वारा जनपद में सहकारी समितियों पर किसानों से गेहूं क्रय नहीं किये जाने, गेहूं का उठान नहीं होने, बोरों की अनुपलब्धता होने आदि के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मिर्जापुर के कार्यालय के पत्रांक 292/मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ/आई0जी0आर0एस0/2018-19, दिनांक 09-06-2018 के द्वारा प्रेषित की गयी आख्यानुसार जनपद में सहकारी समितियों के कुल 36 क्रय केन्द्र संचालित रहे तथा गेहूं खरीद अवधि में पी0सी0एफ0, मिर्जापुर के द्वारा कुल 12788.60 मी0टन गेहूं 3869 कृषकों से क्रय किया गया है। गेहूं खरीद के प्रारम्भ से ही जनपद में गेहूं भण्डारण हेतु स्थानाभाव बना रहा। खाद्यान्न के रैक प्रेषण, पी0डी0एस0 खाद्यान्न के उठान, मण्डी यार्ड व अन्य प्राइवेट गोदामों को किराये पर लेकर सृजित रिक्त क्षमता में गेहूं भण्डारण कार्य कराया गया। गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं क्रय हेतु बोरों की कमी कभी नहीं रही। जनपद में खाद्य विभाग के पास सदैव बोरे का बफर स्टाक बना रहा तथा कभी भी संस्थाओं/ क्रय केन्द्रों पर बोरों की कमी नहीं होने दी गयी। समितियों पर अपेक्षित रूप से कम क्रय होने की दशा में शिथिल पर्यवेक्षण पाये जाने पर

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0, मिर्जापुर को प्रतिकूल प्रविष्टि भी प्रदान की गयी थी। धान खरीद वर्ष 2017-18 के धान क्रय केन्द्र साधन सहकारी समिति, रामपुर, अहरौरा, अदलहाट, धौहा, खानजादीपुर, सोनपुर एवं चौकिया के सचिव/केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध धान खरीद में अनियमितता/कस्टम चावल के गबन में दोषी पाये जाने पर जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया जिससे क्षुब्ध होकर सहकारिता विभाग के सहकारी समितियों के गेहूं क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा सांकेतिक रूप से मात्र 02 से 03 दिनों के लिए हड़ताल किया गया तथा गेहूं खरीद में आंशिक रूप से बाधा उत्पन्न हुई। बाद में सभी समितियों के केन्द्र प्रभारियों द्वारा गेहूं खरीद कार्य किया गया। जनपद में अन्य संस्थाओं के गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिना किसी बाधा के कृषकों से सीधे गेहूं क्रय किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद में निर्धारित क्रय लक्ष्य 74600 मी0टन के विरुद्ध 98797 मी0टन गेहूं क्रय किया गया जो कि लक्ष्य का 132.44 प्रतिशत रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद व संभल की मंडियों में मक्का के घोषित समर्थन मूल्य से कम पर बिकने से होने वाले नुकसान की भरपायी के सम्बन्ध में

193-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद व संभल सहित प्रदेश की मंडियों में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मक्का के समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति कुंतल के बजाय 800 से 1200 रुपये प्रति कुंतल बिकने की हानि से मक्का किसानों को बचाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा धान एवं गेहूं की खरीद सीधे कृषकों से की जाती है।

मक्का के किसानों को हानि से बचाये जाने एवं समर्थन मूल्य पर मक्का क्रय किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे बहुत शोक के साथ निधन की सूचना देने का संवैधानिक दायित्व का निर्वाहन करना है। इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय मुनीश गौड़ का 28 अगस्त, 2018 को निधन हो गया। वह लगभग 62 वर्ष के थे। उनका जन्म जिला अलीगढ़ में पोहिना गांव में हुआ था। वे विधिवेत्ता थे। वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र बरौली, जिला अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे। उन्होंने तमाम आंदोलन किये, जेल जाना पड़ा। विद्यालय के प्रबन्ध से भी जुड़े रहे। उन्होंने अनेक संस्थायें

चलाईं। अपने इस सदन के भूतपूर्व सदस्य के आसमयिक निधन पर यह सदन और हम सब स्वाभाविक ही शोकग्रस्त हैं, दुःखी हैं। हम लोगों ने एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और अपने इस आदरणीय सदन का पूर्व सदस्य खोया है। आप सबकी, इस आदरणीय सदन की शोक संवेदनायें, मैं उनके परिजनों तक पहुंचाऊंगा। आइये हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दिवंगत आत्मा की
शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुये।)

[12:25] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल के अपने स्थान से खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी हत्या की साजिश का एक षड्यन्त्र रचा गया।

श्री अध्यक्ष-

आपने किस नियम में दिया है?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैंने नियम-300 में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में यह नहीं आता है आप कहना क्या चाहते हैं, संक्षेप में कह दें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरी हत्या की साजिश का षड्यन्त्र किया गया जिसमें एस0टी0एफ0 ने चार बदमाश बनारस में पकड़े और उनकी निशानदेही पर हमीरपुर से राजीव शुक्ला और अजय शुक्ला आदि लोगों ने मिलकर मेरी हत्या की साजिश का षड्यन्त्र रचा था। कई बदमाश अभी जेल में हैं उनको भी जेल से छुड़ाने की साजिश थी। और एक-दो लोगों की हत्या का भी बयाना था जिसमें प्रतापगढ़, आजमगढ़ की तरफ के ज्यादातर बदमाश शामिल थे। उन लोगों ने मेरी रेकी भी की थी और मेरी हत्या भी करना चाहते थे। उनके घरों से असलहें, ऑटोमेटिक पिस्टलें, कारबाइन बरामद हुए हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संदर्भ में कड़ी से कड़ी कार्यवाही अभियुक्तों के खिलाफ की जाये और हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाये। मान्यवर, मैं अवगत करा दूं कि मैंने पहले भी माननीय नेता सदन से कहा था जब मुझे इस संबंध में थोड़ा-थोड़ा पता चल रहा था। कभी गाड़ियां आगे आ जाती थीं, कभी मोटरसाइकिल आ जाती थी तो मैंने नेता सदन से कहा था कि मेरा तो हाईकोर्ट का आदेश था जिसे सपा ने खत्म करके मेरे गनर हटा दिए थे आप इसी को पुनर्जीवित कर दीजिए तो

मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट कर दीजिए। फिर मैं गृह सचिव के पास गया, उन्होंने एक आर्डर किया। तो जिले में मुझे सुरक्षा के नाम पर दो गनर के लिए एक लाख रुपया महीना मांगा गया है, आप बताएं मैं कहां से दूँ। अभी यहां पर हम इस सदन में बैठे हैं, इस सदन के हम सदस्य हैं और इस तरह का व्यवहार एक सत्तापक्ष के विधायक के साथ किया जाये, विपक्षी विधायक के साथ किया जाये उसकी जान की आफत आ रही है और हमले पर हमले हुए जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न की जाये?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अशोक चन्देल जी की बात पर आपको कुछ कहना है?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है और निश्चित रूप से माननीय सदस्य हमारे इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और वह लोकसभा में भी रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए हम निर्देश दे देंगे और आगे कोई ऐसी बात न हो इसकी भी व्यवस्था करने के लिए हम प्रमुख सचिव गृह को आज ही लिख कर भिजवा देंगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप उनसे विस्तार से बात भी कर लें।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गंभीर प्रकरण उठाया है। आज अखबारों में भी आया है कि इनको पकड़ने के लिए कई जिले के गैंग पकड़े गए हैं। सत्तापक्ष के भी कई विधायकों के बारे में हमको अखबारों में पढ़ने को मिला है कि कई माननीय विधायकों को धमकी मिली है। विपक्ष के भी कई माननीय विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है कितनों पर तो फायर भी हुए हैं, इसमें पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। माननीय सदस्यों की सुरक्षा-रक्षा के सर्वोच्च अधिकार आपके पास हैं। हमारी सुरक्षा, माननीय सदस्यों की सुरक्षा का पूरा दायित्व आपका है और हम लोग आपसे ही सुरक्षा पा सकते हैं। तो चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों सभी इस माननीय सदन के सदस्य हैं और सबके आप संरक्षक हैं। अगर इस तरह से धमकी मिलती रही, इस तरह से जनप्रतिनिधियों को जान से मारने का खिलवाड़ होता रहा, धमकी मिलती रही तो यह बहुत ही दुखद घटना है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लें। हमारे यहां राकेश सिंह को धमकी मिली, फायर भी हुआ, मनोज पाण्डे पर हुआ, उमाशंकर सिंह पर हुआ। इधर कई माननीय विधायकों को जैसा हमने पढ़ा कि उनसे फिरौती मांगी गयी, जान से मारने की धमकी दी गयी। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने हमको चुना है, हम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिये यहॉ आये हैं। हमारी जिम्मेदारी है जनता की जानमाल की सुरक्षा करने की। यदि हमारी ही जान माल की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी तो अध्यक्ष जी हम कहॉ जायेंगे। यह हमारे हरिओम यादव जी हैं, शूटर पकड़ा गया, इनको और इनके लड़के

को मारने के लिये पहुंच गये थे। अपराधी पकड़ा गया और उसका चालान कर दिया गया। हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिये यहां आये हैं, जनता ने अपने जानमाल की रक्षा के लिये हमको इस सदन में भेजा है। इसलिये आप हमारे सदस्यों के सर्वोच्च अधिकारी हैं और आपके पास अधिकार स्वंय हैं। मैं आपसे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि आप मिलकर या बुला करके सलाह करके जितने भी हमारे माननीय सदस्यों की जान पर खतरा है, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है, जिनको मारने की धमकी मिल रही है, उनको बड़ी से बड़ी सुरक्षा देकर उनकी जान माल की सुरक्षा करायें, जिससे वह अपनी जनता की सेवा अबाध रूप से कर सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस बात के लिये मैनें पहले ही कह दिया था कि इस संबंध में पूरी संजीदगी के साथ संज्ञान लेकर जितना अधिक से अधिक हो सकता है, वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह जो भी विषय यहां अभी उठे हैं, उन सभी विषयों पर सरकार से हमारी अपेक्षा है कि प्रमुख सचिव और तत्संबंधी अन्य अधिकारियों के साथ इन घटनाओं के बारे में और सुरक्षा के बारे में दो बॉतें हैं, जो घटनायें जिनके बारे में उपलब्ध जानकारियां हैं, माननीय सदस्यों के पास या सरकार के पास और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के बारे में। सरकार से हमारी अपेक्षा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, मैं भी अपेक्षा करता हूं कि घटनायें, उनके तथ्य और सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने के बारे में सरकार कार्यवाही करे।

नियम-301 एवं नियम-51 का उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के निवारण हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुश्रवण समिति का गठन

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके बार-बार निर्देश देने के बाद भी आपके कार्यालय से नियम-51 की सूचनाओं के जवाब नहीं आते हैं। आपने कई बार कहा है कि एक महीने के अंदर वक्तव्य आ जाना चाहिये या जवाब दे दिया जाय। लेकिन आपके बार-बार कहने के बाद भी जवाब नहीं मिलता। मेरी एक सूचना है नियम-51 की। नियम-51 के अन्तर्गत मैनें 15 दिसम्बर, 2017 को जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट तथा अन्य द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में दी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या हुआ, उसका उत्तर नहीं आया क्या।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

इसके बाद 09 फरवरी, 2018 को जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा के सामने मांठ ब्रांच खंड गंग नहर के क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में तथा दिनांक 12 मार्च, 2018 को जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में बढ़ते प्रदूषण के संबंध में सूचनायें दी थीं।

श्री अध्यक्ष-

अब हमारी इस पर आप व्यवस्था सुन लीजिये तो आप प्रसन्न हो जायेंगी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मैनें आपको पत्र भी लिखा है। दो बार मैं आपको पत्र भी लिख चुकी हूं। लेकिन इसका हमें अभी तक जवाब नहीं मिला और न ही कोई वक्तव्य मिला।

श्री अध्यक्ष-

आपको जानकर प्रसन्नता होगी। इसमें दो प्वाइंट हैं, अभी तीन दिन पहले पूरे सदन ने मिलकर विधान सभा में एक नई कमेटी का सृजन किया है। उसका नाम प्रस्तावित है संसदीय अनुश्रवण समिति। माननीय लालजी वर्मा ने नियम समिति के इस प्रस्ताव का यहॉ पर विषय रखा था और वह सर्वसम्मत से यहां पर पारित भी हुआ था। नियम-301 में सूचनाओं से संतुष्ट न होना अथवा उत्तर न मिलना, नियम-51 में माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना उससे संतुष्ट न होना अथवा उत्तर न मिलना, ऐसे सारे विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर यह नई संसदीय अनुश्रवण समिति इस पर सम्यक विचार करेगी । एक बात तो यह हो गयी । इस समिति का गठन अभी तीन दिन पहले सर्वसम्मति से सबने किया है और इसका माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्या, प्रदेश की समस्या, ध्यानाकर्षण के माध्यम से नियम-301 अथवा नियम-51 के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय माननीय सदस्य कोई भी अगर अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं अथवा प्रक्रियात्मक या किसी कारणवश विलम्ब हुआ तो वह सीधे हमारे सचिवालय को लिखेंगे और वह विषय सीधे समिति में चला जायेगा जहॉ उसका ठीक से निर्णय होगा, उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होंगे। दूसरी बात जो अभी आपने विषय उठाये हैं, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कहता हूं कि आपके द्वारा उठाये गये विषय पर अतिशीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों व ड्राइवरों के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

अब नियम-300 में माननीय उमाशंकर सिंह जी की एक सूचना है, इसमें आपकी इच्छा है कि इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले माननीय सदस्यों के साथ जो सुरक्षाकर्मी आते हैं, ड्राइवर आते हैं तो उनके बैठने की, प्रतीक्षा करने की कोई जगह नहीं है, उनके लिए यहां पर कोई प्रतीक्षालय नहीं है, एक विषय इन्होंने उठाया है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस बारे में विचार कर ले।

(सदस्य, श्री उमाशंकर सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें कोई भाषण की जरूरत नहीं है, आपका मैंने पूरा पढ़ दिया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, फिर भी मेरी बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गई है। वह तो आपकी बात सही ही है, आप बोलेंगे इसीलिये कि मैं 'हॉ' करूँ, तो मैं पहले से ही 'हॉ' कर रहा हूं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम सदन को इस बात की जानकारी हो जाए, यह सदन के सभी सदस्यों से जुड़ा विषय है, अध्यक्ष जी, एक मिनट लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप का क्यों बोलने का मन है? आप का पूरा विषय आ गया, हम आपका विषय दोहराये देते हैं। आपकी और लगभग सबकी इच्छा है, यहां माननीय सदस्य अपनी गाड़ियों से आते हैं, भीड़ के कारण हम अपेक्षा करते हैं, सरकार भी अपेक्षा करती है, आप भी करते होंगे कि वह गाड़ियॉ यहां खड़ी न हों, तो गड़ियॉ कहां खड़ी हों, ड्राइवर कहां बैठें ताकि जब माननीय सदस्य निकलें तो फौरन गाड़ी, ड्राइवर और उनके सहयोगी मिल जायें। इस बारे में मैं सरकार से कहता हूं कि सम्यक् विचारोपरान्त इस पर कोई निर्णय कर लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा कर्मी गेट पर खड़े रहते हैं, ड्राइवर तो गाड़ी लेकर चले जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, गनर को भी उसमें जोड़ लिया जाए।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वह गेट पर खड़े रहते हैं, जब बारिश आ जाती है तो उनको भाग करके जाने की जगह नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बातें आ गयी हैं, आपका बोलने का मन है तो बोल लीजिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अन्य भवनों में जैसे विकास भवन है, बापू भवन है, जवाहर भवन है, इन सब में बैठने की व्यवस्था हो, तो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि इस औचित्य के विषय पर सुरक्षाकर्मियों के बैठने की कोई व्यवस्था करायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो पहले ही मान लिया है, आपके विषय को उचित मान लिया और यह नियम-300 में नहीं आता, यह भी बता दिया

(हंसी)।

अब माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री राम गोविन्द चौधरी जी की एक सूचना है। मैं पहले ही जैसे सबको बताता हूं, वैसे फिर बता रहा हूं कि नियम-300 में नहीं आता, लेकिन मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनूँगा। वह अपना विषय रखें।

तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर एवं दिनांक 29 अगस्त, 2018 को सदन में दिये गये भाषण में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये, मैं यह प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और मैं आपसे आग्रह करूँगा और आपका संरक्षण भी चाहूंगा कि आपने ही जो पहले निर्णय दिया है, उसको वापस लेकर के सुनने के बाद उस पर अपना निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सहमत हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन देश में लोकसभा के बाद सबसे बड़ा सदन माना गया है और इसकी अपनी गरिमा भी है। माननीय सदस्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के और संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप एवं नियामावली के अनुरूप अपनी सही बात रख सकें, इसमें नियमावली में प्राविधान है, आपकी पीठ से जो निर्देश दिये गये हैं, उनमें भी प्राविधान है। संविधान के अंतर्गत सदन में जो कृत्य हैं, उनका समुचित निर्वहन करने के लिये, सदन की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा के लिये कुछ विशेषाधिकार भी सौंपे गये हैं क्योंकि सभा अपने सदस्यों की सेवाओं का आबाध, प्रयोग किये बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती। सदन के प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व भी है कि वह सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये, ऐसा कोई वक्तव्य, परिपत्र या भाषण न दे जो सत्य से परे हो। प्रक्रिया, नियामावली के विरूद्ध हो। सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाता हो तथा जिससे जनता का सदन के प्रति अविश्वास पैदा हो। हम लोग जानबूझ कर टाल देते हैं लेकिन सत्तापक्ष से हमेशा ऐसा बयान आता है कि जिसका सच से कोई तालमेल नहीं होता। अभी विधान सभा के इसी द्वितीय सत्र 2018 के प्रथम मंगलवार को तारांकित प्रश्न सं0-1 के उत्तर में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दिनॉक 01 जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक जनपद बिजनौर और एटा में साम्प्रदायिक तनाव की एक-एक घटना घटित हुई और इसी सदन के इसी सत्र में अनुपूरक बजट के अपने उत्तर भाषण में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पिछले 16 महीनों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे की घटना नहीं हुई। एक जगह मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर देते हैं कि साम्प्रदायिक दो घटनाएं हुईं और अनुपूरक बजट के अपने उत्तर भाषण में कहते हैं कि 16 महीने में एक भी घटना नहीं हुई। श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न 300 के उपनियम-3 में लिखा है कि उपनियम-1 तथा 2 में है कि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य का प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा। मा0 अध्यक्ष जी, यह

जो आपकी पीठ से निर्देश दिये गये हैं उसके नियम 166 में और उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के निदेश के पृष्ठ सं0-69 पर 165(1) में यह दिया गया है कि ''यदि कोई सदस्य सदन की किसी समिति के- सदस्यों (क) उपवेशन में भाग लेने हेतु उपवेशन के लिए निर्धारित दिनॉक को उपवेशन के स्थान में उपस्थित हो, परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसे उपवेशन में उपस्थित न हो सके, अथवा की उपस्थिति के लिए भत्ते का भुगतान (ख) उपवेशन के स्थगन या निरसन की जानकारी न होने के कारण ऐसे उपवेशन के स्थान पर पहुंच जाय।'' समिति और विधान सभा एक ही लिया गया है। श्रीमन्, नियम 166 में भी ऐसा है कि आपको सूचित किया जाय ऐसे कार्यों में, मैंने आपको सूचित भी किया है नियमावली में यह नियम भी है। जो नियमावली में विशेषाधिकार है कि ''सदन के अगर किसी हमारे वक्तव्य से या उत्तर से सदन की अवमानना होती है तो यह विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है।'' मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपसे जानना भी चाहता हूं और सीखना भी चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति द्वारा यानी कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा एक उत्तर तो यह देना कि दो घटनाएं हुईं और फिर दूसरे दिन इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ही यह कहना कि 16 महीने में एक भी घटना नहीं हुई, यह सदन की अवमानना है और यह विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी शोध छात्र आयेगा और इसको पढ़ेगा तो वह तो सोचेगा कि यह कैसा सदन है। मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा हूं कि एक गरिमामयी आसन पर विराजमान होने वाले व्यक्ति इस सदन में असत्य प्रलाप कैसे कर सकते हैं। या तो दो घटनाएं सही हैं या 16 महीने में एक भी घटना न घटने की बात सही है आखिर कौन सही है इसमें। जो पूर्व में भाषण दिये कि 16 महीने में एक भी घटना नहीं घटी है और प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हैं कि दो घटनाएं घटी हैं तो यह सदन की अवमानना है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, सदन के अवमानना के कारण मैं मा0 मुख्य मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहता हूं, यही मेरा आपसे कहना है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल का अपना बहुत बड़ा सम्मान है। यह सदन में अगर कोई बात कहें, तो कम से कम ऐसी हो कि बाकी लोग उससे कुछ सीख सकें। मा0 अध्यक्ष जी, उस दिन मुख्य मन्त्री जी की तरफ से जो उत्तर दिया गया, मैं पहले उसको पढ़ देता हूं, तत्पश्चात नेता विरोधी दल ने अपने नोटिस में जो सूचना दी है उसको पढ़ देता हूं, उसको आप देख लें। नेता विरोधी दल ने यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पिछले 16 महीने में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या मा0 मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि प्रदेश में दिनॉक 01 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक जनपद बिजनौर व जनपद एटा में साम्प्रदायिक तनाव की एक-एक घटना घटित हुई है। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन यह सवाल आया था, उस दिन मैनें केन्द्र

सरकार के एक मेमोरेन्डम का जिक्र किया था कि जिसमें दंगा, घटना और तनाव को परिभाषित किया गया है। मा0 मुख्यमन्त्री जी के कथन में और प्रश्न के उत्तर में दोनों अलग-अलग बातें हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, उत्तर में यह कहा है कि साम्प्रदायिक तनाव की एक-एक घटना हुई है। मान्यवर, साम्प्रदायिक तनाव अलग है और दंगा अलग है, दंगे की परिभाषा अलग है। मान्यवर, मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स का दिनॉक 22 दिसम्बर, 2005 का सरकुलर मेमोरेण्डम (परिपत्र ज्ञापन) है, अगर आप अनुमति दें, तो पढ़कर सुना दें कि दंगा किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं और तनाव किसे कहते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों ने पढ़कर सुनाने के लिए कहा।)

तनाव होता है "Events other than those which fall under the category of major and important events." घटना होता है "Where at least 1 person has been killed of atleast 10 persons injured." और दंगा होता है "Where more than 5 persons are killed/or 10 injured or which lead to multiplicity of fatalities/large number of injured persons/extensive destruction of property." मान्यवर, इस तरह से दंगा, घटना और तनाव को अलग-अलग परिभाषित किया गया है, अगर आप कहें तो इसकी प्रतिलिपि आपको भी भेज दूँ। मान्यवर, मैनें उस दिन भी कहा था। माननीय नेता विरोधी दल ने मा0 मुख्यमन्त्री जी का भाषण तो देख लिया, लेकिन इसके ऊपर निगाह नहीं डाली, अगर इसके ऊपर निगाह डाल लिये होते तो नोटिस-300 के अंतर्गत जो वक्त खराब किया, वह वक्त खराब नहीं होता। मान्यवर, यह दोनों बातें अलग-अलग हैं। मैनें जवाब में यह कहा कि साम्प्रदायिक तनाव की एक-एक घटना घटित हुई है। मान्यवर, यह पारदर्शी सरकार है। हम किसी चीज को छिपाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने इस बात को स्वीकार किया। उस दिन जब नेता सदन का भाषण हुआ तो आप लोग बहिष्कार कर गये। अगर रहते तो कम से कम उन्हीं से पूछ लेते। उसी दिन क्लीयर हो जाता और यह जो 15 से 20 मिनट का वक्त बर्बाद किया वह बर्बाद नहीं होता। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी यह औचित्य का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि दोनों बातें अलग-अलग हैं। यह बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको उद्धृत किया और जो घटनायें हुई थीं उसको माना गया, इसलिए दोनों बातें अलग-अलग हैं। औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए इसको खारिज किया जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यही तो रोना है, यही कहना है। संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। साम्प्रदायिक तनाव होता है तभी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। ये दोनों दंगे जिसको खुद माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया जो उस दिन उनके बिहाफ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे। अगर कोई शोध छात्र आयेगा और ये सब बातें पढ़ेगा तो उसके दिमाग में इस सदन की गरिमा क्या रह जायेगी? श्रीमन्, साम्प्रदायिक घटना, तनाव और साम्प्रदायिक दंगा में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों घटनायें साम्प्रदायिक दंगा हैं। मान्यवर, जो आपके द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश हैं उसके निदेश संख्या-166 (ङ) में है कि ''मंत्री अथवा किसी अन्य सदस्य द्वारा गलत या तथ्यहीन वक्तव्य दिये जाने पर वास्तविक

स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया'' यदि कोई सदस्य, किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में कोई त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहे तो उस विषय का निदेश सदन में करने से पूर्व वे अध्यक्ष को पत्र लिखकर उस त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे और सदन में विषय को उठाने के लिये उनकी अनुमति मांगेंगे। मैंने आपसे अनुमति मॉग ही लिया और आपसे बता दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 02 साम्प्रदायिक तनाव, घटनायें व दंगे हुये, दूसरी तरफ कहते हैं कि 16 महीने में कोई घटना ही नहीं घटी। मैं ''कौल एण्ड शकधर'' की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के पृष्ठ 242 और 321 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं-'किसी साक्षी द्वारा किसी समिति के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार या दस्तावेज, जो उसके पास हों, पेश करने से इनकार किया जाना, किसी समिति के समक्ष टालमटोल करना या झूठा साक्ष्य देना या जानबूझकर सच्चाई छिपाना या समिति को गुमराह करते रहना और समिति के साथ खिलवाड़ करना उसके प्रश्नों के अपमानजनक उत्तर देना या नशे में धुत होकर समिति के समक्ष आना। यह विशेषाधिकार और सदन की अवमानना के अंतर्गत आता है। उसी में **पृष्ठ-259** में ''संसद में बोलने और कार्य करने पर कोई आपत्ति या बंधन नहीं है''। लेकिन बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से इस प्रकार की स्वतन्त्रता का यह मतलब नहीं है कि सभा में बोलने की स्वतंत्रता अबाध तथा बिना किसी अवरोध के है। सभा में वाक् स्वातंत्रय के अधिकार पर संविधान के उपबंधों के बंधन हैं। इसके अतिरिक्त नियमों के बंधन भी हैं जिनका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध अकारण या निराधार आरोप न लगाए जा सकें। मंत्रियों या सदस्यों द्वारा दिये गए गलत वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाने की प्रक्रिया पर अध्यक्ष के निदेश लागू होते हैं। जब कोई सदस्य इन में से किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष उसे अपना भाषण बंद करने के लिए कह सकता है' या उसको निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं या वह सदस्य को सभा से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं या सदस्य को सदन की सेवा से निलंम्बित करने का विषय मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली में व्यवस्था है विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना की। आपकी पीठ से जो निर्देश दिये गये उसके पृष्ठ 166 को मैंने पढ़कर बताया। कौल एण्ड शकधर की किताब में जो व्यवस्था है इसके विषय में, उसको भी मैंने आपको बताया। मेरा निश्चित मत है नियमावली आपके यहां से दिये हुए आदेशों के अनुरूप, कॉल और शकधर के बनाये हुए नियमों के अनुरूप यह माननीय मुख्य मंत्री जी का कृत्य इस सदन के अवमानना के अन्दर आता है। इस सदन के विशेषाधिकर हनन का मामला होता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी फिर इस बात को टाल-मटोल कर रहे हैं जिसके लिये मैंने इसको पढ़ा। टाल-मटोल करना भी सदन की अवमानना है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और हमको आप आज्ञा दें कि सदन की अवमानना और सदन के विशेषाधिकार का हनन करने के उपलक्ष्य में हम माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ अवमानना का विशेषाधिकार का प्रश्न आपके पास भेज सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कम से कम बहस मान्यवर, इसलिये अच्छी है कि बाकी सदस्यों को यह जानकारी मिल जायेगी। कार्यवाही में तो छपेगा ही छपेगा लेकिन मान्यवर, लोग

जानकारी कर लेंगें कि किस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन है। बात सिर्फ इतनी है कि यह नियम-300 का क्यों बनता है। नियम-300 का तब बनता अगर दोनों बातें एक होतीं मान्यवर। दोनों बातें अलग अलग हैं मान्यवर। हमने अभी तक सुना था मान्यवर, कि लोग अपने पूर्वजों की दी हुई सीख को नकारते हैं। लोग मानते तो हैं कि वह हमारे पूर्वज हैं या हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी सीखों को नकारते हैं। 2005 में सरकार हमारी नहीं थी। केन्द्र में कांग्रेस यू0पी0ए0 की सरकार थी और आपकी थुमरिया थी, आपका सहयोग था, आपका समर्थन था। जिस समर्थन के आधार के ऊपर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ आपको उसको डिसओन करने का, उसको किसी भी प्रकार से असहमति व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं बनता। कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता और यह मेरे घर का कागज नहीं है। मैं इसकी संख्या पढ़े देता हूं आप इसको वैरीफाई कर लें। यह इन्टरनेट के ऊपर मौजूद है। कि दंगा किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं और किसे तनाव कहते हैं। यह इसमें बकायदा क्लियर है मान्यवर। हम आपको दिये देते हैं आप इसको डिस्टिंग्विश कर लें मान्यवर। और पूरे हाउस को इसकी जानकारी हो गई और जानकारी होना भी चाहिए। लेकिन आप एक मिथ्यावाद को इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं। कॉल और शकधर को यहां पढ़ने का औचित्य कहां बनता है। हमने जब कोई चीज को किया हो तब उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो प्रक्रिया कहां से शुरू हो जायेगी। सवाल यह है कि हमने यह एक्सेप्ट किया कि तनाव है, हमने यह एक्सेप्ट किया कि दंगा है लेकिन वह घटना दंगे की श्रेणी में नहीं आती। किसी भी हालत में दंगे की श्रेणी में नहीं आती। यह नोटिफिकेशन मान्यवर, मेरे घर का नहीं है। यह हमने अपने घर में नहीं बनाया। यह मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स यूपी0ए0 जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके जमाने का यह नोटिफिकेशन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह मैं आपको भेजे दिये देता हूं कि कम से कम यह जानकारी हो कि दंगा किसे कहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं फिर पढ़कर सुना दूँ। दंगा उसे कहते हैं कि वेयर मोर देन फाइव पर्सन्स आर किल्ड। यहां कौन से पॉच पर्सन्स किल्ड हुए/ऑर टेन इन्र्जड। पॉच पर्सन्स किल्ड नहीं हुए मान्यवर, इसलिये इसको किसी भी प्रकार से दंगे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा वह पूरी तरीके से सत्य है। किसी भी प्रकार से मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिये हम आपसे कहेंगें कि सदन का समय खराब न किया जाय और आपसे हम निहायत अदब से इस बात की गुजारिश करेंगें कि इसको खारिज किया जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, फिर यह सदन को गुमराह कर रहे हैं जो उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दिया साम्प्रदायिक घटना माने साम्प्रदायिक झगड़े हुए। दो वर्गों में मारपीट हुई, दो वर्गों में लोग इन्जर्ड हुए। वह दंगा हुआ कि नहीं हुआ। यह गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं यह नियम-300 के अन्तर्गत आता है क्योंकि सदन के प्रश्न के उत्तर का, इस सदन में दिए गए भाषण के संदर्भ में मैं नियम-300 की सूचना लेकर आया हूं इसलिए इस विषय पर आप सदन की अवमानना का विशेषाधिकार लाने के लिए अनुमति देने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, गुमराह हम नहीं कर रहे हैं गुमराह कर रहे हैं मा0 नेता विरोधी दल। यह पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। गलत बयानी भी कर रहे हैं और गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उस नोटिफिकेशन को नकार रहे हैं जो इनके बुजुर्गों की सहमति से जो केन्द्र सरकार के द्वारा जारी किया गया उसको नकार रहे हैं। हमने सुना था मान्यवर कि लोग बुजुर्गों की सीखों को,परम्पराओं को नकारते हैं लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं। वह माननीय नेता, उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे मान्यवर, उनके सहयोग से यह हुआ। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स का जो है उसको नकार रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक बात कह दें अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है हम बैठ जाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

धन्यवाद कि मनमोहन सिंह जी की बात मानने को तैयार हैं। मेरा यह कहना है यही तो जादूगरी है इनकी बात में। तनाव और साम्प्रदायिक घटना होने में कोई अन्तर नहीं है। तनाव होता है मारपीट होती है मान्यवर, आप किसी भी एजेन्सी से जांच करा लीजिए यह जो घटनाओं का उल्लेख किया है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से, उसमें लोग इन्जर्ड हुए या नहीं हुए, उसमें घरों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आग लगी कि नहीं लगी? और साम्प्रदायिक दंगा होता क्या है? उसका दूसरा मायने क्या होता है? इसलिए इनके बात के जाल में मत फॅसिए माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन की गरिमा की जो अवमानना हुई है आप थोड़ा संरक्षण दीजिए, कभी-कभी तो संरक्षण दीजिए उधर तो बराबर दे ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज तो हम आपके अनुसार उठ बैठ रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसलिए विशेषाधिकार के हनन का यह मामला बनता है सदन की अवमानना का मामला बनता है हम तो कह रहे हैं जांच करा लीजिए सदन की कमेटी भेज दीजिए। आपका बड़ा दल है हम लोग छोटे दल में हैं आप अधिक सदस्य रख लीजिए अगर लोग वहां इंजर्ड न हुए हों, आग न लगी हो, घायल लोग न हुए हों,आप दस लोग अपनी तरफ से भेज दीजिए और एक-एक हम लोगों की तरफ से भेज दीजिए। दंगे वही दंगे है, अब यह तो इनके उत्तर देने का कमाल है और इसीलिए सदन को गुमराह करते हैं क्योंकि अवमानना का प्रश्न बनता है और विशेषाधिकार का भी प्रश्न है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह दंगा मुजफ्फरनगर को समझते हैं। दिक्कत यह है मान्यवर, यह अभी हमसे कहते हैं जादू, और ऊपर से आक्षेप कर रहे हैं कि उधर तो हमेशा संरक्षण करते ही है आप। यह मान्यवर, आक्षेप है इसको कार्यवाही से निकलवा दें। यह मा0 नेता विरोधी दल हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम तो कृपा पूर्वक कहे हमारी तरफ भी संरक्षण रहे अगर आपको आक्षेप लगता है तो निकाल दीजिए मैं कहां मना करता हूं। मैं कभी आक्षेप नहीं लगाता हूं अगर आपको लगता है तो तत्काल निकाल दीजिए। और तत्काल मेरी भी बात मान लीजिए कि अवमानना का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब कम से कम कोई आरोप तो नहीं लगाएगा आप जब कहे तो बैठ गए, यह जब कहे तो हम बैठ गए।

(हंसी)

हम अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहे थे। निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले मैं दो-तीन बातों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। तनाव और घटना में फर्क होता है कानून में भी लिखा होगा। मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं। तनाव जैसे कभी-कभी हम लोगों में हो जाता है और जब आप चिल्लाते हुए चले जाते हैं तो वह घटना है। तनाव का मतलब तन जाना, जो वर्तमान काल है, उसमें न होकर भविष्य में जाना तो इसी में से शब्द बना है प्रेजेन्ट टेन्स। टेन्स को अगर अपना अर्थ समझने के लिए टेन्सन कर दें तो प्रेजेन्ट टेन्सन, फ्यूचर टेन्सन। तनाव का मतलब है बहुत पीछे सोच रहे हैं अतीत तनाव। तनाव मानसिक कार्रवाई है और घटना शारीरिक और प्रत्यक्ष कार्रवाई है। यह तो मानना पड़ेगा कि तनाव एक भिन्न बात है। साम्प्रदायिक तनाव और साम्प्रदायिक घटना में फर्क तो करना ही पड़ेगा। साम्प्रदायिक तनाव तो किसी को भी हो सकता है, हो सकता है कि पता न लगे उसके भीतर हो, क्योंकि तनाव हमेशा अन्तरतम की कार्रवाई है और वही तनाव कभी-कभी विषाद में ले जाता है। वही तनाव कभी-कभी अवसाद में ले जाता है। मैं जो बोल रहा था, वह दर्शन से बोल रहा था। कानून से इसका निर्वचन आप दोनों बहुत विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं। आप जितनी बार इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं, मैं उतनी बार नहीं रहा। आप बहुत दिन से हैं मैं एक विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा कही गयी बातों को सुनकर मेरे मन में उनके प्रति आदर पैदा हुआ, लेकिन तथ्य यह है कि एक शासनादेश दंगे के बारे में पढ़ा गया है और वह इस सरकार द्वारा नहीं गढ़ा गया है, इस सरकार द्वारा भी अगर इस सदन में होता तो भी हमको मानना पड़ता, दंगे की परिभाषा और घटना की परिभाषा वह पहले से स्थापित है, इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। पहले जो कहा गया उस पर सरकार अटल है कि हां हमने ऐसा कहा और जो दूसरे दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा उस पर भी सरकार अटल है उनका पक्ष ले रही है। आपने जो विषय उठाया है, एक अच्छी कसरत है, लेजिस्लेटिव कसरत है। मैं नहीं समझता कि इससे आदरणीय सदन के किसी विशेषाधिकार का अवमान हुआ है। विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद-194 में बहुत ठीक से व्याख्यायित है और समय-समय पर न्यायालयों में भी विशेषाधिकार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से वहां पर रखा था, उसी से विषय लेकर विशेषाधिकार के बारे में हमारी नियमावली है और मैं इसमें किसी विशेषाधिकार हनन का अंश नहीं देखता और माननीय

नेता प्रतिपक्ष ने तमाम विषय यहां पर रखे, यह अच्छी बात है, बहुत अनुभवी हैं। सदन चलता भी इसी तरह से है कि जो हमारे सामने बोलने वाला वक्ता है उसके व्यक्तित्व, उसकी गरिमा, उसकी महिमा के प्रति आदर और जो तथ्य है, संवैधानिक तथ्य। तथ्य वह है जो विधिक तथ्य है। तथ्य वह है जो विधि के निर्वचन से पैदा हुआ है, इसलिए प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न हम सुन लेते हैं, लेकिन प्रश्नों को किसी दूसरे दिन से जोड़कर हम लोग उसे औचित्य का प्रश्न भी नहीं बनाते। हमने औचित्य के इस प्रश्न पर दोनों पक्षों को बहुत लंबा सुना है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह औचित्य प्रश्न नहीं बनता है और दूसरा यह कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न भी नहीं बनता है, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं और आज हम लोग इस सत्र में, इस सदन में अन्तिम दिन हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आगे का कार्यक्रम बहुत आनन्दपूर्वक चले।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपका आदेश सर्वमान्य बिल्कुल सर्वमान्य। मैं मान रहा हूं लेकिन एक प्रार्थना है इससे अलग कि फिर कभी ऐसी विसंगति पैदा न हो आप अपने से सदन के चाहे जिस सदस्य को चाहें एक दो आदमी इधर से एक दो आदमी उधर से लेकर कि वह साम्प्रदायिक घटना थी कि नहीं थी बस आप जांच करवा लें मैंने जो आपने आर्डर दिया है उसको तो मान लिया वह स्वीकार है। लेकिन यह जांच भी करवा लीजिए कि कभी फिर गलतफहमी सदन में न पैदा हो। आप अपने से इसकी जांच करवा लीजिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का सुझाव मान रहा हूं और जो तथ्य और जो किताबें खन्ना जी ने उल्लिखित की खन्ना जी तो ला के ग्रेजुएट रहे हैं यह विधि वेत्ता हैं यह बता रहे थे कि यह प्रथम श्रेणी में आए थे ।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मैंने भी प्रथम श्रेणी में एल0एल0बी0 पास किया था।

श्री अध्यक्ष-

दोनों लोग विधि विद्वान और मैं अर्थशास्त्र का एम0ए0 लेकिन बहुत सुन्दर तर्क वितर्क के लिए दोनों बधाई के पात्र हैं।

[01:11 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 अगस्त, 2018 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 100 सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना डॉ0 सोमेन्द्र तोमर की आवास विकास परिषद्, वृन्दावन योजना लखनऊ एल्डिको सौभाग्यम के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत लमसर से मटरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री श्याम धनी की जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश

शुक्ल की जनपद बस्ती के ब्लाक दुबौलिया अन्तर्गत सुखिबाबाब को पहुंच मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री नन्द किशोर गुर्जर की जनपद गाजियाबाद में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्राम दाती को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की पीलीभीत नगर क्षेत्र के कतिपय मार्गों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद मुगलसराय की गडई नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा अन्तर्गत पदमकुंज, बोदला, सिकंदरा की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली स्थित किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत नोएडा-आगरा-एक्सप्रेस-वे पर बल्देव के लिए कट बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले की जनपद मेरठ में वेस्ट-टू एनर्जी प्लांट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती सुनीता की जनपद गाजीपुर अन्तर्गत जमानियां में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन अन्तर्गत ग्वालियार मार्ग को जोड़े जाने वाले कोंच स्थित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ स्थित ग्राम सफियाबाद लोटी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रांट में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत जिला मुख्यालय से विकास खण्ड बेलसर को टू लेन मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेहसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर मार्जिनल तट बंध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के कतिपय क्षेत्रों में पुलिया/रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में नवसृजित विकास खण्ड ककौड को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर स्थित पड़री से गोल्हनपुर का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा स्थित सुन्दर पाडा में सार्वजनिक

शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री संजय शर्मा की जनपद बुलन्दशहर स्थित गंगा नहर लखावटी ब्रान्च की वायीं पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह की जनपद वाराणसी के रोहनिया विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर में उपनिबंधक कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई-राठ मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री विनय कुमार द्विवेदी की जनपद गोण्डा अन्तर्गत इटियाथौक में बिसुही नदी पर स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गांधी कालोनी में जल निकासी की समस्या की निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ब्लाक शाहपुर के ग्राम आदमपुर स्थित हिण्डन नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के स्थित एन0एच0-58 पर अण्डर पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित हिण्डन नदी पर नून्नू खेड़ा-अटाली सम्पर्क मार्ग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के संजय नगर कालोनी में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की ग्राम खरगापुर गोमतीनगर, लखनऊ को नगर निगम में शामिल करने के सम्बन्ध में नगर निगम जोन-4 द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद मिर्जापुर में कतिपय हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर में धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद कुशीनगर के हाटा एवं मोयल विकास खण्ड में खदान माफियाओं के विरुद्ध एस0आई0टी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम परोतन से रढ़ेली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरालिसवीं सूचना चौधरी उदयभान सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत एस0 एन0 मेडिकल कालेज में नेत्र विभाग के नेत्र चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत बने आवास की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की कानपुर नगर में हमीरपुर रोड नौबस्ता स्थित कामदगिरि इण्टर कालेज एवं ओम बेंकट हाल के मध्य मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत बाल्मीकि बैराज से झुलनीपुर होते हुए बिहार जाने वाली नहर बंजारी पट्टी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की प्राथमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा राजकीय विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के आयकर कटौती का विवरण वेब साईट पर अपलोड न किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर में

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनचासवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के बोस स्टेडियम के तरणताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की चन्दौली- सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से तारगांव सढ़ान सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ शहर में पुलिया, सीवर व सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र 4 के ब्लाक पुवांरका में मेन अम्बाला रोड से ग्राम भाऊपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने एवं बिजली की तार/पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्रीमती शोभा सिंह चौहान की जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरस्थ-भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु पारीछा बांध में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री सूर्यभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देश्वरीगंज बहुरावां बाजार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में जर्जर बिजली की तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुरा में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में पेयजल हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गिरते जल की जांच एवं रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के शाहबाद रोड पर बने अजीतपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया द्वारा बनाये गये अवैध नालों को सरकारी जमीन से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की आवारा पशु को उचित संरक्षण होने के कारण प्रदेश में किसानों एवं गोवंश की दुर्दशा के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सराय ममरेज से लोटई के बीच क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद लखनऊ के इंदू मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर में अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने पद

का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देश्वरीगंज-बहुरावां बाजा में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना कस्बा नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की जनपद बलिया के जिला महिला चिकित्सालय के जर्जर भवन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की आयुष अनुभाग-2 के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किये जा रहे असंसदीय आचरण एवं व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री संजीव दिवाकर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजवाहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत रतिभान से जरैरा मार्ग के बीच स्थित जिरौली ग्राम में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र में लगे सरकारी व गैर सरकारी फैक्ट्रियों में काम कर रही आउट सोर्सिंग कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन डायमण्ड डेरी राजकीय कालोनी में साफ-सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनासीवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के पाली से हड़गुड़ मुख्य मार्ग सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना लीना तिवारी श्रीमती की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत रामपुर बाजार में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की रायबरेली नगर पालिका में रिसोर्स सेंटर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में मकदूम साहब पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की उ0 प्र0 के राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को सम्मानित वेतन और सुविधायें तथा नौकरी में स्थायित्व दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री प्रतीक भूषण सिंह की प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ग्राम सकतपुर के पास फरुआही घाट पर दूढ़ी, राप्ती नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना डॉ0 संगीता बलवन्त की जनपद बलिया के ग्राम भरौली में कच्चे मार्ग को पक्के कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में अनुज्ञा अवधि के दूसरी किस्त न जमा किये जाने के बाद भी पट्टेधारकों के द्वारा खनन कार्य कराये जाने से सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व क्षति के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरानगर पालीटेक्निक ढाल, द्वारिकापुरी चौराहा के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

नब्बेवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर में स्थापित सिरोपरि को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी में कृषकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विकास खण्ड चकरनगर के कुवारी नदी पर चेकडैमों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की प्रतापगढ़ नगर पालिका में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री तेजेन्द्र निर्वाल की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली में औद्योगिक पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छानबेवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड गंगोह के ग्राम बिलासपुर में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में सौभाग्य योजना का काम चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौवीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवान की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रूबी की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये किये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

आवास विकास परिषद्, वृन्दावन योजना लखनऊ एल्डिको सौभाग्यम के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

प्रदेश में निजी बिल्डर्स द्वारा यू0 पी0 अपार्टमेण्ट ऐक्ट एवं शासनादेशों का उल्लंघन करके आवंटियों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है और अपनी पहुंच के चलते सरकार के आदेशों को मानने से इंकार किया जा रहा है। आवास एवं विकास परिषद्, वृन्दावन योजना, लखनऊ के एल्डिको सौभाग्यम के विरुद्ध परिषद् की जांच में प्रमाणित हो चुका है कि डेवलपर ने अपार्टमेण्ट ऐक्ट का उल्लंघन करके श्रीमती मिथिलेश कुमारी से नियम विरुद्ध धनराशि वसूल की है और अनावश्यक धनराशि आरोपित करके फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13-08-2018 को आवंटी के शिकायती-पत्र पर आवास आयुक्त को जांच कराकर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं, फिर भी डेवलपर द्वारा आवंटी पर नियम विरुद्ध आरोपित धनराशि को निरस्त करने से इंकार किया जा रहा है। डेवलपर की मनमानी के चलते पिछले वर्षों से आवंटी का घोर मानसिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्च स्तर से संदर्भित अनेक शिकायतों पर कार्यवाही करने के स्थान पर आवास एवं विकास परिषद् द्वारा डेवलपर और आवंटी के बीच अनुबंध का मामला बताकर निरन्तर शासन को भ्रामक उत्तर उपलब्ध कराकर प्रकरण का निस्तारण करा दिया जा रहा है, जबकि परिषद् का दायित्व है कि वह ऐक्ट का उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित डेवलपर के विरुद्ध कार्रवाई करके आवंटियों के अधिकारों का संरक्षण करें।

माननीय सदन के माध्यम से शासन के आदेश दिनांक 13-08-2018 के अनुपालन में प्रश्नगत शिकायतों का बिन्दुवार जांच कराकर आवंटी को न्याय दिलाने और डेवलपर द्वारा ऐक्ट का अनुपालन किये जाने से इंकार करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत लमसर से मटरा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा कालपी के विकास खण्ड कदौरा में मटरा गांव सभा जो लगभग 7 किमी0 चक्कर लगाने के बाद मुख्य मार्ग हमीरपुर-कालपी तक पहुंच पाते हैं। अगर लमसर से मटरा गांव तक मार्ग जोड़ दिया जाये तो लगभग 2.5 किमी0 चलकर मुख्य मार्ग पर मटरा के ग्रामवासी पहुंच सकते हैं।

अतः निवेदन है कि लमसर से मटरा लम्बाई 2.5 किमी0 मार्ग बनवाने स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम धनी-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर, ब्लाक उस्का बाजार के ग्राम महुलानी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, ग्राम सभा महुलानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्षों से संचालित है परन्तु सुविधाओं का अभाव है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम सभाओं से जोड़ने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहद ही जर्जर हो चुका है। अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल वर्षों से गिरी पड़ी है। अस्पताल की दीवालें क्षतिग्रस्त हो गई है, जो भवन कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के आवास के लिए बनाये गये हैं उसकी दशा बेहद ही दयनीय है आवास की दीवार, छत, दरवाजे, खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अस्पताल में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के साफ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल में किसी महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई है। अतः आधुनिक सुविधाओं को सुनिश्चित एवं अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के ब्लाक दुबौलिया अन्तर्गत सुखिबाबाब को पहुंच मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल उर्फ सी0 ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज, जनपद बस्ती के ब्लाक दुबौलिया अन्तर्गत सुखिबाबाब तराई क्षेत्र का घनी आबादी वाला गांव है। यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है। इस क्षेत्र के आमजनों को नदी/नालों में नाव के द्वारा आना-जाना पड़ता है जिससे नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लोगों को जान गवानी पड़ी है। अभी ऐसे ही नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस ग्राम को सड़क एवं पुलिया बनाकर पहुंच मार्ग से जोड़ने हेतु कई बार जिला स्तर पर लिखा गया और आमजन द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से आमजन में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त गांव को जोड़ने हेतु सड़क/पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में लोनी तहसील पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नई तहसील बनायी गयी थी। इस नवीन तहसील लोनी का कार्य नगर पालिका के भवन में संचालित किया जा रहा है। नगर पालिका के भवन में पर्याप्त जगह न होने के कारण तहसील के संचालन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस तहसील की जनता का कार्य भी समय पर निस्तारित नहीं हो पा रहा है जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में तहसील भवन का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोनी तहसील के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्राम दांती को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र संख्या-(397) मझवां का ग्राम दांती चारों तरफ से वन से घिरा हुआ है। इस गांव की 10 हजार की आबादी गरीब मजदूरों, पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति की है। आजादी के बाद से आज तक इस गांव को किसी भी मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कोई भी सड़क नहीं बनी है। गांव के बच्चों को पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार मरीज एवं प्रसूतायें अस्पताल तक पहुंचने के पूर्व ही दम तोड़ देते हैं। उक्त सड़क का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पीलीभीत नगर क्षेत्र के कतिपय मार्गों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर क्षेत्र पीलीभीत में मार्गों का निर्माण न होने से आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ठेका चौकी से नेहरू पार्क रोड का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण, करघौना से करधौना पीरा तक मार्ग का निर्माण जहानाबाद से कुक्टीखेड़ा होते हुए बरेली रोड का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार पत्र लिखने के बाद कोई कार्रवाई न किये जाने से क्षेत्र की जनता में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुगलसराय की गडइ नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय-380 चन्दौली सदन ग्राम सभा बिन्दपुरवा गड़ई नदी पर बांस-बल्ली के सहारे पूरे गांव का आना-जाना लगा रहता है, जिससे बरसात के महीने में काफी लोग इस बांस-बल्ली के सहारे में गिर जाते हैं। जिससे काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कई बार सपा व बसपा के शासनकाल में इसका औचक निरीक्षण भी कराया गया और पुल का भरोसा देकर कई बार सपा, बसपा वोट की राजनीति करती रही। इस ग्राम सभा में गड़ई नदी पर एक पुल की अति आवश्यकता है।

कुछ पुलों की गड़ई नदी पर और आवश्यकता है, जो निम्न है :-

1-विकास खण्ड चन्दौली सदर ग्राम सभा बिन्दपुरवा गड़ई नदी पर।

2-विकास खण्ड चन्दौली, ग्राम सिन्दरपुर गड़ई नदी पर।

3-विकास खण्ड चन्दौली, ग्राम शिवपुर (अकोढ़ाकलां) गड़ई नदी पर।

4-विकास खण्ड चन्दौली, ग्राम खुरूहुजा काली मन्दिर के सामने गड़ई नदी पर।

5-विकास खण्ड चन्दौली, ग्राम जलखोर के सामने गड़ई नदी पर।

6-विकास खण्ड नियमताबाद, ग्राम गोपलपुर गड़ई नदी पर।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा अन्तर्गत पदमकुंज, बोदला, सिकन्दरा की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के पदमकुंज, बोदला, सिकन्दरा की आन्तरिक सड़कें व नालियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

आगरा महानगर पदमकुंज, बोदला, सिकन्दरा सड़क व नाली जर्जर है। जिससे वहां के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में इसके कारण बहुत रोष है जनहित में उक्त कार्य को शीघ्र कराना अति आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली स्थित किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 120, भोजीपुरा, जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ के अन्तर्गत नगरिया कलां-कमालपुर के मध्य किच्छा नदी पर पुल का निर्माण जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र संख्या 06, रामपुर मनिहारन (जनपद सहारनपुर) में रामपुर मनिहारन तहसील बने हुए लगभग 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जो कि आज तक अस्थायी बिल्डिंग मण्डी समिति में चल रही है। तहसील की अपनी स्थायी बिल्डिंग न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील के स्थायी बिल्डिंग के लिए जमीन उपलब्ध करायी जाये। इस समय मण्डी समिति के पास लगभग 100 बीघा जमीन उपलब्ध है यदि मण्डी समिति से जमीन अधिग्रहण कर ली जाये तो तहसील रामपुर मनिहारन की स्थायी बिल्डिंग बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। स्थायी बिल्डिंग बनने से तहसील से जुड़े समस्त विभाग एक जगह सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से चल सकेंगे, जिससे आम जनमानस को काफी सुविधा होगी। अतः ऐसी परिस्थितियों में रामपुर मनिहारन तहसील की स्थायी बिल्डिंग का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बल्देव के लिये कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव, जनपद मथुरा से नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे निकल रहा है। इसके मध्य बल्देव में दाऊजी महाराज का विशाल मन्दिर है, जहां प्रतिदिनि स्थानीय व अन्य प्रदेशों से दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना बना रहता है। श्रद्धालुओं को दाऊजी महाराज के दर्शन हेतु आने के लिए एक्सप्रेस-वे से राया अथवा आगरा उतरना पड़ता है और 50 किमी0 का चक्कर लगाकर आना पड़ता है, जबकि हमारे क्षेत्र बल्देव से एक्सप्रेस-वे गुजरता है। श्रद्धालुओं एवं जनहित में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिए कट उपलब्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद मथुरा के नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिए कट उपलब्ध किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''-

[मान्यवर, जनपद मेरठ के नगर निगम में प्रतिदिन लगभग 1200 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। पूरे शहर में लगभग 250 स्थानों पर कूड़ाघर/ढलाव घर बने हुए हैं जहां गली, मोहल्लों से कूड़ा इकट्ठा होकर इन 250 कूड़ाघरों पर डाला जाता है। इसके उपरान्त नगर निगम की गाड़ियां इस कूड़े को हटाकर गावड़ी ग्राम के रकबे में स्थित डम्पिंग ग्राउण्ड पर डाल देती है। इससे पूर्व यह कूड़ा दिल्ली रोड पर मंगतपुरम में डाला जाता था। मंगतपुरम में कूड़े के पहाड़ बन गये हैं तथा यही स्थिति गावड़ी ग्राम कूड़ा डपिंग स्थल की है। मंगतपुरम में कूड़े के पहाड़ों के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान ले रखा है तथा कूड़ा हटाने के निर्देश दिये हैं। यही स्थिति गावड़ी कूड़ा डपिंग स्थल की होने जा रही है। पिछले एक सप्ताह से स्थिति यह है कि गावड़ी ग्राम के लोगों ने विरोध स्वरूप एकत्र होकर नगर निगम की गाड़ियों को कूड़ा डालने से मना कर दिया। कूड़ा डालने वाली गाड़ियों की लाइन दूर-दूर तक लगी है शहर से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। पिछले एक सप्ताह में 7000-8000 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित हो गया है। नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या के सामने बौने साबित हो रहे हैं। शहर में असाध्य बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस समस्या के निदान हेतु नगरायुक्त, मेरठ द्वारा प्रमुख सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्रांक 1601/पी0ए0-न0आ0-कैम्प/2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 को गावड़ी गांव में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु उच्चाधिकार समिति (राज्य स्तर से) स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है लेकिन लगभग डेढ़ माह उपरान्त भी प्रगति शून्य है। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु तत्काल स्वीकृति दिया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि जनपद मेरठ में होने वाली सम्भावित महामारी/बीमारियों से बचा जा सके।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत जमानियां में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुनीता सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के 379 विधान सभा क्षेत्र जमानियां में जमानियां नगर पालिका अन्तर्गत गंगा नदी पर विगत 15 वर्ष पूर्व पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पुल निर्माण में तेजी आयी और अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उक्त पुल के निर्माण होने से गंगा पार के क्षेत्र पं0 दीन दयाल उपाध्याय पटना मुख्य रेल मार्ग से जुड़ गया है तथा हमारे क्षेत्र की जिला मुख्यालय से दरी भी कम हो गयी है लेकिन उक्त पुल पर एन0एच0-24 से पुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण न होने से आवागमन अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है। जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद महराजगंज के बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[मान्यवर, जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा अन्तर्गत विकास खण्ड बृजमनगंज में प्रमुख बाजार बृजमनगंज के रूप में स्थित है। इस प्रमुख बाजार को टाउन एरिया बनाने की मांग विगत 7 वर्षों से लगातार आम जनता द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में बहुत सारे सामाजिक संगठनों एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा धरना-प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया है। इस बाजार में रेलवे स्टेशन, ब्लाक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्टेट नेशनल बैंक, जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, कई इण्टर कालेज, कई डिग्री कालेज, थाना स्थित है। यह टाउन एरिया बनाने के सभी मानक पूरा करता है। फिर टाउन एरिया न बनाये जाने से इस क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्वालियर मार्ग को जोड़े जाने वाले कोंच स्थित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219, माधौगढ़, जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच से नदीगांव मार्ग जोकि ग्वालियर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग का प्रारम्भिक हिस्सा (2 किमी0 जो कोंच नगर के अन्तर्गत) है, की स्थिति जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, उक्त 2 किमी0 कोंच शहर के हिस्से के भाग को चौड़ीकरण करते हुए सी0सी0 मार्ग बनाया जाना आवश्यक एवं बाकी शेष हिस्से का भी चौड़ीकरण एवं निर्माण आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश में विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने वाले बड़े निर्माण कार्यों के नक्शा पास करने पर जो धनराशि (शुल्क) लिया जाता है। उक्त शुल्क का प्रयोग विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र/ उक्त गांवों में किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ स्थित ग्राम साफियाबाद लोटी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र, किठौर, जनपद मेरठ के अन्तर्गत काली नदी (पूर्वी) है। इसमें मेरठ की सभी फैक्ट्रियों का गन्दा पानी व पूरे शहर का गन्दा पानी तथा बूचड़खानों का गन्दा पानी बहता है, जिससे नदी के आस-पास रहने वाली काफी बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस काली नदी के आस-पास रहने वाली काफी बड़ी आबादी को गन्दा व पीला पानी पीने हेतु विवश होना पड़ रहा है जिससे इस क्षेत्र के लोग कैंसर, लीवर, फेफड़े व अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इस कारण से काली नदी के समीप स्थित ग्राम सफियाबाद लोटी में पानी की टंकी लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रण्ट में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 301, गौरा, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रण्ट में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रण्ट में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत जिला मुख्यालय से विकास खण्ड बेलसर को टू लेन मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत जिला मुख्यालय से विकास खण्ड बेलसर को टू-लेन मार्ग बाढ़ पीड़ित मां बरही देवी, शक्तिपीठ को जोड़ता है। घाघरा एवं सरयू नदी का बाढ़ क्षेत्र है, जिसमें लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित होती है। जनहित में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कर टू-लेन मार्ग बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में ग्राम पतइयापुरा में प्राथमिक विद्यालय का भवन काफी पुराना एवं पूर्ण रूप से जर्जर है। जिसमें छात्र-छात्रायें एवं अध्यापकों के साथ कभी भी कोई दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जिससे छात्र/छात्राओं की शिक्षा पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छात्र/छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जनहित में उक्त प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत करवाने का कष्ट करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत मे गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372, केराकत, जनपद जौनपुर में सरउज बेड़वर ग्राम सभा बेहड़ा की दोनों तरफ लगभग 50 हजार की आबादी है। यहां पर पुल न होने के कारण स्थानीय जनता को आर-पार जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा छात्र/छात्रओं को स्कूल जाने में काफी कठिनाई होती है। जनहित में पुल का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर मार्जिनल तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा सेवता, जनपद सीतापुर बाढ़ से प्रभावित है। प्रतिवर्ष बाढ़ से भारी नुकसान होता है। क्षेत्र के चहलारी घाट पुल के निकट सीतापुर जिले में मार्जिनल तटबन्ध लगभग 3.5 किमी0 बनाये जाने की अत्यधिक जरूरत है। क्योंकि यह तटबन्ध न होने से ग्राम नगीनापुरवा, म्योढ़ी, छोलहा, मिश्ररनपुरवा एवं खमरिया आदि दर्जनों गांव पानी में डूब जाते हैं। वहीं कटान के कारण इन गांवों के दर्जनों मकान नदी में समाहित हो गये है। लोगों पलायन करते हैं। जनहित में उक्त मार्जिनल तटबन्ध लगभग 3.5 किमी0 बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के कतिपय क्षेत्रों में पुलिया/रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122, फरीदपुर, जनपद बरेली के इनौनिया मोहनपुर में खर्रा की पुलिया (कुआं डाण्डा ब्लाक) सलेमपुर में गोहनिया नदी का रपटा नाला (कुआं डाण्डा ब्लाक) तथा रजउ परसपुर में नाले की पुलिया (फरीदपुर ब्लाक) का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त ग्रामों के लोगों का इन पुलियों के न होने से जीवन बहुत कठिन हो गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर में नवसृजित विकास खण्ड ककोड़ को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद को विभाजित करके नये विकास खण्ड ककोड़ का पूर्ववर्ती सरकार में सृजन किया गया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था लेकिन क्रियाशील नहीं हो पाया था। उक्त नव प्रस्तावित विकास खण्ड से न्याय पंचायत महेपा जागीर के गांव भौखेड़ा व मसौता को हटाकर तथा न्याय पंचायत बड़ौदा के गांव रसूलपुर रिठौरी तथा जाहिदपुर को जोड़कर फिर से अधिसूचना जारी करने हेतु मेरे द्वारा शासन को अनेक पत्र लिखे गये हैं। लेकिन अभी तक उक्त संशोधनों के उपरान्त न तो अधिसूचना जारी की गयी है और न नवसृजित विकास खण्ड को क्रियाशील बनाने हेतु शासन से कोई निर्देश जारी किये गये हैं। जनहित में नवसृजित विकास खण्ड ककोड़ का क्रियाशील होना अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान, जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र न होने से आग लगने की घटना होने पर अग्निशमन गाड़ियों को यहां पर पहुंचने में एक घण्टे से अधिक का समय लग जाता है। जिसके कारण जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं तब तक सब कुछ राख हो जाता है। ब्लाक औरास से अग्निशमन केन्द्र लगभग 53 किमी0 दूरी पर स्थित है। ब्लाक औरास में आग लगने पर जिले से आग बुझाने की गाड़ी आने पर अत्याधिक समय लगने के कारण काफी नुकसान होता है। जनहित में ब्लाक औरास मुख्यालय पर एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्लाक औरास, जनपद उन्नाव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर स्थित पड़री से गोल्हनपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मड़िहान, जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत एन0एच0-7 पड़री से गोल्हनपुर वाया जौगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण न कराये जाने से यातायात का दबाव अत्यधिक होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण बच्चों का स्कूल जाना एवं मरीजों को समय से इलाज नहीं मिलता है। जिला मुख्यालय पर आने-जाने के लिए इस क्षेत्र का यह प्रमुख मार्ग है। जनहित में इसका चौड़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एन0एच0-7 पड़री से गोल्हनपुर वाया जौगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा स्थित सुन्दर पाड़ा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्टोमेन्ट, जनपद आगरा में दलित बस्ती सुन्दर पाड़ा में एक पुराना सार्वजनिक शौचालय है जो पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त हो चुका है। सेप्टिक टैंक भी टूट-फूट गया है। पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। इस कारण क्षेत्रीय जनता को शौच आदि के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को खुले में शौच जाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भी नहीं लिया गया है। अतः लोकहित में दलित बस्ती सुन्दरपाड़ा में कम से कम 10-10 सीट का (महिला व पुरुष) सार्वजनिक शौचालय बनाया जाना अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर स्थित गंगा नहर लखावटी ब्रान्च की बायीं पटरी पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में शिवाली से लखावटी तक मध्य गंगा नहर लखावटी ब्रान्च की बायीं पटरी के कच्चा होने के कारण इस क्षेत्र के ग्राम बकौरा, किशनपुर, बुढ़ाना, रसूलपुर तैलिया उर्फ मैथना, महाराजपुर, आलमगीरपुर धनौरा, रहमापुर स्यावली, सुरजावली, बालका, जनौरा, सलैमगढ़, सन्नौट, सदरपुर, रसीदपुर आदि अनेक गांवों के लोगों को 40-45 किमी0 चक्कर काटकर शिवाली से अपने विकास खण्ड लखावटी आना-जाना पड़ता है। इस नहर की पटरी से होकर शिवाली से लखावटी जाने की दूरी मात्र 10 किमी0 ही है। इस नहर की पटरी का डामरीकरण कर दिये जाने से जहां एक ओर क्षेत्रावासियों को चक्कर काटने से निजात मिलेगा वहीं समय एवं धन की भी बचत होगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मध्य गंगा नहर लखावटी ब्रांच की बांयीं पटरी का डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के रोहनिया विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रोहनियां, जनपद वाराणसी में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव के कारण भयंकर बीमारी फैलने की सम्भावना बनी रहती है। जल जमाव के कारण मार्ग भी खराब होते रहते है। रोहनियां से चांदपुर तक तथा ग्राम पंचायत कझौली नाथूपुर, जलाली पट्टी पूरब, डी0रे0का0, पश्चिम पी0ए0सी0, उ0 जी0टी0 रोड तथा दक्षिण रेलवे लाइन पूरी तरह से पानी से घिरे हैं। जनहित में इन क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र 247, पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत नवसृजित तहसील पयागपुर में माह नवम्बर, 2015 से कार्य संचालित हो रहा है, जबकि उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है। दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को शासन ने नया निबन्धक उप जिला, पयागपुर सृजित कर दिया है। उप निबन्धक कार्यालय खुलने में विलम्ब होने से क्षेत्रीय जनता को जिला मुख्यालय, बहराइच की दौड़ लगानी पड़ती है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील पयागपुर में उप निबन्धक कार्यालय खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई-राठ मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद जालौन के उरई-राठ मार्ग से मुहम्मदाबाद से गुढ़ा सिमरिया, बधौली, एरी, रम्पुरा आदि गांवों के लिए यह मार्ग अत्यन्त ही दयनीय है क्योंकि यहां बालू खनन होने के कारण यहां ट्रकों का आवागमन बना रहता है। जिससे यह मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है एवं गांव वालों का विकास सभी तरह से अवरुद्ध है। इस मार्ग की जर्जर अवस्था के कारण लगभग 15000 से 20000 की आबादी विकास की धारा से बाहर है। आज भी यहां मार्ग सही न होने के कारण डायल 100 एवं 108 एम्बुलेंस वाहन भी नहीं जाते हैं। यह गांव इसलिए विशेष और है क्योंकि सन् 1914 के विश्वयुद्ध में 38 सैनिक शहीद हुए थे। उक्त मार्ग को आर0सी0सी0 मार्ग बनाया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा अन्तर्गत इटियाथोक में बिसुही नदी पर स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय कुमार द्विवेदी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोण्डा-बलरामपुर राज्य मार्ग पर इटियाथोक में बिसुही नदी पर बना सेतु बहुत पुराना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हालत में है। इस सेतु की स्थिति इतनी खराब है कि कभी इसके टूटने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस मार्ग पर आवागमन के दबाव को देखते हुए इस सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जर्जर सेतु के स्थान पर नया सेतु बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गांधी कालोनी में जल निकासी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 14, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गांधी कालोनी जो कि बुलन्दशहर की पास कालोनी है। जल निकासी न होने के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरवट फाटक से एस0डी0 गर्ल्स इण्टर कालेज से आर्य समाज रोड के सामने से शिव मन्दिर तक नाला निर्माण का कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ब्लाक शाहपुर के ग्राम आदमपुर स्थित हिण्डन नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[मान्यवर, बुढ़ाना विधान सभा के अन्तर्गत ब्लाक शाहपुर के ग्राम आदमपुर के किनारे से होकर हिण्डन नदी बहती है। ग्रामवासियों के खेत नदी के दूसरी ओर स्थित है। वर्षा ऋतु के समय नदी में पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है तथा ग्रामवासियों को अपने खेतों तक जाने के लिए नदी के दूसरी ओर से घूम कर लगभग 5-6 किमी0 तक जाना पड़ता है। रपटा न होने के कारण ग्रामवासियों को प्रतिदिन कई किलोमीटर चलना पड़ता है।

ग्रामवासी अत्यन्त परेशान रहते हैं। इनके द्वारा अनेकों बार मुझे इस समस्या से अवगत कराया गया है क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी विधान सभा के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता रहूं। यह अत्यन्त विकट समस्या है इसका निवारण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त प्रकरण में जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के स्थित एन0एच0-58 पर अण्डर पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत कस्बा रौहाना में एन0एच0-58 पर एक मिट्टी का पुल बनाया जा रहा है। जिससे सड़क के आर-पार जाना क्षेत्रीय जनता का सम्भव नहीं हो पा रहा है। उसी रोड से एक रास्ता गांव रोहाना खुर्द (छोटा-बड़ा) को जाता है। जिसके सामने से अण्डरपास नये बनने से वहां के किसानों व व्यापारियों व स्कूल बसों आदि कोई भी भारी वाहन नहीं गुजर पा रहे हैं। जिससे रास्ते के सामने अण्डरपास न होने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है तथा जनहित को देखते हुए रास्ते के सामने अण्डरपास बनाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित हिण्डन नदी पर नूना खेड़ा अटाली सम्पर्क मार्ग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 12, चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में हिण्डन नदी बह रही है। नदी के पूरब में ग्राम अटारी व ग्राम चरोली की कृषि भूमि है। पश्चिम में गांव नूनाखेड़ा की भूमि है। उक्त ग्रामों के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हिण्डन नदी उक्त ग्रामों के बीच होने के कारण घूमकर करीब 14 किलोमीटर जाना पड़ता है जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिस कारण से इस नदी पर पुल का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि किसानों का समय व पैसा दोनों की बचत हो सके।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के संजय नगर कालोनी में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत पहड़िया स्थित संजयनगर कालोनी घनी आबादी का क्षेत्र है विगत कई वर्षों से कालोनी का मार्ग गड्ढे में तब्दील है। कई बार अवगत कराने के बाद भी इस मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

ग्राम खरगापुर, गोमतीनगर, लखनऊ को नगर निगम में शामिल करने के सम्बन्ध में नगर निगम जोन-4 द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बी0के0टी0 विधान सभा क्षेत्र के गोमतीनगर, लखनऊ के निकट वर्ष 1987 तक ग्राम खरगापुर रेलवे लाइन को ही नगर निगम सीमा माना गया था किन्तु 1987 के बाद आज तक खरगापुर नवनिर्मित कालोनियां जैसे सरस्वतीपुरम, कैलाश विहार, गीतापुरी, जानकीपुरम, अवधपुरी तथा गीतापल्ली आदि कालोनियों को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व सदस्य, अब्दुल मशूद खां द्वारा एक पत्र दिनांक 20-11-2014 को मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिया गया था। ज्ञात हुआ है कि नगर निगम, लखनऊ के जोनल अधिकारी नगर निगम जोन-4 ने ग्राम खरगापुर को नगर निगम में शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन में भेजा है जो शासन में आज तक लम्बित है। नगर निगम में शामिल न होने की दशा में ग्राम खरगापुरवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमान जी से अनुरोध है कि खरगापुर को नगर निगम में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव शासन में लम्बित पड़ा हुआ है उसको निस्तारित कराकर ग्राम खरगापुर को नगर निगम में शामिल कर लिया जाय ताकि वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो सकें।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद लखनऊ के बी0के0टी0 विधान सभा क्षेत्र गोमतीनगर के ग्राम खरगापुर को नगर निगम में शामिल करने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के कतिपय हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर में धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर में डॉ0 मृदुला जायसवाल, कृष्णा हास्पिटल एवं मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर मिशन कम्पाउण्ड चर्च के सामने एवं उनके पति डॉ0 सी0 बी0 जायसवाल, नेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर, रामबाग, मीरजापुर के द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ एवं अवैध धन वसूली के सम्बन्ध में इसका ज्वलन्त उदाहरण अजय कुमार मोदनवाल पुत्र पुरुषोत्तम के छः माह के पुत्र आयुष की अचानक तबियत खराब होने पर उसे दिनांक 16-07-2018 को डॉ0 श्रीमती मृदुला जायसवाल के यहां ले जाया गया डॉ0 मृदुला जायसवाल ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत खराब है बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा। इसकी तत्काल जांच कराइये डॉ0 मृदुला जायसवाल के कहने पर नेशनल डायग्नोस्टिक सेन्टर में जांच कराने के बाद में रिपोर्ट में शिशु आयुष का हिमोग्लोबिन 4.7 दिखाया तथा मलेरिया पॉजिटिव का रिपोर्ट दिया इसे तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा और खून के नाम पर रु0 1450/- नगद तथा प्रार्थी का एक पैकेट खून भी निकाला और प्रार्थी के बच्चे आयुष को खून भी नहीं चढ़ाया और प्रार्थी को परेशान करके कहा कि मामला बहुत ही सीरियस है और अविलम्ब रु0 20000/- नगद जमा कर दिया डॉ0 मृदुला जायसवाल के हाव-भाव व बच्चे का इलाज ठीक से न किये जाने पर प्रार्थी को सन्देह हुआ तो प्रार्थी ने पैथ काइन्ड लैब रामबाग रोड, संकटमोचन मन्दिर, मीरजापुर के यहां आयुष का जांच कराया तो उसकी हिमोग्लोबिन 13.5 एवं मलेरिया न होने का रिपोर्ट दिया।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद मीरजापुर में डॉ0 मृदुला जायसवाल, कृष्णा हास्पिटल एवं मेडिकल हेल्थ केयर सेन्टर एवं उनके पति डॉ0 सी0 बी0 जायसवाल, नेशनल डायग्नोस्टिक सेन्टर, रामबाग, मीरजापुर के द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के हाटा एवं मोयल विकास खण्ड में खदान माफियाओं के विरुद्ध एस0आई0टी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह-

[मान्यवर, कुशीनगर के हाटा एवं मोयल विकास खण्ड के खाद्यान्न माफिया एवं विपणन निरक्षकों के मिलीभगत से केन्द्र सरकार के खाद्यान्न सम्बन्धित योजना का खाद्यान्न कालाबाजारी इतनी तेज हो रही है कि पूरा मण्डल प्रभावित है। यहां के खाद्यान्न माफिया एवं विपणन निरीक्षकों के मिलीभगत से वर्ष 2018-19 में गेहूं क्रय केन्द्र पर क्रय दिखा गया है और जिन किसानों के नाम गेहूं क्रय हुआ है उनमें कुछ कोटेदार है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम खेती ही नहीं और उनके नाम अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं क्रय किया गया है तथा गरीबों के निवाले के आये खाद्यान्न पर माफिया इतने सक्रिय हैं कि गांव तक खाद्यान्न पहुंच नहीं पा रहा है। इसमें अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ठेकेदार सभी सम्मिलित हैं। माफिया इतने प्रभावशाली हैं की जांच भी रुकवा देते हैं। इसलिए इसकी एस0आई0टी0 द्वारा जांच कराकर जनहित में कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम परोतन से रढ़ेली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम परोतन से ढकेली होते हुए कुण्डरिया तक जो मार्ग पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित थी वह रामगंगा नदी की भयावह बाढ़ से व इसके कटान से चलने लायक नहीं रह गया है। जिससे आवागमन करने वाले स्थानीय एवं बाहरी व्यक्तियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी शिकायत जिले स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों से कर चुका हूं परन्तु अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के अन्तर्गत एस0एन0 मेडिकल कालेज में नेत्र विभाग के नेत्र चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी उदयभान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद आगरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एस0एन0 मेडिकल कालेज में नेत्र विभाग के अन्तर्गत ''अन्धता निवारण'' कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें दो नेत्र चिकित्सक अनुमन्य हैं, परन्तु विगत 03 वर्षों से किसी भी चिकित्सक की तैनाती नहीं की गयी है जिससे अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा शून्य हो गयी है। सैकड़ों लाभार्थी निराश होकर वापस लौट रहे हैं अथवा बिचौलियों के माध्यम से झोलाछाप डाक्टरों से अपना इलाज कराना पड़ रहा है जो कि आम जनता के लिए अत्यन्त खतरनाक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त मेडिकल कालेज में अनुमन्य संख्या के अनुसार दो नेत्र चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के संबंध में कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत बने आवास की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शशांक त्रिवेदी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत निम्न गांवों में प्रधानमंत्री आवास के विपरीत निचली श्रेणी की ई-2 व बिना प्लास्टर व बिना शौचालय तथा लाभार्थी के मनरेगा श्रमिक पैसे में बड़े पैमाने पर बन्दरबांट हुआ है। गांव इस प्रकार हैं :-

विकास खण्ड : महोली-भिरिया, डाडाबाद, नरनी, रोहिला, उरदौली, बगचन।

विकास खण्ड : ऐलिया-परई रायपुर।

विकास खण्ड : पिसांवा-चड़रा, कुतवापुर।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर में हमीरपुर रोड नौबस्ता स्थित कामदगिरि इण्टर कालेज एवं ओम बेंकट हाल के मध्य मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। कानपुर नगर हमीरपुर रोड नौबस्ता स्थित धोबिन पुलिया से अर्रा को जाने वाली अर्रा रोड पर स्थित कामदगिरि इण्टर कालेज एवं ओम वेंकट हाल के मध्य स्थित मार्ग जिसकी लम्बाई करीब 50 मीटर है यह अत्यन्त दयनीय अवस्था में है जिसके कारण स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः बच्चों एवं क्षेत्र की जनता की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए कृपया उक्त सड़क को बनाने के संबंध में नगर विकास विभाग को निर्देशित करने एवं हमारी सूचना को नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत बाल्मीकि बैराज से झुलनीपुर होते हुए बिहार जाने वाले नहर बंजारी पट्टी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि बाल्यमीकि बैराज से निकलकर झुलनीपुर होते हुए खड्डा विधान सभा क्षेत्र 329 से होकर बिहार को जाने वाली नारायणी नदी

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर बनी नहर विगत दिनों बंजारी पट्टी के समीप लगभग 20 मीटर पानी के दबाव के कारण टूटकर बह गया, जिसके कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल के साथ ही गांव में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जिसका मुख्य कारण नहर का उचित रख-रखाव का न होना है, जबकि इस महत्वपूर्ण नहर की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2016 में सरकार की तरफ से करोड़ों की धनराशि आवंटित की गयी थी।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वर्ष 2016 में नहरों की सुरक्षा के लिए जारी किये गये धनराशि के बंदरबांट एवं नहरों पर हुए निर्माण कार्य की जांच कराकर सही तथ्य सामने लाकर दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हों।

महोदय यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर कार्य कर रही है कि गण्डक नदी पर बने नहरों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और जन-धन की हानि से बचा जा सके।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें।]

माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा राजकीय विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिकाओं के आयकर कटौती का विवरण वेब साईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ के लेखा अनुभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में जनपद में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतन से आयकर की कटौती तो की जा रही है, किन्तु कटौती के विवरण को आयकर विभाग की संबंन्धित बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2012 से लेकर अब तक अनवरत जारी है। जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में शिक्षक/शिक्षिकाओं को आयकर विभाग की नोटिस प्राप्त हो रही है। डिटेल अपलोड न होने के कारण उन्हें रिफण्ड भी नहीं मिल पा रहा है। जो लोग लेखा विभाग में जाकर पैरवी करते हैं उन्हें परेशान करने के बाद उनका डिटेल अपलोड कर दिया जाता है। फिर अगले वर्ष उनका आधा-अधूरा डिटेल अपलोड किया जाता है। जनहित में आवश्यक होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ में वर्ष 2012 से 2018 तक राजकीय कालेजों में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिकाओं की आयकर कटौती का विवरण संबंधित बेवसाइट पर अपलोड कराने की कार्रवाई की जाये।

मैं जनहित में उक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014 से कुल कितनी धनराशि जनपद गाजीपुर को मिली है। उसमें से कितने शौचालय के निर्माण कार्य के लिए आवंटित हुआ और कितनी धनराशि अवशेष है और प्रचार-प्रसार के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है। क्या जितनी धनराशि आवंटित की गयी उसको खर्च कर दिया गया है ? ओ0डी0एफ0 गाजीपुर जनपद में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और ओ0डी0एफ0 वर्तमान समय में किस स्तर पर है। गाजीपुर जनपद में जो गांव पंचायतें ओ0डी0एफ0 नहीं हुई हैं उनको ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत 2 अक्टूबर तक कर दी जायेगी ? अगर नहीं की जायेगी तो वर्तमान समय में किस स्तर पर है ?

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहसवान, जनपद बदायूं अन्तर्गत निम्न सड़कें-1-दुर्गपुर जरीफनगर ग्राम के सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण, 2-दहगवां नदायल मार्ग से नवाबगंज वाया जल्लूपुरा होते हुए गंगुरी सम्पर्क मार्ग, 3-बजीरपुर थानपुर से चंदपुरा होते हुए दानपुर सम्पर्क मार्ग एवं 4-उधैती से स्वदेशपुर सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुई थी और धन भी स्वीकृत हो गया था तथा निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया था। परन्तु उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त सड़कों का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के बोस स्टेडियम के तरणताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम के अन्तर्गत स्वीमिंग पूल का ट्यूबवेल खराब होने के कारण वर्ष 2017-18

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में स्वीमिंग पूल चलाया नहीं गया जिसके कारण प्रतियोगी छात्रों व स्थानीय जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसी तरह इसी स्टेडियम में छोटे बच्चों के लिए लर्निंग पूल का भी ट्यूबवेल इसी वर्ष बाद में खराब हो गया। उक्त पूल को भी बीच में बन्द कर दिया गया। जिससे प्रतियोगी छात्रों एवं स्थानीय लोगों में रोष की भावना व्याप्त है। उपरोक्त दोनों स्वीमिंग पूल के ट्यूबवेलों को रिबोर एवं ठीक कराकर चालू कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त दोनों स्वीमिंग पूल के ट्यूबवेलों को रिबोर एवं ठीक कराकर चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से तारगांव सढ़ान सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग जनपद चन्दौली विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत आता है। उक्त मार्ग का निर्माण कई वर्षों पूर्व हुआ था। वर्तमान समय में पूरी तरह से जर्जर एवं गड्ढे में तबदील हो गया है। पैदल चलना मुश्किल हो गया है। जबकि इस सम्पर्क मार्ग से लगभग बीसों गांवों के लोगों का आवागमन होता है। जनहित में चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से तारगांव-सढ़ान सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (विशेष मरम्मत) कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से सादर अनुरोध है कि उक्त मार्ग के निर्माण कार्य एवं विशेष मरम्मत कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ शहर में पुलिया, सीवर व सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरठ शहर विधान सभा क्षेत्र पुलिया जो हापुड़ रोड पर बनी हुई है जो 200 वर्ष पुरानी बनी है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आवागमन भी बाधित होता रहता है। शहर का पानी भी उसी से जाता है। यही नहीं न्यू इस्लामनगर, शाहजहां कालोनी, लखीपुरा तीनों सड़कें बुरी तरह गड्ढे में तब्दील है। शहर की सीवर व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मैंने इन कार्यों को कराये जाने के लिए कई बार नगर आयुक्त, मेरठ व जिलाधिकारी, मेरठ से अनुरोध किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। बरसात का मौसम है शहर का पानी नहीं निकलने से तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। शहर में गन्दगी का आलम है, जिले के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे स्थानीय लोगों में रोष की भावना पैदा हो रही है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कार्य को कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र-4 के ब्लाक पुवांरका में मेन अम्बाला रोड से ग्राम भाऊपुर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 04 सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका में मेन अम्बाला रोड से ग्राम भाऊपुर तक लगभग 600 मीटर सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित की गयी थी। वर्तमान में अति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गय हैं। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। सरकार द्वारा गड्ढामुक्त सड़क की घोषणा के बावजूद भी सड़क न बनाये जाने से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने एवं बिजली के तार/पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में विभिन्न क्षमताओं के परिवर्तकों (ट्रांसफार्मर) की क्षमतावृद्धि/नये ट्रांसफार्मर एवं बिजली के पोल/तार लगाया जनहित में अति आवश्यक है, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	स्थान का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि/अतिरिक्त
1	2	3
1	रकबा दुलमा पट्टी	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व 5 पोल
2	गौरी नरोत्तम	1 अदद 25 K.V.A. से 63 K.V.A. क्षमतावृद्धि
3	धुरिया कोट	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व 3 पोल
4	दुलमा पट्टी	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व 3 पोल
5	पथरवा	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
6	पड़ोरही	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
7	चौरिया चौराहा (बांसगांव)	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
8	बरवा पट्टी (अमवाखास)	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
9	लीलहट (अमवाखास)	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
10	करन पट्टी	1 अदद 25 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व 2 पोल

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3
11	रकबा राजा पूर्व टोला	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व 5 पोल
12	मकुन्दपुर	1 अदद 25 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
13	झड़वा	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
14	बिजपटवा	1 अदद 63 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
15	बभनौली बाजार (अजयनगर)	1 अदद 25 K.V.A. अतिरिक्त 63 K.V.A. ट्रांसफार्मर
16	रकबा जंगली पट्टी	1 अदद 16 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
17	विसुनपुरा	1 अदद 63 K.V.A. से 100 K.V.A. क्षमतावृद्धि
18	विसुनपुरा	1 अदद 10 K.V.A. से 25 K.V.A. क्षमतावृद्धि
19	पाण्डेय मुन्नी पट्टी	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
20	अहिरौली दान	1 अदद 25 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
21	जवही दयाल	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
22	पकड़ीहार पूरब पट्टी	1 अदद 63 K.V.A. ट्रांसफार्मर से 100 K.V.A. क्षमतावृद्धि
23	गौरी श्रीराम माधोपुर	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
24	गौरी श्रीराम पृथ्वीपुर बार्डर	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर तार व पोल
25	गाजीपुर पंचायत टोली	1 अदद 63 K.V.A. ट्रांसफार्मर से 100 K.V.A. क्षमतावृद्धि
26	गाजीपुर नवका टोला	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
27	छपरा अहिरौली	1 अदद 10 K.V.A. ट्रांसफार्मर अतिरिक्त
28	गाजीपुर	1 अदद 25 K.V.A. से 65 K.V.A.
29	सेवरही (पुराना हास्पिटल)	1 अदद 250 K.V.A. से 400 K.V.A. व अतिरिक्त 400 K.V.A. से 250 K.V.A.
30	हरपुर बेलही	1 अदद 25 K.V.A. से 63 K.V.A.

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्रामों में लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि/नये ट्रांसफार्मर एवं बिजली के पोल/तार लगाये जाने हेतु कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शोभा सिंह चौहान-

[मान्यवर, जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो नटपुरवा (नेवादा सरदार नगर)-समुखा तक लम्बाई 2.00 किमी0 जिला पंचायत हरदोई द्वारा विगत 15 वर्ष पूर्व निर्मित कराया गया था तथा पंचायती राज विभाग के स्वामित्व में है, जिसके

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1.500 किमी0 लम्बाई अत्यन्त जर्जर अवस्था में है बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण मार्ग पर यातायात बाधित है। उक्त बड़े-बड़े गड्ढायुक्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, स0वि0प0 ने अपने पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2017 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 एवं दिनांक 19 जनवरी, 2018 जो मा0 मुख्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0 प्र0 शासन को भेज कर निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया तथा (श्रीमती शोभा सिंह चौहान, विधायक का) मैंने पत्र दिनांक 06 मार्च, 2018 जो मुख्य मंत्री जी को भेजकर विगत 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराये गये गड्ढायुक्त मार्ग का पुर्ननिर्माण कराये जाने का अनुरोध किया था परन्तु अभी तक अनदेखी के चलते कोई कार्यवाही नहीं की गयी। संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत है परन्तु तत्कालीन जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा मार्ग के निर्माण पर रोक लगाये जाने के कारण मार्ग का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जिससे जनता को काफी पेरशानी का सामना करना पड़ता है। विगत कई वर्षों से गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर जनहित में प्राथमिकता पर जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो नटपुरवा (नेवादा सरदार नगर)-समुखा तक गड्ढायुक्त मार्ग जो जिला पंचायत, हरदोई द्वारा विगत 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराया गया था, गड्ढायुक्त अत्यन्त जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु पारीछा बांध में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पारीछा बांध से 52 किमी0 लम्बी गुरसरांय मुख्य नहर निकलती है। जिससे नहरें/सहायक नहरें/माइनरों के माध्यम से क्षेत्र की सिंचाई होती है, लेकिन 20 वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मुख्य बेतवा नहर की 25वें कि0मी0 पर मोठ रजबहा निकलता है। इस रजवाहे में चार किमी0 पर बने साइफन के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उक्त रजवाहे में साइफन का तोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। मुख्य बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से भुजौंद माइनर निकलती है, जिसमें टेल तक पानी कभी भी नहीं पहुंच पाता है। इस नहर का चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देश्वरीगंज-बहुरावां बाजार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्यभान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार बाजार तक पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं दुरुस्तीकरण का कार्य प्रगतिपूर्वक चल रहा

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इसी सड़क पर एक बाजार जो बिन्देश्वरीगंज-बहुरांवा के नाम से जानी जाती है। वहां नाली की व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। यहां के व्यापारियों तथा निवासियों द्वारा सड़क चौड़ीकरण करते समय देहली बाजार जैसी नाली पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनाई जा रही है वैसी ही नाली बिन्देश्वरीगंज-बहुरांवा बाजार में बनाने हेतु तहसील दिवस पर यहां के निवासियों एवं व्यापारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि सड़क बनाते समय ही देहली बाजार जैसी नाली का निर्माण बिन्देश्वरीगंज बाजार में तत्काल सड़क बनने के समय ही बनाई जाये जिससे यहां के व्यापारियों एवं निवासियों को जलभराव से राहत दिलाने हेतु सदन में वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में जर्जर बिजली के तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[मान्यवर, आज बिजली विकास का पर्याय बन गयी है, चाहे सिंचाई के संसाधन हो, कल कारखाने हों अथवा प्रकाश की व्यवस्था सहित अन्य कार्य हों। आज सभी कुछ बिजली पर निर्भर कर रहा है। यूं कहा जाय कि बिजली के बगैर विकास की कल्पना करना भी असम्भव है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मेरे निवार्चन क्षेत्र रामपुर खास के काफी बड़े हिस्से का विद्युतीकरण लगभग 30-35 साल पहले हुआ था। इतने लम्बे समय पूर्व खींचे गये बिजली के तार जर्जर हो गये हैं, जो प्रायः टूट जाते हैं। तारों के टूट जाने से जहां विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, वहीं कभी-कभी इन तारों की चपेट में आने से फसलों में आग भी लग जाती है और करण्ट से लोगों की या पशुओं की मौत भी हो जाती है। अतः जर्जर तारों को अतिशीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

इसके अलावा पहले से जो ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं, उन पर लोड अधिक हो गया है ऐसी स्थिति में ट्रान्सफार्मर प्रायः जल जाते हैं। क्योंकि गांवों में पहले की अपेक्षा बिजली के कनेक्शन की संख्या बढ़ गयी है और सिंचाई के लिए लोगों ने काफी मात्रा में नलकूप भी लगवा लिये हैं। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान हेतु लगे हुए ट्रान्सफार्मर्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए और जहां आवश्यकता हो वहां पर II Point ट्रान्सफार्मर लगाया जाना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुरा में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा शिकोहाबाद के ग्राम रामदास पुरा में यमुना नदी पर पुल न होने के कारण एक लाख पचास हजार की आबादी एवं 50-60 गांव को प्रभावित होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अपना अनाज, सब्जी, मवेशी को बाजार लाने ले जाने में एवं स्कूली छात्र/छात्राओं को भी आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई वृद्ध बीमार हो जाये तो डाक्टर तक ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पुल के निर्माण की कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार डेविड-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लगभग 16 लाख की जनसंख्या का जनपद एटा अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहां एक राजकीय जिला चिकित्सालय है। जिसमें उपकरणों एवं डाक्टरों की भारी कमी के कारण जनमानस को बहुत ही असुविधा होती है। गम्भीर बीमारियों के ईलाज हेतु लोगों को दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ एवं सैफई तक जाना पड़ता है। जनमानस को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एटा जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में पेयजल हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद आगरा के नगरीय क्षेत्र में पीने योग्य पानी गंगाजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाला है। इसकी तैयारियों के दृष्टिकोण से मेरे विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में उपलब्ध पाइप लाइन पूर्ण नहीं है। अनेकों स्थानों पर पाइप लाइन है ही नहीं और कुछ स्थानों पर अत्यन्त ही जर्जर है। इस परियोजना के लिये नई पाइप लाइन उपलब्ध कराना एवं उपलब्ध पाईपों की मरम्मत करना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज के तहसील अलीगंज, जनपद एटा में तहसील मुख्यालय पर कोई मण्डी नहीं है। जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए दूर-दराज जाना पड़ता है। सबसे नजदीक एटा मुख्यालय मण्डी की दूरी लगभग 70 किमी0 है। तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गिरते जल की जांच एवं रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 134 विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत पेयजल हेतु लगे हुए हैण्डपम्प पानी छोड़ने लगे हैं। पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जिस कारण निकट भविष्य में जनता को पीने के पानी का भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में पानी के गिरते जल स्तर के दोषियों की जांच कराकर कार्रवाई करें तथा गिरते जल स्तर की रोकथाम करें।]

जनपद रामपुर में शाहाबाद रोड पर बने अजीतपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया द्वारा बनाये गये अवैध नालों को सरकारी जमीन से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद रामपुर में शाहबाद रोड, रामपुर (अजीतपुर इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया निकट पुलिस चौकी) के सामने अवैध नाला निर्माण जो सरकारी भूमि पर बना हुआ है तथा भू-माफियाओं द्वारा निर्माण कराया जा रहा है जिससे रामपुर शहर का पानी के निकास में काफी कठिनाई हो रही है। जनहित में उक्त नाले के निर्माण को ध्वस्त करना तथा सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं से छुड़ाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवारा पशु का उचित संरक्षण न होने के कारण प्रदेश में किसानों एवं गो-वंश की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि आजकल पूरे प्रदेश में आवारा पशु (गोवंश) बहुतायत संख्या में हर जगह विचरण करते हैं। इनके सरंक्षण हेतु कोई सकरात्मक कदम, कोई ठोस कार्य योजना बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। बरसात के मौसम जल भराव व कीचड़ से बचने के लिए दिन व विशेषकर रात में सभी आवारा पशु सड़कों को अपना आशियाना बनाते हैं, जिससे यातायात आवागमन में असुविधा होने के साथ ही जरा सी चूक से तमाम दुर्घटनायें हो रही है। कहीं जन-धन की हानि होती है, तो कहीं आवारा पशु (गोवंश) अधिकतर संख्या में सड़कों के किनारे मृत अवस्था में पाये जाते हैं, जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती ही है। वातावरण प्रदूषित होता है तथा बीमारी फैलने की भी ज्यादा गुंजाइश बनती है। लगभग 15 दिन पूर्व हमारे विधान सभा बालामऊ, जनपद हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में भीठी ग्राम के पास रात के समय किसी ट्रक द्वारा सड़क पर बैठे गौवंश जिनकी संख्या 1 दर्जन से ऊपर थी, को कुचल दिया तथा वाहन फरार हो गया। सुबह स्थानीय लोगों व प्रशासन के द्वारा मृत गोवंश को हटवाकर रास्ता साफ किया गया है तथा कुछ स्थानीय लोगों को बीभत्स घटना पर विरोध स्वरूप रास्ता भी जाम करने का प्रयास किया, जिससे आपसे आपसी बातचीत से खुलवाया गया। इस तरह घटनायें पूरे प्रदेश में हो रही हैं। दूसरी तरफ आवारा पशु किसानों की आजीविका को अपना निशाना बनाते हैं। जिससे प्रदेश का किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि प्रदेश में गोवंश के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए तथा किसानों की फसल बर्बादी इस हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने हेतु इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र 351, लालगंज में लोक निर्माण विभाग की निम्न सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में हैं :-

1-ब्लाक लालगंज में निहोरगंज बाजार से रामपुर कठरवां होते हुए बेली बाजार तक 4.000 किमी0।

2-ब्लाक लालगंज में निहोरगंज बाजार से कपसेठा तक 1.5 किमी0।

3-ब्लाक लालगंज में लहुआं सम्पर्क मार्ग से ग्राम बैरीडीह स्व0 डॉ0 शाहिल के घर तक 2.0 किमी0।

4-ब्लाक लालगंज में कटौली बुजुर्ग में मोहम्मद मुअज्जम के घर से कटौली खुर्द में तनवीर अहमद के घर तक 1.0 किमी0।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-ब्लाक लालगंज में ग्राम सराय मारूक डॉ0 अम्बेडकर की मूर्ति से फिरतू राम मैमोरियल स्कूल होते हुए विश्वजीत मास्टर के घर तक 500 मीटर सड़क निर्माण।

6-ब्लाक ठेकमा पिलखुआ ग्राम नहर गौरा बादशाहपुर मेनरोड बाईपास से पिलखुआ होते हुए ग्राम सकरामऊ के सरहद तक 4.0 किमी0 का सड़क मरम्मत।

7-ब्लाक ठेकमा में आजमगढ़-वाराणसी मार्ग से ग्राम बरवां तक 3.0 किमी0।

8-ब्लाक ठेकमा में आजमगढ़-वाराणसी मार्ग से ग्राम गोमाडीह चौकी मार्ग तक 4.0 किमी0।

9-ब्लाक ठेकमा में मुक्तिपुर बाजार से लेकर ग्राम बीकापुर में शंकर जी के मन्दिर तक 4.0 किमी0।

10-ब्लाक ठेकमा में बक्सपुर बाजार से बागपुर तक 2.0 किमी0।

उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने मांग करता हूं ताकि तत्काल सड़कों की मरम्मत किया जा सके।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सराय ममरेज से लोटई के बीच क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत मुख्य रोड सरांय ममरेज से लोटई का पुरा के बीच में सालू के पुरा में एक नहर का पुल पड़ता है जो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता का आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त क्षतिग्रस्त नहर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से अनेकों बार अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त क्षतिग्रस्त नहर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के इंदू मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर में अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

[मान्यवर, विषय जनपद लखनऊ के इंदू मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर में अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराये जाने के सम्बन्ध में।

आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के इंदू मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर सेक्टर के0 अलीगंज नियर विन्ध्याचल मंदिर, ताड़ी खाना के पास स्थित हास्पिटल पर अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराया जा रहा है जो कानूनी अपराध है, लेकिन उक्त मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर में अवैध धन की वसूली करते हुए खुलेआम डॉ0 श्रीमती कालिन्दी एवं डॉ0 रजनीश श्रीवास्तव के द्वारा गर्भपात कराया जाता है। लेकिन बहुत ही दुःख की बात है कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि को उक्त कृत्य की कोई भनक भी नहीं है। चिकित्सा के नाम पर खुला व्यापार हो रहा है। विभाग एवं अधिकारियों की उदासीनता के चलते डाक्टरों एवं क्लीनिक मनमानी एवं अवैध व्यापार हो रहा है। लेकिन अभी तक उक्त क्लीनिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे सरकार के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता का आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद लखनऊ में इन्दू मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-के अलीगंज नियर विन्ध्याचल मन्दिर ताड़ीखाना के पास स्थित हास्पिटल पर अवैध रूप से भ्रूण की जांच एवं गर्भपात कराने वाले डाक्टरों एवं सेन्टर के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र पर स्थित श्री राजेश गौतम के पेट्रोल पम्प से प्रभारी निरीक्षक, शाहगंज द्वारा दो खाली ट्रकों को जबरन शाहगंज कोतवाली में उठा ले गये। ट्रक मालिक द्वारा जब ट्रकों को छोड़े जाने का आग्रह किया गया तो उसके एवज में प्रभारी प्रभारी निरीक्षक द्वारा पैसे की मांग की गई। ट्रक मालिक के पैसा देने से इन्कार करने पर उनके विरुद्ध शाहगंज कोतवाली में मु0अपराध सं0 48/2018, धारा-307 व 3, 5ए-8 गोहत्या निवारण अधिनियम 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 17790 गैंगेस्टर के अन्तर्गत मु0 पंजीकृत किया गया। ट्रक मालिक के विरुद्ध पर उनके विरुद्ध पुनः 180/2018, धारा 307, दिनांक 23-06-2018 को तथा दिनांक 20-07-2018 को 207/18, 208/18, 209/18, 210/18, धारा 3, 5ए-8 गोहत्या निवारण अधिनियम 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 7 सी0एल0ए0 के अन्तर्गत कोतवाली शाहगंज में मु0 पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही 194/18, दिनांक 13-06-2018 को धारा 3, 5ए-8 गोहत्या निवारण अधिनियम 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोतवाली अम्बेडकर नगर, जनपद अम्बेडकर नगर में मु0 पंजीकृत किया गया। पुलिस बेलगाम हो गयी है। स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। क्षेत्र की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार सड़क पर बिन्देशवरीगंज-बहुरावां बाजार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर से कूड़ेभार बाजार तक पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं दुरुस्तीकरण का कार्य प्रगतिपूर्वक चल रहा है। इसी सड़क पर एक बाजार बिन्देश्वरीगंज-बहुरांवा के नाम से जानी जाती है। वहां नाली की व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। यहां के व्यापारियों तथा निवासियों द्वारा सड़क चौड़ीकरण करते समय देहली बाजार जैसी नाली पी0डब्ल्यू0डी द्वारा बनाई जा रही है वैसी ही नाली बिन्देश्वरीगंज-बहुरांवा बाजार में बनाने हेतु तहसील दिवस पर यहां के निवासियों एवं व्यापारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि सड़क बनाते समय ही देहली बाजार जैसी नाली का निर्माण बिन्देश्वरीगंज बाजार में तत्काल सड़क बनने के समय ही बनाई जाये जिससे यहां के व्यापारियों एवं निवासियों को जलभराव से राहत दिलाने हेतु सदन में वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना कस्बा नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

विषय-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना कस्बा नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में।

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर के मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में न ही तो राजकीय कन्या इण्टर कालेज है और न ही राजकीय इण्टर कालेज है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि कस्बा नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के जिला महिला चिकित्सालय के जर्जर भवन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जिला महिला चिकित्सालय, जनपद बलिया अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में है। जिस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी परिसर में पी0पी0पी0 माडल से विकसित बहुमंजिला भवन तैयार है। स्थानीय जनमानस द्वारा लम्बे समय से महिला चिकित्सालय, जनपद बलिया को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने की मांग की जाती रही है। उक्त चिकित्सालय को नये भवन में स्थानान्तरित किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजवाहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दिवाकर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर के किसी रजवाहे में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लगभग 20 वर्षों से रजवाहों में पानी नहीं आया है। जलेसर क्षेत्र के किसान खारे पानी की समस्या से परेशान हैं वहीं रजवाहों में पानी न मिलने से यह समस्या और बढ़ जाती है। समय से पानी न मिलने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। यदि रजवाहों को सही समय से पानी मिले तो किसान भी उन्नति करेगा तथा खारे पानी की समस्या का भी समाधान होगा। जलेसर क्षेत्र के रजवाहों को समय से पानी उपलब्ध कराना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस प्रशन पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत रतिभानपुर से जरैरा मार्ग के बीच स्थित जिरौली ग्राम में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

[मान्यवर, जनपद हाथरस में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के हसायन ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले रतिभानपुर से जरैरा मार्ग पर गांव जिरौली स्थित नहर के पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आस-पास के लगभग 25 गांव प्रभावित हैं एवं एक-दूसरे से सम्पर्करहित है। इन्हें एक-दूसरे से सम्पर्क में बने रहने के लिए 4-5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु रतिभानपुर से जरैरा मार्ग पर गांव जिरौली स्थित नहर के क्षतिग्रस्त हो चुके पुल का बनाया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र में लगे सरकारी व गैर सरकारी फैक्ट्रियों में काम कर रही आउट सोर्सिंग कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र व आस-पास के अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 शक्तिनगर, एन0टी0पी0सी0 बीजपुर, कोल माइंस शक्तिनगर जैसे तमाम सरकारी व गैर सरकारी फैक्ट्रियां लगाये गये हैं। फैक्ट्रियां लगाते समय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार व निजी कम्पनियों के प्राविधान के अनुसार विस्थापित परिवारों व यहां के स्थानीय बेरोजगारों को 70-80 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिये जाने की बात कही गयी थी। परन्तु एन0सी0एल0 व एन0टी0पी0सी0 में काम कर रही आउट सोर्सिंग कम्पनियां जैसे बी0जी0आर0, मोन्टीकार्लो, जी0 एस0, के0ए0 इण्टरप्राइजेज व अन्य आउट सोर्सिंग, गैर सरकारी कम्पनियों में हजारों हजार मजदूरों को बाहर से लाकर काम कराया जा रहा है। जबकि यहां के विस्थापित बेरोजगार काम के तलाश में दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। यहां तक कि मजदूरी तक का काम भी उनको नहीं दिया जा रहा है। जिससे यहां के मजदूर व बेरोजगार भुखमरी के कगार पर है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में काफी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में जनहित को ध्यान में रखते हुए जनपद सोनभद्र में लगे फैक्ट्रियों में काम कर रही आउट सोर्सिंग कम्पनियों में स्थानीय विस्थापित व बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन डायमण्ड डेयरी राजकीय कालोनी में साफ-सफाई न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

[मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में सरकारी आवासों की बदहाल स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। डायमण्ड डेरी राजकीय कालोनी में साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण कालोनी के अन्दर बहुत ही गन्दगी रहती है। इसके साथ ही आवास सं0 40 से 52 के आवासों के बीच रास्ते में एक मेनहोल कई वर्षों से खुला पड़ा है जिसके पास से ही सभी लोग आते-जाते हैं। लोक निर्माण विभाग के जे0ई0, ए0ई0 एवं एक्स0ईएन0 सभी के संज्ञान में है लेकिन उसे बन्द करने के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मेनहोल के खुले होने के कारण कभी भी खतरनाक हादसा हो सकता है तथा छत पर दरवाजे नहीं है।

मैं इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद कानपुर नगर के बिठूर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनहित में निम्न मार्गों का निर्माण/डामरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

1-मोहनपुरवा गांव से नयापुरवा गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।

2-ठाकुर प्रसाद के पुरवा से खेमपुर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

3-खेमपुर से चन्द्रहंसपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-फतेहपुर गोही (शिव मन्दिर) से सी0एच0एस0, पिपौरी सैन पश्चिम पारा रमईपुर कन्धामार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।

5-उदयपुर से ईश्वरगंज सम्पर्क मार्ग का कार्य।

6-बिन्नौर से पलरा सम्पर्क मार्ग का कार्य।

7-उदयपुर से पलरा सम्पर्क मार्ग का कार्य।

उपरोक्त मार्गों के संबंध में मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त मार्गों का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त वर्णित मार्गों के निर्माण व डामरीकरण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के पाली से हड़गड़ मुख्य सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत पाली से हड़गड़ मुख्य सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 8 किमी0 लगभग है। कई वर्षों से उक्त मुख्य सम्पर्क मार्ग जर्जर व टूटी-फूटी होने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इस मुख्य सम्पर्क मार्ग में बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनायें होती है। इस मुख्य सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराने हेतु प्रशासन/शासन से मेरे द्वारा कई बार प्रयास भी किया गया। किन्तु आज तक कार्रवाई नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में पाली से हड़गड़ मुख्य सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत रामपुर बाजार में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मड़ियाहूं व रामपुर बाजार से होकर जनपद जौनपुर से प्रदेश के कई जनपदों में अत्यधिक संख्या में रोडवेज बसों का आवागमन होता है और मड़ियाहूं व रामपुर बाजार में रोडवेज बसों का ठहराव होता है। यहां से काफी यात्री आते-जाते हैं। यहां पर बस स्टैण्ड न होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक-महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं व रामपुर बाजार में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

रायबरेली नगर पालिका में रिसोर्स सेन्टर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अस्पताल के पीछे वार्ड नं0 27 में सरकार द्वारा सिटी रिसोर्स सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त रिसोर्स सेन्टर के निर्माण हेतु पूर्व में रुपये 6 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। दूसरी किस्त की धनराशि रुपये 6 करोड़ जारी न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उक्त निर्माण कार्य सी0 एण्ड डी0 एस0 (कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइंस सर्विसेज) जल निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जा रहा है। जनहित में उक्त सिटी सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा दूसरी किस्त की धनराशि शीघ्र निर्गत करते हुए कार्य कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक-महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दूसरी किस्त की धनराशि शीघ्र जारी कराकर कार्य कराने की कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में मखदूम साहब पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना के मेन रास्ते पर एक नाले का पुल है। निकट मखदूम साहब के लगभग 50 वर्ष पुराना पुल है। जिसकी आज तक किसी भी सरकार ने चौड़ीकरण/नव निर्माण नहीं कराया जिसकी चौड़ाई काफी कम है। जिससे वाहन आने-जाने में अक्सर ट्राफिक जाम रहता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगों द्वारा अनेकों बार स्थानीय उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/नगरवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक-महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा के आदर्श नगर पालिका क्षेत्र में घनी आबादी में विगत कई दशक पूर्व विद्युतीकरण का कार्य किया गया था जो कि आज अत्यधिक जर्जर अवस्था में है यहां पर लगे अधिकांश विद्युत पोल एवं तारें जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में है तथा जर्जर विद्युत पोलों एवं खुले तार की वजह से यहां पर अक्सर विद्युत दुर्घटनायें कारित हो रही हैं जिससे जन-धन का भारी नुकसान हो रहा है जिससे जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित एवं लोक-महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में लगे जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को हटाते हुए अण्डरग्राउण्ड केबिल द्वारा विद्युतीकरण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को सम्मानित वेतन और सुविधायें तथा नौकरी में स्थायित्व दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी -

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उ0 प्र0 में पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जिनसे लगातार सरकार के द्वारा वह सभी कार्य लिए गये जिसके लिए उनको विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त किया गया था लेकिन वेतन और सुविधाओं के नाम पर इनको हमेशा वंचित रखा गया न्यूनतम वेतन और न्यूनतम सुविधाओं पर लगातार सेवा ली गयी है आज वर्तमान समय में इनकी उम्र प्रदेश सरकार की सेवा करते-करते 40 वर्ष से 50 वर्ष हो गयी है लेकिन इनका भविष्य अभी भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है इनकी नौकरी स्थाई नहीं है और इनका वेतन बहुत कम है जिससे यह अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते तथा जरूरत की आवश्यक सुविधायें नहीं जुटा सकते जिसके कारण इनको अमानवीय पीड़ा होती है। आज उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके इन संविदा कर्मचारियों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी तथा स्वयं का निजी मकान यह मूलभूत सुविधायें जो इनके लिए निरन्तर चुनौती बनी हुई है। जिसके कारण उ0 प्र0 का बहुत बड़ा वर्ग परेशानी से गुजर रहा है। महंगाई के दौर में इन संविदा कर्मचारियों को जरूरत की आवश्यक वस्तुयें तथा सुविधायें जुटाना मुश्किल है। यह संविदा कर्मचारी अपने परिवार के साथ परेशानी में जीवन व्यतीत करते हुए सरकार की निरन्तर सेवा कर रहे हैं। इसलिए सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि इस बड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक वंचना को देखते हुए इनको सम्मानित वेतन और सुविधाओं के साथ इनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए इनको स्थायित्व दिया जाय जिससे इन संविदा कर्मचारियों को न्याय मिल सके।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

[मान्यवर, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने का अन्तिम समय सीमा क्या है। प्रदेश में पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय लाभार्थियों की कुल संख्या के सापेक्ष अब तक कुल कितने लाभार्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? हाल ही में वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु ई-पास मशीनों में की गयी गड़बड़ियों पर कार्रवाई तो की गयी है किन्तु इसकी पुनरावृत्ति को रोकने सम्बन्धी सरकार की क्या कोई प्रभावी योजना है ?]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत ग्राम सकतपुर के पास फरूआही घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर पास फरूआही घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी पर पुल न होने से नदी के दूसरे किनारे स्थित कृषि भूमि पर खेती करने और उपज को लाने में काफी कठिनाई होती है। यहां पर पुल बन जाने से इस क्षेत्र के निवासियों को बाजार, स्कूल आने-जाने पर विशेष सुविधा मिल जायेगी। क्षेत्रवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक-महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बूढ़ी राप्ती नदी के फरूआही घाट पर एक पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के ग्राम भरौली में कच्चे मार्ग को पक्के कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 संगीता बलवन्त-

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान बलिया जिलान्तर्गत ग्राम भरौली के प्राइमरी स्कूल के सामने गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित गंगा स्नान करने जाने वाले कच्चे मार्ग को पक्का कराने की ओर आकृष्ट कराना चाहती हू।

बलिया जिलान्तर्गत ग्राम भरौली के प्राइमरी स्कूल के सामने गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित गंगा स्नान करने जाने वाले कच्चे मार्ग को पक्का करने का कार्य विगत लगभग एक वर्ष पहले शुरू हुआ था। किन्तु यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ और कुछ ईंट लगने के बाद वह कार्य बन्द हो गया। उक्त मार्ग से कई आस-पास के गांव के लोग भी स्नान करने आते हैं। बरसात में तो कीचड़ और गन्दगी से स्नान करना कठिन हो जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त कच्चे मार्ग को शीघ्र पक्का कराया जाना जनहित में अति आवश्यक प्रतीत होता है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में अनुज्ञा अवधि में दूसरी किस्त न जमा किये जाने के बाद भी पट्टेधारकों के द्वारा खनन कार्य कराये जाने से सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व क्षति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, बस्ती में जिला प्रशासन के द्वारा खनन पट्टाधारकों को पांच वर्ष हेतु खनन कार्य के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था। इसमें तीन माह प्रथम किस्त पट्टेधारकों द्वारा जमा किया गया तीन माह व्यतीत होने के बाद बिना दूसरी किस्त जमा किये पट्टाधारकों द्वारा खनन का कार्य जारी रखा गया। उक्त अवैध खनन कार्य खनन अधिकारियों के द्वारा या संज्ञान में नहीं लिया गया अथवा खनन अधिकारियों के द्वारा जान-बूझकर निजी स्वार्थ के लिए अवैध खनन कार्य कराया जाता रहा नियमतः दूसरी किस्त न जमा किये जाने के बाद खनन कार्य को रोक दिया जाना चाहिए था परन्तु खनन कार्य रोका नहीं गया। उक्त सम्बन्ध में जब विरोध का स्वर उठने लगा तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी तथा खनन कार्य को माह जून में रोका गया। यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन के द्वारा अवैध खनन के दोषी किसी भी खनन अधिकारी अथवा पट्टेधारकों के विरुद्ध कोई अभियोग भी पंजीकृत नहीं कराया गया ज्ञात हुआ है कि पट्टेधारकों के अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की तैयारी चल रही है। परन्तु जिल खनन अधिकारी की देख-रेख में खनन कार्य किया जा रहा था उनके विरुद्ध किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। जबकि मुख्यतः जितने दोषी खनन पट्टेधारक हैं उतने ही दोषी अधिकारी भी हैं। जिनकी देख-रेख में खनन कार्य हो रहा था। दो माह के इस अवैध खनन से सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व के धनराशि की क्षति हुई है। क्या सरकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी खनन कार्य में की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर राजस्व क्षति की पूर्ति एवं वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण राजस्व क्षति से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक-महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरानगर पालीटेक्निक ढाल द्वारिकापुरी चौराहा के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ में इन्दिरानगर के कलेवा चौराहा डी ब्लाक से पालीटेक्निक ढाल द्वारिकापुरी चौराहा पर नेशनल हाईवे अथार्टी ऑ इण्डिया द्वारा नाले का निर्माण कराया गया था जिससे कि वर्षा का पानी और हजारों घरों की जल निकासी सम्भव हो रही थी। माह फरवरी, 2018 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपरोक्त नाली की बिना NHAI से NOC प्राप्त किये बिना तोड़ दिया गया जिससे जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गयी नगर निगम, लखनऊ द्वारा नाले का निर्माण माह जून से नगर निगम, लखनऊ द्वारा फिर से शुरू कराया गया जिससे मानकों के विपरीत निर्माण कराये जाने के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण नाला टूट गया और इस पूरे इलाके में जल भराव व जल प्लावन की समस्या व्याप्त हो गई। प्रश्नगत प्रकरण की कई भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें क्षेत्रीय जनता की ओर से की गई एवं क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है। कार्रवाई न होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुए इन्दिरानगर, लखनऊ के अन्तःवासियों के नाले का निर्माण तत्काल कराये जाने तथा बिना NHAI से NOC प्राप्त किये और मानकों की अनदेखी करने वाले अभियन्ता और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर में स्थापित सिरोपरि को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर की जनसंख्या लगभग 1 लाख है। जहां कि आज एक ही सिरोपरि (Over Head Tank) है। जिसकी क्षमता मात्र 500 कि0 लीटर ही है। इस प्रकार यह सिरोपरि मात्र 10-15 हजार जलसंख्या के लिए ही पीने के पानी की क्षमता रखता है। इस प्रकार सम्पूर्ण नगर पालिका हेतु पीने के पानी की व्यवस्था हो सके इसके लिए कम से कम 6 सिरोपरि (Over Head Tank) की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम 4 ही सिरोपरि (Over Head Tank) की व्यवस्था हो जाये। तो नगर के नागरिकों के लिए अधिकांश परिक्षेत्रों में पीने को पानी की व्यवस्था की जा सकेगी विगत दिनों याचिका समिति के अन्तर्गत 4 सिरोपरि (Over Head Tank) अधिष्ठापित का आश्वासन दिया गया था जिसमें से एक तुरन्त ही अधिष्ठापित किया जाना सुनिश्चित हुआ परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा 4 सिरोपरि (Over Head Tank) अधिष्ठापित किये जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाये।]

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मौहम्मदी में कृषकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्राम किशनपुर जमुनी, परगना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित गाटा संख्या 27ज, जसबीर सिंह गौतम पुत्र वल्दीराम, निवासी सैजना आदि व 26ढ व 25क, महेश बाबू पुत्र रामोतार, निवासी ग्राम मुंशीगंज, सीतापुर आदि 27छ, कौशल किशोर पुत्र श्यामलाल, निवासी पवनीकलां, जिला आजमगढ़ आदि, 25ख, जगदीश पुत्र चिरोंजी लाल आदि, 467 शोबरन पुत्र जयलाल आदि, 26ख ओमप्रकाश पुत्र रामदीन, निवासी मोहम्मदपुर दीना आदि, 26घ जैराखन पुत्र सुमेर, 26क, 26फ कौशल कुमार पुत्र श्याम लाल आदि, 27-क बृजलाल पुत्र केहरि, 28क लालमुनि (मंगल सिंह पुत्र विजय कुमार आदि) की संक्रमणीय भूमिधरों की जमीन व कृषकों द्वारा लगाये गये

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यूकेलिपटिस के पेड़ों को डी0एफ0ओ0, शाहजहांपुर अपनी व जंगल की जमीन बताकर व अपर जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी न्यायालय का सहारा लेकर कृषकों के यूकेलिपटिस के पेड़ कटाने में कृषकों का मानसिक शोषण तरह-तरह से किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है लेकिन अब तक डी0एफ0ओ0, शाहजहांपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की यगी। अतः सम्बन्धित कृषकों को न्याय दिलाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ श्री पवन केडिया-

[मान्यवर, कुशीनगर जनपद के सुकरौली क्षेत्र में मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग नहीं होने से लोगों का भारी परेशानी होती है। एक गांव से दूसरे गांव जाने में 6-7 किमी0 की यात्रा करनी पड़ती है। सुकरौली के धोबहा बाबा का मन्दिर (स्थान) के निकट मझना नाले पर पुल और सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने से लोगों को आवागमन में सुविधा हो जायेगी।

अतः व्यापक लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कुशीनगर जनपद के सुकरौली क्षेत्र में मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विकास खण्ड चकरनगर के कुवारी नदी पर चैकडेमों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 201, भरथना, जनपद इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड चकरनगर में कुंवारी नदी विगत कई वर्षों से सूखी पड़ी हुई है, जिससे किसानों को खेती के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय पानी को रोकने में किसानों को लाभ मिलेगा। उक्त कुंवारी नदी पर 6-7 चेकडैमों का निर्माण किया जाना किसानों/जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए विकास खण्ड चकरनगर में कुंवारी नदी पर 6-7 चेकडैमों का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतापगढ़ नगर पालिका में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगम लाल गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जनपद प्रतापगढ़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अर्द्धनगरीय एवं प्रस्तावित नगर पालिका विस्तार सीमा अन्तर्गत स्थित सरोज चौराहे के कटरा-वाराणसी राजमार्ग से इलाहाबाद-फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाने वाली ग्राम देवकली, करनपुर करमचन्दा, पूरे पितई होकर जाने वाली लगभग 1.00 किमी0 दूरी की सड़क जो नगर के बाईपास का भी काम करते हैं और घनी आबादी तथा इसी मार्ग पर वाणिज्य कर विभाग का कार्यालय तथा युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय व्यायामशाला भी स्थित होने के कारण अत्यधिक आवागमन होता है। किन्तु राज्य योजनान्तर्गत निर्मित उक्त सड़क जगह-जगह काफी नीची हो जाने से जल जमाव होने के कारण गड्ढे में तब्दील हो गयी है और सड़क पर भरे गन्दे पानी से कभी भी संक्रामक एवं गम्भीर बीमारी भी फैल सकती है। इस सड़क को लेकर आये दिन आम जनमानस द्वारा धरना-प्रदर्शन भी होने से असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः लोकमहत्व अविलम्बनीय के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क को तत्काल सरोज चौराहा से कटरा-वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से देवकली-करनपुर-करमचन्द्रा पूरे पितई मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली में औद्योगिक पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

[मान्यवर, जनपद शामली में प्रदेश सरकार की तरफ पिछले बजट सत्र में औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुआ था। इस पार्क को केवल दंगा पीड़ित क्षेत्र जैसे लांक, लिसाड़ में ही लगाया जाय क्योंकि ग्राम लिसाड़ में सरकार की बहुत बड़ी भूमि उपलब्ध है। वर्ष 2013 में इस क्षेत्र में दंगे होने के कारण जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उक्त क्षेत्र में औद्योगिक पार्क का निर्माण होने से इस क्षेत्र को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व अविलम्बनीय के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड गंगोह के ग्राम विलासपुर में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत खेल के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी प्रतिभायें निकलती रही हैं और खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विधान सभा गंगोह के अन्तर्गत कोई स्टेडियम नहीं है। जिसके न होने से खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने में कठिनाई आ रही है। क्षेत्र की खिलाड़ियों की लगातार स्टेडियम की मांग चली आ रही है। अतः खिलाड़ियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम विलासपुर में एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्टेडियम बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर मे कन्या डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवतार सिंह भड़ाना-

[मान्यवर, मेरी पूरी विधान सभा क्षेत्र 16, मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर में एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है जिसकी वजह से वहां की लड़कियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बहुत सी लड़कियां अपनी आगे की पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। समस्या के समाधान के लिए कन्या डिग्री कालेज की स्थापना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व अविलम्बनीय के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा, उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत उन्नाव-पुरवा मुख्य मार्ग से चमरौली होते हुए लखनऊ-कानपुर राजमार्ग तक मार्ग अति सकरा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सकरे मार्ग का चौड़ीकरण का कई बार अनुरोध किया गया है। पर अभी तक उक्त मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद फैजबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में सौभाग्य योजना का काम चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत सौभाग्य योजना ''हर घर बिजली'' की योजना का काम कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जिन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना है, उनके यहां उनका कार्य भी बजाज कम्पनी द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। पीछे विभिन्न कार्यों में भी ग्रामीण विद्युतीकरण में बहुत सारी बस्तियों को छोड़ दिया गया है जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयुष अनुभाग-2 के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किये जा रहे असंसदीय आचरण एवं व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, शासन के आयुष विभाग के शीर्ष अधिकारी शासन व आयुष मिशन की बैठकों में अधीनस्थ अधिकारियों से गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, सेवा में बर्खास्तगी, निलम्बन, भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि, चेतावनी आदि की धमकियां देते हैं, जिससे अधीनस्थ अधिकारियों में घोर क्षोभ, असंतोष, कुण्ठा, चिन्ता आदि व्याप्त है। सचिव, आयुष प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक बैठकें करते हैं तथा तत्काल बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन की अपेक्षा करते हैं जो कदापि सम्भव नहीं है। सचिव, आयुष ने अथक प्रयास कर निम्न गैर संवैधानिक नियम, नियमावली विपरीत निर्णय कराये हैं :-

1-जिला पंचायत, लखनऊ के तदर्थ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को बिना बाध्यकारी तीन वर्षीय शैक्षिक अनुभव के सेवा स्थानान्तरण एवं सेवा संविलियन द्वारा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमतीनगर, लखनऊ में प्रवक्ता पद पर बैठा दिया गया। यही नहीं रीडर व प्रोफेसर बनाकर कार्यवाहक संयुक्त निदेशक, होम्योपैथी शिक्षा बनाया गया। सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन कर पहली डी0पी0सी0 निरस्त होने के बाद बिना किसी नये कारण, आधार एवं औचित्य के दोबारा डी0पी0सी0 कराकर अपर निदेशक, होम्योपैथी शिक्षा बनाया गया। डी0पी0सी0 व तत्क्रम की शासकीय कार्रवाई मेरिट पर निरस्त होने योग्य है।

2-फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयनित/संस्तुत/नियुक्त जिसके विरुद्ध जांच प्रचलित है को कार्मिक विभाग के प्रभावी व्यवस्था, संविधान, नियम, नियमावली के विरुद्ध मृत परीक्षा सूची से नाम मांग कर राजधानी के कालेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया है जो मेरिट पर निरस्त होने योग्य है।

3-फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयनित/संस्तुत/नियुक्त प्रवक्ताओं, रीडर्स, प्रोफसर्स को प्रशासनिक विभाग का अभूतपूर्व संरक्षण प्राप्त है। फलतः ये सेवा में बने हुये हैं।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए गैर संवैधानिक नियम-नियमावली-विधि विपरीत निर्णयों को पुनर्परीक्षण, निरस्तीकरण व दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के ग्राम सदरौना में श्रीमती रूबी की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 रिजवान-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा सरोजनीनगर के ग्राम सदरौना में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती रूबी पत्नी श्री मो0 फहीम की खसरा नं 520, 523, 525 व 521 क्षेत्रफल 4842 वर्ग फिट यानी 450 वर्ग मीटर जमीन है जिस पर गांव के ही भू-माफिया मो0 तौकीर पुत्र सब्बीर खां, मो0 शब्बीर पुत्र बशीर खां, मो0 शेरू पुत्र अबरार खां,

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मो0 फिरोज पुत्र अबरार खां तथा अंकित निवासीगण ग्राम सदरौना, परगना बिजनौर, थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा जान से मारने की धमकी देकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जिसमें तहसीलदार व लेखपाल, एस0डी0एम0 व एस0ओ0 की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए सम्मिलित अधिकारियों को भी दण्डित कर श्रीमती रूबी को न्याय दिलाने का कष्ट करें।]

[01:12 बजे] डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 7 याचिकायें†

डॉ0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से :-

(1) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में कन्या इंटर कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बंध में श्री अपूर्व मिश्रा पुत्र श्री आलोक कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद लखनऊ के गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण तथा दोनों तरफ सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बंध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद लखनऊ में वर्षों से तैयार पानी की टंकी का उपयोग आरम्भ कराते हुए जलापूर्ति कराने के सम्बंध में श्री सतीश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में आबादी के मध्य से बिजली की हाईटेंशन लाइन हटवाने के सम्बंध में श्री ओम प्रकाश शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद लखनऊ के आई0आई0एम0रोड सेमरा से नौबस्ता गौरभीट होते हुए गोमती नदी तक लगभग 8 कि0मी0 पुराने कच्चे नाले के स्थान पर पक्का नाला बनाये जाने के सम्बंध में श्री रामकिशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना के आधे अधूरे निर्मित नाले को पूरा पक्का बनाये जाने के सम्बंध में श्री प्रमोद चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(7) जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज एवं जानकीपुरम् क्षेत्र में काफी समय से जर्जर पड़े मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बंध में श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनुपर से सम्बन्धित 2 याचिकायें†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। इसमें थोड़ी से त्रुटि हो गयी है इसलिये यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे संशोधित करके पढ़ दूं ?

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़ दीजिये और यहां पर लिखकर भी दे दीजिये।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं,

(1) जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुँगराबादशाहपुर के मुँगराबादशाहपुर मार्किट में स्थित राज्य परिवहन निगम के बादशाहपुर डिपो की जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर दशा में सुधार कराये जाने के संबंध में श्री अखिलेश कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

(2) जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के बेरमॉव बाजार में सड़क के किनारे नयी पक्की नाली का निर्माण 600 मीटर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज बहादुर सरोज व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 5 याचिकायें†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं,

(1) जनपद हरदोई के बिलग्राम मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा नहर पट्टी पर ऐंचायक पुल से कटिया भिखारी पर तक नहर के किनारे सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

(2) जनपद हरदोई के बिलग्राम मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा तट पर बन्धा निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद हरदोई के गंगातट के बेरियाघाट पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगने वाले पांच दिवसीय मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) जनपद हरदोई के बिलग्राम मल्लावां को नवीन तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद हरदोई के मल्लावां नगर पालिका में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 2 याचिकायें†

श्री राकेश सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं,

(1) जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत मौरावां, उन्नाव से खीरी तक की विद्युत लाईन का कार्य शीघ्र पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सताओ में नई तहसील की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी एवं जनपद बरेली से सम्बन्धित 3 याचिकायें (व्यपगत)†

श्री अध्यक्ष-

मा0 डॉ0 डी0सी0 वर्मा जी याचिका प्रस्तुत करें। वह उपस्थित नहीं हैं।

(1) जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मितौली, ब्लाक बेहजमन के ग्राम भरेटहा में एस0 बी0 पटेल स्कूल मार्ग पर गड्ढा तालाब से श्री कमलेश के आवास तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार, निवासी ग्राम भरेटहा, पो0 बेहजमन, जिला खीरी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

(2) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिमरावा की नहर की पुलिया से ग्राम प्रेमपुर की नहर की पुलिया तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बासुदेव गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम आनन्दपुर से आनन्दपुर कौटिया होते हुए मडवा बंसीपुर तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बन्टी सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकायें†

डॉ0 मुकेश वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं,

(1) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला दया, पोस्ट चन्द्रवार में निम्नलिखित कच्चे ऊबड़-खाबड़ एवं जर्जर मार्ग को सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरिहा में ग्राम सिद्ध के पुरा चौराहा से ग्राम रंजीतपुरा तक के कच्चे, ऊबड़-खाबड़ एवं जर्जर मार्ग को सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरन व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

†छापी नहीं गयी।

(3) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लालऊ में रामजीलाल के घर से बैदी शंकरपुर मार्ग तक 2 किमी0 तक के कच्चे, ऊबड़-खाबड़ एवं जर्जर मार्ग को सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम रूपवास पोस्ट दतावली में घरों की छत के कुछ फिट के ऊपर निकल रहे 11000 वोल्ट की एल0टी0 लाईन के तार हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर दयाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम तोतलपुर पो0 मोहम्मदपुर बिहारीपुर में पंचायत घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम चमेली बाग पो0 राजा का ताल में एन0एच0-2 से आर0 के0 कालेज तक 01 किमी0 तक के उबड़-खाबड़ एवं जर्जर मार्ग को सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

(7) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम खंजापुर पो0 गाजीपुर में नत्थू सिंह के घर से पैमेश्वर गेट तक लगभग 01 किमी0 तक के कच्चे, उबड़-खाबड़ एवं जर्जर मार्ग को सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

(8) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम खंजापुर पो0 गाजीपुर में अन्नू धर्मशाला से बरी चौराहे तक घरों की छत के कुछ फिट के ऊपर से निकल रहे 33000 वोल्ट की एल0टी0 लाइन के तार हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

(9) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम उस्मानपुर, पो0 चन्द्रवार में घरों की कुछ फिट के ऊपर से निकल रहे 11000 वोल्ट की एल0टी0 लाइन के तार हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

(10) जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला आशा, पोस्ट कुर्रीकूपा में प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 7 याचिकायें†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं,

†छापी नहीं गयी।

(1) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा मठिया माधोपुर, तहसील कसया, ब्लाक पडरौना में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रिज किशोर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(इस समय 01 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

(2) जनपद कुशीनगर में बाबा फक्कड़ में मंदिर छठ स्थान पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिर व तालाबों के सौंदर्यीकरण इण्टरलाकिंग विवाह भवन व चहारदीवारी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(3) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा खेसारी गिदहा तहसील कसया में विवाह भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सावित्री देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(4) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भरवलिया तहसील कसया, ब्लाक हाटा में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लहरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(5) जनपद कुशीनगर के सपहा आंशिक वार्ड 03 सन्त गाडगे नगर न0पा0प0 तहसील कसया में ब्लाक कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री नथुनी कुशवाही व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(6) जनपद कुशीनगर के ग्राम सिरसिया खोहिया, तहसील कसया में ब्लाक कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मिठाई लाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

(7) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भैसहा पकडीहवा भागड़ क्षेत्र में तहसील कसया में पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 डी0पी0 सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।†

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 2 याचिकायें (व्यपगत)†

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय प्रताप जायसवाल, उपस्थित नहीं है। कृपया अगली मद ली जाये।

(1) जनपद बस्ती के तहसील मानपुर में निर्मित विद्युत उपगृह का उर्जीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के प्रमुख मार्ग महनुआ-बरहपुर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

†छापी नहीं गयी।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका

श्री असलम अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के वि0ख0 रजापुर, ग्राम मंसूरी में एन0एच0-24 निकट अहसान रेस्टोरेन्ट के पास गंगा नहर नाले की सफाई एवं नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती खुशनुमा व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 2 याचिकायें

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

1- मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के नगर निगम में चुने गये पार्षद को जन सेवा हेतु 20 हजार रू0 वेतन दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2- मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा महानगर में भगवान टाकीज चौराहे से हरीपर्वत चौराहा व कलक्ट्री होते हुए प्रतापपुरा चौराहे तक की रोड पर ऐलीवेटिड पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री मनोज गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, जनपद आगरा के नगर निगम में चुने गये पार्षदों को जन सेवा हेतु 20 हजार रू0 वेतन दिलाने की मांग की है और श्री वैभव गर्ग व अन्य निवासीगण द्वारा आगरा में सफाई अभियान सुबह-शाम दोनों टाइम चलता है वहां के पार्षद सफाई अभियान में सुबह भी उनके साथ रहते हैं, शाम को भी रहते हैं रात की लाइटों को भी दुरूस्त कराते हैं उनका आने-जाने में पेट्रोल में, टेलीफोन में बहुत खर्चा होता है, अगर उन्हें 20 हजार रु0 प्रतिमाह वेतन भत्ता दिला दिया जायेगा तो आगरे में सफाई व्यवस्था और दुरूस्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सफाई अभियान जोरों से चलेगा। माननीय अधिष्ठाता जी जनपद आगरा में भगवान टाकीज चौराहे से हरीपर्वत चौराहा व कलक्ट्री होते हुए प्रतापपुरा चौराहे तक की ऐलीवेटेड रोड बनाने की आवश्यकता है यहां रास्ते में कम से कम 8 चौराहे पड़ते हैं वहां ट्रेफिक जाम हो जाता है 15-15 मिनट के लिए। ऐलीवेटेड रोड बना दिये जायेंगे तो आगरा में बहुत सुविधा हो जायेगी।

श्री केसर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री केसर सिंह जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें लेकिन वह उपस्थित नहीं है।

(1) जनपद बरेली के विकास खण्ड मदपुरा के अन्तर्गत ग्राम ज्योति जागीर के पास धिमरी मार्ग (कैलाश नदी) पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगन लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।†

†छापी नहीं गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 4 याचिकायें†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

1. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील सदर के नैनीताल मार्ग से अभयपुरा अगरास होते हुए भिटौराशाही मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकरलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की भोजीपुरा विधान सभा के बरेली-नैनीताल मार्ग से रटौआ सागलपुर से फरीदापुर जागीर, खानपुर होते हुए शाही तक सड़क का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीशंकर गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की भोजीपुरा विधान सभा के कस्बा शेरगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृद्धसेन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

4. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की भोजीपुरा विधान सभा के बरेली-नैनीताल मार्ग से धौराटांडा होते हुए शाही तक सड़क का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज के अन्तर्गत ब्लाक दुदही, सेवरही एवं तमकुही में ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 2 याचिकायें†

श्री सीताराम वर्मा-

1. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मोतिगरपुर में सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री जगदीश सिंह व अन्य निवसीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2. मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कूरेभार एवं जयसिंहपुर के विकास के लिए सड़कों के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमणि मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

†छापी नहीं गयी।

श्री संगम लाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री संगम लाल गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा के अन्तर्गत सेतापुर-सराय महिमा के बीच नाले पर पुलिया का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तुलसी राम विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राहुल प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे में नदियों/नालों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पाठक व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में स्थित लखनऊ खण्ड-2 की शारदा नहर पटरी का ग्राम आनन्दपुर से कनकहा पुल तक कच्ची सड़क का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत चौदह प्रास के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री विजय शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

(इस समय 01 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद इलाहाबाद से सम्बन्धित 4 याचिकायें†

श्री जमुना प्रसाद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से :-

(1) जनपद इलाहाबाद के विधान सभा सोरांव में ब्लाक बहरिया एवं ब्लाक सोरांव में अंत्येष्टी स्थल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

†छापी नहीं गयी।

(2) जनपद इलाहाबाद के विधान सभा सोरांव में जर्जर सड़कों की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद इलाहाबाद के विधान सभा सोरांव में पेयजल हेतु 25 पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) जनपद इलाहाबाद के विधान सभा सोरांव में दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम हेतु निम्न स्थलों पर सामुदायिक भवन के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नारायण पासी व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 3 याचिकायें†

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से :-

(1) जनपद कानपुर नगर के शहीद भगत सिंह पार्क व लाला लाजपत राय पार्क के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक गुप्ता मोनू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद कानपुर नगर के नगर निगम बालिका इण्टर कालेज हीरामनपुरवा में विज्ञान की कक्षायें चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सारिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद कानपुर नगर के हरबंश मोहाल वार्ड में डूडा द्वारा बनवायी गयी बारातशाला के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज मद संख्या-24 में कुछ नहीं है।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-25(क) लेता हूं। मुझे सदन को सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 पर मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है और उसमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

†छापी नहीं गयी।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकरणों को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया गया है :-

1. उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 में दिनांक 18 मई, 2017 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में श्री सुभाष पासी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-166/167 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य के संदर्भ में।

2. उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय बुद्धवार दिनांक 19 जुलाई, 2017 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0 142 के उत्तर के संदर्भ में श्री दिनेश चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 24 जुलाई, 2017 के संदर्भ में।

उपर्युक्त मामले में दी गयी सूचना आज दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरूद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दी गयी।

माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने अपने मोबाइल नम्बर से उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के सी0यू0जी0 नम्बर पर दिनांक 26 व 27 दिसम्बर, 2017 को कई बार आवश्यक कार्य हेतु फोन किया गया लेकिन उप जिलाधिकारी ने न तो उनका फोन रिसीव किया और न ही उनके द्वारा काल बैक की गयी। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया गया उक्त कृत्य मा0 सदस्य के विशेषाधिकार हनन की परिधि के अंतर्गत आता है।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा स्पष्ट किया कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को 11.00 बजे उनके दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि हैरिटेज अकादमी, दिल्ली-मेरठ रोड, मोदीनगर पर मुख्य राजमार्ग-56 पर प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्रवेश पर रोक को लेकर अध्यापकों द्वारा एन0एच0 58 राजमार्ग जाम कर दिये जाने के कारण मार्ग पूर्णतः अवरूद्ध हो गया है, जिसके फलस्वरूप शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी थी तथा शोरगुल इतना अधिक था कि फोन रिसीव करना संभव नहीं हो पा रहा था।

दिनांक 06 फरवरी, 2018 को अपराह्न 4.19 बजे उप जिलाधिकारी द्वारा मा0 सदस्य से फोन पर वार्ता कर सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया गया जिस पर मा0 सदस्य

द्वारा सन्तोष प्रकट किया गया तथापि श्री पवन अग्रवाल, उप जिलाधिकारी द्वारा मा0 सदस्य को कष्ट पहुंचाने के लिए खेद प्रकट किया गया।

प्रश्नगत विषय का सम्बन्ध न तो सदन से है और न ही सदन की किसी समिति के कार्य से है। सूचना में उल्लिखित घटना के कारण माननीय सदस्य के किसी विधायी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर भी आरोपित अधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में शासन उत्तर उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाना

इसी प्रकार की दूसरी सूचना है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 में दिनांक 18 मई, 2017 को नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में श्री सुभाष पासी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य के संबंध में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन द्वारा संशोधित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा दिनांक 08 अगस्त, 2018 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाना

इसी प्रकार की तीसरी सूचना है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय बुद्धवार दिनांक 19 जुलाई, 2017 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-142 के उत्तर के संदर्भ में श्री दिनेश चौधरी माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 166/167 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 24 जुलाई, 2017 के संबंध में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन द्वारा संशोधित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 20 अगस्त, 2018 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

[01:35 बजे] कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को लेता हूं। उत्तर प्रदेश की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक-30 अगस्त की बैठक में निम्न सिफरिशें की हैं।

1-दिनांक-31 अगस्त, 2018 को निधन के निर्देश लिये जायें।

2-दिनांक-31 अगस्त, 2018 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

(संशोधन) विधेयक, 2018, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण संबंधी मदें ले ली जायें।

3-दिनांक- 31 अगस्त, 2018 को निम्नलिखित नियम-103 के प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा संबंधी मदें ले ली जायें।

(1) श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' कर दिया जाय।''

(2) श्री अविनाश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव :-

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम बदल कर 'पं0 अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, लखनऊ' कर दिया जाये।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि परिवर्तन चौक, लखनऊ का नाम बदल कर 'अटल चौक' कर दिया जाये।''

4-शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[01:37 बजे] विधेयक को पुरःस्थापन करने हेतु मा0 सदस्यों को विधेयक की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है। आप कृपया नियम-123 देखने का कष्ट करें। इसमें यह है कि नियम-123-पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव-

1-नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों।

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री का जो प्रस्ताव विधेयक का आया है। इसकी प्रतियां हम लोगों को एक दिन पूर्व से उपलब्ध ही नहीं कराई गई हैं। इसकी प्रतियां हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई और यह महत्वपूर्ण बिल का प्रस्ताव पुरःस्थापित होने जा रहा है तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि इसको या तो स्थगित कर दें....

श्री अध्यक्ष-

लॉबी में जो अलमारियां बनी हुई हैं उसमें प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रतियां कल उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हो सकता है कि आज रखी गई हों।

श्री अध्यक्ष-

कल ही शाम को उपलब्ध कराई गई हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कल अगर हम लोगों के जाने के बाद रखी गई हों। वह तो दिया नहीं जायेगा। जब हम लोग यहां से उठकर चले गये हों और उसके बाद शाम को रखी गई हों। कल की डेट में तो हो गया। आपकी और इनकी भी बात सही हो गई। लेकिन वह हमारे स्तर पर मिली ही नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको स्थगित कर दें और यह पुरःस्थापना बाद में होगा। अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

एक तो कल यह पास नहीं होना है क्योंकि आज सदन उठ रहा है। पास भी आज नहीं होना है। और हम लोगों को उसकी कापी मिली नहीं। जैसाकि बसपा विधान मण्डल दल के नेता श्री लालजी वर्मा जी ने कहा हम लोगों के पास नहीं आया। हमारी टेबल में तो चला जाना चाहिए क्योंकि हम बक्सा में तो ढूंढते नहीं हैं, मा0 मंत्री लोग बक्सा में नहीं ढूंढते हैं। जितने मा0 मंत्री हैं उनके आफिस में चला जाता है। वह हम लोगों के आफिस में गया नहीं और एक दिन पहले मिलना चाहिए। आज सदन उठ ही रहा है। इसके बिना कोई काम रुक नहीं रहा है। तो थोड़ा-बहुत नियमावली का पालन हो जाये। अगर उसके बिना सरकार का कोई काम रुक रहा होता तो हम लोग सहयोग कर देते। लेकिन इसके बिना सरकार का कोई काम भी नहीं रुक रहा है और यह नियमावली के विपरीत आ रहा है तो इस पर तो आपको विचार करना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल की शब्दावली बहुत अच्छी है और जब कभी विधान सभा की कार्यवाही जो आने वाले सदस्य हैं वह पढ़ेंगे तो वह अभी कह रहे थे कि यह जादूगरी करेंगे। तो मान्यवर, पूरे सदन को यह मालूम है कि हम जादूगरी नहीं करते हैं। जो जादूगरी और एक्टिंग करता है वह पूरे सदन को मालूम है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो सदन का हलका-फुलका माहौल है और यह जिसका विरोध कर रहे हैं वह मान्यवर, मालूम है क्या है। इस बात की परमीशन है कि वर्ष 2011 या उसके पहले के जो अध्यापक नियुक्त हुये थे उनका विनियमितीकरण कर दिया जाये। उसकी परमीशन दे दीजिए। तो यह एक ऐसा जनहित का मुद्दा है मान्यवर, अध्यापकों का मुद्दा है। डिग्री कालेज में 2011 से पहले जो मानदेय पर नियुक्त किये गये थे और वह आज मानदेय पर काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का

मामला है। आप विरोध करना चाहें तो विरोध करें। तो हमें दूसरी प्रक्रिया में करना पड़ेगा क्या करें मजबूरी है। लेकिन आज हम यह चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ायें। मान्यवर, इस सदन में पहले हम नियमों से चलते हैं फिर परम्पराओं से चलते हैं। नियम यह है जो इन्होंने पढ़ा और यह भी हुआ है कि दिन के दिन प्रेजेंट हुआ दिन के दिन टेकअप हुआ। इन्होंने भी दर्जनों किया और इन्होंने भी किया। दर्जनों विधेयक आज ही प्रेजेंट हुये और आज ही उसके ऊपर संज्ञान लिया गया। मान्यवर, आपको पावर है आप चाहें तो अनुमति दे सकते हैं और आज ही उसके ऊपर चर्चा हुयी और पारण हुआ। मान्यवर, हम कोई ऐसा नहीं पास करा रहे हैं जो विरोधी दलों के अपोजिट हो।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमने देखा ही नहीं है कि इसमें क्या है। नियमितीकरण किस बात का है उसमें आरक्षण का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी जानना है। मान्यवर, अभी विधेयक आया नहीं उसको देखा ही नहीं। मान्यवर, या तो सदन एक-दो दिन का आगे बढ़ा दें, एक-दो दिन का समय दे दें। तो आज इसको पुरःस्थापित करा दें। हमें इस विधेयक को जानने का मौका मिल जायेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें यह भी तो देखना है कि अगर नियमितीकरण हो रहा है तो उसमें आरक्षण के नियमावली का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह देखने के लिए समय की जरूरत है। आज अचानक आयेगा, आज ही पास भी होना है तो हम कहां से पढ़ पायेंगे हम आपकी तरह और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की तरह इतने विद्वान तो नहीं हैं कि हम उसको एक-दो मिनट में समझ लेंगे। तो निश्चित रूप से इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोक सेवा आयोग के, उच्च शिक्षा आयोग के अधिकार को लेने जा रहे हैं उसमें संशोधन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो नियमितीकरण करने जा रहे हैं उसमें आरक्षण के नियमों का पालन होगा कि नहीं होगा। इसको भी तो हमें देखना है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो वह बतायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

तो इतनी जल्दी हम कहां समझ पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन बढ़ा दें, 6-7 में इसको ले लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 लालजी वर्मा जी ने जो बात कही वही बात कल सदन में नियम-56 में आयी थी। आपकी आज्ञा से ही हम लोग ले आये थे। मैं किसी बहस के लिए उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि झट-पट में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां कर ली गयीं जिसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया था और आज फिर उसी बात को कह रहे हैं कि जब तक उसको बढ़ियां से पढ़ न लिया जाए तब तक हम लोग सदन में उस पर कैसे बोलेंगे और हम हमारे सदस्य क्या बोलेंगे ? आखिर अकेले में तो पास हो नहीं जाएगा। इस सदन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य काम विधेयक पर चर्चा करना है। मान्यवर, हम लोग कानून बनाने के लिए आए हैं और कानून ही अपर-धपर में हो जाएगा तो हम लोगों का यहां रहने का मतलब क्या है ? मान्यवर, आपसे एक आग्रह है कि आपने कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पास किया, लेकिन 31, अगस्त तक सदन चलने का जो शिड्यूल था जो आपके माध्यम से हम लोगों के पास आया था उसमें कार्य-मंत्रणा में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का आग्रह था कि देश के महान नेता स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की अस्थियों का 24 तारीख को विसर्जन पर, आप लोगों का आग्रह था कि 24 तारीख को छुट्टी हो जाए और आपके सामने भी यह तय हुआ था खुद मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि सदन आगे बढ़े या न बढ़े 24 तारीख वाले की पूर्ति हम लोग जरूर करेंगे और 24 तारीख वाला हम सभी मा0 सदस्यों का बकाया भी है। आज शुक्रवार है। सोमवार को फिर सदन बुला लीजिए (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और जो बकाया है वह उससे पूरा हो जाएगा। मान्यवर, आपने स्वयं बैठक में यह आश्वासन दिया था। हम नियम बनाने के लिए आए हैं और नियम बनाने में इतनी जल्दबाजी होगी तो सदन का क्या औचित्य रह जाएगा ? मान्यवर, विधायक मानें विधान बनाने वाले। हम यहां विधान बनाने के लिए आए हैं और हम लोग जो विधान बनाते हैं उसी को कार्यपालिका लागू करती है। मान्यवर, बिना पढ़े इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है या तो अगले सत्र में इसको ले आइए नहीं तो सोमवार को सदन बुला लीजिए, लेकिन आज इसको ले आना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर मैंने कल भी कहा था कि आरक्षण की चिंता इन्हीं को अकेले नहीं है हमको भी आरक्षण की चिंता है। मान्यवर, हम लोगों ने ओ0बी0सी0 को संवैधानिक दर्जा दिया।

(श्री राम गोविन्द चौधरी जी और विपक्ष के अन्य सदस्यों तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना के एक साथ बोलने पर व्यवधान के मध्य।)

मान्यवर, यह तमाम शंकाएं निर्मूल हैं। हम पूरी तरह से संविधान का पालन करते हैं और आरक्षण की जो प्रक्रिया मा0 सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की है उसका भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हमने कल भी यह आश्वासन दिया था कि जिन विश्वविद्यालयों में ऐसा कहीं हुआ होगा उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी और हम लोग उसका परीक्षण करवाएंगे यह हमने पूरे सदन के सामने मा0 अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर कहा था और अभी एक परिस्थिति ऐसी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ आप सबको मालूम है, लेकिन उसके ऊपर बार-बार शंका करना यह ठीक नहीं है। मान्यवर, यह बात केवल प्रचार की भूख करवाती है जो बिल्कुल ठीक नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके समाने प्रस्ताव करता हूं कि कृपा करके इसे आज ही टेकअप कर लीजिए। आपकी अनुज्ञा होगी तो ये टेकअप हो सकता है। हम हर स्थिति में आरक्षण की नियमावली का पालन करेंगे। 19फरवरी 2016 का, जो आपका शासनादेश है, वह आज भी लागू है और उसे लागू रखा जाएगा। उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। किसी भी प्रकार

से उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको सर्वाधिकार है, आपने सवेरे जो कहा उसे हम लोगों ने माना। अभी आपने ही कहा कि जब तनाव होता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आयोग का गठन आपने कर दिया, यह बात हमने मान ली, उसके लिए इनको बधाई। लेकिन आयोग की संस्तुतियों को लागू भी करना चाहिए। आप रोज खाली कहते हैं...

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब आप शंका करते हैं, तब हम कहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में नियुक्तियां हुई हैं, उनमें आरक्षण का पालन हुआ है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसमें रोक हमने लगाई है, कल उस पर ये भी कहा है कि हम उसका परीक्षण कराएंगे, और उसका पूरा पालन करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो नियुक्तियां हो गयी हैं, उन्हें निरस्त करा देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम फिर से कह रहे हैं कि जो आरक्षण की नियमावली है, हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। मान्यवर, इसे स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मेरा कहना है कि जैसाकि नेता प्रतिपक्ष की शिकायत है, मा0 वर्मा जी की भी शिकायत है और हम भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे सचिवालय का कहना यह है कि कल हमने वितरित कर दिया था। भविष्य में प्रतियां वितरित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।

[01:50 बजे] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018†

बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संदीप सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

---

†दिनांक 31 अगस्त, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री संदीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

[01:55 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018†

औद्योगिक विकास (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज जो यह नए दो विधेयक पुरःस्थापित हुए हैं, उन्हें आज ही विचार एवं पारण हेतु ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दो नए विधेयकों को विचार एवं पारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, हमारा उसमें यह भी प्रस्ताव है कि उसमें प्रवर समिति का, चूंकि पहले से लिख कर देना चाहिए तो हमारा मौखिक प्रवर समिति का प्रस्ताव भी उस समय ले लिया जायेगा, यह आपसे निवेदन है।

---

†दिनांक 31 अगस्त, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[01:55 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब नियम 56 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 31-08-2018 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं, प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री राजकुमार यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा और श्री नफीस अहमद की-परिवहन विभाग द्वारा बस स्टैण्ड पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दिये जाने हेतु टेण्डरिंग प्रक्रिया में की गई अनियमितता एवं बन्दरबांट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर और श्री आजाद अरिमर्दन जी की-प्रदेश में किसानों की भूमि पर ट्रान्समिशन लाइन की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

तीसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अखतर, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' और श्री सोहिल अख्तर अंसारी की-प्रदेश में शिक्षा विभाग में कतिपय रिक्त पदों पर नियुक्तियां न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

इन तीन सूचनाओं पर सुनेंगे।

चौथी सूचना श्री पारस नाथ यादव की-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

पांचवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की-जनपद आजमगढ़ के सरायमीर थाना अन्तर्गत दिनांक 28-4-18 को हुई हिंसा के उपरान्त पुलिस द्वारा फ्री उत्पीड़न किये जाने के संबंध में।

छठवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की-जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के ग्राम बारा नगर, रामा मऊ, कोल खास में घाघरा नदी के कारण हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

सातवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की-जनपद बिजनौर से कार्बेट पार्क व अमानगंज रिजर्व में मृत शव हाथी के शरीर पर गोलियों के दो निशान पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

आठवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में मत्स्य पालन विभाग द्वारा तालाब एवं झीलों के आवंटन में की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

नौंवी सूचना श्री असलम अली की-जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में चल रही पशु वधशाला से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दसवीं सूचना श्री हरिओउम यादव की-प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं एवं दिनांक 10-7-18 को श्री गौरव को खुलेआम मिट्टी का तेल डालकर जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा की जा रही गुण्डागर्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और

बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री उज्जवल रमण सिंह की-प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत रोजगारों को रोजगार प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

इन सारी सूचनाओं पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

पहली सूचना पर श्री रामगोविन्द चौधरी जी अपनी बात रखें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, संयोग से हमारे बीच औद्योगिक विकास मंत्री जी भी मौजूद हैं। प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर तमाम कम्पनियों को यहां पर बुलाया और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया। माननीय मंत्री जी ने कल या परसों उस पर अपनी बात भी रखी थी कि हम कम्पनियों को यहां पर लाकर लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का उसमें बहुत खर्च भी हुआ। इसमें हम बहुत दूर तक नहीं जायेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर के साथ दिनांक 05 अगस्त, 2017 को हर बस स्टेशन पर वाई-फाई की सुविधा देने का उद्घाटन किया था, परन्तु 06 माह के अन्दर ही योजना फेल हो गयी। इस योजना के लिए जिन कम्पनियों को टेण्डर मिला, उनसे अन्य कम्पनियों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास न होने से कम्पनियों द्वारा असमर्थता व्यक्त किए जाने पर एक कम्पनी का टेण्डर बिना बताये निरस्त कर दिया गया और बाकी कम्पनियां तंग आकर पैसा डूबने के भय से भाग गयीं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में वाई-फाई के नाम पर कुछ गड़बड़ियां सामने आयीं, उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी, वाई-फाई की सुविधा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े ताम-झाम से 05 अगस्त, 2017 को उसे प्रारम्भ किया, आज वह कहीं है ही नहीं। परिवहन मंत्री जी हमारे शुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूं तो जो शुद्ध और सीधा मंत्री होता है, उसमें हम भी अपने को जोड़ते हैं, (हंसी) उसके अधिकारी उसको लेकर डूब जाते हैं। हमारे पास प्रमाण नहीं हैं कि मैं आपको दिखाऊं लेकिन बाहर भी इसकी चर्चा बड़ी खराब है, अधिकारी लेविल पर, मैं मंत्री लेविल को नहीं कह रहा हूं। अधिकारी लेविल पर बाहर चर्चा बहुत ही खराब है, माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जिस योजना को चालू किया गया वह फेल कैसे हो गई ? इसमें आखिर मैं किसी से कहना ही नहीं चाहता हूं, यह बात समझ लीजिए। बड़ा क्रेज अधिकारी लोगों ने जो किया इसलिए योजना फेल हो गई। मैं आपके माध्यम से दो बात कहना चाहता हूं एक तो काम रोक करके मैं इस बात पर चर्चा की मांग करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए कि मुख्य मंत्री द्वारा घोषित उद्घाटित योजनाएं फेल हो गईं, क्या कारण था। इसमें बहुत मामला मा0 मंत्री जी है

आप इसकी बढ़िया से जांच करा दीजिए। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं मा0 मंत्री जी हमारे मित्र हैं, लेकिन इस बात का दुख है, बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा उद्घाटित योजना फेल हो जाए यह बहुत बड़ी शर्मनाक बात है इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं मान्यवर, इसी तरह से इसकी पूरी जांच तय लोगों द्वारा, निश्चित लोगों के द्वारा या सदन की कमेटी के द्वारा या किसी पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा कराई जानी चाहिए मैं इसकी मांग करता हूं

परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

महोदय, कोई महत्वपूर्ण नहीं है और जिस प्रकार आया है किसी की हैसियत नहीं है कि बन्दरबांट कर सके कोई अधिकारी, जब तक हम लोग मंत्री पद पर हैं। दूसरी बात इसका सपा कार्यकाल में टेण्डर हुआ था छः महीने का। इसको कुछ रुपया प्रतिवर्ष देना था उसको। छः महीना काम किया हो सकता है। पर्टिकुलर कुछ कारण था इसलिए वह भागने लगा। उसकी 71 लाख रुपये की पी0एम0डी0 द्वारा गारण्टी जब्त कर ली गयी है और मामला आरबीटेशन जज के पास चल रहा है। पता नहीं किसने आपको गुमराह करके प्रश्न लगाया है। जज ही इसका आर्बीट्रेशन कर रहा है भाई साहब और आप इसका एक बार आप स्वयं जाच कर लें। किसी की हैसियत नहीं, परिवहन विभाग में। मेरे रहते एक-एक रुपये का हिसाब रखा जाता है। अभी भी पुलिस के द्वारा जो गुण्डे पकड़े गए मैं पुलिस को जहां-जहां हमें शंका होती है लोगों को सूचना देता हूं कई आर0टी0ओ0 जेल गए हैं मेरे रहते हुए। मैं एक सीधा सज्जन हूं, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है। ना मैं एक रुपया ट्रांसफर में, ना एक रुपया पोस्टिंग में लेता हूं आप लोगों के सपा के समय में क्या था उसकी बात मैं नहीं करता। अभी कोई नोएडा जाने के लिए आर0टी0ओ0 तैयार हो आप किसी से भी आग्रह करके नोएडा पोस्टिंग करवा लीजिए मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 परिवहन मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और किसानों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह सरकार बार-बार किसानों को समर्पित अपना बजट प्रस्तुत करती है और उसके बाद भी किसानों के साथ मान्यवर, बड़े पैमाने पर जुल्म और ज्यादती होती है। मान्यवर ट्रांसमिशन लाइन वह 66 के0बी0 के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन है। भारत सरकार ने एक गाईड लाईन दिया और वह गाइड लाइन के अनुसार 15 अक्टूबर, 2015 और उस गाइड लाइन के अनुसार टेलीग्राफ्स एक्ट में संशोधन करते हुए जो टेलीग्राफ्स एक्ट है मान्यवर उसके अनुसार उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 में उन्होंने उस बात को जोड़ा है एक 66 के0वी0 से ऊपर के ट्रांसमिशन लाइन पर क्षतिपूर्ति के अलावा भी किसान कि भूमि का मुआवजा दिया जाए। मान्यवर, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3-7-2015 ट्रांस दिनांक 15-10-2015 के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना हेतु राइट ऑफ वे के अन्तर्गत उनके उपयोग के मामले में वे मुआवजा के आकलन करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए।

मान्यवर, इसमें निर्देश दिया गया है कि जो जमीन ट्रांसमिशन लाइन के पोल के लिए ली जाती है उसके खम्भों के लिए ली जाए। उस जमीन के बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत किसान को जमीन का मुआवजा दिया जाए फसल की क्षतिपूर्ति के अलावा। इसी के साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि उसके नीचे, जिस जमीन के ऊपर तार जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से आपका ध्यान आकृष्ट हो और सरकार इस पर निश्चित रूप से एक आदेश जारी करने का काम करे कि वह जो ट्रांसमिशन लाइन ऊपर से जा रही है उसके नीचे की जो जमीन है उस जमीन के बाजार मूल्य का 15 परसेण्ट किसान को जमीन का मुआवजा देने का यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उसमें इस बात का भी दिशा-निर्देश है कि जो 66 के0वी0 की लाइन है उसके नीचे तार की चौड़ाई 18 मीटर मानी जाए। 110 के0वी0 के तार की चौड़ाई 22 मीटर मानी जाए। 132 के0वी0 की जो लाइन है उसके नीचे के तार की चौड़ाई 27 मीटर मानी जाए। 220 के0वी0 के तार की चौड़ाई 35 मीटर मानी जाए। 400 के0वी0 के तार की चौड़ाई 46 मीटर मानी जाए। 500 के0वी0 के लिए 52 मीटर, 765 के0वी0 के लिए 64 मीटर, 800 के0वी0 के लिए 67 मीटर और 1200 के0वी0 के लिए 82 मीटर मानी जाए। इस आधार पर उसकी चौड़ाई मानते हुए उसमें किसान को उस जमीन का, फसल की क्षतिपूर्ति के अलावा जमीन का मुआवजा देने की गाइड लाइन भारत सरकार ने जारी की। मान्यवर, कुछ प्रदेशों ने भी किया। मेरे पास छत्तीसगढ़ प्रदेश का है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में संगठन के काम से आता-जाता हूं तो वहां पर मैंने देखा और महसूस किया कि लाइनें बन रही हैं। मान्यवर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिनांक 01-06-2016 को भारत की उसी गाइड लाइन के आधार पर उन्होंने उसके लिए शासनादेश जारी कर दिया। अब उस शासनादेश के तहत वहाँ किसान को प्रतिकर मिल रहा है। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में, कई प्रदेशों में उसका मुआवजा मिल रहा है। मान्यवर, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी, अभी मेरा आज का प्रश्न लगा हुआ था और उस प्रश्न के माध्यम से मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि निर्माणाधीन पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में मुआवजे की वर्तमान व्यवस्था क्षतिपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-67 एवं 68 सपठित भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, 1885 की धारा-10 व 16 द्वारा निगमित है। इन अधिनियमों में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञाधारियों के द्वारा फसल, पेड़ तथा किसी ढांचे को होने वाली क्षति की पूर्ति की जाती है। मान्यवर, इसी नियमावली में, यह जो वर्ष 2003 का ऐक्ट है, उसी में संशोधन के लिए भारत सरकार ने यह दिशा-निर्देश दिया। चूंकि उन्होंने कहा कि लैण्ड एक्वीजीशन का अधिकार प्रदेश सरकारों को है इसलिए प्रदेश सरकार इस दिशा-निर्देश के अनुसार उसमें संशोधन करने का काम करे और उसके आधार पर शासनादेश जारी करने का काम करे। मान्यवर, आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में हम बार-बार किसान की बात करते हैं। एक खम्भा लगाने में 122 वर्ग मीटर जमीन जा रही है। किसान की जमीन का नुकसान हो रहा है। ऊपर से उसके साथ लगाने में पूरी फसल नष्ट हो रही है। उसका पूरा खेत बर्बाद हो रहा है। उसमें कहीं वह कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। किसी तरह से अन्य कोई खेती का काम उसके नीचे नहीं कर सकता। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों की जमीन के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके क्रान्तिकारी कदम उठाया कि बिना किसान की सहमति के उसकी जमीन ली नहीं जा सकती और बाजार मूल्य का

चार गुना उसको मुआवजा दिया जाएगा। यह अधिग्रहण कानून में भी व्यवस्था की गई। मान्यवर, अगर उस अधिग्रहण कानून के बाद भी किसानों के लिए जारी दिशा-निर्देश का पालन करने का काम नहीं करते, जो भारत सरकार ने 15 अक्टूबर, 2015 को जारी करने का काम किया था। इसके आधार पर मैंने मुख्य मंत्री को पत्र देने का काम किया।

मैंने ऊर्जा मंत्री को भी पत्र भेजने का काम किया। मैंने चीफ सेक्रेट्री को भी पत्र देने का काम किया उसमें यह उद्धरण भी लगाने का काम किया है लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की यह सरकार जो किसानों के नाम पर हमेशा आंसू बहाने का काम करती है वह किसान की जमीन, उस गरीब की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। जबर्दस्ती उसमें पोल लगा लेते हैं और उसके बाद भी जब वह रोता है तो उसका आंसू भी पोछने नहीं चाहते प्रतिकर देकर इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनहित से और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इसको ग्राह्य करते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। मान्यवर, अगर आप चाहें तो छत्तीसगढ़ का या भारत सरकार की जो गाइड लाइन है उसकी प्रति मैं आपके पास भिजवा दूं। मान्यवर, उसका आप स्वयं अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद यदि आप पायें कि मेरी बात जायज है तो निश्चित रूप से मान्यवर, इसकी चर्चा स्वीकार कर लें जिससे दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी को भी जवाब देने का अवसर मिल जाएगा और हमारे तमाम सदस्य भी जो इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे उनको भी अवसर मिल जाएगा। यह किसानों से सम्बन्धित प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको ग्राह्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील थी भी और है भी और अभी भारत सरकार ने जो किसानों का मिनिमम स्टेट्यूचरी प्रॉइस डेढ़ गुना किया है उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। हमारी नीयत साफ है, हमारी मंशा साफ है और हम ज्यादा से ज्यादा देना भी चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

आप कह दीजिए कि प्रतिकर इस गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कह दिया।

श्री लालजी वर्मा-

प्रतिकर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हां, हां देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

इसके लिए आपको बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि आपकी तरह हमारा इतना छोटा दिल नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ये जो 85 प्रतिशत की बात आपने कही, जो कि गाइड लाइन्स में है, हमने इसको देख लिया है और हमारी आपसे इस सम्बन्ध में बात भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने उस वक्त भी सहमति व्यक्त की थी जिस वक्त मेरे पास सूचना नहीं थी। उस वक्त भी सहमति व्यक्त की थी, जहां आपसे बात हुई थी। मान्यवर, इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो 85 प्रतिशत वाली बात थी, जहॉ पर खम्भे गड़ते हैं और उसमें किसान की जो जमीन जाती है तो फसल के मुआवजे के अलावा हम 85 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए पूरी तरीके से विचार कर लेंगे। विचार नहीं मतलब लगभग यह समझिये कि हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में हम जल्दी ही निर्देश दे देंगे लेकिन जो लाइन वाली बात है उसके सम्बन्ध में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। केवल किसान की वह जमीन जहॉ पर खम्भे गड़ते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

तार वाला यह भी उसी से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी बी0जे0पी की सरकार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने उसे भी देखा है। जब आपने कहा था तो मैंने उसे भी देखा। इसलिए जो 85 प्रतिशत गाइड लाइन वाली बात कही गई है उससे हमारी सहमति है।

श्री लालजी वर्मा-

तार वाली भी सहमति दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

तार वाली सहमति अभी नहीं दे पाएंगे इसलिए क्योंकि जो भारी बजट की बात होगी फिर आप हमसे पूछेंगे कि आपने तो ऐसा कहा था। इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं लेकिन 85 प्रतिशत वाले पर सहमत हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं निवेदन कर लूँ। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

वह छत्तीसगढ़ वाले कागज आप इनके पास भिजवा दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मैं भिजवा देता हूं। आप उस पर विचार कर लें। किसान के आंसू उससे पुछ जाएंगे इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पर आप विचार कर लें और उसको भी स्वीकार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो 85 प्रतिशत वाली बात है, जहां पर खंभे लगते हैं, 122 मीटर पर, जो बात इन्होंने अपनी सूचना में लिखी है। उसके बारे में मेरा यह आश्वासन है कि हम उसके बारे में विचार भी करेंगे और उसके बारे में निर्देश भी देंगे लेकिन जो तार वाली बात है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े बजट का काम है इसलिए अभी उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की इस सूचना को अग्राह्य करते हैं। तीसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी की है।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्रदेश सरकार का गठन हुए 17 माह हो गए हैं। 17 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने रोजगार के प्रति कहीं से कोई गम्भीर कदम और संवेदनशीलता नहीं दिखायी। जो घोषणा भी करते हैं वह केवल हवाहवाई, जो अपने ट्विटर से हैण्डल करते हैं वह भी हवाहवाई होती है। यू0पी0 गर्वनमेण्ट ने...।

श्री अध्यक्ष-

अभी जैसे माननीय रामगोविन्द जी ने और वर्मा जी ने सुनिश्चित प्रश्न उठाए ऐसे ही प्रश्न आप भी उठाएं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, ऐसा ही विषय कह रहा हूं। 31 हजार अनुदेशक वर्तमान में तैनात हैं जिनको 8470 रुपये की दर से प्रतिमाह वेतन मिलता है। 19 मई, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्विट करके कह दिया कि अनुदेशकों को 17 हजार रुपये दिये जाएंगे। यहीं नहीं 1 जून, 2018 को भी जनपद इटावा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी लेकिन आज तक अनुदेशकों का 8470 रुपये से अधिक एक पैसा नहीं मिल पाया है। यह सरकार इतनी गम्भीर है कि माननीय उच्च न्यायालय के बार-बार आदेश के बाद भी 4 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती आज तक लम्बित रखी हुई है। लगातार सम्माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया लेकिन उस आदेश का कहीं कोई अनुपालन इस सरकार ने अब तक नहीं किया। 22 करोड़ की आबादी वाला पूरा प्रदेश है और लगभग 5 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस सरकार ने कहा था कि हम 5 साल में 70 लाख रुपये देंगे और 1 साल में 12 लाख रोजगार की बात की लेकिन आज तक सरकार ने जो कहा उस पर कहीं से खरे उतरने का काम आज तक इन्होंने नहीं किया। शिक्षकों की भर्ती में 72,825 जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी 2831, अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी 656 हैं इनकी भर्ती आज तक नहीं हो पायी। जो वंचित वर्ग की 3487 उत्तीर्ण महिलाएं हैं वह आज भी दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और न्याय की भीख मांग रही हैं। प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों का पद खाली है। इसी सदन में 12,460 की भर्ती का मामला आया इन्होंने 4 हजार भर्ती कर दी और बाकी जनपदों को शून्य कर दिया। जो निदेशक हैं उनसे कोर्ट ने जब जवाब मांगा तो बेहलफी देकर उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हम भर्ती करेंगे। सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है कि उनकी भर्ती होगी या नहीं होगी और यह अब तक कहीं से स्पष्ट होने की स्थिति नहीं है। अध्यक्ष जी, मध्याह्न भोजन बनाने का काम रसोइया करती हैं और 1 हजार रुपये महीना उनको मिलता है। आज तक सरकार ने उन रसोइयों के बारे में 1 पैसे का विचार करने का काम नहीं किया है, उनके बारे में भी गंभीरता से विचार होना चाहिए और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1 हजार रुपये में जो खाना बनाये उसका जीवन कैसे चलेगा, यह एक बड़ा विचारणीय विषय है। अभी कुछ दिन पहले एक वान्ट निकला जिसमें 62 पद उत्तर प्रदेश पुलिस में चपरासी पद के निकले। इस पद के लिए कुल 93 हजार आवेदन आए जिसमें 50 हजार ग्रेजुएट, 28 हजार पोस्ट ग्रेजुएट, 3700 पी0एच0डी0 और 7400 पांचवी पास थे। बेरोजगारी का यह हाल है कि आज लगातार बेरोजगारी के नाम पर नौजवान दर-दर की ठोकर खाने को विवश है। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2015-16 में दाखिला लिए बी0टी0सी0 छात्र अनियमित होने के नाते तीसरे समेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया और आज भी इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है परन्तु अब तक सरकार ने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखायी। बी0पी0एड0 के 32 हजार, 22 फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद जो तमाम सम्मानित न्यायालयों से आदेश प्राप्त करने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक न उनकी भर्ती निकाली और न उनकी भर्ती के प्रति बेसिक शिक्षा विभाग गंभीर है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपका विषय आ गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, सरकार का हाल यह है। मशहूर शायर बेकल उत्साही की दो पंक्तियां हैं 'बीच सड़क पर एक लाश पड़ी थी और उस पर लिखा था भूख से जहरीली रोटी भी मीठी लगती है'। अध्यक्ष जी यह हाल है इस सरकार का। आज बेरोजगारी की मार नौजवान झेल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप शिक्षा विभाग पर बोल रहे हैं या पूरा बेरोजगारी पर ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं यह अनुदेशक शिक्षा विभाग में ही हैं। यह रसोइया शिक्षा विभाग में हैं, 72,825 अभ्यर्थी भी शिक्षा विभाग में हैं, बी0पी0एड0 शिक्षा विभाग में हैं, उर्दू शिक्षक शिक्षा विभाग में ही हैं। मैं बेसिक शिक्षा से बिल्कुल अलग नहीं जाऊंगा। न मैं चौकीदार की बात कहने जा रहा हूं और न मैं अन्य की बात करने जा रहा हूं मैं केवल बेसिक शिक्षा से संबंधित बात ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि अनुदेशकों का 17 हजार रुपये मानदेय कब तक कर दिया जायेगा। वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण 4 हजार उर्दू शिक्षक की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी । 72,825 अभ्यर्थी शिक्षकों की भर्ती महिला वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति की उत्तीर्ण 3487 अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 50 हजार शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर सरकार कब तक स्पष्टीकरण देगी और अध्यक्ष जी बहुत दुख का विषय है कि 01 लाख 72 हजार शिक्षा मित्र हैं, इसमें 900 अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, लड़कियां मुण्डन कराकर यहीं धरने पर बैठी रहीं, लगातार सरकार की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कराई, शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की थी लेकिन अब तक उन

शिक्षा मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अन्तिम बात इतने प्रश्न के बाद कहना चाहता हूं कि-

'अंधकार में ये गुमनामी का मुझे डर बहुत डराता है,
दर्द बेरोजगारी का मुझे बहुत तड़पाता है,
घर वाले धक्का देते हैं और जमाना चिल्लाता है,
लाख छिपाने पर भी यह दर्द ऑखों से छलक जाता है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जो सरकार के बहुत वरिष्ठ हैं, कि जो मैनें प्रश्न उठाये हैं, उनको कब तक कर लिया जायेगा। कृपया हमें यह बताने का कष्ट करें ।

(श्रीमती अनुपमा जायसवाल के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपने माननीय अजय जी की कविता सुनी है न ?

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

बहुत सुन्दर कविता करते हैं लल्लू जी। अब काव्याजंलि होने वाली है उसमें सुनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय अजय लल्लू जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि बहुत सारे प्रश्न उन्होनें एक साथ खड़े किये और इनको नौजवानों की, बेरोजगारों की बहुत चिन्ता है। आपकी इस चिन्ता में यह पूरा सदन और हम सब भी बहुत चिन्तित हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजागार नहीं देने का काम किया गया और उनके साथ धोखा किया गया। हर भर्ती को निकाला गया और हर भर्ती सीधे कोर्ट के हवाले हो गयी । लोग यह कहते थे कि पहले भर्ती निकलेगी, लिखित और मौखिक परीक्षा बाद में होगी, पहले फीस इकट्ठा कर लो क्योंकि कोर्ट में जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तब से नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये निरन्तर उनको रोजगार देने के प्रयास किये जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और जिस तरह से नये निवेश और नये रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाले हैं, उसमें भी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जहॉ तक मेरे विभाग के संबंध में उठाये गये प्रश्नों का प्रश्न है उस पर मैं आती हूं। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2017 से अद्यतन विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती परीक्षा सम्पन्न कराई जा चुकी है और 05 सितम्बर, 2018 को उनको नियुक्ति भी देने का काम किया जायेगा। शिक्षामित्रों के उक्त समायोजन को बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के पक्ष में निर्णय न दिये जाने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 25-07-2017 द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। लेकिन इस उत्तर प्रदेश

सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आदर करते हुये, इतनी तत्परता के साथ पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि हम पॉच सितम्बर को जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी देने में सक्षम होने जा रहे हैं। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। शासनादेश दिनांक 20-07-2017 द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों को रुपया10 हजार मानदेय पर शिक्षामित्र के रूप में पुनः कार्यरत रखा गया है। इन्हें इस बात की भी सुविधा दी गई है कि जहॉ वह काम कर रहे हैं, वह अपने मूल विद्यालय पर, मूल स्थान पर भी काम कर सकते हैं और महिला शिक्षामित्रों को इस बात की भी सुविधा दी गई है कि वह जहॉ चाहें अपनी ससुराल के स्थान पर, अपने मायके के स्थान पर, मूल स्थान पर, जहॉ वह चाहें, काम कर सकती हैं, जैसा शिक्षामित्रों की मॉग थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के 20वें संशोधन द्वारा शिक्षक भर्त्ती में शिक्षामित्रों को अनुभव के आधार पर 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक का अधिभार दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के 68,500 पदों हेतु परीक्षा संपन्न हो चुकी है, काउन्सलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और संदर्भित चयन में शिक्षामित्रों को शिक्षण अनुभव के आधार पर पर्याप्त वेटेज भी प्रदान किया गया है जो कि भविष्य में जब शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसमें भी यह लागू रहेगा। एक बार अगर वह असफल हो जाते हैं तो उन्हें दूसरा अवसर भी परीक्षा में बैठने का दिया जायेगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो 12,460 की भर्ती चल रही थी, उसके ऊपर भी इसी सरकार ने सहायक अध्यापक के जो पदों की विज्ञप्ति थी, उसके सापेक्ष 5,948 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय का जो प्रश्न आपने उठाया था, इसमें सर्वशिक्षा अभियान की कार्यकारणी समिति, ई0सी0 तथा प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, पी0ए0बी0 की बैठक में इसको रखते हुये, कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। तद्उपरान्त सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य परियोजना कार्यालय की माननीय कार्यकारणी समिति की 51वीं बैठक में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के प्रकरण पर माननीय समिति द्वारा पुनर्विचार करते हुये रू0 9,800 प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है, यह प्रक्रियाधीन है, शासनादेश आने ही वाला है। बी0एड0 एण्ड टी0टी0 उत्तीर्ण अभ्यथियों की जो 72,825 की आपने बात की है, 4 हजार उर्दू शिक्षकों के विषय में, 32,022 अनुदेशकों के संदर्भ में, इसके ऊपर सरकार ने बहुत चिन्ता वक्त करते हुये, माननीय उप मुख्य मंत्री, डॉ0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी के गठित करने के बाद दो बार बैठक हो चुकी है। इस कमेटी में जो अभ्यर्थी हैं, उनको स्वयं बुलाकर उनकी सारी समस्याओं को सुना जा चुका है। बीच में विधान सभा का यह सत्र प्रारम्भ हो गया, इसके तुरन्त बाद फिर उसकी बैठक होनी निश्चित है और उस बैठक के बाद कोई निर्णय तुरन्त ही ले लिया जायेगा और सहानुभूतिपूर्वक उनकी सारी समस्यों पर विचार करते हुये निर्णय लिया जायेगा। एक ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का इसमें प्रश्न आया था। ए0पी0सी0 की अध्यक्षता में उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि शासन की मंशा है, बढ़ोत्तरी होगी। शीघ्र ही उसकी घोषणा भी की जायेगी।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गईं)।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

रसोइयों के बारे में भी बता दीजिये।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, रसोइयों के संदर्भ में भी बताना चाहूंगी, एक हजार रुपये उनको मानदेय मिलता है और मैं एक्सेप्ट करती हूं कि यह मानदेय कम है। उसकी भी हम चिन्ता कर रहे हैं। धीरे-धीरे करके हमें करने दीजिये, हमारा डेढ़ वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, सारे उलझाये हुये सिरे को हम धीरे-धीरे सही कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी भी मंशा है, आप भी चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और हम भी चाहते हैं।

(मा0 सदस्य, श्री लालजी वर्मा के बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब तो वर्मा जी बहुत व्यापक उत्तर आ गया है।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

आपने एक सेर दिया था तो एक सेर जरूर कहूंगी और पहले ही मैंने कहा था कि आदरणीय लल्लू जी की हिम्मत की दाद देनी चाहिये और इनको देखती हूं तो एक गीत जरूर याद आता है कि 'मैं और मेरी तनहाई अक्सर यह बाते करतें हैं कि सत्ता होती तो यह होता, सत्ता तुम होती तो वो होता।' लेकिन उस तनहाई में भी आप बहुत हौसला रखते हैं। बहुत सुन्दर हम लोगों को सेर सुनाते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियॉ हैं, सबको प्रेरणा देती हैं कि 'छोटे मन से कोई बढ़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता' और आपने जो परिस्थिति हमें दी है, आदमी को चाहिये कि वह परिस्थितियों से जूझे और लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े।'

(मा0 सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष -

अब तो पूरा उत्तर आ गया, कविता का उत्तर भी कविता में मिल गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने ट्विटर हैंडल से 19 मई को 17 हजार रुपए मानदेय कहा था और आप 8910 रुपए कह रही हैं।

(मद संख्या-32 पुकारे जाने पर।)

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है, सुषमा पटेल जी ने दिया था।

श्री अध्यक्ष -

उसको हम भिजवा देंगे।

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल दो मिनट का समय लेंगे।

श्री अध्यक्ष -

आप उसकी भाषा पढ़ लें तो आप खुद ही कहेंगे। मैं उसको जांच के लिए भिजवा दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट दे दें, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में आ जायेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुबह ही उनके संज्ञान में डाल दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप लोगों को 103 में बोलना है, अब आप बैठिये वर्मा जी बहुत देर हो जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है, एक मिनट लूँगा कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं यहां से कह दे रहा हूं कि सुषमा जी के मूल प्रार्थना-पत्र की पूरी तरह से जांच सरकार कराये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जांच अलग बात है। मान्यवर, आज तक मेरे खिलाफ 151 का भी एक भी मुकदमा नहीं हुआ है, गॉव के किसी आदमी ने या जनता के किसी आदमी ने मेरे खिलाफ एक भी शिकायत नहीं की। उसी तरह से वह मेरे छोटे भाई के समान है, उसके खिलाफ बिना उसके रहे हुए लूट की एफ0आई0आर0 दायर की गई और यह इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा कराया गया और उस व्यक्ति से कराया गया जो 60 किलोमीटर मेरे गांव से दूर रहता है। 20-25 गाड़ियों सहित 29 तारीख को मेरे गांव की चारों ओर से घेराबन्दी करके खड़े थे, गांव वालों को जब असह्य हो गया तो उन लोगों ने दौड़ा लिया और दौड़ाने के उपरान्त 60 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ, तीन लोगों के खिलाफ एक एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई लूट की, मारपीट की। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जिसके जीवन में, उन तीनों लोगों में से दो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 52 साल की हो गई है लेकिन एक भी एप्लीकेशन उसके खिलाफ नहीं पड़ी है। हमारे तमाम साथी हैं मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कोई भी खड़ा हो करके कह दे कि वह व्यक्ति किसी को मार भी

सकता है तो मान्यवर मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से कार्रवाई हो। ऐसी स्थिति में मैं आपसे चाहूंगा कि इनका जो जिलाध्यक्ष है, गुण्डई पर पूरी तरह से आमादा है और इस तरह से पूरे गांव में गुण्डई करने का काम किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

यह शब्द ठीक नहीं है।

श्री सुरेन्द्र-

गुण्डई शब्द पर मैं आपत्ति करता हूं बी0जे0पी0 का जिलाध्यक्ष गुण्डा नहीं होता है, गुण्डे तो बसपा के नेता से ले करके बाकी लोग होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसको मैंने पहले ही हटा दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

उसने असह्य गुण्डागर्दी किया जो उसने पूरे गॉव को तबाह करने का काम किया।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, पूरे जिले में उसका आतंक है।

(मद सं0-32 पुकारे जाने पर।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसका जवाब तो दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी आप मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर तो तभी दे पायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह जो अविश्वास प्रस्ताव लाये थे एक सदस्य भी नहीं जुटा पाये। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उस व्यक्ति को गुण्डा कहा है और दूसरी पार्टियों से मिलकर कार्य करने वाला कहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा है, अपने अध्यक्ष पर आरोप लगाया है, आप उसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष-

वहां क्या कहा, चाहे इन्होंने कहा या उन्होंने कहा, चाहे किसी भी पक्ष ने कहा, वह अलग बात है।

[02:33 बजे] उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप अपना प्रस्ताव रखें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा प्रस्ताव रख देंगे।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मा0 आबकारी मंत्री जी, शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन में लाये हैं। मेरा आग्रह है कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। संशोधन में शीरे के अधिकृत व्यापार प्रयोग पर आर्थिक दण्ड बढ़ाया गया है। जिस पात्र या पैकेज में शीरा रखा होगा, उसको जब्त करने की व्यवस्था होगी, जैसे- गाड़ी, जलयान, कंटेंनर या वाहन, और पशु को न्यायालय के अंतिम निर्णय तक पुलिस को अपनी सुरक्षा में रखना होगा। महोदय, गाड़ी, जलयान, कंटेनर या वाहन कोई व्यक्ति या जीवित प्राणी नहीं हैं, कोतवाली थानों में लाखों की तादाद में जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटर साईकिल पहले से जब्त पड़ी हुई हैं जो सड़ रही हैं, यह भी जब्त होकर जायेंगी और सड़ेंगी। मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरह पशुओं को भी जब्त करने का प्रावधान है। पशु तो खेत में इतने घूम रहे हैं, और सड़क पर पहले से ही घूम रहे हैं, अगर उनकी कोई व्यवस्था हो जाए, तो उचित होगा। जो खेत एवं सड़कों पर पशु घूम रहे हैं उनके बजाय अगर कोई बैलगाड़ी से शीरा लिये जा रहा है तो उसके पशु जब्त करके आप कहां ले जायेंगे ? इसलिए मेरा मानना है कि इस संशोधन विधेयक को इस समय लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग गन्ना के उत्पादक भी हैं और यह भलीभांति जान रहे हैं कि इस समय एक रुपयाप्रति क्विंटल शीरा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लेने वाला नहीं है। माननीय गन्ना मंत्री जी सौभाग्य से यहां पर बैठे हुए हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हमारे प्रदेश की जितनी चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में शीरा रखने की कोई जगह नहीं है और शीरा रखने की जगह न होने के कारण मिल मालिकों ने गड्ढे खोद करके शीरा उन गड्ढों में भरा है, आप तो तस्करी की बात कर रहे हैं। अगर आज कोई मिल मालिक किसी किसान या किसी व्यक्ति को कह दे कि भैया मुफ्त में शीरा ले जाओ, तब भी कोई शीरा लेने को तैयार नहीं होगा। माह अक्टूबर से पुनः मिल का पेराई सत्र शुरू हो जायेगा और शीरे को निस्तारित न किया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनवरी माह के बाद चीनी मिलें शीरा नदियों में बहायेंगी, क्योंकि उनके पास शीरा रखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि शीरा का प्रयोग किसान अपने पशुओं को खिलाने में भी करता है। आप भी गांव के हैं, हम भी गांव के हैं और तमाम मा0 सदस्य भी गांव के हैं, यह जानते होंगे कि गांव के लोग हुक्के में रखकर तम्बाकू पीते हैं, जिसमें शीरा पड़ता है। मान लीजिये कल कोई किसान 20 लीटर शीरा अपने जानवर को खिलाने के लिए या अपने कोल्हू का बनाया हुआ शीरा ले जा रहा है, अगर उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांग लिया जाए कि इस शीरे का वाउचर लाइये, तो उसका वाउचर किसान कहां से लायेगा? वाउचर नहीं होगा तो आप उसकी साईकिल या उसकी बैलगाड़ी सीज करेंगे और किसान को बताएंगे कि कम से कम 5 हजार, एक लाख या दो लाख का जुर्माना लगेगा। एक्ट तो आना चाहिए कि शीरा से शराब बनती है, शराब के अवैध व्यापार पर यह और सख्ती करें तो शायद अच्छा होगा। मा0 अध्यक्ष जी, शीरा तो कोई पूछता नहीं है, गड्ढों में पड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शीरा चीनी मिल वाला उत्पादित करता है, उसके बिक्री के पैसे से गन्ना किसानों का भुगतान होता है और आबकारी वाले आवंटित करते हैं। उसके टैंक में शीरा रखने की जगह है या नहीं है, चीनी मिल को कब शीरा बेचना है, यह गन्ना विभाग निवेदन करता है आबकारी आयुक्त से। इसी वित्तीय वर्ष के मई, जून में आबकारी विभाग की ढ़िलाई से समय से शीरा अल्कोहल प्लांटों को आवंटित न किये जाने के कारण पूरे प्रदेश में शीरे का संकट बना हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस एक्ट को यहां पर लाने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर कोई ज्यादा चर्चा न करके केवल माननीय मंत्री जी से यह क्लीयर करना चाहता हूं कि शीरा जो मोलाइसेस का बाई-प्रोडक्ट है, दूसरे जो एथनॉल है। तो मंत्री जी मोलाइसेस और एथनॉल को थोड़ा डिफाइन कर दें। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप 10 प्रतिशत एथनॉल को आप पेट्रोल में डलवाने जा रहे हैं। आपने कहा है कि शीरा न बना करके एथनॉल बना रहे हैं तो दोनों को आप थोड़ा डिफाइन करें। मोलाइसेस क्या है और जो बाई-प्रोडक्ट एथनॉल तैयार कर रहे हैं वह क्या है ? हमारी यह शंका है कि आप इसको पेट्रोल में मिलवाने जा रहे हैं, इससे विदेशी मुद्रा में कमी होगी लेकिन 10 प्रतिशत पेट्रोल में मिलवाने से उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, यह स्पष्ट हो जाए ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी ने जो कहा है वह आगे मद संख्या 40 पर आने वाला है, उसमें शीरे को एथनॉल में परिवर्तित करेंगे। मद संख्या-32 इससे अलग है। इसमें अर्थदण्ड की बात है, वर्मा जी ने जो कहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा अधिनियम है उसको मजबूत करने के लिए मूल अधिनियम की धारा-11 में उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' तथा शब्द एक सौ रुपये के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रखे जाने का प्राविधान है। यह मात्र उनके लिए है जो अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है जो प्राविधान बनाया गया है वह शीरे के नियंत्रण के लिये बनाया गया है। निर्यात का अलग विषय है, निर्यात करके उसको निकालना, आरक्षित करना, देशी शराब के लिए 12 प्रतिशत वह अलग विषय है। यह सही बात है कि आज शीरे को कोई पूछ नहीं रहा है। गन्ने की अधिक पैदावार होने के नाते, उसको गड्ढ़ा खोद करके रखना पड़ता है मगर उसके लिए भी प्राविधान कर दिया गया है कि स्टील की टंकी में अलग-अलग करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको भरना है। इसकी तैयारी भी हो रही है। हर जगह उनको उस तरह से रखना पड़ेगा, खेत में नहीं छोड़ सकते। मगर पहले से जो अवैध तरीके से शीरा निकलता था और जगह-जगह पर चला जाता था उसके नियंत्रण के लिए यह प्राविधान किया गया है। केवल अधिनियम की धाराओं को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए यह प्राविधान किया गया है, जो जुर्माने की रकम है उसको बढ़ा दिया गया है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको आप पारित करें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे आग्रह है एक तो इस वक्त शीरे को कोई पूछने वाला नहीं है, अगले साल और कोई नहीं पूछेगा क्योंकि गन्ने का उत्पादन 17 प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। दूसरे, ट्रैक्टर, ट्राली, कंटेनर, टैंकर कोई जीवित वस्तु नहीं है। यहां जितने मा0 सदस्य बैठे हैं हम लोग थाने, तहसील और कोर्ट के सामने देखते हैं हजारों जीप, कार, बस, ट्रैक्टर जब्त किये खड़े रहते हैं। ट्रैक्टर ट्राली, जीप कार तो राज्य की सम्पत्ति है उसको खींच करके आप कूड़ा कर देंगे। आप इस प्राविधान को वापस लीजिए। आपको आर्थिक दण्ड देना है तो तस्कर और उसके मालिक को दीजिए, ट्रैक्टर ट्राली, जीप कार को कैसे दे देंगे? दूसरे आप पशुओं को कैसे सजा दे देंगे? एक तरफ छुट्टा पशु किसानों के खेत चरे जा रहे हैं दूसरी तरफ जो आप पशु पकड़ेंगे उनको कहां रखेंगे? आपने पशुओं को रखने के लिए क्या कोई जगह बनायी है? अगर जगह बनायी है तो पहले उन पशुओं को जो किसानों के खेतों को चर रहे हैं। किसान मजबूर होकर आज अपने खेतों में तार लगा रहे हैं। जब बरसात होती है तो पर हमारा पूरा गौवशं हाई-वे/सड़कों पर खड़ा हो जाता है। इन पशुओं को आप कहां रखेंगे ? इस पर तो प्रकाश डाल दीजिए।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह खाली पशु की बात नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

यह लिखा पढ़ी में हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप पहले उत्तर देने दीजिये वर्मा जी।

श्री जय प्रताप सिंह-

इसमें पहले अवैध तरीके के डीलर होते थे यहां पर जो पिछली कई सरकारों से चले आ रहे है वह इसको अवैध तरीके से मिल से खरीद कर ले जाते थे उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी पकड़ में नहीं आते थे। अगर पकड़ भी लिये जाते थे तो मुश्किल से 100 रुपया200 रुपया का जुर्माना होता था। जो आपने एक बात कही कि गाड़ियों को पकड़ कर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है जिसमें पहले से ही बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसको रोका जा रहा है। उसी को रोकने के लिये कि वहां पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें तत्काल उस पर जुर्माना करके जुर्माना बढ़ाकर उसको हम कर लेंगें उस पर रोक लगा लेंगें। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जुर्माना लगेगा तो वहॉ पर पुलिस स्टेशन पर गाड़ियों को रखना या पशुओं को रखना कोई ऐसी बात नहीं है। पशु का शब्द इसलिये इस्तेमाल किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया वर्मा जी, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

उसमें हमारा एक संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

हम आपके संशोधन पर मतदान करा लेते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मतदान करा लीजियेगा। मेरी एक बात सुन लें।

श्री जय प्रताप सिंह-

वर्मा जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हम बता रहे हैं कि पहले जो डीलर होते थे जो पशु के लिये ले जाते थे वह ऑनलाइन पोर्टल कर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल में कोई भी डेयरी वाला अगर चाहे या कोई भी चाहे निर्यात करने के लिये वह ऑनलाइन पोर्टल में जो डिस्टिलरी होगा उसी के द्वारा बेचा जायेगा। अन्य लोग के द्वारा बेचा नहीं जायेगा और इसी में जो अवैध तरीके से शराब बनाने के लिये ले जाते हैं उसको रोकथाम करने के लिये उसमें जुर्माना बढ़ाया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है कि जो जुर्माना आपने लगाया है आप उसे और बढ़ा लीजिये। लेकिन जो व्हीकिल आप जब्त करके कोर्ट से रिलीज करायेंगे उसको आप शून्य कर दीजिये। जो पशु को आप कोर्ट से रिलीज कराने की बात कर रहे हैं। मान लीजिये आपने बैल भैंसा पकड़ लिया। यह है इसमें आगे। आप जुर्माना बढ़ा दीजिये तस्कर पर, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। व्हीकिल पहले थानों में सड़ रहे हैं। व्हीकिल कोई जीव नहीं है, कोई जन्तु नहीं है। जो तस्करी कर रहे हैं उस पर आप जुर्माना दोगुना कर दीजिये, तिगुना कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी बैठिये। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। आप बैठिये।

श्री जय प्रताप सिंह-

हम संशोधन नहीं करना चाहते। जो जुर्माना रखा गया है वह 500 से बढ़कर ढाई लाख रुपया है, तो वह ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आपने तमाम विषय उठाये और इन्होंने उत्तर दिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरी बात समझ लीजिये। मान लीजिये मैं शीरे का तस्कर हूं। मैंने टैंकर किराये पर लिया। जुर्माना मुझे लगा दो लेकिन टैंकर तो छोड़ दो।

श्री जय प्रताप सिंह-

आगे उसमें देखा जायेगा। 1964 का एक्ट है। अभी 100, 500 रुपये से हम लोग बढ़ाकर ढाई लाख कर रहे हैं। आगे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये मंत्री जी। अब फिर यह वार्तालाप का सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

(3) यह 30 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा-11 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-11 में;

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' तथा शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय, यह निदेश दे सकता है कि कोई ऐसा शीरा और ऐसे पात्र या पैकेज जिसमें उक्त शीरा रखा गया हो, को ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, जलयान, कन्टेनर या वाहन, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध किया गया है, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिये जायेंगे।''

3-मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा-16 का संशोधन

4-(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2018

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[02:50 बजे] उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप विषय रखेंगे क्या ? कुछ बोलेंगे इस पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जैसा कि आज यह संशोधन विधेयक हम लाए हैं इस उद्देश्य से लाए हैं कि नाले-नाली प्लास्टिक से चोक होते हैं यह हम सब जानते हैं। इन्वायरमेंट पर भी प्लास्टिक का विपरीत असर पड़ता है इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसमें दण्ड का प्राविधान भी बढ़ाया गया है और इसके माध्यम से हमने कप, प्लेट, गिलास और पॉलीथीन के जो कैरी बैग

हैं उन पर हमने प्रतिबन्ध लगाया है। यह विशेष रूप से जो गन्दगी है उसको साफ करने में बहुत बड़ी रुकावट है। इन्वायरमेंट पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है इस उद्देश्य से इसको प्रतिबन्धित किया है। पहले हम 15 जुलाई को एक अध्यादेश लाए थे उसके बाद 15 अगस्त से हमने कप प्लेट गिलास और कैरी बैग पर प्रतिबन्ध लगाया। हम चाहते हैं, यह एक ऐसी समस्या है जिस पर सम्पूर्ण सदन सहमत होगा कि इस पर प्रतिबन्ध लगे। अभी माननीय राजभर जी ने एक प्रश्न के उत्तर में इस बात को कहा भी था कि हम इससे सहमत हैं तो मान्यवर, इसको पारित किया जाए हम यही चाहेंगे।

***श्री रितेश पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, यह इच्छा रखता हूं मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्लास्टिक का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रदूषण को बढ़ाने में, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे थल प्रदूषण हो। अध्यक्ष जी, इसमें 50 माइक्रोन का इन्ट्रोडेक्शन किया गया है जो पहले 20 माइक्रोन था उसको बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है इसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अध्यक्ष जी इसको और बढ़ाना चाहिए क्योंकि स्थिति परिस्थिति यह है कि हमारे प्रदेश में गुटखा और अन्य पैकेज चीजों का इतना प्रचलन है, लोग उसको जगह-जगह पर फेंक देते हैं जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि नाली आदि सारी चीजें बाधित हो जाती हैं और हमारे सारे महानगरों में एक तरह से बाढ़ का प्रभाव आ जाता है और ट्रैफिक का आना जाना मुश्किल हो जाता है। कल ही आपने लखनऊ में देखा कि किस तरह से एक छोटी सी बरसात ने ट्रैफिक अस्त-व्यस्त कर दिया था। इसका मुख्य कारण है नाली, इन्हीं पॉलीथीन बैग और गुटखे और बड़े माइक्रोन के जो पॉलीथीन बैग हैं, इनसे बाधित होती है और इनके कारण भी प्रदूषण बढ़ता है तो माननीय अध्यक्ष जी इसमें एक संशोधन प्रवर समिति के पास जाए जिसमें यह विचार हो कि इसमें पॉलीथीन की जो 50 माइक्रोन है उसमें ज्यादा की व्यवस्था हो।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पॉलीथीन की जो 50 माइक्रोन हैं, उससे ज्यादा की व्यवस्था हो और उसके साथ-साथ जो बायोडिग्रेडेबिल पैकेजिंग है, उसका इस्तेमाल करने का भी प्राविधान बाधित किया जाए। दूसरी चीज इसके यूटेलाइजेशन में मतलब कि जो गरीब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वह सब्जी की दुकान वाला कोई व्यक्ति हो, वह पॉलीथीन देता है, मेडिकल स्टोर वाले देते हैं, उधर तो आपने उनके ऊपर एक हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी और उसके बाद जहां पर इसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहां पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कोई उसको कर रहा है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्राविधान होना चाहिए।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक बहुत ही अच्छा संशोधन मा0 मंत्री जी लाये हैं और इससे पहले 2015 में जब पूर्ववर्ती सरकार मा0 अखिलेश यादव जी की थी तब भी पॉलीथीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैन का यह प्राविधान लाया गया था, लेकिन उसके बाद नियमों में और इसमें 20 माइक्रोन और 50 माइक्रोन का फर्क न होने के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही थी आपके जमाने में भी और हमारे जमाने में भी, लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है जहां पर प्लास्टिक बैन कर रहे हैं। यह 19वां राज्य है और आज स्थिति क्या है। प्लास्टिक बैन कर देना एक समस्या का हल नहीं है। आप यह विधेयक लाए, आपका स्वागत है, बधाई है, लेकिन जिस उद्देश्य से लाए हैं, आपने उद्देश्य और कारण भी बड़े विस्तार से बताया है। मैं उससे संतुष्ट जरूर हूं, लेकिन इससे नहीं हूं क्योंकि आप नियम तो ला देंगे, लेकिन नियम के बाद क्या होगा कि जो लगभग 18-19 राज्यों में है क्या सरकार ने कोई स्टडी करवाई है या देखा है क्या कमियां हैं कि आज भी प्लास्टिक का कार्य उन 18-19 राज्यों में चल रहा है, वह किन वजहों से चल रहा है ? नियम तो उन्होंने भी बनाए, कानून तो उन्होंने भी बनाया, लेकिन आज भी हम वहां पर खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मैं मा0 मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्रवर समिति में ले चलें, हम 18-19 राज्यों की समस्या को देख लें, विचार कर लें उसके बाद एक बेहतर कानून उत्तर प्रदेश के इस महान सदन में लायें और पास करें, जो प्रभावी रहे। ऐसा कानून न बने जो सिर्फ कागजों तक सीमित हो। दूसरा आपके माध्यम से मेरा एक संशोधन है, संशोधन यह है कि जो आप पांच हजार, एक हजार, दस हजार, पन्द्रह हजार का जुर्माना लगा रहे हैं मेरे हिसाब से यह नाकाफी है। इतना जुर्माना लगा देने से यह समस्या दूर होने वाली नहीं है, यह विकराल समस्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें कठोरतम सजा का प्राविधान रखिये, कठोरतम जुर्माना लगाइये, जिससे आदमी दोबारा हिम्मत न कर सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका सुझाव आ गया है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये दो सवाल अगर प्रवर समिति में चले जायेंगे, विचार हो जायेगा, बेहतर हमारा गठन होगा और प्रदेश का भला तभी हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री रितेश पाण्डेय जी ने और श्री उज्जवल रमण सिंह जी ने जो बात उठाई है.....

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने एक तरह से आपका समर्थन किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, समर्थन तो किया है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी कहा है कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह एक सूक्ति है। मा0 सदस्य राजभर जी ने यह प्रश्न उठाया था कि आपने प्लास्टिक बैन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या की तो वैकल्पिक व्यवस्था स्वतः आदमी जो तिजारत करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, वह खुद ही ढूंढ़ लेते हैं। हमारे पास कागज, जूट, कपड़ा इन तमाम चीजों के पैकेट बन सकते हैं और मार्केट में कागज वाले बैग तो आ भी चुके हैं। यह सही है कि बहुत से राज्यों में मेरी जहां तक सूचना है यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर लगभग 22 राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और सभी लोगों ने यह मजबूरी में प्रतिबंध लगाया क्योंकि उनके सामने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की बहुत बड़ी समस्या थी। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और गन्दगी को मिटाने इन दोनों चीजों में प्लास्टिक बहुत बड़ी बाधक है। इसलिये काफी कुछ सोच-समझ कर, काफी कुछ थ्रेशआउट करके इसको लाया गया है और जो मैन्यूफैक्चरर है उसके ऊपर हमने उपभोक्ता की तुलना में जुर्माने और सजा का प्रावधान ज्यादा रखा है। अगर उपभोक्ता के पास पॉलीथीन की मात्रा ज्यादा है तो उसके ऊपर 25000/- रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह भी प्रावधान है कि मैन्यूफैक्चरर अगर फर्स्ट आफेन्स के बाद दोबारा आफेन्स करता है तो उसके ऊपर 01 लाख रुपये और 06 महीने की सजा तक का प्रॉविजन रखा गया है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको हम पूरी तरीके से इनफोर्स करें और किसी को किसी भी प्रकार से असुविधा न होने दें। इस बात की पूरी सावधानी बरती गयी है और इसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं। मुझे खुशी है और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसका समर्थन किया। हम यह जरूर चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने यहां पर इसका समर्थन किया है उसी प्रकार से बाहर भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में आप हमारा समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उज्जवल रमण जी, अब तो आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, हम तो चाहेंगे कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी का इशारा है कि वापस ले लिया। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000 की धारा-1 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-1 में, उपधारा (1) में शीर्षक और दीर्घनाम सहित शब्द ''उपयोग और निस्तारण का विनियमन'' के स्थान पर शब्द ''विनियमन'' रख दिया जायेगा।

नई धारा-6 क का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा-6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

''6क-(1) इस धारा के उपबन्धों के अध्ययीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति के पास समस्त युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसा कि वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में निम्नलिखित के लिए प्रवेश करने का अधिकार होगा :-

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या और यदि ऐसा है तो किस रीति से ऐसे किसी कृत्य का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के किसी उपबन्ध या इस अधिनियम के अधीन तामील की गयी, दी गयी या प्रदान की गयी किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारभूत वस्तु का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे किसी भवन की तलाशी करने के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारभूत वस्तु का अभिग्रहण करने के लिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है।

(2) किसी जीव अनाशित प्लास्टिक सामग्री या जीव अनाशित कूड़ा-कचरा का प्रबंध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को उस उपधारा के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए समस्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और यदि वह विफल रहता है तो इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में विलम्बित करता है या व्यवधान डालता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, यथाशक्य इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु उसी प्रकार से लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता की धारा-94 के अधीन जारी किसी वारंट प्राधिकारी के अधीन की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु लागू होते हैं।

(5) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत कोई जीव अनाशित कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक या जीव अनाशित सामग्री का निस्तारण, उसी रीति के किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।''

धारा 7 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''7-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री या तत्समान सामग्री, जैसा कि वह उचित समझे, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकती है।''

धारा 8 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''8-(1) जो कोई धारा-7 के उल्लंघन में उपयोग करता है या उपयोग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है, प्रथम दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो एक माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ

जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो छः मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगी और जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा-7 के उल्लंघन में विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करेगा अथवा विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो छः मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ एक वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई धारा-3 या धारा-3-क का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्ध की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक माह तक हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

धारा-12 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-12 में,-

(क) शब्द ''स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा'' रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द ''जैसा वह उचित समझे'' के स्थान पर शब्द ''जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाय'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा-13क का बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा-13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''13क इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां व कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकारी को प्रदत्त कर सकती है और ऐसे निकाय या प्राधिकारी को ऐसे क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के रूप में समझा जायेगा।''

अनुसूची का संशोधन

8-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) शब्द ''प्लास्टिक'' के स्थान पर शब्द ''प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री'' रख दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या-5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्सम्बन्धी प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''6 थर्मोकोल।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018

निरसन और अपवाद

9-(1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

[03:02 बजे] किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप इस पर बोलेंगे या मैं प्रवर समिति के प्रस्तावक को बोलने के लिये कहूं।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, इसे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया और इसका 16 सितम्बर 2002 को अधिनियम प्राख्यापित किया गया। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के कारण शैक्षणिक संवर्ग की संरचना एस0जी0पी0आई0 के समान एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप अधिनियम में संशोधन किये जाने का निर्णय कार्य परिषद की बैठक दि0 26/27 सितम्बर, 2017 में लिया गया। के0जी0एम0यू0 एक्ट, 2002 की धारा 14 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अन्तर्गत प्रतिकुलपति का प्राविधान था, जिसे दि0 27-02-2004 को यह व्यवस्था समाप्त करते हुए सुसंगत धाराओं को अधिनियम से हटा लिया गया था। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संकाय एवं विभागों की स्थापना, मेडिकल/नर्सिंग कालेज की संबद्धता, नये चिकित्सालय की स्थापना एवं संचालन, कार्मिकों की संख्या में वृद्धि आदि कारणों से कुलपति के कार्य एवं दायित्व में आशातीत वृद्धि हो चुकी है।

ऐसी स्थिति में प्रतिकुलपति के पद का पुनर्स्थापित किया जाना आवश्यक है। शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 के द्वारा के0जी0एम0यू0 के शैक्षणिक संवर्ग के वेतन, भत्ते एवं पद नाम एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किए जाने के आदेश निर्गत किए गये हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 को एम्स की समानता प्राप्त है और के0जी0एम0यू0 को एस0जी0पी0जी0आई0 की समानता प्राप्त है। एस0जी0पी0जी0आई0 में एडिशनल प्रोफेसर की व्यवस्था विद्मान है अतः के0जी0एम0यू0 एक्ट में संशोधन कर एडिशनल प्रोफेसर की व्यवस्था की जा रही है। के0जी0एम0यू0 एक्ट 2004 की धारा-24 में उल्लिखित स्पष्टीकरण में कंपनी अधिनियम, 1956 एवं उसके सम्बद्ध अंशों का प्राविधान हैं। यह अधिनियम अब निर्शित हो चुका है, इसके स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू है। अतः धारा-24 में तद्नुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है, उसी का यह संशोधन है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक-2018 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। कमेटी के सदस्यों के नाम बाद में लिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसे संग्राम सिंह जी बोल दें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

जी मान्यवर, हमारे छोटे भाई हैं, बोल दें। संग्राम सिंह जी, बोलेंगे ?

श्री संग्राम सिंह-

आप ही बोल दीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार एक के बाद एक संशोधन ला रही है, यह इसका दायित्व भी है और कर्तव्य भी, लेकिन किस सोच और समझ के साथ यह संशोधन ला रही है यह समझने

में कभी-कभी हम लोग असमर्थ होते हैं इसीलिए हम लोग आप से बार-बार आग्रह करते हैं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाये जिससे इसकी बेहतर समझ हम लोगों को भी हो जायेगी। यह संशोधन जो आप ला रहे हैं यह पहले था किन्तु वर्ष 2004 में किन्हीं कारणों से इसे हटाया गया था। आज हम और पूरा सदन मा0 मंत्री जी से जानना चाहेगा कि किन कारणों से उस समय हटाया गया था और ऐसी नई परिस्थिति क्या बन गयी कि आप एक एडिशनल प्रोफेसर का नया पद क्रियेट कर रहे हैं? असिस्टेन्ट प्रोफेसर हो गया, एडिशनल प्रोफेसर हो गया और प्रोफेसर हो गया। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक प्रतिकुलपति आप ला रहे हैं और एक एडिशनल प्रोफेसर ला रहे हैं यह दो संशोधन इसमें आपने प्रस्तावित किए हैं। मेरा यह कहना कि मंत्री जी आपने इसको देखा है लेकिन अभी इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उस समय परिस्थिति क्या थी और आज परिस्थिति क्या है? आपने कम्पनी अधिनियम का हवाला दिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 लागू हो गया है इसकी वजह से यह संशोधन हुआ है। यह दूसरी चीज आपने बदलायी है कि यहां के कार्यों में वृद्धि हुई है, और एस0जी0पी0जी0आई0 को एम्स का दर्जा मिला है। मैंने कल आपसे राम मनोहर लोहिया के सम्बन्ध में कहा था और आज फिर कहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया को तो हमने एस0जी0पी0जी0आई0 का ही नहीं ऑल इण्डिया मेडिकल इन्सटीट्यूट के बराबर का दर्जा दिया था, लेकिन वहां के एक्ट में और यहां के एक्ट में आपने परिवर्तन कर दिया। यह हमारी बाध्यता नहीं है कि जो एक्ट एस0जी0पी0जी0आई0 का होगा वही एक्ट किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। हमको सोच-समझकर अपने विवेक के साथ तय करना चाहिए। आप प्रतिकुलपति का पद तो बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एस0जी0पी0जी0आई0 के हिसाब से राम मनोहर लोहिया में ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। मैं मान सकता हूँ कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का प्रभाव है, पढ़ाई की व्यवस्था नम्बर एक पर जरूर हो सकती है लेकिन चिकित्सा के मामले में किंग जार्ज चिकित्सा मेडिकल कालेज पीछे छूटता जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस पर सोच-विचार कर लें, प्रवर समिति में जाने दें हम लोग बेहतर तरीके से विचार-विमर्श करके बेहतर एक्ट आपको दे देंगे उसके बाद आप फैसला करें।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मा0 अध्यक्ष जी, बात आती है कि हर विषय बस प्रवर समिति को दे दीजिए, अब मैटर कुछ है नहीं। लखनऊ की तहजीब 'पहले आप-पहले आप' की है। उज्जवल रमण जी, मा0 संग्राम सिंह जी से कह रहे थे कि आप बोलिए, संग्राम सिंह जी कह रहे थे नहीं, आप बोलिए। असल में बोलने को कुछ है ही नहीं तो बोले क्या? देखिए, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय देश के गौरवशाली मेडिकल संस्थानों में एक है। इन्सटीट्यूट ऑफ एमिनेन्स में वह सूचीबद्ध हुआ है 10 संस्थान जो देश के हैं उनमें एक है। आपको पता है वहां 4500 बेड हैं, 5500 स्टूडेन्ट्स हैं और 7-8 हजार कर्मचारी हैं 6 हजार से लेकर 10 हजार पर डे की ओ0पी0डी0 है। एक समय में बीसियों हजार लोग वहां रहते हैं एक छोटी-मोटी टाउनशिप के बराबर है। अब काम बहुत बढ़ गया है जिस वक्त प्रति-उपकुलपति का प्राविधान हटाया गया उस वक्त केवल दो फैकल्टी थीं, मेडिकल और डेन्टल अब चार हैं नर्सिंग, पैरा मेडिकल,

मेडिकल, डेन्टल। उस वक्त डेन्टल यूनिवर्सिटी अलग बन गयी थी जिसका बाद में इसी में विलय कर दिया गया। प्रति-उपकुलपति की आवश्यकता है और अगर आप देखें जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं सब जगह प्रति-कुलपति है। अब एस0जी0पी0जी0आई0 की और आर0एम0एल0 की आप प्रशंसा कर रहे हैं यह अच्छी बात है, दोनों हमारे बहुत अच्छे संस्थान हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 को हमने एम्स की समानता दी है और आर0एम0एल0 को भी एम्स की समानता है और के0जी0एम0यू0 को पी0जी0आई0 की समानता है। एक हम इसमें एडीशनल प्रोफेसर का पद बढ़ा रहे हैं जो एम्स में है और यहां एस0जी0पी0जी0आई0 में भी है और आर0एम0एल0 में भी है। कोई उसमें व्यवहारिक कठिनाई नहीं है कैसे किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और सुचारु रूप से चले जो आपकी चिन्ता है वह हमारी भी चिन्ता है कि कैसे वहां बढ़िया एकैडमिक कार्य, शैक्षणिक कार्य हों और कैसे वहां पेशेन्ट केयर कर रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो, इसीलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया।

श्री अध्यक्ष-

1-प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

2-प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा ''भारत का संविधान'' के
अनुच्छेद-197(1) के अधीन पुनः पारित हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 की धारा-8 का संशोधन

2-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-8 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :-

''(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;''

धारा-10 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-10 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा परिचर्या, परा चिकित्सा और ऐसी अन्य शाखायें जो समय-समय पर विहित की जायं, में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना।''

धारा 11 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-11 के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(एक) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा परिचर्या, परा चिकित्सा शाखाओं और ऐसी अन्य शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना।''

धारा-14 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-14 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ग) प्रति-कुलपति।''

धारा-16 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-16 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो अथवा जहां प्रति-कुलपति न हो, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।''

नई धारा-18 का बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा-17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

प्रति-कुलपति

8-(1) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसाद-पर्यन्त पदधारण करेगा।

(4) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।''

धारा 22 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द ''कुलपति, वित्त अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्त अधिकारी'' रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 24 में स्पष्टीकरण में, शब्द एवं अंक ''कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित और कम्पनी (परिभाषाओं के ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन विहित'' रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(दो) संकायों के अध्यक्ष।''

धारा 30 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो।''

धारा 31 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1) विश्वविद्यालय में चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सा और ऐसे अन्य संकाय होंगे, जैसे विहित किये जायें।''

धारा 35 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 35 में, शब्द ''आचार्य या सह आचार्य'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द ''आचार्य या अपर आचार्य या सह आचार्य'' रख दिये जायेंगे।''

धारा 36 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 36 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में इस धारा के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत कोई सह आचार्य या अपर आचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या अपर आचार्य या आचार्य पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:14 बजे] उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसंधान, जांच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसंधान, जांच या कार्यवाही की जा सकती है और या जारी रखी जा सकती है मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1919	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1919)
2	उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजूकेशन अधिनियम, 1926	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1926)
3	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1947	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1948)
4	यूनाइटेड प्राविंसेस टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1948)
5	यूनाइटेड प्राविंसेस शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1948)
6	यूनाइटेड प्राविंसेस बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1948)
7	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1950)
8	उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1950)
9	उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1950)
10	उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1950)

11	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1950)
12	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1950)
13	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1951)
14	उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1953	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1953)
15	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1953	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1953)
16	उत्तर प्रदेश पंचायतराज पदावधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1954)
17	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1954)
18	उत्तर प्रदेश पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1955)
19	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1955)
20	उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1957)
21	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1957)
22	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1957)
23	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1957)
24	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1958)
25	उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1958)
26	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1958)
27	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 1958)

28	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1959)
29	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1959)
30	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1960)
31	उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1960)
32	उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1960)
33	उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1960)
34	उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1961)
35	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1961)
36	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1961)
37	उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1961)
38	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1961)
39	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1961)
40	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1962)
41	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1962)
42	उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1962)
43	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1963)
44	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1963)
45	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1963)

46	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1963)
47	उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1963)
48	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1964)
49	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1964)
50	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1964)
51	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1964)
52	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1964)
53	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1965)
54	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1965)
55	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1965)
56	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1965)
57	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1966)
58	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1966)
59	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1966)
60	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1967	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1967)

61	उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1969	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1969)
62	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1970)
63	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1970)
64	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1970)
65	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1970)
66	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1971)
67	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1971)
68	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1971)
69	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1971)
70	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1971	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1971)
71	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1972)
72	उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1972)
73	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1972)
74	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1972)
75	उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1972)

76	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1972)
77	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1973)
78	उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)
79	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1973)
80	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1974)
81	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1974)
82	उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1974)
83	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1974)
84	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1975)
85	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1975)
86	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 1975)
87	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 1975)
88	उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54 सन् 1975)
89	उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1976)
90	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी करधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1976)

91	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1976)
92	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 1976)
93	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 50 सन् 1976)
94	उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54 सन् 1976)
95	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55 सन् 1976)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो एक ही सदन में, एक ही दिन में, एक ही विषय पर दो-दो संशोधन आ रहे हैं। सरकार को यह एक ही साथ कर लेना चाहिये था जिससे एक साथ चर्चा हो जाती।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह बात यह लोग आपसे भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपने यही बात पहले वाले विधेयक में भी कही है और इसमें भी कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, यह लोग नहीं कहेंगे क्योंकि शीरा उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। चीनी भी कह दी, शीरा भी कह दिया, मिल उत्पादित बिजली भी कह दी और मिल उत्पादित एल्कोहल भी कह दिया, तो निश्चित तौर पर किसान को गन्ने का उचित और समय से मूल्य मिलेगा। आपने यह कहा है कि पेट्रोल में हम दस प्रतिशत ऐथनाल मिश्रित करेंगे। बात आती है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। आप एक महीने के लिए क्यों परेशान होते हैं। प्रवर समिति एक माह में इस पर विचार कर लेगी, उसमें सत्तापक्ष के लोग भी होंगे और हम लोग भी होंगे। अगर उत्तर प्रदेश के लोग शीरा का उत्पादन ज्यादा कर रहे हो तो जरूरी है कि ऐथनाल को 10 प्रतिशत ही निर्यात करें, बल्कि हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं या फिर हमारी चीनी मिलें भी ऐथनाल बना सकती हैं। मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि इस पर सबके विचार आ जायेंगे और हम सबकी मंशा के अनुसार अच्छा विधेयक पास हो सके।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से शक्कर बनाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में निकलने वाले गाढ़े, गहरे रंग के लसदार तरल द्रव्य से है, जब उस तरल या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में शक्कर हो, जिसमें बी-हैवी मोलासेस सम्मिलित है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[03:20 बजे] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आपा-धापी में लाया गया है। यह विधेयक आधी-अधूरी तैयारी के साथ लाया गया है। इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करना ही हितकर, बेहतर और लाभकारी होगा। मा0 मंत्री जी जब विधेयक ला रहे थे तब उन्होंने एक बात की चर्चा की थी कि यह विधेयक वर्ष 2011 तक के लोगों को नियमित करने के लिए लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2011 ही क्यों? वर्ष 2010 भी हो सकता था, वर्ष 2012 भी हो सकता था, वर्ष 2017 भी हो सकता था। अगर हम लाभ पहुंचाने की नियत से यह विधेयक ला रहे हैं। अगर हमारी योजना उन लोगों के लिए है जो मानदेय पर काम कर रहे हैं उनको करने की है। तो मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे और अगर न बता पायें। तो यह विधेयक प्रवर समिति में जायें तो उसमें बेहतर तरीके से आ सकेगा कि यह वर्ष 2011 ही क्यो? वर्ष 2011 में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, ओ0बी0सी0 संवर्ग के कितने लोग हैं। आप इसका स्पष्टीकरण दें। नहीं तो यह विधेयक प्रवर समिति में चला जायेगा। वहां बैठकर एक-एक चीज को देख लिया जायेगा। यह बात हितकारी भी है, लाभकारी भी है और हमारी समझ से सरकार की मंशा के अनुरूप भी रहेगा। हम तो चाहेंगे कि यह वर्ष 2011 न रहे। मा0 मंत्री जी वर्ष 2016 और वर्ष 2017 तक ले लें। तो इसमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का इसमें फायदा हो सकेगा। इसी संशोधन को बल देते हुए। प्रवर समिति में इस विधेयक को ले जाने पर हमारा पूरा बल है। हम मा0 मंत्री जी से भी चाहेंगे कि वह इसमें हमारा समर्थन करें क्योंकि

इससे कई सौ लड़कों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हजारों परिवारों की रोजी-रोटी इससे जुड़ी हुई है। अगर अच्छा कार्य होगा तो सरकार और लोगों की दुआएँ भी आपके साथ जुड़ेंगी। मा0 अध्यक्ष जी, इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, मुझे तो अभी तक बिल देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो मा0 उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा है उसके आधार पर और मा0 मंत्री जी ने कहा। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसका सेवायोजन होना चाहिए। इस बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी नियमावली है और उसमें गड़बड़ी न होने पाये। इसीलिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बना। आयोग के माध्यम से जब नियुक्तियां होती हैं तो उसमें सरकार की जो नीतियां हैं। चाहे वह रिजर्वेशन से संबंधित है, विकलांग के रिजर्वेशन से संबंधित है। विभिन्न नियुक्तियों पर उसका पालन होता है। मानदेय या एडहॉक पर नियुक्तियां होती हैं। उनमें उस बात का पालन करने का काम नहीं किया जाता है। उसमें कोई रिजर्वेशन के नियम भी लागू नहीं होते हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह से अनियमित लोगों का नियमितीकरण करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसमें उन नियमों का जो रिजर्वेशन की नियमावली है उसको भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मेरे संज्ञान में आया है कि जहां सबको लेने का काम किया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों को छोड़ भी दिया जा रहा है। मेरे पास करीब 17-18 लोग ऐसे हैं जिनकों छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। हम लोगों को इसको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है, जानने तक का अवसर नही मिल पाया है। मा0 उज्जवल रमण सिंह जी ने दो बिन्दु रखे हैं। मा0 मंत्री जी ने सुबह कहा कि 705 लोगों के विनियमितीकरण के लिए यह विधेयक लाया गया है। 705 लोगों का जो विनियमितीकरण किया जा रहा है, क्या उसमें 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्या उसमें 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हम रिजर्व क्लास के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्वेशन का अक्षरशः पालन करायेंगे, तो क्या अक्षरशः पालन कराने के लिए इस बात को सुनिश्चित किया है कि उसमें इन वर्गों के लोग हैं भी। अगर नहीं है तो एक विशेष अभियान चलाकर उस कोटे को अलग से पूरा करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात का भी स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी अगर रखते तो उनको एक-एक बात की जानकारी भी रहती।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इसको विस्तार से पढ़ा नहीं है। अगर प्रस्तुत भी करना था तो उसके सारे तथ्यों का परीक्षण किये होते। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 उज्जवल रमण सिंह जी ने जो दो सवाल कहा कि जो 705 लोग विनियमित किये जा रहे हैं तो उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनका छूट गया है। दूसरा प्रश्न कि उस 705 में ओ0बी0सी0 का 27 प्रतिशत के हिसाब से जो कोटा होता है क्या वह पूरा है। अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत के हिसाब से जो कोटा होता है क्या वह पूरा है। इस बात का भी उत्तर दे दें तो हम सर्वसम्मति से पास करा देंगे। मान्यवर, अगर यह बात नहीं है तो निश्चित रूप से इसको रोका जाना चाहिए। अन्यथा आपका यह कहना कि हम रिजर्वेशन को दरकिनार नहीं कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं यह बिलकुल असत्य और हवाई बात होगी। जैसे दो करोड़ रोजगार देने की बात, 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात झूठी साबित हो रही है उसी तरह से रिजर्वेशन कानून का पालन करना भी आपका खोखला साबित होगा। इसलिए आप इस बात को बताने का काम करें। बहुत पहले भी आया था और मुझे याद है कि उस समय मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी नेता सदन थे। इनके समय में भी इस तरह की बात आयी तो इन्होंने पास नहीं होने दिया था। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इतना ही बता दें कि जितने लोगों का विनियमितीकरण किया जा रहा है उसमें एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के कितने लोग हैं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 में यह संशोधन धारा-31 ई को जोड़कर किया जा रहा है। इस धारा के माध्यम से मान्यवर, 2006 के पूर्व जिन मानदेय शिक्षकों ने तीन शैक्षणिक सत्र पूर्ण कर लिये थे उन्हें विनियमित किये जाने की पहले व्यवस्था कर दी गयी। जो लोग 2011 तक या उसके बाद नियुक्त हुये उन लोगों ने और मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति विषयक शासनादेश संख्या-07-04-1998 निरस्त कर दिया गया था। धारा-31 ई से आच्छादित न होने वाले मानदेय पर वर्षों से कार्यरत 736 शिक्षकों का आमेलन नहीं हो सका था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग जो शंकायें कर रहे हैं मैंने दोपहर में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो आरक्षण के प्राविधान हैं हम पूरी तरह से उनको लागू करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जायेगी। उसको हम सुनिश्चित करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं। यह 736 लोग हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

उसमें कितने एस0सी0 के हैं कितने ओ0बी0सी0 के हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस समय इसका एग्जेक्ट फीगर नही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। वह आश्वासन जब आपने 85 प्रतिशत वाला माना उसके लिए हमने क्या किया। हमने 85 प्रतिशत वाला मान लिया । आप इसमें भी आभार प्रकट करिये कि हम उन लोगों को जिनको मानदेय मिल रहा था उनको नियमित करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह शिक्षकों का मामला है इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। यह हम उन लोगों की सेवाओं को नियमित करने जा रहे हैं। और जो आरक्षण की बात कह रहे हैं मैं पूरे विश्वास के साथ सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो आरक्षण की नियमावली है उसका हम पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित करेंगे उसके बाद ही यह होगा।

श्री अध्यक्ष-

तो अब सर्वसम्मत हो गया।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं मान्यवर सर्वसम्मत नहीं होगा। सर्वसम्मत तब होगा जब उसका पूरी तरह से समाधान हो जायेगा। जो 736 की संख्या मा0 मंत्री जी ने बताया। मान्यवर, अगर जल्दबाजी न होती तो वह बताते। उसमें पूरी प्रक्रिया अपनायी गयी होती तो इसमें पता चलता कि इसमें एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के कितने लोग हैं। यह 736 को जो आप विनियमित कर रहे हैं तो 736 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत के हिसाब से 140 से अधिक पद होता है। तो क्या ढेड़ सौ ओ0बी0सी0 के लोग हैं? अगर नहीं हैं तो उनका विशेष अभियान चलाकर उसी तरह से इनको भी रेग्युलराइज्ड करने का प्रयास करेंगे क्योंकि मानदेय पर जो शिक्षक रखे जाते हैं उनमें रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया जाता है उनको मानदेय पर रख लिया जाता है। जब ऐसे लोग रखे जाते हैं जिसमें रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया जाता, इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप कहते तो हैं कि हम रिजर्वेशन की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हथकंडा अपनाते हैं कि रिजर्व क्लास के लोग होने न पाएं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह से अंग्रेज यहां पर शासन कर रहे थे और अंगेजों ने विधान सभा बनवा डाली, अंगेजों ने रेलवे ट्रेन बना डाला उन्होंने तमाम अच्छे-अच्छे काम किए, लेकिन वह हमारे ऊपर शासक थे हमने उनको हटाने का काम किया उसी तरह से आप इस तरह से कानून बना रहे हैं जिसमें कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और रिजर्वेशन को कमजोर नहीं होने देंगे उसका पूरी तरह से पालन कराएंगे, लेकिन उसमें ऐसे-ऐसे हथकंडे बनाकर आप रिजर्वेशन को लेने में आनाकानी कर देते हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप स्पष्ट बता दें कि 736 का जो नियमितीकरण किया जा रहा है उसमें एस0सी0 और ओ0बी0सी0 का कोटा पूरा किया गया है तो हम निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे और सर्वसम्मति से पालन कराने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो नियमावली में प्रावधान है उसके अनुरूप हम पूरी तरह से उसका पालन करते हुए आगे की कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मानयवर, आरक्षण का लाभ देने में क्या कठिनाई है? संसदीय कार्यमंत्री जी आप मुझसे यह कह दीजिए कि आरक्षण के प्रावधानों को आप लोग लागू करवाएंगे बस इतना कह दीजिए और इतना कहने में क्या हर्ज है। मान्यवर, जो नियमितीकरण हो रहा है उसमें आप आरक्षण लागू करेंगे क्योंकि जब आप पक्ष में हैं तो इसको कहने में क्या हर्ज है आप इसको कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियमों में जो प्रावधान है उसकी अवहेलना नहीं होगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 736 लोग जो लिये जा रहे हैं उसको केटेगोराइज्ड नहीं किया जा रहा है। आप इसको देख लें। इसमें उसकी अवहेलना हो रही है, इसलिए आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो कह रहे हैं कि हम नियमों का पालन करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम क्या है? नियम को तोड़कर ही तो यह नियम लाया जा रहा है। आयोग के उस अधिकार को खत्म करके वही तो लाया जा रहा है जिसमें नियम का पालन न हो और हम तो यही कह रहे हैं कि 736 के सापेक्ष एस0सी0 तथा ओ0बी0सी0 का जो कोटा बनता है उसको आप इसी में समावेश कर लीजिए। उतने लोगों को मानदेय पर रखकर चाहे नया लेना पड़े तो आप उनको ले लीजिए। हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल की जो सूचना सदन में दी गयी है वह एक अखबार की खबर को लेकर दी गयी है कि केंद्र सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है। मान्यवर, यह कहते हैं कि हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन ढिंढोरा तो यह लोग पीटते हैं। सवाल यह है कि हमने कब अवहेलना की? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एस0सी0, एस0टी0 को लेकर एक कानून बनाया वह कौन सी मंशा जाहिर करता है? क्या वह तिरस्कार जाहिर करता है या उपेक्षा जाहिर करता है? वह यह जाहिर करता है कि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी जुबान में जो कुछ भी है वह अलग-अलग नहीं है। मान्यवर, हम पहले नियमों से चलेंगे फिर परम्पराओं से चलेंगे। हमारे पास 736 की सूचना नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि हम नियमावली का पूरी तरह से पालन करेंगे उसमें आरक्षण की जो भी व्यवस्था होगी उस नियमावली के अनुसार हम आरक्षण का पालन करेंगे और उसमें कोई अवहेलना नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर बहुत लंबी चर्चा हो गयी, पूरी बहस हो गयी है, अब प्रश्न उपस्थित करते हैं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए। कानून बनाना अलग बात है, कानून को लागू करना अलग बात है। हम कोई भी कानून बनाकर बैठ जाएं, उसे लागू न कर पाएं तो फिर क्या फायदा है। हमारा, माननीय वर्मा जी का, और पूरे विपक्ष का छोटा सा सवाल है कि जो वर्तमान में विनियमितीकरण हो रहा है, उसमें आरक्षण लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। बस इतना सा सवाल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम नियमावली के अनुसार पालन करेंगे।

श्री राम गोविंद चौधरी-

नियम 302 में प्रावधान है, अगर कोई मर्डर करता है, तो उस पर यह लगेगा। अगर न लगे तो.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अगर न लगे तो, उसमें भी हमारे पास व्यवस्था है। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स राइट्स में यदि कोई फण्डामेण्टल राइट्स का अगर किसी भी तरह से हनन होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। संविधान और नियम में यदि कहीं पर भी कानून बना है, तो उसे तोड़ने वाले के खिलाफ जाने की भी व्यवस्था है। अगर हम कहीं भी कानून की अवहेलना करेंगे तो हम उसके लिए दोषी माने जाएंगे। हमने कहा है कि नियमों में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार हम आरक्षण लागू करेंगे। पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि नियमों में आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार आरक्षण लागू करेंगे, कहीं भी नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

जब आरक्षण की बात होती है, तब संसदीय कार्यमंत्री जी तनाव में आ जाते हैं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि इसमें आप आरक्षण लागू करेंगे, यह कह दीजिए। इतनी-सी तो बात है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-ङ में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31-ङ का संशोधन

''(1) धारा 12 और 13 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सका है तो मानदेय अध्यापक, जो शासनादेश संख्या 467/सत्तर-2-98-3(19)/93 टी0सी0, दिनांक 07 अप्रैल, 1998 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार 29 मार्च, 2011 को या उसके पूर्व सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हतायें धारित करता हो और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक कार्यरत हो तथा उसके कारण राज्य राजकोष से मानदेय प्राप्त करता हो, को उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जायेगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2,खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन)विधेयक, 2018 पारित किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[03:39 बजे] उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

इस पर कुछ प्रकाश भी डाल दीजिए।

***श्री सतीश महाना-**

मान्यवर, ये पहले निगम था और इसे निगम से अथॉरटी में परिवर्तित किया गया है। जो कारपोरेशन की आस्तियां थी, जो इनके एसेट्स और लाइबिलटीज थे, उनके जो अधिकार है, वे सब स्थानान्तरित कर दिया जाए। अथारिटी को बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे कार्पोरेशन पहले था, कार्पोरेशन को अगर किसी भी प्रकार का नोटीफिकेशन जारी करना होता था तो अवर्नमेण्ट के पास आना पड़ता था। अथॉरिटीज को यह राइट होते हैं कि वह उसका लैण्ड यूज चेन्ज कर सकते हैं, उसका ले-आउट प्लान चेन्ज कर सकते हैं, उसका ले-आउट प्लान बना सकते हैं तो अथॉरिटीज को उससे अधिक पॉवर है। साथ ही अथॉरिटी करने का यह भी कारण था कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथॉरिटीज हैं, पहले इनके कर्मचारियों की डिसेण्ट्रलाइज सेवा थी, जहॉ पर जो भर्ती होता था, जैसे नोयडा में भर्ती हुआ तो हम यहां पर बैठे हुए सभी लोग कहते थे कि नोयडा में रहने वाले लोग 25-25, 30-30 सालों से नोयडा में ही नौकरी कर रहे है, उनको हटाया नहीं जा सकता तो हम उस एक्ट को लेकर पिछली विधान सभा में आए थे, वह पारित हो गया था। इसको भी अथॉरिटी बना देने के साथ गवर्नमेण्ट के पास यह अवसर होगा कि उन कर्मचारियों जिन पर कभी-कभी आरोप भी लगते हैं, कभी उनमें शिथिलता भी होती है तो उनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम सेन्ट्रलाइज सेवा बनाकर लाये हैं, इस कारण यूपीएसआईडीसी को, कार्पोरेशन को, हमने सीधा अथॉरिटी बनाने का निर्णय लिया है। इसमें उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उसके साथ ट्रांसफर हो जायेंगे, मान्यवर, इसमें यही है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण विधेयक 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात को बार-बार कहते रहे हैं कि जल्दीबाजी का कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। आज ही इसे हम लोगों को दिया गया है और आज ही पेश किया गया है। अध्यक्ष जी, यूपीएसआईडीसी को बनाने का, कार्पोरेशन बनाने का एक परपज था, उसका एक उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में कैसे औद्योगीकरण तेजी से हो, बेहतर तरीके से हो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि समय कि समय की व्यवस्था के साथ-साथ यह भी बदलाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया तो महज मुझे यह डर भी है और दूरगामी इसका प्रभाव भी है कि जो जमीन उद्योग के लिए दी गयी, उसका लैण्ड यूज चेंज करने के लिए आप अथॉरिटी तो नहीं बना रहे हैं? उसको घर और मकान बनाने के लिए तो आप अथॉरिटी नहीं बना रहे हैं? आपकी जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है, किसानों की जमीन आपने अधिग्रहण किया और उस अधिग्रहण में यह कहा कि यहां पर उद्योग लगेंगे और उद्योग लगने के बाद आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा और उन्हें अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आज जब आप यह अथॉरिटी बना देंगे तो मैं यह नहीं कहता कि आपकी जो जमीनें ग्रेटर नोयडा में होंगी, आपकी जो जमीनें गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में होंगी, उनको आप परिवर्तित करके बिल्डर को देने का काम करेंगे और बिल्डर वहॉ पर फ्लैट बनायेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारा डर और भय यह है, यह बात सत्य न हो लेकिन जिस जल्दबाजी में आप यह विधेयक ला रहे हैं, उसको लैण्ड यूज परिवर्तन का राइट दे रहे हैं, पहले यह नहीं था। पहले भी यू0पी0 सीडा की एक अथॉरिटी थी, अथॉरिटी में जाता था, बड़ी मुश्किल से लैण्ड यूज का परिवर्तन होता था। लेकिन आप उसको सुगम बनाने जा रहे हैं, आप उसको एक बेहतर रास्ता देने जा रहे हैं। आपने नोयडा और ग्रेटर नोयडा में प्रयोग करके देख लिया, आज वहॉ इतने फ्लैट खड़े हैं कि लोगों को फ्लैट मिल नहीं रहे हैं। तो किसानों की जमीन जो आपने ली है, जिस उद्देश्य के लिए ली थी, वह उद्देश्य कहीं परिवर्तित ने हो जाए। इसलिए मेरा आपसे मानना है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए, एक बार प्रवर समिति इस बात पर विचार कर ले तो बेहतर रूप में यह विधेयक आयेगा और कहीं न कहीं हम प्रदेश के औद्योगीकरण में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बेहतर विधेयक दे सकेंगे। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय उज्जवल रमण जी बहुत योग्य सदस्य हैं। पहले जिस समय यूपीएसआईडीसी था, तब भी तो आपके यहां ट्रॉनिका सिटी बन रही थी, आवासीय था। तब भी तो ट्रांस गंगा बन रही थी आवासीय, आपकी यह शंका कहां से आ गयी, पहले नहीं होता था क्या? इश्यू यह नहीं है, इश्यू यह है कि जो इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित लैण्ड्स हैं, उसके लैण्ड यूज को चेन्ज करने का कोई प्रॉविजन लेकर हम नहीं आए हैं। आपने यह कहां से पढ़ लिया कि लैण्ड यूज चेंज कर रहे हैं। जो इन्डस्ट्री की लैण्ड्स हैं, मैं तो हमेशा से इस बात को कहता आया हूं, जिस दिन मैंने यह मंत्रालय संभाला था, पहले दिन ही मैंने इस बात को कहा था कि जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथॉरिटीज हैं। नोएडा की बात की थी आपने ए वहां पर मकान बने हुए हैं लोगों को मिल नहीं रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट ऑथारिटी नहीं यह रियल स्टेट है। जो आपने आज चिंता की बात की है वह मैंने पहले ही दिन यह चिंता व्यक्त की थी कि जो इण्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उस पर क्या हुआ? अगर हम विधेयक लेकर आए हैं और इस पर जो चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहता। लेकिन जो कुछ पहले हुआ उससे आप डरे हुए हो, वह डर निकाल दीजिए अब आगे इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा इतना हमें विश्वास है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपूर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न एक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है, की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अन्तरित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 27 जून, 2018 को प्रवृत्त समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(एक) ''नियत दिनांक'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से है;

(दो) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(तीन) ''निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है;

(चार) ''सरकार अधिसूचना'' का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 141/77-4-2001-267 भा-97 टी0सी0-1, दिनांक 05 सितम्बर, 2001 से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है;

(पांच) ''अनुसूची'' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना से है।

3-(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक से :-

निगम की आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण

(क) समस्त सम्पत्तियां और समस्त हित, अधिकार तथा सकल व्यापार, जंगम और स्थावर सम्पत्तियों सहित सम्पत्तियां सभी प्रकार के विनिधान पट्टा, पट्टा करार, किराया, क्रय सविंदायें, समस्त लाभ, प्रतिभूति व्यवस्था, शक्तियां, आवंटन, प्रत्यावर्तन, अन्तरण, अन्तरण दस्तावेज, अनुदान, सहमति, प्रसंविदा, रजिस्ट्रीकरण, संविदायें, लाइसेंस अधिकार, स्वामित्व, किसी प्रकार का लाभ, जिसे निगम, जहां भी स्थित हो, के पक्ष में अवमुक्त किया गया हो और निगम के स्वामित्व कर अधिकार, नियंत्रण और अन्य रूप से उसमें निहित हों, निगम द्वारा उपयोग किये गये अधिभार, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, किन्तु उपर्युक्त वाणिज्यिक नामों तक सीमित न हों, किसी प्रकार की अकादमिक सम्पत्ति, मंजूरी, अनुषक्ति, विद्युत और अन्य सामान्य उपयोग, टेलीफोन, फैक्स, कार तथा मोटरयान, इण्टरनेट स्कीम का अधिकार और समझौते पर उपयोग करने का अधिकार, सभी प्रकार की प्रसंविदा का लाभ और अन्य हित, जिन्हें सामूहिक रूप से निगम की सम्पत्ति कहा जाता है, पूर्ण स्वामित्वों, बंधकों, गिरवी, आडमान आदि के वर्तमान प्रास्थिति के अधीन प्राधिकरण में अन्तरिम और निहित समझे जायेंगे;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र से संबंधित दायित्वों तथा बाध्यताओं सहित निगम के समस्त ऋण, दायित्व जो सम्मिलित रूप से निगम के दायित्व कहे गये हैं, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, सम्पत्तियां, निधियां और आधिक्य किसी अन्य दस्तावेज के बिना प्राधिकरण को अन्तरित किये गये और उसमें निहित किये गये समझे जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे प्राधिकरण के ऋण, दायित्व, कर्तव्य, बाध्यतायें, सम्पत्तियां और आधिक्य हो जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो, निगम को संबंधित ऋणी व्यक्तियों से ऐसे दायित्वों के अन्तरण की सहमति प्राप्त करनी होगी और ऐसी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के पश्चात् प्राधिकरण को अवसंरचना विकास और औद्योगिक प्रोन्नयन की योजनाओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं, जिन्हें निगम संचालित कर रहा हो, के कार्यों तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित अन्य विकास संबंधी कार्यों का दायित्व भी ग्रहण करना होगा और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक

क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन उसमें निहित कृत्यों, उत्तरादायित्वों और दायित्वों को ग्रहण करना होगा;

(2) निगम की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के परिणामस्वरूप निगम सेल कम्पनी बनी रहेगी, जिसके दायित्व सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अंशपूंजी और निगम द्वारा अर्जित लाभ, संचित निधि के रूप में हो जायेंगे और इसका संदाय प्राधिकरण को निगम के परिसमाप्त होने तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जायेगा। यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को ''आरम्भ पूंजी'' या ''चल निधि'' के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी और संचित निधि की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को आरक्षित पूंजी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अन्तरण केवल शासनादेश द्वारा किया जायेगा;

(3) निगम द्वारा राज्य सरकार को किये जाने वाले समस्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा किये जाते रहेंगे और सरकारी ऋणों/प्रत्याभूतियों पर संदेय समस्त ब्याज/मूल धनराशि का समय से भुगतान प्राधिकरण द्वारा सुनिश्तिच किया जायेगा;

(4) अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों के संबंध में निगम द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या दाखिल किये गये समस्त वाद, कार्यवाहियां या रिट, प्राधिकरण के पक्ष में लम्बित या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध दाखिल किये गये समझे जायेंगे;

(5) निगम की सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के कारण उसके प्रतिफल का अवधारण, चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा नियत दिनांक को निगम की लेखा बही में उल्लिखित मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

कर्मचारियों का अन्तरण

4-(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक से, निगम के समस्त कर्मचारी, सेवा अवधि में किसी व्यवधान के बिना प्राधिकरण के कर्मचारी हो जायेंगे और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें, निगम में नियत दिनांक को लागू सेवा शर्तों की अपेक्षा किसी भी स्थिति में कम अनुकूल नहीं होंगी। निगम के कर्मचारियों के पदों और नाम पद्धति का अवधारण प्राधिकरण द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

(2) निगम के कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए सृजित भविष्य निधि, उपदान और अवकाश नगदीकरण के संबंध में एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाता है कि समस्त उद्देश्यों और कार्यों के लिए प्राधिकरण, निगम को नियत दिनांक से प्रस्थापित कर देगा, जिससे कि न्यास विलेखों के उपबंधों के अधीन ऐसी योजनाओं और निधियों का संचालन और प्रबन्धन का निस्तारण समुचित रूप से किया जाय। अन्ततः इसका यह अर्थ है कि इन निधियों से संबंधित समस्त अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और

दायित्व आदि प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम की समस्त कर्मचारियों की सेवायें, उपर्युक्त निधियों, योजनाओं आदि के नियमों के अधीन अविरत जारी समझी जायेंगी।

स्टाम्प शुल्क से छूट

5-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किये जाने के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

7-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसा उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018

8-(1) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 8 तक खण्ड-एक प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) विधेयक 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्यों का अन्तरण) विधेयक 2018 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप चर्चा आगे जारी रखवाईये अब सबको जाना है। नियम 51 ले लीजिए।

श्री सुरेश खन्ना-

नेता विरोधी दल के प्रस्ताव से हम सहमत हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और नेता संसदीय कार्य मंत्री ने जिस प्रस्ताव को सहमति दी उससे मैं भी सहमत हूं यह सारे स्थगित कर दें और जन गण मन ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आप सबका आंशिक सुझाव मान रहा हूं थोड़ा हमें अपनी भी चला लेने दीजिए।

[03:47 बजे] भारतीय स्वातंत्रय समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

डॉ0 नीरज बोरा-

मा0 अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा यह जारी रहेगी।

[03:48 बजे] बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में डॉ0 अरूण कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

डॉ0 अरूण कुमार जी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुकम्पा से यह कहना चाहूंगा कि यह सदन का सुनिश्चित मत है कि बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर भी चर्चा जारी रहेगी।

[03:49 बजे] जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं कुछ मत प्रस्तुत करता हूं इस सदन का कुछ सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कॉच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिन संकल्पों पर पहले से चर्चा जारी है उनको फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं पहले भी सदन में इस बात को लगातार उठाता रहा हूं कि फिरोजाबाद में सैकड़ों वर्ष पुराना कॉच का उद्योग है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा चारी रहेगी।

[03:50 बजे] जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी कांड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैण्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहॉपुर विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गॉव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैण्टून पुल का निर्माण कराया जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

[03:52 बजे] जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को

जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कराई जाएं।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

[03:53 बजे] जनपद हरदोई में लखनऊ-दिल्ली चार लेन पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई, लखनऊ, पिहानी, हरदोई, शाहजहांपुर तथा हरदोई-फर्रुखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाइपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत)

(श्री नितिन अग्रवाल का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ड्रॉप।

[03:53 बजे] जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

प्रिंस वीर विक्रम-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना करायी जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराई जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

डॉ0 आर0के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत)

(मा0 नितिन अग्रवाल का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नितिन अग्रवाल जी का संकल्प फिर से आया है लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं इसलिए इसके बाद वाली मद ले लेते हैं।

मद संख्या-53 संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प मा0 संजय गर्ग जी का है और उनका पत्र आया था कि हमारा संकल्प स्थगित कर दें।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत, कटरा को नगर पालिका बनाये जाने विषयक प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा को नगर पालिका बनाया जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्रीमती नीलम करवरिया जी का है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, वह मुझसे कह गई हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका इस पर चर्चा जारी रखने का अनुरोध है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब यह संकल्प अभी तक प्रस्तुत ही नहीं हुआ है तो चर्चा कैसे जारी रहेगी।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, इसको प्रस्तुत मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब किसी मा0 सदस्य की प्रार्थना आई है तो इस पर भी चर्चा जारी रहेगी और उनका संकल्प है कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलध कराया जाए।'' इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करवाये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

यह दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 से है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

अभी इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प और प्रस्ताव की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको क्रम निर्धारण का पूरा अधिकार है। कोई ऐसा दिन तय कर दें कि इसमें से कुछ डिस्पोजल भी हो जाए। चूँकि यह लास्ट में आता है और सभी माननीय सदस्य वास्तव में उस समय घर जाना चाहते हैं और इस तरह से प्रस्तावों और संकल्पों की संख्या बढ़ती जाएगी। बहुत लंबे समय से जो प्रस्ताव और संकल्प पड़े हैं उनके लिए आप कोई दिन निर्धारित कर दें। क्रम के निर्धारण का आपको पूरा अधिकार है। आप चेन्ज भी कर सकते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि यह जो असरकारी दिवस है इसको शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन रख दिया जाए और जितनी भी इस प्रकार की चर्चायें हैं ये बुधवार को या बृहस्पतिवार को किसी अन्य दिन रख दी जाए क्योंकि शुक्रवार को ज्यादातर लोग अपने घर जाते हैं क्योंकि शनिवार, इतवार की छुट्टी होती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिए एक दिन शनिवार निर्धारित कर दीजिए। न प्रश्न काल हो और न कुछ अन्य होगा केवल ये ही पूरा दिन चलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ये भी मान लिया, ठीक है। लेकिन पहले से तय हो अन्यथा शनिवार को लोग अन्य प्रोग्राम बना लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमको लगता है कि इस समय जब हम विचार कर रहे हैं, सभी जाने के मूड में हैं इसलिए आगे जब हम कार्य-मंत्रणा समिति में बैठेंगे तब इस पर सम्यक् विचार होगा।

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण यथाशीघ्र करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प जो मैंने प्रस्तुत किया है माननीय मंत्री जी यहीं बैठे हैं मेरा कहना है कि यह जनहित का मामला है वह घोषणा कर दें ताकि यह मामला ही खत्म हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

कोई मामला आज खत्म नहीं होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री देवमणि द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(क) लखनऊ विश्वविद्याल, लखनऊ का नाम बदल कर 'पं0 अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, लखनऊ' किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (स्थगित)

(ख) परिवर्तन चौक, लखनऊ का नाम बदल कर 'अटल चौक' कर दिये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

श्री अविनाश त्रिवेदी जी हैं?

(मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री अविनाश त्रिवेदी जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव को ड्रॉप कर दीजिए चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं और निश्चित रूप से इसको आप ड्रॉप कर दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको हम देख लेंगे।

[04:00 बजे]

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब नियम 51 की सूचनाएं हैं। आज हमारे कार्यालय को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 134 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सभी सूचनाएं हमने स्वीकृत कर ली हैं। स्वीकृत सूचनायें संलग्न हैं।

आज दिनांक 31-08-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 134 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में घटित कतिपय आपराधिक घटनाओं की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के शहर हापुड़ रोड पर एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्थापित राजकीय कन्या विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार की जनपद वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के अन्तर्गत ग्राम हमूपुर में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के आई0टी0आई0 में एन0एस0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर की श्री मर्दन सिंह इण्टर कालेज, तालबेहट, ललितपुर के प्रधानाचार्य व दो प्रबन्धक पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रभू नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में टाण्डा घाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना चौधरी नाहिद हसन की जनपद शामली के थाना झिझाना में जहरीली शराब पीने से हुई ग्रामीणों की मृत्यु के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के बाढ़ कार्य खण्ड में ड्रेन की सफाई के नाम पर धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की उ0 प्र0 कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की मांग को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा में डॉ0 जुबैर खान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की उ0 प्र0 में निजी संस्थानों के कर्मचारियों हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर महिला चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में तहसील मुख्यालय पर स्थापित बस स्टैण्ड पर भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में स्थापित नवीन मण्डी स्थल में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा से गुजरने वाली ईसन नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद

हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ में रेलवे लाईन के ऊपर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद हापुड़, गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र धौलाना में मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री हरिराम की दुद्धी को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मीरजापुर के छानबे में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री गौरीशंकर की जनपद जालौन के उरई में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की गड़ौरा चीनी मिल में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री कैलाशनाथ शुक्ल की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के विकास खण्ड हरेया में नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव की जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर में सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के तहसील शाहबाद में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर में पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की जनपद बलिया के ग्राम फुलवरिया में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में गोमती नदी की सफाई एवं पेयजल आपूर्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालिसवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र शाक्य की कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा चीफ फार्मासिस्ट के पदों का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के जिला अस्पताल में किडनी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री करण सिंह पटेल की उ0 प्र0 सचिवालय के कर्मचारियों को फील्ड की सेवाओं में लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की परिवहन विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई के द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, तिरालिसवीं सूचना श्री राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बिथरी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के सिसवां में जंगल के किनारे चल रहे भट्टों को

रोके जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री उदयभान सिंह चौधरी की जनपद आगरा में बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनचासवीं सूचना श्री दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौधरी की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में क्रेतागणों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री गोरखनाथ बाबा की जनपद फैजाबाद के अमानीगंज में राजकीय पालिटेक्निक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री नरेन्द्र पाल सिंह कुंवर की जनपद जालौन के विकास खण्ड इटहिया में मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री श्यामधनी की जनपद महाराजगंज के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री नन्द किशोर गुर्जर की जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नलकूपों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के अगौता में मन्दिर का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की आगरा जिले में पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा मोना की जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर के गांव मोराना में स्थापित गन्ना चीनी मिल की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की जनपद सहारनपुर में स्थित कृष्णा नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री तेजेन्द्र निर्वाल की जनपद शामली में जिला न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री संजीव दिवाकर की जनपद एटा के जलेसर में रोडवेज बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर शहर में कच्चे नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री सूर्यभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर में हलियापुर से कूड़ेभार तक लोक निर्माण विभाग की सड़क का चौड़ीकरण करते समय बिन्देश्वरीगंज बहुरावां में नालों का निर्माण देहली बाजार की तर्ज पर कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0, टाण्डा का विस्तारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड्सठवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की पैक पेड में अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम पंचायत पंजूपुर में तालाबों पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री रितेश

पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम डीघी में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर में जन समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की जनपद गोरखपुर के जिला कृषि अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना मो0 मुज्तबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में लिलहट से सांवडीह तक नहर की पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना मो0 असलम राइनी की विधान सभा क्षेत्र भिनगा में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियहत्तरवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत की लखनऊ मण्डल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में तालाबों पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, उनासीवीं सूचना श्री संगमलाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के तुलसी सदन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर में सडौली हरिया में हिण्डन नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री अगयश सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाटा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति व केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासवीं सूचना श्री राजकुमार यादव की जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना क्षेत्र दादरी में प्रियंका पुत्री प्रमोद यादव की हत्या के उपरान्त शव बरामद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के थाना सुजानगंज के ग्राम पतहना में चौदह वर्षीय अनिला की दिनांक 13-01-2018 को हत्या के उपरान्त पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेले के दृष्टिगत इलाहाबाद प्रशासन द्वारा दुकानें व मकान तोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की पी0आर0डी0 जवानों को गृह विभाग में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के गजरौला में बस स्टाप का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्रीमती नीलम करवरिया की जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में गलत तरीके से भेजे गये विद्युत बिल के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता में फायर स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर नगर पालिका परिषद् का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत ग्राम सुन्दरासी में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी

की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद में कार्यरत तृतीय श्रेणी लिपिक श्री इरफान त्यागी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में गेस्ट हाउस का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम व पोस्ट बडौरा में लोन नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छानबेवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक व तहसील हसनगंज में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री रमा शंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र महिड़हान में इमिलिया चट्टी से अहलहाट नहर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में नन्दपुरा देवरी रोड स्थित प्राइमरी बेसिक विद्यालय में कमरों एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री संजय शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर से अम्बेडकर नगर जाने वाले राजमार्ग पर ढान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज में न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विश्वेश्वरगंज बाजार एवं गंगवल बाजार के सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम कुलाराशि में सिद्धपीठ शाकुम्भरी देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय मोहल्लों में बिजली की समस्या के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में फलोदा बाई पास से भूराहेडी बाई पास तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छहवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत हुकुलगंज पाण्डेयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित चर्मशोधन केन्द्र को शहर से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित कतिपय गांवों को मुख्यमंत्री समग्र में चयनित किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के ग्राम पंचायत घारी घाट में राजकीय आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नवीं सूचना श्री सोमेन्द्र तोमर की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में स्थित संजय वन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ग्राम अटोला से असरा मार्ग पर स्थित काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की प्रदेश में घटते हुए भूगर्भ जल स्तर का निराकरण कराये जाने व तालाबों, पोखरों से सिल्ट हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक बारहवीं सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर तहसील पडरौना के अन्तर्गत ग्राम कोहरवलिया की बंजर भूमि पर अवैध निर्माण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री मूल चन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोंच से माधौगढ़ के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड चकरनगर में गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्रा की विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर, जनपद मिर्जापुर में नदनी से विशुन्दर पुर डी0एम0 बंगला तक गंगा के कटान से प्रभावित होने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ग्राम सिसैया में राजकीय पालीटेक्निक बनवाने में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना श्रीमती सुनीता की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनिया के ग्राम लहुवार में राजकीय पॉलीटेक्निक का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैण्ट स्थित मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी श्रद्धापुरी फेज-1 के आवंटियों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बरौली/नेरा में पुलिस चौकी/रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के विकास खण्ड शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्कीसवीं सूचना सी0 ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ला की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के तिनिच कप्तानगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बाइसवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बैतालपुर में कतिपय परियोजनाओं में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, एक सौ तेइसवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत में रोडवेज से एन0एच0 बरेली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौबीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम नवादा दरोबस्त में काकोरी काण्ड शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा का सौन्दर्यीकरण एवं प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पच्चीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के घनश्यामपुर गांव में स्थित पशु चिकित्सालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छब्बीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की आवास एवं विकास परिषद् के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर स्थापित निजी प्रोजेक्ट एल्डिको सौभाग्यम द्वारा आवंटियों से धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्ताइसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी के आवंटियों को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा बिना ब्याज के धनराशि वापस किये जाने एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठाइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद लखनऊ के गोमती नगर में विवेकेश्वर मन्दिर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उनतीसवीं सूचना श्री कल्पनाथ की जनपद सहारनपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक

सौ तीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इकतीसवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद मेरठ में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार तथा वरिष्ठ सहा0 राजेश शर्मा के 29 वर्षों से एक ही स्थान पर नियुक्ति की जांच के सम्बन्ध में है, एक सौ बत्तीसवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद लखनऊ के तहसील के सरोजनी नगर स्थित हैबतमऊ मवैया निवासियों की पेयजल की समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तैंतीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ चौतीसवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में गीडा में स्थापित उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है।

[04:01 बजे] जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा के परिषद्‌ीय विद्यालयों.....

श्री श्याम सुंदर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मत मानिए, यह बहुत ही गंभीर मसला है। यह भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार से जुड़ा हुआ मसला है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका उत्तर पढ़ कर बताएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा के परिषद्‌ीय विद्यालयों में फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्तियों का प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात् शासनादेश दिनांक 30-05-2018 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक, बेसिक के पत्र दिनांक 19-06-2018 द्वारा जांच आख्या शासन को प्रेषित की गयी। जांच आख्या में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा, पटल सहायकों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा, सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं जिन विद्यालयों में फर्जी अध्यापकों द्वारा योगदान किया गया था वहां के प्रधानाध्यापकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं?

***श्री श्याम सुंदर शर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो भर्तियां की गयी हैं वह ऐसी भर्ती की गयी हैं जिन्होंने प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिए थे, ऐसी भर्ती की गयी हैं जो बी0एड0 भी नहीं किए हुए थे और ऐसी भर्ती की गयी हैं जो बी0टी0सी0 भी नहीं किए हुए थे। बी0टी0सी0 और बी0एड0 के जो सर्टिफिकेट बनाए गए वह बेसिक शिक्षा विभाग में ही बैठकर के बनाए गए। उन अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र भी जारी किए और नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद ए0बी0एस0एच0 ने उनको ज्वाइन भी कराया। यह सच है कि डायरेक्टर गए और डायरेक्टर जाने के बाद वह पकड़े गए।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना तो आप दे चुके हैं, आप पूछ क्या रहे हैं आप तो यह नयी सूचना दे रहे हैं।

श्री श्याम सुंदर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 33 एक पकड़े गए, 23 एक पकड़े गए, 110 एक पकड़े गए। उनके विरूद्ध जो एफ0आई0आर0 पंजीकृत होनी चाहिए थी वह एफ0आई0आर0 आज तक पंजीकृत नहीं हुई और न ही उनके ऊपर के जिन अधिकारियों ने यह किया था उनके विरूद्ध भी कुछ नहीं हुआ। यह घटनाक्रम सिर्फ मथुरा का नहीं है, यह फिरोजाबाद में भी पकड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपको माननीय मंत्री जी का वक्तव्य मिला है उसमें कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो पूछ लीजिए।

श्री श्याम सुंदर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर तो हमें अब मिल रहा है अभी हमने इसे देखा ही नहीं है। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि छाती पीट-पीट कर सरकार कह रही है कि हमने पहली बार सब किया है, हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, ऐसा कहते हैं लोग। अगर सही मायने में भ्रष्टाचार के विरोधी हैं तो क्या माननीय मंत्री जी दरियादिली इसमें भी दिखायेंगे? यह पूरे प्रदेश का मामला है, एक नहीं, सैंकड़ों नहीं, हजारों का मामला है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के टोका-टाकी करने पर-व्यवधान।)

श्री श्याम सुंदर शर्मा-

यह नियुक्तियां पिछले एक बरस की हैं।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, आप जानना क्या चाहते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार में जो लोग पकड़े गए हैं, अधिकारी और टीचर जो फर्जी नियुक्तियों के जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की कोई समयबद्धता होगी?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर आया है इसके नीचे वाला पैराग्राफ देख लें। एक समिति गठित की गयी है जिसमें अपर जिला अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी थी उनके खिलाफ कार्यवाही हो गयी और उसके अतिरिक्त यह समिति गठित की गयी है, बाकी जिलों में जांच चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और किसी को बचाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। आपकी जो आवाज है, क्या ज़हीन आवाज आपने पायी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उपर्युक्त के क्रम में जनपद मथुरा में कार्यरत तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह, 04 खण्ड शिक्षा अधिकारियों श्री राकेश कुमार, श्री उमेश कुमार गौतम, श्री विनोद चौधरी व श्री गिरिराज सिंह तथा पटल सहायक श्री महेश शर्मा एवं श्रीमती लता पाण्डेय, डिस्पैच सहायक को निलम्बित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में फर्जी अध्यापकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया, उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण कराया था, ऐसे 89 प्रधानाध्यपकों को निलम्बित किया गया है। फर्जी रूप से नियुक्त सभी अध्यापकों की नियुक्तियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा शून्य कर दी गयी है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1205/68-1-18-10(67)/2018, दिनांक 19-07-2018 द्वारा प्रदेश के 07 जनपदों एवं शासनादेश संख्या 1205(2)/68-1-18-10(67)/2018, दिनांक 20-07-2018 द्वारा प्रदेश के अन्य 68 जनपदों में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर अनियमित/नियम विरुद्ध/फर्जी नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) नामित किये गये हैं।

उक्त समिति से अपेक्षा की गयी है कि अनियमित/नियम विरुद्ध/फर्जी नियुक्तियों की जांच करते हुए फर्जी अध्यापकों को चिन्हित किया जाय साथ ही साथ षडयंत्र में जिन कर्मचारियों अथवा दलालों की भूमिका है, उनके नाम भी उजागर किये जायें। शासन द्वारा गठित उक्त समिति द्वारा जनपदों में जांच कार्यवाही की जा रही है।]

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

रावण बनाता या न बनाता, यह तो मैं नहीं जानता। हम आपके साथी भी हैं । मगर इनको कोई न कोई सीता जरूर बना देता।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये यही सुनना भी चाहते थे ।

(हंसी)

[04:05 बजे] उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदेश के बाहर से फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य

आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रदेश के बाहर से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ...

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य आयुष मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[से चयनित अभ्यर्थियों की शासन द्वारा प्रवक्ताओं/रीडर्स व प्रोफेसर्स के पद पर नियुक्तियां की गयी हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रदेश के बाहर के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की जांच हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1106/96-आयुष-2-2018-14(ए0क्यू0)/2017, दिनांक 19-04-2018 द्वारा विशेष सचिव, आयुष विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। उक्त जांच समिति द्वारा उ0 प्र0 के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में वर्ष 2000-2017 तक नियुक्त शिक्षकों के अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच रिपोर्ट दिनांक 04-07-2018 को सचिव, आयुष विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उक्त जांच समिति द्वारा प्रकरण की जांच किसी अन्य एजेन्सी से कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित पत्रावली मा0 मुख्य मंत्री जी के यथोचित आदेश प्राप्त करने हेतु दिनांक 28-08-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत गंभीर विषय है। डायरेक्टर, होम्योपैथिक श्री वी0के0 विमल, जो कि फर्जी सर्टीफिकेट के आधार पर डायरेक्टर, होम्योपैथिक, उत्तर प्रदेश बने हुये हैं। मेरे पास उनके दोनों सर्टीफिकेट हैं । एक समयावधि के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोनों हैं, एक उन्होंने लिया है गुजरात से और दूसरा मध्य प्रदेश से। यह कैसे संभव है, यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। दूसरा डॉ0 हेमलता को प्राचार्य बनाया गया और जहॉ का उन्होंने प्रमाण-पत्र लगाया है वह बिहार का विद्यालय लिखकर दे रहा है, कि डॉ0 हेमलता ने कभी वहॉ पर अनुभव प्राप्त किया ही नहीं है। उसका भी मेरे पास प्रमाण है, तो यह खेल होम्योपैथिक विभाग में फर्जी डिग्रियों का चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य का जो अंतिम हिस्सा है उसको जरा आप पढ़िये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि डायरेक्टर को हटाकर अगर जॉच करवायेंगे तब तो जॉच सही होगी। अगर डाइरेक्टर रहेंगे तो आप क्या जॉच करवायेंगे। पिछली बार सरकार ने आश्वासन भी दिया था और विशेष सचिव ने इसकी जॉच भी की है और सतर्कता जॉच की अनुशंसा भी की है। मैं कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर, होम्योपैथिक जो फर्जी डिग्रियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर, होम्योपैथिक बने हुये हैं। यह बहुत ही गंभीर मसला है। संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिये। डायरेक्टर, होम्योपैथिक को हटाकर अगर आप जॉच करायेंगे तो सही जॉच होगी। डॉ0 हेमलता का भी मेरे पास प्रमाण है।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय सदस्य जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, डायरेक्टर, होम्योपैथिक के संबंध में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है कि दो प्रमाण-पत्र है। उसके संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि प्राइवेट कालेज में जब कोई कार्यरत होता है तो वहॉ पर एक कालेज में तनख्वाह कुछ मिल रही है, दूसरे में बढ़कर मिल गयी तो उस समय के दो प्रमाण पत्र इसलिये लगे हुये हैं कि कुछ दिनों उन्होंने एक कालेज में अनुभव किया और कुछ दिन दूसरे में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने खुद इसकी जॉच करवाई थी और जॉच में सभी अनुभव प्रमाण-पत्र सही पाये गये थे। अगर आपको अपनी सरकार के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की करवाई गयी जॉच पर विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास होगा। पिछले सत्र में यह माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने भी रखा गया था तो हमने कहा था कि हम किसी उच्चाधिकारी से दुबारा जॉच करवा लेंगे अगर आपको अपने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की जॉच पर विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके लिये अपने आयुष के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उसने इसमें जॉच कराई है और वह जॉच आख्या पत्रावली दिनॉक 28-08-2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहॉ भेजी गई है। वहॉ से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार में इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम गठित करके जॉच कराई गयी थी और सभी प्रमाण-पत्र सही पाये गये थे। मैं आपको यह भी बता दूँ कि कौन-कौन लोग इसमें जॉच करने में अधिकारी तय किये गये थे।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

आप मुझे नाम न बतायें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि डायरेक्टर, होम्योपैथी एक जिम्मेदार पद है और फर्जी सर्टीफिकेट के आधार पर वह पद पर बने हुये हैं और सरकार ने खुद माना है कि उसकी सतर्कता जॉच करानी चाहिये।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

यह सरकार ने कहॉ माना है ?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

पिछली सरकार या उसकी पिछली सरकार पर दोषारोपण से काम नहीं चलता है।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय सदस्य, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको कम से कम अपनी सरकार पर, अपने माननीय मुख्य मंत्री पर विश्वास होना चाहिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय मंत्री जी, यह गंभीर मामला है। आप अगर घोषणा कर दें कि हम निष्पक्ष जांच, डायरेक्टर को हटा कर करवा लें, तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा। अगर फर्जी प्रमाण-पत्र पर कोई अधिकारी बना रहेगा तो यह प्रदेश के लिये हितकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो इसकी जांच करा रहे है।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसकी जांच करवा रहे हैं, विशेष सचिव की अध्यक्षता में हम इसकी जांच करवा रहे हैं, जो डायरेक्टर के ऊपर का अधिकारी होता है, इसलिए यह घबरा रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

इसमें सतर्कता से जांच करवा ली जाये।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

श्री अखलाक अहमद खॉ, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री, अखिलेश यादव जी ने जांच करवाई थी, उसमें संयुक्त निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय, श्री भोला नाथ, तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, होम्योपैथिक निदेशालय से डॉ0 सुनीति राज मिश्रा, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सदस्य थे। उक्त जांच समिति द्वारा अपनी प्रस्तुत जांच आख्या में किसी भी शिक्षक के अनुभव प्रमाण-पत्र को फर्जी नहीं बताया गया है। मैं यह कह रहा हूं कि इन्हें अगर अपनी सरकार के ही और वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी जो विभागीय मंत्री थे, उनकी जांच पर विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी हमने सदन को अवगत कराया है, हम हमने विशेष सचिव की अध्यक्षता में फिर जांच करवा रहे हैं, जांच आख्या आ तो जाने दो, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, फर्जी प्रमाण-पत्र का मामला है, गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

विशेष सचिव से जांच करवा रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

कितनी बार जांच होगी एक बार, दो बार, चार बार जांच हो चुकी है और जॉच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम नगर विकास मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहेंगे कि इसकी सतर्कता जांच करवा लीजिये। जिसकी फर्जी डिग्री है, उस फर्जी डिग्री वालों से जान बचाइये, नहीं तो यह लगातार जांचे चलती रहेंगी।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, फिर तो जिसने वह जांच सही पाई है, उनकी भी जांच सर्तकता से करवानी है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। जिसने आदेश दिये हैं, इस जांच को करवाने के लिए और जो संतुष्ट थे, इस जांच को करवाने के लिए तो उनकी भी जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसकी आप जांच करवाइये। अब अगली मद लेते हैं।

[04:13 बजे] जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-62 स्थगित है। माननीय मंत्री जी का पत्र आया है।

[04:13 बजे] जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील भीटी में चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की आख्यानुसार ग्राम.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। हम इस पर एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[भगोला, परगना मिझौड़ा, तहसील भीटी, जिला अम्बेडकरनगर में चकबन्दी प्रक्रियायें प्रचलित करने हेतु चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ की विज्ञप्ति दिनांक 11-04-2008 को जारी की गयी थी।। तद्क्रम में चकबन्दी प्रक्रियायें दिनांक 06-01-11 को प्रारम्भ की गयी। ग्राम में प्रारम्भिक स्तर पर कार्य प्रारम्भ करते समय ही ग्रामवासियों का प्रबल विरोध चकबन्दी न करने के विषय में किया जाने लगा, जिसके कारण कई वर्षों तक इस ग्राम में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

इसी बीच ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 08-08-2017 दिया गया, जिसके आधार पर ग्राम में चकबन्दी प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में खुली बैठक दिनांक 06-10-2017 को की गयी। ग्राम प्रधान व लगभग 116 अन्य ग्रामवासियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव दिनांक 06-10-2017 को पारित किया गया और यह कहा गया कि ग्राम में प्रथम चक्र की चकबन्दी हो चुकी है और उसमें चकबन्दी के दौरान ग्राम में समस्त सुविधायें अच्छी हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, भूमिहीनों को पट्टा भी दिया जा चुका है और आरक्षण के मद में भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, सभी ग्रामवासी अपने-अपने जोतों पर सिंचाई के स्रोत स्थापित कर चुके हैं तथा अधिकांश भू-भाग पर वृक्ष लगाये गये हैं।

इन्हीं कारणों को आधार मानते हुए तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी, गौरा बसन्तपुर प्रथम व सहायक चकबन्दी अधिकारी ने ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें समाप्त करने के लिए विज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु संयुक्त रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा अपने पत्र संख्या-179/चक0अधि0-धारा-6(1)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 द्वारा ग्राम में चकबन्दी क्रियायें निरस्त करने हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव संस्तुति सहित चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा सभी कारणों एवं तथ्यों का गहन परीक्षण करते हुए अपने आदेश दिनांक 05-06-2018 द्वारा ग्राम भगोला, परगना मिझौड़ा, तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर की चकबन्दी क्रियायें प्रचलित करने विषयक विज्ञप्ति दिनांक 11-04-2008 को अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है।

ग्राम भगोला की चकबन्दी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर से चकबन्दी कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः चकबन्दी कराये जाने पर विचार किया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

यह चकबन्दी प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। लालजी वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें इन्होंने 11-04-2008 को अधिनियम की धारा 6(1) की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। मान्यवर, 50 वर्ष पहले चकबन्दी हुई थी। गॉव के कुछ सीमित लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि फिर से चकबन्दी हो, उन्होंने अलग से एक प्रस्ताव करा के उसको निरस्त करा दिया। पूरे गांव की बहुमत की आबादी यह चाहती है कि चकबन्दी हो, पूरे तहसील की चकबन्दी हो रही है, जब तहसील की चकबन्दी फिर से दोबारा 50 वर्षों के बाद हो रही है तो इस एक गांव की चकबन्दी फिर से क्यों न हो, इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और गांव के लोगों की चाहत है कि चकबंदी हो तो इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जो विधि के विशेषज्ञ भी हैं, उनसे चाहूंगा कि जब अगल-बगल के सब गावों की चकबन्दी हो रही है, तो इसी एक गांव की क्यों न हो ? दोबारा जो चकबन्दी हो रही है, फिर से इस गांव की भी करा लें, 50 वर्ष पहले हुई थी। उसी के आधार पर उस चकबन्दी के दौरान तमाम कमियां थी, 50 वर्ष से और ज्यादा हो गया। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से इसकी चकबन्दी, जब अगल-बगल के सारे गांवों की हो रही है, इसकी भी चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, बीच में कुछ लोगों ने इसको स्थगित कराने की कार्यवाही कर ली तो मैं चाहूंगा कि इसकी पुनः चकबन्दी कराने पर विचार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें तो यदि आखिरी पैराग्राफ को आपने देखा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अगर होगा तो करा देंगे, आप भिजवा दीजिएगा, करा देंगे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो आश्वासन पहले से ही आ गया है, आप देखिये तो।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें तो लिखा है कि जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर से चकबन्दी कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर। अब जिलाधिकारी अगर दबाव में होंगे तो नहीं करेंगे तो जब अगल-बगल गांव का हो रहा है तो इसको भी करा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, आप प्रस्ताव भिजवा दीजिए, करा देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, उसी तहसील के जितने गांव हैं सब चकबन्दी प्रक्रिया के तहत् टेकअप कर लिये गये, इस गॉव को भी टेकअप किया गया। आप एक गॉव के लिए प्रस्ताव मांग रहे हैं, कम से कम चार सौ गांव होंगे उस तहसील के अन्तर्गत और 399 को आप कर रहे हैं और एक को स्थगित कर दिया, निरस्त कर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है। आप एक गॉव का प्रस्ताव मांग रहे हैं 399 का करा रहे हैं, यह तो सबसे बड़ी अनियमितता है। आखिर उस गांव से क्या दुश्मनी है जो अछूता है, जिसे आप टेकअप नहीं कर रहे हैं, टेकअप

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया था निरस्त हो गया तो क्या एक गॉव की चकबन्दी आप करायेंगे ही नहीं। इसका आप स्पष्टीकरण दें

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्पष्ट रूप से आश्वासन दे दिया गया है तो प्रस्ताव देने में भी क्या आपत्ति है।

श्री लालजी वर्मा-

प्रस्ताव दे रहे हैं, अब डी0एम0 देंगे तभी तो होगा, आप कहिये कि उनसे कहा जायेगा कि वह प्रस्ताव भेजें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हां, हां, प्रस्ताव मंगवाकर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

[04:16 बजे] उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा खाद्यान्न वितरण में की जा रही कालाबाजारी की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में खाद्यान्न का उठान समय से न किये जाने तथा ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य खाद्य एवं रसद (राज्य मंत्री) ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अतुल गर्ग-

[अन्य शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा भी उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के स्थान पर किसी अन्य सक्षम एजेन्सी से खाद्यान्न के उठान का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 04-07-2015 द्वारा किया गया था। इसी बीच अप्रैल, 2018 में जनपद लखनऊ में खाद्यान्न के गबन एवं कालाबाजारी के कई प्रकरण संज्ञान में आये एवं इस हेतु उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम के तत्कालीन जिला प्रबन्धक एवं बुद्धेश्वर के गोदाम प्रभारी को निलम्बित किया गया। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं वितरण का कार्य उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम से हटाकर खाद्य विभाग की विपणन शाखा से कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 637/29-6-2018-05सा/05, दिनांक 24-04-2018 निर्गत किया गया। उक्त आदेश के प्रभावी होने की तिथि 01-05-2018 को नियत की गयी थी। जनपद लखनऊ के विपणन शाखा के अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों के नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण हैण्डओवर का कार्य दिनांक 01-09-2018 नियत किया गया। इस समय हैण्डलिंग एवं परिवहन नीति 20-04-2018 के अनुरूप सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा

ई-टेण्डरिंग के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित कर हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम को अलीगढ़ मण्डल के 04 जनपदों एटा, कासगंज, अलीगढ़ एवं हाथरस के खाद्यान्न के उठान का कार्य शासनादेश संख्या-1664/29-6-2015-05सा/05, दिनांक 25-06-2015 द्वारा दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा केवल 02 जनपदों अलीगढ़ एवं हाथरस का कार्य किया जा रहा है।]

[04:17 बजे] जनपद लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी एवं मिनी ट्रामा सेन्टर विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थनाथ सिंह)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सिद्धार्थनाथ सिंह-

[पत्र संख्या अ0नि0(का0)/कैम्प/नियम 51/284, दिनांक 30-08-2018 के अनुसार रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, लखनऊ में तैनात चिकित्सकों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	फिजीशियन	02	02
2	जनरल सर्जन	01	02
3	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	01	01
4	बालरोग विशेषज्ञ	02	03
5	रेडियोलॉजिस्ट	03	02
6	पैथालॉजिस्ट	02	02
7	चर्मरोग विशेषज्ञ	01	00
8	निश्चेतक	02	02
9	ई0एन0टी0 सर्जन	01	01
10	नेत्र सर्जन	01	02
11	आर्थोपैडिक सर्जन	02	01
12	कार्डियोलॉजिस्ट	01	00

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चर्मरोग विशेषज्ञ एवं कार्डियोलॉजिस्ट के पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होने पर उनकी तैनाती उक्त चिकित्सालय में की जायेगी। उल्लेखनीय है कि न्यूरोफिजीशियन का पद उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत नहीं है।

यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत चिकित्सालय मॉडल चिकित्सालय के रूप में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 स्कीम के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है, जिसकी फण्डिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है।]

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 चिकित्सा मंत्री जी से इसमें दो स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। मैंने अपनी नोटिस में लिखा था कि राजा जी पुरम में रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना श्रद्धेय अटल जी के समय में हुई थी। इसमें बर्न यूनिट, प्राईवेट वार्ड, आई0सी0यू0 और मिनी ट्रामा सेन्टर खोले जाने की मैंने मांग की थी क्योंकि इसकी आवश्यकता है। हमको इसमें उत्तर दिया गया है कि प्रश्नगत चिकित्सालय मॉडल चिकित्सालय के रूप में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 स्कीम के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। मैं यद्यपि एडवोकेट हूं, मेरा बेटा और बहू डॉक्टर है लेकिन मॉडल चिकित्सालय का स्वरूप क्या होगा यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री सिद्धार्थनाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मॉडल चिकित्सालय का जो रूप है, हम लोगों के 174 जिला अस्पताल हैं जिसमें महिला और संयुक्त अस्पताल भी आता है। इन सभी को हम वर्ल्ड बैंक के माध्यम से अपग्रेड कर रहे हैं। पहले चरण में 51 अस्पतालों को लिया है जिनका काम मार्च-अप्रैल, 2019 तक पूरा हो जायेगा। इसके अन्दर 109 बिन्दु हैं जिसके तहत जिला चिकित्सालय को अपग्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, इस अस्पताल को भी उसी के अन्दर लिया है। इसमें विशेष रूप से कुछ चीजों का ध्यान देना है, इसमें आई0सी0यू0 बेड ला रहे हैं, उसके अन्दर सेक्शन मशीन्स लेकर आयेंगे, वहां डिजिटल एक्स-रे मशीन्स आनी हैं, अल्ट्रासाउंड आना है, उसके अन्दर सिटी-स्कैन का प्रबन्ध हम लोगों को करना है, उसके अन्दर जो ई-अस्पताल की जो व्यवस्था है उसको हम लोग लेकर आयेंगे। इस प्रकार से 109 बिन्दु हैं इसको मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से भिजवा दूंगा। इसके साथ-साथ अस्पताल का जो फ्रन्टल लुक होता है, उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में भी जब हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो हमेशा लगता है कि इसके अन्दर घुसेंगे तो और बीमार हो जायेंगे।

मगर प्राइवेट में देखते हैं तो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, तो अंदर से तबियत भी खुश होती है कि किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा प्रयास यह है कि जो फ्रन्टल लुक या एलीवेशन जिसको कहते हैं इसको भी प्राइवेट हास्पिटल की तर्ज पर लेकर जाएँगे और इसका जो एक स्टैण्डर्ड है उसे पूरा किया जा रहा है। ऐसे 51 अस्पताल हैं जिसके अंदर इसको भी लिया गया है और विशेष रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय का बना हुआ अस्पताल है, उन्होनें बनवाया था, इसलिए हमारा भी प्रयास है कि उसको उसी तरह से मेनटेन

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जाए, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल है उसकी हालत बहुत जर्जर है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि सिविल अस्पताल और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, ये दोनों मार्च-अप्रैल 2019 तक जब इन अस्पतालों में हम लोग इलाज कराने के लिए जाएंगे तो इन दोनों अस्पताल को देखकर हम सभी लोगों की तबियत खुश हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[04:20 बजे] जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मकदूमपुर निवासी श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा संचालित गौशाला में लगे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बिना नोटिस के कटाये जाने एवं गौशाला को क्षतिग्रस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री (श्री सुरेश पासी)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम-मकदूमपुर निवासी श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा संचालित गौशाला में लगे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ो को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा .....

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

[मुख्य मंत्री का वक्तव्य आवास एवं शहरी नियोजन (राज्य मंत्री) ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।]

बिना नोटिस के कटाये जाने एवं गौशाला को क्षतिग्रस्त कराये जाने के संबंध में।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-08-2018 को मा0 सदन में निम्नवत् सूचना दी गयी है :-

''श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम मकदूमपुर विस्तार, लखनऊ की भूमि खसरा सं0-242 17 वर्ष पूर्व बनी बाउण्ड्री वाल जिसमें गौशाला संचालित थी और उसमें विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगे थे जिसे बिना किसी नोटिस के लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15-16 फरवरी, 2018 को जे0सी0बी0 द्वारा ध्वस्त कर दिया गया जिसमें लाखों की क्षति भू-स्वामी को उठानी पड़ी इस संबंध में मैंने दिनांक 06 मार्च, 2018 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को पत्र द्वारा सूचना दी। खेद है कि इस प्रकरण पर प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न कोई कार्यवाही की गयी। जो खेदजनक है।

अतः नियम-51 अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार

योजना के अन्तर्गत ग्राम मकदूमपुर की भूमि खसरा संख्या 242 रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 में किया गया चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05-09-2000 व 16-02-01 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा 11-07-2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अपर जिलाधिकारी, भू0अ0 द्वारा दिनांक 21-10-08 को अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है। अर्जित खसरा संख्या 242 रकबा 2-12-14-0 बीघा स्थित ग्राम मकदूमपुर के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी, भू0अ0 द्वारा दिनांक 30-09-14 को मा0 जनपद न्यायालय, लखनऊ में जमा की जा चुकी है। श्री दिनेश कुमार व अन्य खातेदार भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 34 के अनुसार अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा संख्या 242 रकबा 2-12-14-0 बीघा अर्थात् 6675 वर्गमी0 में से 106 वर्गमी0 जिसमें मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश था, को छोड़कर शेष 6569 वर्गमी0 पर विकास एवं नियोजन करते हुए भूखण्डों का आवंटियों के मध्य आवंटन किया गया। श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा योजित वाद संख्या 3034/2017, श्रीकान्त गुप्ता द्वारा योजित वाद संख्या 15921/2017, श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा योजित वाद संख्या 2905/2016, मुन्नी राज सिंह द्वारा योजित वाद संख्या 2761/2016 व श्री उमेश्वर पाण्डेय व अन्य आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4297/2016 योजित किया गया, जिसमें दिनांक 11-12-2017 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि पर एक माह के अन्दर भूमि का कब्जा व विक्रय विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित किया है। आदेश का अनुपालन नियत तिथि तक नहीं होने पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो सकती है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 15 व 16 फरवरी, 2018 को आवंटियों को कब्जा दिलाने हेतु स्थल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम गयी थी, जिसमें खसरा 242 में पड़ने वाले सड़क का निर्माण प्रारम्भ किया गया, ताकि आवंटियों को यथाशीघ्र कब्जा दिया जा सके।

प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 242 स्थित ग्राम मकदूमपुर के संबंध में श्री दिनेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-67/एल0ए0/2010 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-08-2015 को स्कूल के भवन की कुल 106 वर्गमी0 भूमि पर स्थगनादेश पारित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 10-08-2015 के समादर में 106 वर्ग मी0 भूमि पर स्थित निर्माण यथावत है।

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय आदेश के विरुद्ध याची श्री दिनेश कुमार व अन्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 9021/2018 योजित की गयी है, जिसमें

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20-08-2018 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया है :-

Heard the learned senior consel appearing for the parteis.

leave granted

Hearing expedited.

Status quo, existing as on today, will be maintained which means that school building standing on 106 sq. mts. will continure in the possesion of the petitioners.

The state of U.P. is directed not to create any third party rights.

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा स्थल पर प्रारम्भ किये गये कार्य को तत्काल तत्समय बन्द करा दिया गया था।

प्रश्नगत खसरा संख्या-242 के आंशिक भाग को छोड़कर विगत कई वर्षों से रिक्त होने के कारण झाड़ियां उग आई थी न तो उस स्थान पर गौशाला थी और न हरे-भरे पेड़ थे। ऐसी स्थिति में हरे-भरे पेड़ व गौशाला न होने के कारण ल0वि0प्रा0 द्वारा तहस-नहस किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शिकायतकर्ता का आरोप निराधार है।]

जनपद कानपुर नगर में पौधारोपण की फर्जी आंकड़ेबाजी के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन एवं उद्यान मंत्री का केवल वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 के दौरान दिनॉक 28-08-2018 को नियम-51 ....

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य वन एवं उद्यान मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री दारा सिंह चौहान-

15 अगस्त, 2018 के मौके पर सरकार द्वारा 9 करोड़ पौध रोपे जाने का दावा किया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पत्र संख्या 10/2018/1204/14-5-2018-187/2017, दिनांक 21 अगस्त, 2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को बधाई भी दे दी गयी है। इसके उलट मेरे जनपद कानपुर में प्रमुख समाचार-पत्र दैनिक जागरण द्वारा छापी गयी खबरों में प्रमुखता से झूठे आंकड़ेबाजी की सच्चाई छापी गयी थी।

''अधिशासी अधिकारी ने फेकवा दिये पौधे''

''रिपोर्ट में पौधे, हकीकत में फेंक दिये गये''

''डम्प पौधे खोल रहे आंकड़ों की हरियाली का खेल''

''कहां से आये इतने पौधे और मजदूर कुछ पता नहीं''

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

''झूठे आंकड़े दिखा मुख्य सचिव से दिला दी शाबासी'' आदि हेडिंग से लगातार छाप कर अधिकारियों की फर्जी आंकड़ेबाजी को उजागर किया है। उक्त के उप जिलाधिकारी, घाटमपुर के पत्र संख्या-620/प्र0एस0टी0, 2018 व 23-08-2018 से जिलाधिकारी को फेंके हुए पौधों के संबंध में अवगत भी कराया गया है। अधिकारियों ने अपने कृत्यों से अपनी संवेदनहीनता का परिचय देते हुए सरकार की पौधा रोपण की मंशा पर पानी फेर दिया है।

अतः इस फर्जी पौधा रोपण के लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

2-उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अन्तिम रूप से नगर विकास विभाग अर्थात् नगर निगम, कानपुर को कुल आवंटित 40,000 पौध रोपण के लक्ष्य के विरुद्ध नगर निगम, कानपुर द्वारा कुल 09 क्षेत्रों में 85,596 पौध रोपण की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर को प्रेषित की गई। इन क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद्, घाटमपुर का कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। नगर पालिका, घाटमपुर द्वारा रोपित पौधों के क्षेत्र को नगर निगम, कानपुर द्वारा सूचना में सम्मिलित न किये जाने के कारण उसे वन विभाग के पी0एम0एस0 पर अपलोड भी नहीं किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, घाटमपुर ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्रेषित की गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि निदेशालय द्वारा प्राप्त लक्ष्य के क्रम में नगर पालिका परिषद्, घाटमपुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2018 को 1,000 पौध रोपित किये गये।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अन्य विभाग के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यों का स्थलीय सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से जिलाधिकारी/सेक्टर एवं जोनल अधिकारी द्वारा किया गया जायेगा। प्रकरण में निर्देशों के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 15-08-2018 को कराये वृक्षारोपण के स्थलीय सत्यापन हेतु अधिकारी नामित कर आवंटित स्थलों पर कराये गये वृक्षारोपण के सत्यापन का निर्देश दिया गया है।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद नगर के थाना रामगढ़ चौकी के जर्जर भवन के स्थान पर एक अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन (मल्टीस्टोरी) का निर्माण एवं वर्तमान थाना भवन को चौकी के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनॉक 28-08-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि ''नगर फिरोजाबाद में मुख्य रूप से 5 थाना स्थापित हैं..

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का **वक्तव्य** संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो **पढ़ा हुआ माना गया।**)

[''थाना रामगढ़ शहर क्षेत्र की अत्यन्त संवेदनशील सघन एवं मिश्रित आबादी के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण थाना है। इस थाने का प्रशासनिक भवन काफी खराब स्थिति में है। पूर्व में थाना रामगढ़ जिस भवन में संचालित होता था, इसमें वर्तमान में इस थाने की एक चौकी संचालित हो रही है। इस चौकी भवन का भवन काफी जर्जर अवस्था में है परन्तु इस चौकी की लोकेशन प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है एवं पर्याप्त स्थान पर भी उपलब्ध है।

वर्तमान में संचालित थाना रामगढ़ की तुलना में थाना रामगढ़ चौकी का स्थान एप्रोच/सिचुएशन की दृष्टि से बहुत प्रभावी है एवं अपने कार्यक्षेत्र के महत्व में स्थापित है। पर्याप्त स्थान वाली थाना रामगढ़ चौकी में पर्याप्त स्थान होने के साथ-साथ यह अपने थाना कार्यक्षेत्र के मध्य में स्थापित होने के चलते इस अति संवेदनशील, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान थाना रामगढ़ चौकी के जर्जर भवन के स्थान पर एक अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन (मल्टी स्टोरी) का निर्माण एवं वर्तमान थाना भवन को चौकी के रूप में परिवर्तित करते हुए उपयोग करने की महती आवश्यकता है।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़, शहर क्षेत्र के अत्यन्त संवेदनशील, सघन एवं मिश्रित आबादी के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण थाना है, जो शहर के बीचो-बीच स्थित है। उक्त थाने की चौकी नगला मिर्जा एक कारखाने के जर्जर भवन में अधिष्ठापित है, उक्त चौकी का भवन पुलिस विभाग का नहीं है बल्कि प्राइवेट व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिष्ठापित है। थाना रामगढ़ का प्रशासनिक भवन भी जर्जर स्थिति में है, चौकी नगला मिर्जा में कर्मचारियों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वर्तमान थाना भवन को चौकी के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि थाना एवं चौकी दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान पर अधिष्ठापित हैं, जहां से क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में आसानी रहती है। थाना रामगढ़ के भवन को चौकी रूप में परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि आस-पास थाने के लिए कोई भूमि भी उपलब्ध नहीं है। अतएव कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से वर्तमान थाना रामगढ़ के जर्जर भवन को ध्वस्तीकरण कर उसके स्थान पर अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन (मल्टी स्टोरी) का निर्माण कराने एवं उक्त भवन में चौकी नगला मिर्जा भी अधिष्ठापित कराने के सम्बन्ध में बजट उपलब्धता के दृष्टिगत यथोचित प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत कालाआम से ग्राम जौनपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम कुड़वल-बनारस मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

[04:23 बजे] जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत आशा संगिनी के पदों पर की गयी नियुक्ति में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अनुराग सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि श्री अनुराग सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत विधान सभा में दिनांक 28-08-2018 को यह सूचना दी गयी कि ''जनपद गाजीपुर के अंतर्गत आशा संगिनी के पदों पर की गयी पदोन्नति में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है ...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[''प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमानियां, जनपद गाजीपुर के तहत वर्ष 2006 से आशाओं के पद पर सेवारत रही कर्मियों की आशा संगिनी के पद पर पदोन्नति नहीं की गयी। उक्त पदोन्नतियां मुख्य चिकित्साधिकारी के देख-रेख में की जानी थी, किन्तु प्रभारी चिकित्साधिकारी, जमानियां द्वारा अपने दो लिपिकीय सहयोगियों के माध्यम से कार्यानुभव, शैक्षिक योग्यता व वरिष्ठता क्रमांक को नजरान्दाज करते हुए अपात्र आशाओं की पदोन्नति आशा संगिनी के पद पर कर दी गयी। इस पदोन्नति से पात्र आशाओं में गम्भीर रोष व्याप्त है। चिकित्सीय कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर अप्रैल, 2018 में की गयी उक्त पदोन्नतियों को उच्चस्तरीय जांच कराने से पूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी, जमानियां एवं सम्बन्धित कार्मिकों को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही कराते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-उपर्युक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक मु0चि0अ0/आशा संगिनी/नियम 51/18-19/1316, दिनांक 30-08-2018 द्वारा नियमानुसार प्रत्येक कलस्टर में वरिष्ठता सूची बनाते हुए वरिष्ठतम 04 आशाओं का चयन किया गया, तदोपरान्त कलस्टर वाइज तैयार आशाओं की सूची का साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार के बाद दिये गये पूर्ण अंकों को जोड़कर चयनित आशाओं की सूची जारी की गयी थी तथा प्रा0स्वा0 केन्द्र के सूचना बोर्ड पर चस्पा की गई इसके बाद कुछ अचयनित आशाओं द्वारा चयन प्रक्रिया के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के यहां शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा जांच सदस्य के रूप में थे। उपरोक्त गठित टीम द्वार पूरे जनपद के आशा संगिनी के चयन प्रक्रिया की जांच की गई। जांच टीम द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जमानियां, गाजीपुर के कलस्टर सं0 4 एवं 6 के चयन का परीक्षण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट था कि आशा श्रीमती अंजनी देवी कलस्टर सं0 4 में कार्य कर रही थी, जबकि चयन समिति द्वारा इन्हें कलस्टर सं0 6 में शामिल करते हुए साक्षात्कार की कार्यवाही की गई जिससे यह स्पष्ट हुआ कि चयन साक्षात्कार समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया को महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 18-09-2013 एवं पत्र दिनांक 27-02-2017 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। अतएव उपरोक्त जांच टीम द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जमानियां के कलस्टर सं0 4 और 6 में आशा संगिनी के चयन/साक्षात्कार की कार्यवाही नियमसंगत न होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई।

3-पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के आदेशानुसार प्रा0स्वा0 केन्द्र, जमानियां के कलस्टर सं0 4 एवं 6 में आशा संगिनी के चयन हेतु प्रावधानित समिति में डॉ0 के0 के0 वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन0एच0एम0, डॉ0 ए0 के0 रत्नेश, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जमानियां, एन0जी0ओ0 सदस्य, इकाई के ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक की उपस्थिति में दिनांक 06-04-2018 को साक्षात्कार के पश्चात् अधिक अंक पाने वाली अर्ह आशा का आशा संगिनी के पद पर चयन किया गया है।]

[04:23 बजे] बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय स्थानों पर कर्मचारियों के सेवा अभिलेख न रखे जाने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं एक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ ही उनके सेवा अभिलेख संबंधित जनपद में भेजे जाने के प्राविधान का बेसिक शिक्षा विभाग में ....

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[कतिपय स्थानों पर न करके कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक श्री राजेन्द्र पाल की प्रोन्नति प्रशासनिक अधिकारी पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 21-01-2016 को डायट, शाहजहांपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था, किन्तु ढाई वर्ष का समय हो जाने के बावजूद बी0एस0ए0, हरदोई द्वारा उनके सेवा अभिलेख इत्यादि डायट, शाहजहांपुर नहीं भेजे जा रहे हैं। बी0एस0ए0, हरदोई द्वारा श्री पाल से कतिपय अभिलेखों को मांगा जा रहा है किन्तु वास्तविकता यह है कि मांगे जा रहे अभिलेख श्री पाल द्वारा संबंधित पटल सहायक को काफी समय पूर्व दिनांक 25-09-2006 को उपलब्ध करा दिये गये थे, जिसका अभिलेखों से सत्यापन भी कराया जा चुका है। श्री राजेन्द्र पाल का रिटायरमेण्ट दिनांक 31-12-2018 को है और हरदोई से संबंधित सेवा अभिलेख डायट शाहजहांपुर में न भेजे जाने के कारण इनके पेंशन प्रपत्र तैयार नही हो पा रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा भी कई बार आदेश दिये जाने के बावजूद जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जनहित में आवश्यक है कि संबंधित कर्मी के सेवा अभिलेख, हरदोई से शाहजहांपुर भेजे जायें।

अतएव मैं जनहित में प्रश्नगत विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

टिप्पणी-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0 को शासन के आदेश दिनांक 29-08-2018 द्वारा आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तदनुपालन में शिक्षा निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद के पत्र दिनांक 30-08-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आख्या है कि श्री राजेन्द्र पाल प्रधान लिपिक द्वारा अपने पटल से संबंधित समस्त प्रभार हस्तगत न कराये जाने के कारण ही उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख प्रेषित नहीं किये जा सके। श्री राजेन्द्र पाल द्वारा अपने सेवा संबंधी अभिलेखों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25-08-2017 में निर्देशित किया गया था कि याची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर चार्ज के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देगा परन्तु याची श्री राजेन्द्र पाल तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा याची द्वारा योजित याचिका सं0 18873/2017 अन्तिम आदेश हेतु विचाराधीन है। याची द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, प्र0 अ0 श्रीराम बाजपेई विद्यालय, हरदोई, जिनकी सेवायें कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र के कारण सचिव, उ0 प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेशानुसार तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा समाप्त की जा चुकी है, की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली जिसका प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अद्यतन सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। फिर भी इनके अभिलेख तत्काल नियमानुसार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई को भेजने हेतु निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 को निर्देश दे दिये गये हैं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[04:24 बजे] प्राकृतिक आपदा से पीड़ित केरल के निवासियों को सरकारी सहायता

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, अब सब मद पूरा हो गया है। एक मामला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान आया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बराबर कह रहे है कि मा0 मुख्य मंत्री जी से पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन आज सदन उठ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, संवेदन की बात है, हम लोगों ने इच्छा व्यक्त किया था कि जिस तरह से उत्तराखण्ड आपदा में हम लोगों ने विधायक निधि से धन दिये थे, उसी तरह से केरल त्रासदी में विधायक निधि से हम लोग 5-5 लाख रुपये दें, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी से वार्ता कर लें, संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस विषय पर सहमत हैं और जब हम लोगों ने उत्तराखण्ड आपदा में विधायक निधि से धन दे चुके हैं तो केरल आपदा में देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हो पा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पर वार्ता करके जी0ओ0 जारी करा दें, जिससे हम लोग विधायक निधि से केरल त्रासदी में धन दे सकें। आज सदन उठ भी रहा है और मा0 अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि केवल जी0ओ0 से ही हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, मैनें भी कहा था, आप इस विषय को देख लीजिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी आज भी बाहर हैं और हमने कल भी कहा था जैसे ही आते हैं वार्ता कर लेंगे। मान्यवर, चूंकि नियमों में संशोधन की बात है, एक नई व्यवस्था लागू करने की बात है और यह ठीक नहीं लगता कि बिना मुखिया के संज्ञान में लाए इस पर कोई निर्णय लिया जाए। इसीलिए जो सदन को आगे बढ़ाने की बात कही थी, मुझे खेद है कि हम सदन को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी से 30 अगस्त को वार्ता करने के पश्चात् ही कुछ कह पाएंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि इस काम को आप मा0 मुख्य मंत्री जी से वार्ता करके जरूर करा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बिना मुख्य मंत्री जी से वार्ता किये कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप सक्षम हैं, इसको करा दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो सदन को एक सूचना दे दूं। अध्यक्ष जी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तीन दिन से कर्मचारी आन्दोलन पर हैं और अब तक सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों का पूरा हक लूट लिया। आपके द्वारा 31-08-2018 तक सदन प्रस्तावित था उसमें 24-08-2018 को संसदीय कार्यमंत्री जी के कहने पर उपवेशन नहीं रखा गया। संसदीय कार्यमंत्री जी ने खुद कार्यमंत्रणा समिति में कहा था कि इसको हम 01 दिन आगे बढ़ा देंगे। अब इनकी मर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि 01 दिन ही बढ़ा दीजिए। वैसे हम लोगों का प्रस्ताव है कि सदन का उपवेशन तीन दिन और बढ़ा दिया जाये, अगर तीन दिन नहीं तो दो ही दिन बढ़ा दीजिए। न दो दिन बढ़ाईये तो जो हक है उसको तो दे दीजिए, जो हमारा हक है उस पर तो डाका न डालिये।

[04:26 बजे] सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदन का बहुत ही कुशलता से संचालन किया। हालॉकि हम लोगों को उम्मीद दिलाया था...

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लें, फिर आप बोलें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-.

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में सदन का कुशल संचालन हुआ। सभी माननीय सदस्य अपनी बात तो नहीं रख पाये लेकिन जितने मा0 सदस्यों ने अपनी बात रखी, संजीदगी से रखी, आपने उनको सुना, सरकार ने काफी हद तक उसको माना भी। आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि सदन के संचालन में इस बार बहुत बढ़िया भूमिका अदा की। सभी माननीय मंत्रिगण का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने-अपने विभागों का उत्तर संजीदगी से दिया। भले हम लोग संतुष्ट हों या न हों। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी के संचालन में इस बार विपक्ष ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे समय तक सदन में रह करके सदन को चलाने में अपना पूरा योगदान दिया। मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव व सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सहृदयता से सदन के संचालन में अपना पूरा योगदान दिया। सुरक्षा गार्ड और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को अगर आप कुछ इनाम के रूप में दे दीजिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह हमेशा होता रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार भी विधान सभा के जितने भी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सदन के संचालन में पूर्ण सहयोग किया हैं उनको भी कुछ सदन का मानदेय दे करके लाभान्वित करने का कष्ट करेंगे। पुनः मैं माननीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर, प्रमुख सचिव जी को विधान सभा के सभी अधिकारियों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सभी मंत्रीगण को और सभी माननीय सदस्य को मैं बधाई देता हूं। सदन जितने दिन भी चला ठीक से चला। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा कर दें, इन लोगों का रह गया। प्रेस के लोग और चैनल के लोग पूरे मनोयोग से सदन के संचालन मे जो बातें आईं उसको प्रमुखता से इन्होंने अपने अखबारों में

और चैनल के लोगों ने अपने चैनलों में स्थान दिया। सदन की गरिमा को बनाये रखने में अपना सहयोग दिया इसलिये पूरे प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठते हैं, चैनल के लोग, उनको भी मैं नेता विपक्ष के नाते, समाजवादी पार्टी के नेता के नाते बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके कुशल संचालन में सीमित दिन ही लेकिन सदन का कार्य अच्छी तरह से चला और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का आपके कुशल नेतृत्व में अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि हम लोग उम्मीद लगाये थे कि जब पहली बार विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट तौर से माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी चाहत है कि विधान सभा 90 दिन चले। कहा तो था लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है। जितना अधिक से अधिक दिन चलने की बात कही थी चला तो कम से कम दिन। हालांकि उसके बावजूद भी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिला अपनी बात रखने का। मैं आपको और विशेष रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी, माननीय सभी सदस्यों को, माननीय सभी मंत्रीगण को जिन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी करके सदन के संचालन में योगदान किया। सभी विधान सभा सचिवालय को कि समय से एजेन्डा पहुंचाने का कार्य, चाहे कितनी दूर भी कोई सदस्य क्यों न रहता हो वहॉं भी एजेन्डा पहुंचाने का कार्य किया गया इसके लिये आभार व्यक्त करना चाहूंगा। प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रानिक मीडिया को हालांकि हम लोगों को बहुत शिकायतें भी रह जाती हैं। कभी-कभी वह ऑपोजीशन को पूरी तरह से वॉक आउट कर देते हैं और जो हमारी बातें हैं, उसको दिखाने का काम कम करते हैं अपेक्षाकृत सत्ता पक्ष की बात को ज्यादा दिखा देते हैं लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वह सुबह समय से बैठकर और शाम देर तक सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं और उसको प्रसारित करने का भी काम करते हैं। इसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी, इनकी इच्छा तो ज्यादा दिन सदन चलाने की थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं सफल हो पाये। बहुत सी चीजों में इनकी इच्छा थी, कुछ बातें और थीं जिनमें इनके इच्छा थी लेकिन कहीं कहीं से दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी जिस तरह से माननीय सदस्यों की बात को गम्भीरता से लेने का काम करने हैं उसके लिये मैं आभार व्यक्त करते हुए, सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सभी कर्मचारियों का, विधान सभा के प्रमुख सचिव का, विधान सभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी हैं उनका भी, और जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कुछ मानदेय का, तो उस तरफ भी मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरह का निर्णय करने का काम करे, घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री करें कि जिससे सभी जो कर्मचारी हैं उनको मानदेय प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सत्र का सदन का अंतिम दिन है। लगभग जो पहले से निर्धारित था उसकी अपेक्षाकृत सदन कुछ कम चला। हम सब एक परिवार के लोग हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है। हम जनता की जन भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को इस सदन में उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कुशल संचालन किया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इतनी महत्ता के साथ सारे पहलुओं पर जवाब देने का प्रयास किया। इस बार कुछ दीखा, मंत्रिगण काफी तैयारी करके आए लेकिन आधा-अधूरा कुछ न कुछ तो बचा ही रहता है। सरकार की कहीं न कही मजबूरी रहती है कि सत्ता और सरकार के पक्ष को ज्यादा तवज्जो दिया जा सके। संसदीय कार्य मंत्री जी वास्तव में चाहते थे कि और सदन चले लेकिन कहीं न कहीं यह भी मजबूर हैं। कुछ लोगों के आदेश के आगे। आपका दिल से आभार अध्यक्ष जी, प्रमुख सचिव और इनके सभी सचिवालय के अधिकारियों का कर्मचारियों का, सुरक्षा कर्मियों का सभी सम्मानित उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों से आए विधायकों का, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामगोविन्द चौधरी जी का, और इनके सभी दल के लोगों का, अपना दल और मा0 नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, और अन्य दल के सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद् अर्पित करता हूं और खासकर मीडिया के लोगों का, इन लोगों ने बड़े, चाहे वह इलैक्ट्रानिक मीडिया हो चाहे प्रिन्ट मीडिया हो,सवेरे से शाम तक आकर और एक-एक पहलुओं पर छोटे बड़े वक्तव्य पर ध्यान केन्द्रित करके उसे प्रकाशित करने में अपनी अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। इस बार बड़ा अच्छा भी रहा कई विषयों पर, विधेयकों पर बड़ी मजबूती से चर्चा हुई। मैं आगे अपेक्षा करुंगा आगे विधेयकों पर बहुत ठीक से चर्चा हो। आपका दिल से आभार बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन आपके नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से चला इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई।इस सदन में माननीय अध्यक्ष जी, तमाम माननीय सदस्य पहली बार यहां पर आए हैं। हमारे काफी वरिष्ठ साथी हैं नेता प्रतिपक्ष, काफी वरिष्ठ साथी हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, काफी वरिष्ठ हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी, हमारे नेता कांग्रेस, हम सब लोगों को आप लोगों से तमाम अच्छे अनुभव मिले हैं तमाम ज्ञान आप लोगों के द्वारा मिला है निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा तीखे प्रहार हुए और सत्तापक्ष द्वारा उस प्रहार को झेलने का काम किया गया, उसका मजबूती से जवाब देने का काम किया गया देखकर अच्छा लगा।मान्यवर, मैं अपना दल की ओर से माननीय अध्यक्ष जी आपको और हमारे जो इस विधान सभा परिवार के जो यहां पदाधिकारी हैं उनको, मीडिया के लोगों को,माननीय नेता समाजवादी पार्टी और उनके सम्मानित सदस्यों को, नेता बहुजन समाज पार्टी और उनके सम्मानित सदस्यों को,नेता कांग्रेस और उनके सम्मानित सदस्यों को, नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके सम्मानित सदस्यों को और सभी सम्मानित मंत्रीगणों को और सभी सम्मानित सदस्यगणों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि इसी तरह से आने वाले समय में भी स्वस्थ रूप से इस सदन को चलाने का काम हो, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो लिफ्ट्स के कर्मचारी हैं जब मा0 सदस्य लोग लिफ्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहले पैर पकड़कर प्रणाम करते हैं। उनका मानदेय बहुत कम है और वे बहुत दिनों से अस्थायी हैं। जब हम लोग लिफ्ट से आते हैं तब हम लोगों से इस संबंध में कहते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लिफ्ट्स के जो कर्मचारी हैं, उनको स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की जो समस्यायें हैं, इस पर जरूर मा0 मंत्री जी कृपा करेंगे। यह छूट गया था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

***श्री कैलाश नाथ सोनकर-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके कुशल संचालन में बहुत ही कम अवधि तक सदन चला फिर भी आपके कुशल संचालन में सदन के जितने भी नव-निर्वाचित सदस्य हैं आप सभी को कुछ न कुछ बोलने का मौका देते हैं। किसी न किसी बहाने उनको बोलने का आप अवसर देते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में इस बार सदन की अवधि बहुत कम थी। इसके पहले जब सदन चला था, बहुत ज्यादा हमारे नव-निर्वाचित सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का और बोलने का अवसर मिला था। जिस भी मजबूरी में कम समय तक सदन चला, लेकिन आपके कुशल संचालन में, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कुशल संचालन में, मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी के कुशल संचालन में, मा0 नेता बसपा, मा0 नेता कांग्रेस और हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य और विधान सभा के प्रमुख सचिव, अधिकारी और कर्मचारीगण, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी गण और प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोगों को मैं एक साथ आभार प्रकट करता हूं और सबसे ज्यादा मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हर नोकझोंक को बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाने का कार्य किया और सभी को खुश रहने के लिए आपने हर तरह का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपनी विद्वता और अपने अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान हम सभी को दिया है, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारा पूरा दल और यह पूरा सदन आपके प्रति इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आप जब भी कोई बात कहते हैं तो अपने अनुभव से अपनी विद्वता से अपने ज्ञान से कहते हैं उसमें हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अध्यक्ष जी हम धन्यवाद देते हैं माननीय नेता विरोधी दल को माननीय नेता बसपा नेता कांग्रेस नेता सुहेलदेव पार्टी और नेता अपना दल को और सभी सदस्यों को जिन्होंने सदन के संचालन में अपनी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाई और हर प्रकार से सदन के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की । यहां तो सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति संकल्पित हैं। अपनी विचारधारा के प्रति वचनबद्ध हैं लेकिन बाहर हम सब एक हैं। जब हाउस के बाहर निकलते हैं तब एक हैं। सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की एक दूसरे के प्रति संवेदना एक दूसरे के प्रति हमदर्दी एक दूसरे के प्रति अच्छा प्रेम व्यवहार है। लोक तंत्र का यह एक बहुत अच्छा संकेत है। हम लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे से अलग होने के बाद भी बाहर जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम भाव से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। माननीय अटल जी लगभग 6 दशक तक हिन्दुस्तान में एक बहुत जाना पहचाना नाम जो कि न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होने पूरी दुनियां में इस बात की ख्याति कमाई और उनके व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पहलू यह था कि वह सभी को साथ में लेकर चलना चाहते थे इस बात की आवश्यकता भी है हमारे संस्कारों में और हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं उसमें इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। वैचारिक रूप से हम सभी अपनी अपनी पार्टी के प्रति वचनबद्ध हैं लेकिन वैचारिक रूप से भिन्नता के बाद के बाद भी हम इंसान हैं और सभी के प्रति एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान का भाव रहता है। एक बात विशेष रूप से मैं जरूर कहना चाहता हूं, आवश्यकता इस बात की है कि सदन की जो बहस है जो चर्चा है उसका स्तर और बेहतर हो वह स्तर बेहतर तभी हो सकता है जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें विषय के बारे में अध्ययन करें क्योंकि बाहर की दुनियॉ में क्षेत्र की दुनियॉ में बहुत कुछ इस बात का प्रतिफल नहीं मिलता । जो हमारी बेसिक एम्मीनिटीज हैं उसी में उलझकर रह जाते हैं जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो लोगों की जरूरतों की पूर्ति कैसे हो। हम इसी तक अपने आपको सीमित रखते हैं लेकिन एकेडमिक बहस एकेडमिक चर्चा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जब लाइब्रेरी मे किताबें देखते हैं एक बार मैं सदन में था तो तिवारी बनाम तिवारी का एक स्कूप छापा था स्वतंत्र भारत में इधर से फैजाबाद के माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी हुआ करते थे उधर से एक तिवारी जी होते थे माननीय एन0डी0तिवारी जी बहुत सवाल जवाब एक दूसरे के प्रति बिना तैयार किया हुआ तुरन्त जवाब और यह तभी बोला जा सकता है जब हमारा अध्ययन पर्याप्त हो । वह अध्ययन कहीं न कहीं इस विधान सभा के काम आए लोगों के काम आए उनकी लाइफ स्टाइल बदलने के काम आए लोगों का व्यवहार बदलने के काम आए यह जरूर होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो हम प्रबोधन का कार्यक्रम करते हैं प्रबोधन के कार्यक्रम में जितनी अपेक्षा होती है हम उसको बहुत छोटा करें, यह ठीक नहीं है। बहुत से लोगों को शासनादेश की जानकारी नहीं होती, विषय यानी सब्जेक्ट तथा मैटर की जानकारी नहीं होती। किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ आकर्षित कर सकें ताकि सदन की बहस का स्तर बेहतर हो सके। यहां पर फॉरेन डिग्निटरीज आती हैं, दिल्ली से बहुत से लोग आते हैं और वह देखते हैं तो कभी-कभी तो बड़ी ऑकवर्ड स्थिति लगती है, इसलिये जो हमारी बहस है और चर्चा का जो स्तर है, उसको हम जितना बेहतर कर सकें करें। मा0 नेता विरोधी दल अक्सर कहते हैं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के बाद सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा महत्व की विधान सभा उत्तर प्रदेश की विधान सभा है। यह सही है कि हमारी विधान सभा सबसे ज्यादा बड़ी है और इसमें बहुत ही शानदार परम्पराएं हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की हैं। पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त, चौधरी चरण सिंह, चन्द्रभानु गुप्त, पुरूषोत्तम दास टण्डन, यह वह नाम हैं जो अपनी विद्वता के लिये जाने जाते रहे हैं। यह जब खड़े होते थे तो कोई चाहे कितना भी वैचारिक रूप से विरोधी क्यों न हो, वह उनको सुनना चाहता था। उन्हीं परम्पराओं और इस बात के ऊपर अगर हम चिन्तन करें तो लोग इस तरफ आकर्षित भी होंगे और इस परम्परा

का फिर से पुर्नजागरण या उसको किसी न किसी रूप में अपनाने के लिये प्रेरित भी होंगे। मान्यवर, आज बहुत लम्बी-चौड़ी बात कहने का वक्त नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को जाना है। एक बार फिर से मैं अपने सभी मा0 मंत्रियों को विशेष रूप से मा0 उप मुख्य मंत्री जी को, जिन्हें जब भी समय मिलता है तो अधिक से अधिक समय देते हैं, अपने सभी मा0 मंत्रियों को और यहां पर बैठे हुए सभी मा0 सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं चाहे वह पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी लोगों ने सदन के संचालन में बहुत बड़ा सहयोग दिया। मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपका और आपके सहयोगी प्रमुख सचिव सहित सभी स्टाफ का विशेष रूप से मार्शल सहित हमारे जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, लिफ्टमैन से लेकर विधान सभा के जितने भी कर्मचारी हैं, रिपोर्टर से लेकर आगे तक जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं अपने मीडिया बंधुओं का, इलेक्ट्रानिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों का, क्योंकि बहुत से लोग इनको देख-देख कर अपनी बात सुनाते हैं। हम इन सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। मा0 नेता विरोधी दल ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया, हम उसका पूरा संज्ञान लेंगे। आज के बाद परसों जन्माष्टमी है। अगर यह जन्माष्टमी एक-दो दिन आगे बढ़ जाती तो शायद आपको यह कहने का या शिकायत करने का मौका नहीं मिलता कि 24 तारीख को हमने क्या कहा था या 24 तारीख की हम किस तरीके से भरपाई नहीं कर पाए, लेकिन अब आप शायद मानें या न मानें, हमें भी इसका थोड़ा सा अफसोस है कि जो बात कही गयी थी वह नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हम कृष्ण जन्माष्टमी की इस पूर्व संध्या पर सभी लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और एक बार सभी का फिर से आभार प्रकट करते हुए आपके प्रति नमन करते हैं। धन्यवाद।

श्री दल बहादुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मेरी बस तीन बातें आप सुन लें। मेरी बस तीन बातें हैं। आप हम लोगों के संरक्षणकर्ता हैं। दलों की तरफ से नेता बोले, मंत्री बोले। इसलिये विधायकों की तरफ से भी कोई बोले, तो इस पर हम आपकी कृपा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधायकों की तरफ से हम बोलेंगे।

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, हमारी केवल तीन बातें सुन लें। केवल तीन बातें कहेंगे, कोई गलत बात नहीं कहेंगे। मैं इस बात पर आपका संरक्षण चाहता हूं कि हम विधायकगण भारत में जितनी विधान सभाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधायकों का है। हम लोगों का डीजल भत्ता जिस समय लागू हुआ था, तब उसका रेट 50 रुपये था, लेकिन आज 85 रुपये के आसपास है। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष-

आप यह सब लिखकर मा0 संसदीय कार्य मंत्री को दे दें और उसकी एक कॉपी हमको भी दे दीजिये।

श्री दल बहादुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कभी नहीं बोलता हूं, इसलिये आज तो मुझे बोल लेने दीजिये।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हम लोगों की निधि खतम कर दें, क्योंकि निधियों से विधायकों की बदनामी होती है। विधायक चाहे ईमानदार हो लेकिन जनता उसे बेईमान ही कहती है। आज जब क्षेत्र में बाढ़ आती है तब क्षेत्र की जनता विधायक से उम्मीद करती है कि वह उसे कुछ दें, किसी का एक्सीडेन्ट होता है तो पीड़ित आशा करता है कि विधायक उसे कुछ दें, कहीं आग लगती है तो जनता कहती है कि विधायक जी कुछ दें। इसलिए मान्यवर, हम लोगों की तनख्वाह कुछ बढ़ा दी जाये ताकि हम अपनी जेब से भी जनता की सेवा कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वह शब्द कार्यवाही से निकलवा दें जो प्रकाशित भी न हो, यह ठीक नहीं है।

(इसी मध्य श्री दल बहादुर जी का माईक बन्द कर दिया गया किन्तु वह माईक बन्द होने के पश्चात् भी लगातार बोलते रहे, जो सुनाई नहीं दे रहा था)

आपकी भावना आ गयी है, इस विषय पर अलग से मा0 मुख्य मंत्री जी के पास बैठकर बात कर लेंगे। यह विषय मुख्य मंत्री जी का है।

श्री अध्यक्ष-

दल बहादुर जी, आप जो आगे बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(सदस्य श्री दल बहादुर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे परन्तु माईक बन्द होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया।)

अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने, मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी ने, नेता कांग्रेस ने, अपना दल ने एवं भारतीय सोहेलदेव पार्टी ने सदन के सत्र के समापन अवसर पर जिस तरह से आत्मीय, परस्पर प्रेमपूर्ण और परस्पर एक ही परिजन होने के भाव व्यक्त किए हैं मैं स्वयं और हमारी अपेक्षा है कि हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य परस्पर आत्मीय होने और परस्पर एक ही परिवार जिसका नाम भारत है उसके सदस्य होने की अनुभूति करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम दुनिया की सभी राज्य विधानसभाओं से जहां कहीं भी स्टेट स्तर पर लेजिसलेचर्स हैं उनमें सबसे बड़ी विधानसभा है और यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने देश की सबसे बड़ी विधानसभा हैं, ऐतिहासिक विधानसभा हैं और समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाले विधेयक जमींदारी समाप्त करने जैसे विधेयक इसी आदरणीय सदन में पारित हुए हैं। हमारे पास एक इतिहार है, परम्परा है और ऐसे लोगों का इतिहास है कि जो यहां इसी सदन में हमारे अगल-बगल बैठते थे और फिर वह प्रधानमंत्री बने, भिन्न-भिन्न पदों पर गये। ऐसा भी गौरवशाली इतिहास है यहां का हमने एक छोटा सा सत्र आज समाप्त किया है। इस सत्र में वैचारिक कारणों से और

कभी-कभी स्वयं को यह मानकर कि हमारी बात ठीक है, कभी-कभी इस कारण से भी गर्मी आई और यह हुआ कि हमारे किसी प्रियजन के मन में कि हमारी बात जरूर सुनी जाये अथवा हमारी हमारी बात कम सुनी गयी अथवा उनकी ज्यादा सुनी गयी ऐसे विचार आये होंगे। अध्यक्ष का काम बहुत जटिल होता है पहले मैं सदस्य विधान सभा के रूप मे जब नीचे बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अध्यक्ष को यह करना चाहिए, अध्यक्ष को वो करना चाहिए फिर ध्यान में आया जब यहां आये कि जिसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वह ऊंट नीचे होता तो ठीक था ऊंट पहाड़ पर था गिरने का प्रतिपल खतरा था अगर वह नीचे ही होता तो ठीक था, ऐसा लगा कि प्रतिपल हमसे गल्ती होती है और हम सब प्रकृति का भाग हैं। कॉस्मों और फिजिक्स से विश्लेषण करें तो भारतीय दर्शन से करें तो हम प्रकृति के अंश हैं और प्रकृति हमेशा मैं अनुमान से आगे बोल रहा हूं दर्शन या विज्ञान से नहीं। प्रकृति हमेशा स्वयं को और सुन्दर बनाने का, स्वयं को और शिव बनाने का स्वयं को और लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयत्न भीतर से बाहर से करती रहती है। बाहर से करती है इस बात का साक्ष्य है कभी-कभी बड़े-बड़े उल्का पिण्ड आकाश से नीचे की तरफ गिरते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि बहुत बड़े वजन के होते हैं कई देशों में पाये भी जाते हैं जहां गिरते हैं धरती धंस जाती है तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आकाश में कहीं ऊपर जैसे हमारे आपके यहां घर बनाने पर मकान बनाने पर काम चलता है छेनी चलती है कोई टुकड़ा पत्थर का बाहर गिरता है लेकिन मकान सुन्दर बनता है तो ऐसा लगता है कि आकाश में कारीगरी का कोई काम चल रहा है और उसी के टुकड़ों के रूप में कभी उल्का गिरती है और जो फिजिक्स है वह बताती है कि आकाश में भी तारो में भी जब कभी-कभी दिखाई पड़ता है कि तारा गिरा टूटा धरती पर आया, धरती तक आते-आते भस्म हो गया लेकिन लाइट बन जाता है। प्रकृति अपनी अपूर्णता को प्रतिपल दूर करने का प्रयास किया करती है। बहुत लाखो सुन्दर मनुष्य करोड़ों सुन्दर जीव प्रकृति ने अगर परमात्मा कहें तो परमात्मा या प्रकृति ने बनाये लेकिन प्रकृति अभी थकी नहीं है। हमारे घर आपके घर छोटा सा बच्चा होता तो ऐसा लगता है कि प्रकृति अभी और बनाना चाहती है, थकी नहीं है। वह बहुत बड़े-बड़े लोगों को बनाकर थकी नहीं है। वह लगातार सृजन करती है, सृजन रत है क्रिऐशन उसकी गुणवत्ता है और वह चाहती है कि हम कुछ क्रिएट करें और जब हम ऐसा चाहते हैं तो बार-बार अपनी तरफ देखना पड़ता है। यहां पर अभी काफी प्रशंसा की गयी, मैंने जितनी बार यहां के कार्य संचालन में स्वयं के बारे में विचार किया उतनी बार मेरे मन में बार-बार लगा कि अभी भीतर कुछ और ठीक करने की जरूरत है। अभी बाहर तो ठीक है शरीर लेकिन अभी भीतर कुछ ठीक करना है तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने किसी को बोलने से रोका होगा किसी को टोका होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है और यह भी हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हों। मैं यह नहीं कहता कि मैंने जितनी बार रोका मैंने जितनी बार टोका मैं सही था जितनी बार मैंने आपको मना किया मैं ही सही था, न ऐसा नहीं है लेकिन मैं, मैं था मेरे पास कोई विकल्प नहीं था मेरी दृष्टि में और मेरी दृष्टि ही ठीक है ऐसा मैं नहीं मानता अपने अनुभव के आधार पर ज्यादातर मित्रों से यहां उपस्थित मित्रों से ज्यादातर से मेरी

उम्र ज्यादा है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि बार-बार अपने बारे में पुनर्विचार उपयोगी रहता है, विधाई जीवन के लिए भी और बाहर के जीवन के लिए भी और 5-6 दिन की इस अवधि में मेरी भाषा में, मेरी वाणी में मेरे भौहों के तनाव में मेरी दृष्टि में मेरे विचार में किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं पूरे अन्तर्मन से अपने व्यक्तित्व से भीतर से बाहर से मैं शुद्ध हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं कि कहीं कोई गलती हुई हो ऐसे भी अवसर आये हैं कि कुछ मित्र हमसे नाराज भी हुए हैं। उन्होंने कहा नही। लेकिन मुझ तक उनकी बात पहुंच गई है। जो भी हमसे संचालन के वक्त नाराज हुए हैं वह सही थे मैं गलत था। लेकिन मैं इस कुर्सी पर था और आपने उसको माना। तो मेरी बात नहीं थी। जो बात आपने मानी वह इस आसन की है। जहां पर कभी श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन जी बैठते थे और मैं श्री टण्डन नहीं हो सकता। एक साधारण राजनैतिक विचारनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके सामने हूं। तो मुझे क्षमा करेंगे और अभी आप सबने धन्यवाद व्यक्त किया है उसके प्रति मैं पूरी तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं एक साथ पूरे सदन को बधाई दूंगा कि हम लोग विधि बनाने के कारण विधायक कहे जाते हैं। हमारा आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विधि और जब तक पारित नहीं होता है तब तक विधेयक और यह काम जो व्यक्ति करता है वह विधायक कहलाता है। तो अबकी बार इस सदन में दो-तीन विधेयक जल्दी-जल्दी लाये गये जिससे लोगों को तैयारी करने का अवसर तक नही मिल पाया, लेकिन तो भी प्रतिपक्ष के मित्रों ने विधेयकों पर बहुत सुंदर और सारवान चर्चा की है और इस सदन को नये मित्रों को जो पहली बार चुनकर आये हैं, उनकों संभवतः यह देखने को मिला हो कि कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे चलती है। हमारा वाला काम तो कर्मकाण्ड के जैसा रहता है। मैं कहता हूं कि प्रश्न उपस्थित करता हूं जिनकी हां है, वह हां कहे, जिनकी न है, वह न कहे। जैसे दरवाजे पर बारात आये और कोई व्यक्ति पण्डित जी से कहे कि जल्दी-जल्दी करो। जब उनको जल्दी-जल्दी में मंत्र याद नहीं आते हैं तो वह कहते हैं कि 'गजाननं भूतगणादिवेसितं' और रखो यहां पर। हमारा काम तो यही रहता है कि जो पक्ष में है वह हां कहे, और जो पक्ष में नहीं है वह न कहें। हां, नहीं के भीतर एक विचार अंतरनिहित है कि भारत में विधि कैसे बनती है। इस बार बहुत अच्छा रहा है। श्री राम गोविन्द जी बहुत पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं। लेकिन हमारे नये सदस्यों ने विधि निर्माण की बात को बहुत सुंदरता से और जिस तरीके से उस तथ्य को पकड़ा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैंने बोला है कि पकड़ा है, लेकिन वह सही पकड़े हैं। भाभी जी वाला नहीं है।

(सदन में जोर की हंसी)।

अभी एक या दो दिन पहले लगभग 43 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आये थे और वह सब ऊपर दर्शक-दीर्घा में बैठें। हम सबका दुर्भाग्य था कि वह पहले ही दिन आये। बाद में उनसे मेरी भेंट कराई गई। हमको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमारे यहां ऐसा हमेशा नहीं होता है। उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। हमने उनके साथ रात्रि भोज भी किया उसमें हमने श्री रामगोविन्द जी को भी आमंत्रित किया था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी उपस्थित थे। तो हम लोग उनकों घुमा फिराकर यह सफाई देने का प्रयास करते रहे कि बाकी दिन सदन बहुत

अच्छे से चलता है। (सदन में हंसी)। यह भी हो सकता है कि यह जो कर्मकाण्ड हम लोग करते हैं यह किसी दिन बीच में करें। कोई जरूरी तो है नहीं कि पहले ही दिन किया जाये।

(सदन में हंसी)।

यह कार्यक्रम किसी दिन बाद में भी हो सकता है। प्रायः अपने यहां कुछ ऐसी परम्परा बन गयी है कि पहले दिन बारात में कुछ गरम-गरम रहेगा। दूसरे दिन से कुछ हो जाता है। मैं प्रेस के भी मित्रों को बधाई दूंगा। वह हमारे और आम जनता के बीच में एक सेतु बनते हैं। यहां की खबर वहां ले जाते हैं। काफी परीश्रम करते हैं। मैं अपने प्रमुख सचिव, विधान सभा उनके सहयोगी विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, पूरा स्टाफ अनुसेवक तक उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत परीश्रमपूर्वक उन्होंने इस सत्र को सफल बनाया। मैं एक बार फिर इस आदरणीय सदन के एक-एक मा0 विधायक, मा0 मंत्रीगण, सभी उपस्थित और अनुपस्थित सदस्य सहयोग करने वाले और बैठे-बैठे टिप्पणी करने वाले, उनके प्रति भी आदरभाव व्यक्त करता हूं और आप सबकी जो भावनायें हैं मैं उनके साथ हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहता था वह रह गयी। अभी मेरे मुंह से भावावेश में एक शब्द निकल गया था। तो मैं अपने उन शब्दों को वापस लेता हूं। मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी हमारे पुराने साथी हैं। तो वह उसका माइंड नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा सा वैसा लगा इसलिए मैंने कहा। मान्यवर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मैं भी क्षमा चाहता हूं। आई एम सारी फार देट।

[05:11 बजे] सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने सम्बंधी जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मिति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान शुरू करते हैं।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ
दिनांक 31 अगस्त, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 01 का उत्तर पीछे पृष्ठ-8 पर)

विधान सभा प्रश्न

संलग्नक-1

क्र0 सं0	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) में रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उक्त अभ्यर्थियों में कुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या	उक्त अभ्यर्थियों में अर्द्धकुशल रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आगरा	747	552	195
2	मैनपुरी	506	0	506
3	फिरोजाबाद	338	223	115
4	मथुरा	381	72	309
	योग. .	**1972**	**847**	**1125**
5	अलीगढ़	663	193	470
6	एटा	336	0	336
7	हाथरस	180	32	148
8	कासगंज	277	0	277
	योग. .	**1456**	**225**	**1231**
9	इलाहाबाद	1474	271	1203
10	फतेहपुर	633	633	0
11	प्रतापगढ़	570	133	437
12	कौशाम्बी	183	36	147
	योग. .	**2860**	**1073**	**1787**
13	आजमगढ़	297	28	269
14	मऊ	47	47	0
15	बलिया	4187	1214	2973
	योग. .	**4531**	**1289**	**3242**
16	बांदा	497	5	492
17	हमीरपुर	162	7	155
18	महोबा	68	0	68
19	चित्रकूट	169	5	164
	योग. .	**896**	**17**	**879**
20	बरेली	817	147	670
21	पीलीभीत	520	0	520
22	शाहजहांपुर	356	0	356
23	बदायूं	1239	36	1203
	योग. .	**2932**	**183**	**2749**

1	2	3	4	5
24	बस्ती	563	563	0
25	सिद्धार्थनगर	186	186	0
26	सन्त कबीर नगर	695	695	0
	योग. .	**1444**	**1444**	**0**
27	फैजाबाद	1638	266	1372
28	अम्बेडकरनगर	514	30	484
29	बाराबंकी	820	248	572
30	अमेठी	2161	0	2161
31	सुल्तानपुर	414	0	414
	योग. .	**5547**	**544**	**5003**
32	गोरखपुर	1374	173	1201
33	देवरिया	320	240	80
34	कुशीनगर	123	0	123
35	महराजगंज	135	30	105
	योग. .	**1952**	**443**	**1509**
36	गोण्डा	887	887	0
37	बहराइच	171	171	0
38	बलरामपुर	174	174	0
39	श्रावस्ती	82	82	0
	योग. .	**1314**	**1314**	**0**
40	झांसी	2176	2083	93
41	ललितपुर	252	234	18
42	उरई	366	366	0
	योग. .	**2794**	**2683**	**111**
43	लखनऊ	3484	3484	0
44	उन्नाव	873	873	0
45	हरदोई	886	886	0
46	लखीमपुर	245	245	0
47	रायबरेली	1067	1039	28
48	सीतापुर	991	991	0
	योग. .	**7546**	**7518**	**28**
49	मेरठ	940	156	784
50	बुलन्दशहर	423	0	423
51	गाजियाबाद	964	578	386
52	हापुड़	135	34	101

1	2	3	4	5
53	गौतमबुद्ध नगर	888	680	208
54	बागपत	725	51	674
	योग. .	**4075**	**1499**	**2576**
55	कानपुर	4982	4663	319
56	कानपुर देहात	70	70	0
57	इटावा	110	74	36
58	फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	604	604	0
59	कन्नौज	415	415	0
60	औरैया	325	325	0
	योग. .	**6506**	**6151**	**355**
61	मिर्जापुर	819	819	0
62	सोनभद्र	295	295	0
63	सन्त रविदास नगर	333	333	0
	योग. .	1447	1447	0
64	सहारनपुर	490	0	490
65	मुजफ्फरनगर	223	0	223
66	शामली	179	0	179
	योग. .	**892**	**0**	**892**
67	वाराणसी	10263	5990	4273
68	गाजीपुर	1244	69	1175
69	जौनपुर	978	603	375
70	चन्दौली	1008	974	34
	योग. .	**13493**	**7636**	**5857**
71	मुरादाबाद	526	52	474
72	बिजनौर	269	0	269
73	रामपुर	313	44	269
74	सम्भल	221	0	221
75	ज्योतिबाफूले नगर	166	18	148
	योग. .	**1495**	**114**	**1381**
	महायोग. .	**63152**	**34427**	**28725**

संलग्नक-2

वर्ष 2017-18 में उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की जनपदवार संख्या

क्र0 सं0	जनपद	प्रशिक्षित युवा (संख्या)
1	आगरा	4501
2	अलीगढ़	2725
3	इलाहाबाद	6290
4	अम्बेडकरनगर	2897
5	अमेठी	1517
6	अमरोहा	1673
7	औरैया	1375
8	आजमगढ़	3222
9	बदायूं	9947
10	बागपत	564
11	बहराइच	1832
12	बलिया	850
13	बलरामपुर	1217
14	बांदा	1566
15	बाराबंकी	2699
16	बरेली	11997
17	बस्ती	1127
18	बिजनौर	2291
19	बुलन्दशहर	4054
20	चन्दौली	4018
21	चित्रकूट	1529
22	देवरिया	963
23	एटा	1549
24	इटावा	1022
25	फैजाबाद	1635
26	फर्रुखाबाद	1073
27	फतेहपुर	2971
28	फिरोजाबाद	3173

क्र0 सं0	जनपद	प्रशिक्षित युवा (संख्या)
29	गौतमबुद्धनगर	1468
30	गाजियाबाद	2843
31	गाजीपुर	4788
32	गोण्डा	1616
33	गोरखपुर	1736
34	हमीरपुर	990
35	हापुड़	878
36	हरदोई	2150
37	हाथरस	1375
38	जालौन	3751
39	जौनपुर	4854
40	झांसी	2287
41	कन्नौज	1428
42	कानपुर देहात	1890
43	कानपुर नगर	5566
44	कासगंज	714
45	कौशाम्बी	1589
46	खीरी	3374
47	कुशीनगर	1455
48	ललितपुर	405
49	लखनऊ	9771
50	महाराजगंज	509
51	महोबा	752
52	मैनपुरी	1873
53	मथुरा	4394
54	मऊ	1890
55	मेरठ	3436
56	मिर्जापुर	1350
57	मुरादाबाद	3218
58	मुजफ्फरनगर	1368

क्र0 सं0	जनपद	प्रशिक्षित युवा (संख्या)
59	पीलीभीत	3551
60	प्रतापगढ़	1907
61	रायबरेली	1586
62	रामपुर	2049
63	सहारनपुर	2991
64	सम्भल	2586
65	सन्त कबीर नगर	810
66	सन्त रविदास नगर	909
67	शाहजहांपुर	4180
68	शामली	1418
69	श्रावस्ती	1032
70	सिद्धार्थनगर	878
71	सीतापुर	3367
72	सोनभद्र	1157
73	सुल्तानपुर	1997
74	उन्नाव	2220
75	वाराणसी	3303
	योग. .	**189936**

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-08 का उत्तर पीछे पृष्ठ-30 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री संजय गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तरालेख :-

मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में निजी नलकूप श्रेणी (एल0एम0वी0-5) के लिए फिक्स्ट चार्ज तथा इनर्जी चार्ज निम्नवत अनुमोदित किया गया है-

(A) For consumers getting supply as per Rural schedule :

(i) Un-merered supply

Fixed Charge	Energy Charge
Rs. 150/BHP/month	Nill

Consumer under this category will be allowed a maximum lighting load of 120 watts.

(ii) Merered supply

Fixed Charge	Minimum Charge	Energy Charge
Rs. 60.00/BHP/month	Rs. 150/BHP/month	Rs. 1.75/kwh

Note : Minimum amount payable by a consumer under the cotegory "Rural Schedule (metered Supply)" shall be Rs. 150 per BHP per month, till the instollation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

(iii) Energy Efficient Pumps

Fixed Charge	Minimum Charge	Energy Charge
Rs. 60.00/BHP/month	Rs. 130/BHP/month	Rs. 1.50/kwh

Note : Minimum amount payable by a consumer under the cotegory "Rural Schedule (metered Supply)" shall be Rs. 150 per BHP per month, till the instollation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

(B) For consumers getting supply as per Urban schedule (Metered Supply) including consumers getting supply through rural feeders exempted from scheduled rostering or through co-generating radial feeders in village and towns.

Fixed Charge	Minimum Charge	Energy Charge
Rs. 120.00/BHP/month	Rs. 200/BHP/month	Rs. 5.50/kwh

Note : Minimum amount payable by a consumer under the cotegory "Urban Schedule (metered Supply)" shall be Rs. 150 per BHP per month, till the instollation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

For PTW consumers of Bundelkhand Area located in Gram Sabha, the minimum amount payable by a consumer shall be Rs. 150.00 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

पी0एस0यू0पी0-123 विधान सभा (203)-28-08-2019-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।